

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)



Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

Acc. No. 77
Dated 24 March 2011

(खंड 4 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चंडडा
संयुक्त सचिव

जे. पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 2009/1931 (शक)]

अंक 26, शुक्रवार, 7 अगस्त, 2009/16 श्रावण, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 481 से 484	1-35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 485 और 500	34-92
अतारांकित प्रश्न संख्या 4667 से 4896	93-389
सभा पटल पर रखे गए पत्र	389-399
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) रेल मंत्रालय से संबंधित "योजना कार्य-निष्पादन की समीक्षा और 11वीं पंचवर्षीय योजना अनुमान" तथा "विशेष रेल संरक्षा कोष की समीक्षा" के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 40वें और 41वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री के.एच. मुनियप्पा	397
(दो) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग से संबंधित सीपीएसई के बोर्डों के व्यावसायीकरण पर की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री विलासराव देशमुख	398
(तीन) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) (मांग संख्या 58) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 207वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री कपिल सिब्बल	398-399
सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित	
(एक) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2009	399
(दो) कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2009	399-400
(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009	400
(चार) भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण विधेयक, 2009	410

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक)	पुणे और देश के अन्य भागों में एच 1 एन 1 वायरस का संक्रमण रोकने हेतु पर्याप्त निवारक उपाए किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रायापति सांबासिवा राव	411
(दो)	देश में औद्योगिक इकाइयों की ओर बकाया सरकारी धन की वसूली किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	411
(तीन)	झारखंड के गिरिडीह जिले में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाए जाने तथा कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	411-412
(चार)	उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक नई इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	योगी आदित्यनाथ	412
(पांच)	गुजरात के भरूच में अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर गडखोल और भुलाव क्रॉसिंग पर ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	413
(छह)	गुजरात के बनासकांठा जिले में दिसा विमानपत्तन से उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	413

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

श्री हंसराज गं. अहीर	414-415
श्री रमाशंकर राजभर	415-416
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	416-418
श्री वीरेन्द्र कुमार	418-419
श्री नारनभाई कछाड़िया	419-420
श्री शरद पवार	421-443

विदाई संबंधी उल्लेख	445-448
-------------------------------	---------

राष्ट्र गीत	448
-----------------------	-----

विषय	कॉलम
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	449-450
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	450-456
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	457-458
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	457-460

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कडिया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 7 अगस्त, 2009/16 श्रावण, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं]

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 481, श्री दिनेश चन्द्र यादव।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण प्रवाह

*481. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में कतिपय राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुए घाटे के कारणों की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रबंधकीय स्तरों पर जनशक्ति की कमी जैसे कारकों से ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में ऋण के सुगम प्रवाह में बाधा आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन समस्याओं पर काबू पाने तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ग्रामीण ऋण का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कार्य निष्पादन की समीक्षा संबंधित प्रायोजक बैंकों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा भारत सरकार द्वारा नियमित अंतरालों पर की जा रही है, जिनमें आरआरबी द्वारा उठाए गए घाटों की भी जांच की जाती है। घाटा उठाने वाले आरआरबी के लिए प्रमुख कारण कम वसूली दर तथा अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) का ऊंचा स्तर है, जिनके परिणामस्वरूप अधिक प्रावधान करना होता है तथा अधिक घाटा होता है।

(ग) और (घ) देश में और साथ ही बिहार में पिछले कुछ वर्षों में आरआरबी से ऋण की उपलब्धता धीरे-धीरे बढ़ रही है। पिछले चार वर्षों में बिहार तथा पूरे देश में संवितरित ऋण तथा बकाया ऋण की स्थिति का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(राशि करोड़ रुपए में)

	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09*	
	कुल बकाया ऋण	कुल संवितरित ऋण	कुल बकाया ऋण	कुल संवितरित ऋण	कुल बकाया ऋण	कुल संवितरित ऋण	कुल बकाया ऋण	कुल संवितरित ऋण
बिहार में आरआरबी	2225	739	2904	1370	3678	1580	3855	2029
अखिल भारत	39713	25427	48493	33043	58984	38582	69030	41273

*आंकड़े अनन्तिम

स्रोत: नाबार्ड

उपर्युक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में आरआरबी से ऋण की उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई है। बिहार में आरआरबी द्वारा ऋण का संवितरण वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2008-09 में लगभग तीन गुना बढ़ा है।

(ङ) भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड ने विशेष

रूप से कमजोर/घाटा उठाने वाले आरआरबी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्षों से कुछ उपाय किए हैं। इन उपायों से आरआरबी को ग्रामीण जनता के लिए ऋण का प्रबंध करने में अधिक प्रतियोगी एवं सक्षम बनने में सहायता मिली है। आरआरबी को सक्षम बनाने के लिए किए गए ये उपाय सतत प्रक्रिया का एक भाग हैं।

आरआरबी के कार्यसंचालन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

- कमजोर आरआरबी का पुनर्पूजीकरण
- व्यवसाय समेकन और बड़े पैमाने की मितव्ययता का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का सम्मेलन
- व्यवसाय विविधीकरण तथा ऋण आधारित और गैर-ऋण आधारित दोनों उत्पादों का विकास
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफईएसआई) को आरआरबी के लिए लागू करना, ताकि उनकी वसूलियां बढ़ाई जा सकें
- आरआरबी को विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति देना
- आरआरबी के लिए संघीय सहायता ऋण की अनुमति देना
- अतिरिक्त जिले शामिल करके तथा शाखा नेटवर्क का विस्तार करके कवरेज बढ़ाना — वर्ष 2006-07 में जिलों की कवरेज 534 से बढ़ाकर सूचना देने की तारीख तक 593 कर दी गई है तथा शाखा नेटवर्क वर्ष 2006-07 में 14,520 से बढ़कर 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 15,200 हो गया है।
- कम तथा न्यूनतम शेष वाले “अतिरिक्त सुविधा रहित” खाते खोलना

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण बैंकों को शुरू करने के पीछे सरकार की अवधारणा थी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण देकर सबल बनाया जाये। चौदहवीं लोक सभा में वित्त राज्य मंत्री ने प्रश्न संख्या 4728 के उत्तर में कहा था कि ग्रामीण बैंक में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए हम सभी बैंकों को कम्प्यूटाइज्ड करेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे और अनुभवी व्यक्तियों को पदस्थापित कर बेहतर सुविधा उपलब्ध करायेंगे। मैंने मंत्री जी से प्रश्न के खंड 'ग' में पूछा था कि जनशक्ति की कमी के कारण यानी स्टाफ की जो कमी है, उस कारण बैंक ठीक से नहीं चल पाता। हम बिहार राज्य की बात करना चाहते हैं। उत्तर बिहार के सहरसा,

खगड़िया, मधुबनी और दरभंगा जिले के 40 प्रतिशत ग्रामीण बैंकों में बैंक मैनेजर ही नहीं है। स्केल टू के जितने बैंक्स हैं, जिनमें चार कर्मचारी होने चाहिए, उनमें कहीं एक कर्मचारी हैं, तो कहीं दो कर्मचारी हैं। मंत्री जी ने हमारे इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि कर्मचारियों की कमी के लिए वे क्या करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ तथा वायेबल करने के लिए सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व देश में इनका पुनर्गठन कराया था, जिससे बैंकों की संख्या में काफी कमी आयी। किंतु कार्य प्रणाली में सुधार एवं स्पॉसर्ड बैंक द्वारा अपने अधिनस्थ बैंकों पर वर्चस्व न होने के कारण ये बैंक्स लक्ष्य के अनुरूप सुदृढ़ एवं वायेबल नहीं हो सके। हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इन बैंकों का पुनर्गठन किन उद्देश्यों के लिए कब किया गया और पुनर्गठन से पूर्व इन बैंकों की संख्या क्या थी? इससे साथ-साथ पुनर्गठन के पश्चात् राज्यवार कितनी संख्या देश में रह गयी तथा दोनों स्थितियों में क्रमशः...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र यादव : राज्यवार घाटे की स्थिति क्या है और उसमें कितने का अंतर है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिये हैं। केवल एक प्रश्न पूछा जाता है।

...(व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मंत्री जी ने इस संबंध में कई सुझाव सुझाये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन सुझावों को आप कब तक कार्यान्वित करेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले।...(व्यवधान) हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।...(व्यवधान) सोलह गरीब जातियों के संबंध में बोलना चाहता हूं।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। आपको जो भी कहना है, उसे शून्य प्रहर में बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको जो भी बात कहनी है, उसे आप शून्य प्रहर में कहिये।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, आप हंसकर बात कीजिए। आप गुस्सा मत कीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं। आप कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए। शून्य प्रहर में हम इस बारे में बात करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, हम चाहते हैं कि सदन का कार्य पूर्ण तरीके से चले।...(व्यवधान) इसलिए हम आपका सहयोग चाहते हैं, संरक्षण चाहते हैं, संरक्षण चाहते हैं। हम यहां गरीबों की बात उठाना चाहते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शून्य प्रहर में इस बात को उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : अध्यक्ष महोदया, मुझे माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए। स्वाभाविक है कि माननीय सदस्यों की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में रुचि है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों की सभी वार्षिक रिपोर्टें आवश्यकतानुसार सभापटल पर रख दी गई है। परंतु माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, इसलिए मैं उसका उत्तर देता हूं।

सरकार द्वारा वैश्य समिति की सिफारिशों के अनुसार विलय की प्रक्रिया आरंभ की गई थी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सहित विलय की प्रक्रिया वर्ष 2005-08 में आरंभ हुई थी।

आज, विलय किए गए बैंकों की कुल संख्या 46 है। इसका मूल सिद्धांत था कि एक राज्य में एक प्रयोजक बैंक के साथ एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया जाएगा यदि तीन या चार प्रायोजक बैंक हैं तो तीन या चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, बिहार में चार प्रायोजक बैंक थे, अतः चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे।

बिहार में, बिहार के जीबी, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर के जीबी और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक हैं। वहां चार ग्रामीण बैंक हैं। बिहार के जीबी के अंतर्गत 80 जिले हैं; इसकी कुल 148 शाखाएं हैं और कर्मचारियों की कुल संख्या 667 है। मध्य बिहार ग्रामीण बैंक जिसके लिए प्रायोजक बैंक पीएनबी है और उसके अंतर्गत 11 जिले हैं, इसकी कुल 407 शाखाएं हैं और इसके कर्मचारियों की कुल संख्या 1782 है। समस्तीपुर के जीबी जिसका प्रायोजक बैंक एसबीआई है उसके अंतर्गत एक जिला है और इसकी कुल 66 शाखाएं हैं और इसके कर्मचारियों की कुल संख्या 291 है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रायोजक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और उसके अंतर्गत 18 जिले हैं और 858 शाखाएं हैं तथा इसके कर्मचारियों की कुल संख्या 3,229 है।

यह सच है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। इसलिए श्री थोरात की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। थोरात समिति की सिफारिशों के अनुसार यह पाया गया कि तीन बैंकों में — समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कर्मचारियों की संख्या की स्थिति का आकलन नहीं किया गया — 544 कर्मचारियों की कमी थी। थोरात समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। हम इन दो पदों को भरने वाले हैं। प्रबंधकीय स्तर पर भी कुछ कमी है और इन पदों को भी पूरा भरा जाएगा।

यदि माननीय सदस्य उत्तर के पाठ पर नजर डालें तो वह पाएंगे कि इन तीन वर्षों के भीतर-कुल वार्षिक ऋण देने की मात्रा 700 करोड़ रुपये वार्षिक से बढ़कर 2029 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है जो कि उधार देने की सीमा का लगभग तीन गुणा है। यह उत्तर के पाठ में दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदया, बिहार में ग्रामीण बैंक एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रेडिट डिपोजिट के अनुपात में ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। बिहार के उपमुख्यमंत्री, जो बिहार के वित्त मंत्री भी हैं, बराबर बैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और बैठक में प्रत्येक बार यही बात होती है कि इस कमी की हम भरपाई करेंगे, लेकिन आज तक उन कमियों को दूर नहीं किया गया है, जिससे वहां के लोग काफी परेशान हैं। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में ग्रामीण बैंक एवं अन्य सार्वजनिक बैंकों द्वारा क्रेडिट डिपोजिट अनुपात के आधार पर देश के अन्य राज्यों की तुलना में ऋण उपलब्ध कराने की क्या स्थिति है? बिहार में बैंकों के कुछ पदाधिकारी सरकार के विकास

कार्यों में सहयोग नहीं करते, ऋण उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है, उसे पूरा नहीं होने देते, क्या माननीय वित्त मंत्री जी इसकी जांच कराएंगे और ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे जिससे सुगमता से वहां के लोगों को एवं राज्य सरकार को जो वहां विकास करना चाहती है, अपना टारगेट पूरा करने में सहूलियत हो? क्या सहयोग न करने वाले ऐसे पदाधिकारियों पर आप कोई कार्रवाई करेंगे?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : बैंक के प्रभारी अधिकारियों सहित प्रत्येक अधिकारी से आशा की जाती है कि वे राज्य सरकारों के साथ सहयोग करें क्योंकि यह मूल सिद्धांत है जो राष्ट्रीयकरण के दिनों से हमारा सिद्धांत है। विभिन्न स्तरों पर परामर्शदात्री तंत्र की स्थापना की गई है। माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है वह वास्तव में सही है। मुझे स्वयं बिहार के उप-मुख्य मंत्री श्री मोदी द्वारा बताया गया था जो कि यहां पर हमारे सहकर्मी भी थे।

मैंने उनका सुझाव स्वीकार कर लिया है और मैंने स्वयं इस पद्धति को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है। यह परंपरा पहले प्रचलित थी कि अधिकारियों के स्तर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में मंत्रियों के साथ एक बैठक हुआ करती थी। चूंकि 28 राज्य हैं इसलिए सभी 28 राज्यों की राज्य स्तरीय बैठकें करना संभव नहीं है परंतु तीन या चार राज्यों को मिलकर बैंक के अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वित्त मंत्री, मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों के स्तर पर इस प्रकार की परंपरा शुरू करना संभव है। इन सभी मुद्दों का सत्र के बाद निवारण किया जाएगा। अंतर-सत्रावधि में मैं स्वयं यह कार्यक्रम बनाऊंगा। बिहार पर हमारा पूरा ध्यान है और मैं इन समस्याओं से पूरी तरह अवगत हूं। कि न तो क्षेत्रीय आरआरबी और न ही वाणिज्यिक बैंकों के मामले में ऋण जमा राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप है। हम इन समस्याओं से अवगत हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 76 बैंक्स का समायोजन किया गया है। लेकिन ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक्स एसोसिएशन द्वारा निरंतर मांग की जा रही है कि मुख्तलिक राज्यों में जो ग्रामीण बैंक्स हैं, उन सबका सारे देश में एक संगठन बनाया जाए। क्या केन्द्र सरकार इस पर विचार करेगी? दूसरी गंभीर बात यह है कि तमाम राज्यों में इन ग्रामीण बैंक्स के कर्मचारियों पर छूटे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कब तक

इसे लागू कर देंगे? इसके अलावा जो सी.डी. रेशो की बात हुई है, उसमें टास्क फोर्स की बैठकें रेग्युलर नहीं होती हैं। उस संबंध में किसे एकाउंटेबल बनाया जा सकता है?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदया, जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के संघों की मांग के बारे में पहले प्रश्न का संबंध है तो हम बैंकों के विलय तथा अन्य बैंकों की स्थापना का निर्णय पहले ही ले चुके हैं।

महोदया, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास के इतिहास के ब्यौरे का वर्णन करना चाहता हूं क्योंकि मैं आरंभ से ही इससे वर्ष 1975 से जुड़ा हुआ हूं जब इसे रिजर्व बैंक द्वारा गठित महत्वपूर्ण समिति के परिणामस्वरूप यह देखा गया था कि लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को संस्थागत ऋण व्यवस्था द्वारा लाभान्वित नहीं होते हैं। छह वर्ष पूर्व बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद वर्ष 1975 में इस रिपोर्ट को उपलब्ध कराया गया था। वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के विस्तार के बावजूद यह देखा गया कि ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा भाग संस्थागत ऋण व्यवस्था से लाभान्वित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। पूरे देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से बढ़ाकर 296 कर दी गई। इनमें से कुछ बैंकों के अंतर्गत एक जिला आया और कुछ बैंकों के अंतर्गत एक से अधिक जिले आए। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंतर्गत 593 जिले हैं। परंतु यह अवधारणा किसी प्रकार विफल हो गई और मैं इसके इतिहास का उल्लेख नहीं करना चाहता एक समय बैंक की स्थापना को इमरजेंसी एक्सेस समझा गया था इसलिए, प्रचालन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। तत्पश्चात्, प्रख्यात अर्थशास्त्री, प्रो. लकड़वाला जिन्हें इस पहलू की जांच करने हेतु नियुक्त किया गया था, उन्होंने अपनी सिफारिशें दीं और सुझाव दिया कि ग्रामीण ऋण को बनाए रखने के लिए अच्छी अवधारणा है। इसके पीछे सहकारी समितियों के नियमों में लचीलापन लाना और वाणिज्यिक बैंकों की कार्यकुशलता को साथ लेकर चलने तथा उपरि लागत को कम करने का विचार था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की यह अवधारणा थी। परंतु इसे यदि वाणिज्यिक बैंक की सिर्फ वाणिज्यिक शाखाएं समझा जाए तो कम लागत वाली बैंकिंग, ग्रामीणों की बैंकिंग अवधारणा लागू नहीं होती परंतु यह पुरानी बात है। अब, ब्यास समिति की सिफारिशों के अनुसार, विलय के लिए निर्णय लिया जा चुका है, और जैसा कि

मैंने उल्लेख किया, यह पिछले तीन वर्षों से चल रहा है। प्रक्रिया अभी पूरी हुई है। 84 बैंकों में से 46 बैंकों का विलय हुआ है, 38 स्वतंत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और एक बैंक को हाल ही में स्थापित किया गया है। इसे हाल ही में जोड़ा गया है।

जहां तक वेतन का संबंध है तो आज भी, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, हड़ताल चल रही है। आज मुझे आशा है कि हड़ताल समाप्त हो जाएगी जैसाकि मुझे बताया गया है, आईबीए के प्रबंधन प्रतिनिधियों और श्रमिक संघ मिलकर बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री उमाशंकर सिंह, आप अपनी सीट से प्रश्न पूछा करिये, आगे से इस बात का ध्यान रखिये।

श्री उमाशंकर सिंह : महोदय, वोट के समय अपनी सीट पर चले जाएंगे, अभी तो यह खाली है।

अध्यक्ष महोदय : आगे से अपनी सीट से प्रश्न पूछा कीजिए।

श्री उमाशंकर सिंह : महोदय, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब जिला वार ग्रामीण बैंक कंट्रोल होता था, तब आम लोगों को ऋण मुहैया कराने और ऋण वसूली में उपलब्ध होती थी। बिहार में उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुविधा कर दिया गया है। सात-आठ जिलों को मिलाकर वहां चेयरमैन बना दिया है। पहले वहां प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ करते थे तो आम लोगों को ऋण मुहैया कराने में, ऋण वसूली में तथा ओवर-ऑल कंट्रोल करने में ज्यादा सुविधा होती थी। एक तरफ आप छोटे राज्य और छोटे जिले बना रहे हैं, दूसरी तरफ यह बैंक जिलावार था, उसे आठ जिले पर एक बना रहे हैं। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि पुनः जिलावार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाएगी?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : यह शुरूआत थी। हमारे पास यह संकल्पना है। यही कारण है कि अनेक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। उनमें से कुछ के पास इकाई के अनुसार केवल एक ही जिला है। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। 1975 से 2005 तक, इन 30 वर्ष के अनुभव थे। वे चाहते थे कि उन्हें वाणिज्यिक बैंकों

की शाखाएं माना जाए। मेरे पूर्ववर्ती विद्वान, श्री यशवंत सिन्हा इस बात से परिचित हैं। उनका अनुभव भी यही था कि वे उन विशेष उद्देश्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिनके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना गई थी। यदि आप वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको एक अलग संस्था की आवश्यकता क्यों है? इसकी स्थापना में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न समितियां गठित की गई थीं। व्यास समिति की सिफारिशों के अनुसार ही आमेलन का यह निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षित बेरोजगार होते हैं उन्हें या किसानों को उनके द्वारा आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। साथ ही मेरा नरेगा के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में खाता खोलने की व्यवस्था जिन कार्ड-होल्डर्स को दी गयी थी, ग्रामीण बैंक उसमें भी हीलाहवाली करते हैं और जब ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात की शिकायत जिला प्रशासन से की जाती है, तो जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी करने के बावजूद भी बैंक उस पर कार्रवाई नहीं करता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों, किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने, नरेगा के तहत जो जॉब-कार्ड होल्डर्स हैं, उन्हें बैंक में एकाउंट खोलने के लिए क्या कोई आवश्यक दिशा-निर्देश यहां से जारी करेगी?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : ग्रामीण बैंकों सहित राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के ये सब उद्देश्य हैं। वे अपना कार्य ठीक कर रहे हैं अथवा नहीं, इस बात की जांच करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं हैं। इन पहलुओं की जांच करने के लिए नाबार्ड को रखा गया है। ऋण राहत और ऋण छूट के मौजूदा कार्यक्रम के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भी अपनी अत्यंत उपयोगी भूमिका निभाई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की
सामाजिक लेखा-परीक्षा

+

*482. श्री उदय सिंह :

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए अग्रिम तैयारियाँ करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों से योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से परियोजनाओं की सामाजिक लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने का भी अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विभिन्न स्तरों पर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कुछ पंचायतों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों को पुरस्कृत करने का है; और

(च) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दिए गए इन पुरस्कारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनआरईजीएस के कार्यान्वयन के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की दृष्टि से राज्यों को समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। इनमें गहन आईईसी क्रियाकलापों के माध्यम से नरेगा के बारे में जागरूकता सृजित करना, वार्षिक कार्य योजना एवं परियोजनाओं की सूची बनाने, सभी स्तरों पर पर्याप्त स्टाफ की तैनाती और प्रबंधन प्रणाली का संचालन शामिल है।

(ग) और (घ) जी, हां। एनआरईजी अधिनियम, 2005 की धारा 17 में नरेगा कार्यों की सामाजिक लेखा-परीक्षा का प्रावधान है। सम्बद्ध प्रावधान निम्नानुसार हैं:

17(2) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर आरंभ की गई स्कीम के अधीन सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखा-परीक्षा करेगी।

(3) ग्राम पंचायत, सभी सुसंगत दस्तावेज, जिनके अंतर्गत मस्टर रोल, वाउचर, माप पुस्तिकाएं, मंजूरी आदेशों की प्रतियाँ और अन्य संबंधित लेखा बहियाँ और कागजपत्र भी हैं, सामाजिक लेखा-परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध कराएंगी।

इसके अलावा, एनआरईजी की अनुसूची-1 के पैरा 13 को संशोधित किया गया है ताकि सामाजिक लेखा-परीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रियाविधि को इसमें अंतर्विष्ट किया जा सके। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समयबद्ध ढंग से सामाजिक लेखा-परीक्षा करने के लिए राज्यों को निर्देश भी दिए गए हैं। राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिलेवार सामाजिक लेखा-परीक्षा कैलेंडर को नरेगा वेबसाइट पर डालें। अब तक 267 जिलों में नरेगा की सरकारी वेबसाइट पर अपनी-अपनी सामाजिक लेखा-परीक्षा का कैलेंडर डाल दिया है। 63986 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सामाजिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों को नरेगा वेबसाइट www.nrega.nic.in पर डाला जाना है।

(ङ) और (च) वर्ष 2008 के दौरान, सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में नरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए रोजगार जागरूकता पुरस्कार की शुरुआत की है। 2.2.2009 को आयोजित नरेगा सम्मेलन में 5 गैर-सरकारी संगठनों अर्थात् मध्य प्रदेश का आश्रम ट्रस्ट; राजस्थान का रोजगार एवं सूचना अधिकार; उड़ीसा का रूपायन; गुजरात का उन्नति और उत्तर प्रदेश का आशा ट्रस्ट को वर्ष 2008-09 के लिए रोजगार जागरूकता पुरस्कार दिए गए थे। चालू वर्ष के लिए रोजगार जागरूकता पुरस्कार पाने वाले संगठनों का चयन अभी तक नहीं किया गया है।

श्री उदय सिंह : महोदया, यह एक गंभीर प्रश्न है और एक गंभीर समस्या भी है। प्रश्न का जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, उससे जाहिर होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ गेंद कर रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ गेंद कर रही है। हम सभी सांसदों को मालूम है और मंत्री जी को भी मालूम होगा कि हम लोगों की जो मंशा है कि नरेगा का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिनके हाथ में काम नहीं है, हमारी यह मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। इतना महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जहां इसे पहुंचना चाहिए। बिचौलिए पैसा खा रहे हैं और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार इतनी बड़ी योजना को चलाने के लिए जो प्रशासनिक बैकबोन चाहिए, उसे सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठा रही है या नहीं? मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि एक जिला में औसत ढाई सौ या पौने तीन सौ पंचायत होती हैं। इस योजना को चलाने के लिए आज जो प्रशासनिक रीढ़-बनी हुई है, कलेक्टर के हाथ में इसे दिया गया है, जिसके पास अनेक काम हैं। इसलिए नरेगा का काम ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। जब तक केंद्र सरकार वहां सीनियर आफिसर्स को तैनात नहीं करेगी, पूरी तरह से वहां प्रशासनिक रीढ़ नहीं बनाएगी, तब तक इस योजना को कारगर रूप से चलाना मुश्किल होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न है कि क्या केंद्र सरकार इस बारे में विचार कर रही है, क्योंकि मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके जो प्रावधान हैं जैसा कि जो काम करने का इच्छुक हैं, वह लिख कर ग्राम पंचायत को लिख कर दे।

मंत्री जी आप भी ग्रामीण इलाके से आते हैं, अगर वे इतने पढ़े-लिखे हों कि वे ग्राम पंचायत में लिख कर दें और अपना हक मांगें, तब तो कोई बात ही नहीं थी। इसके जो प्रावधान हैं, उन्हें बारीकी से देखने की आवश्यकता है। जब तक इन्हें हम सरल नहीं करेंगे, इन्हें ठीक नहीं करेंगे और प्रशासनिक बैकबोन को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारी और आपकी जो मंशा है कि ज़मीनी रूप से यह योजना कारगर सिद्ध हो, वह पूरी नहीं हो सकती है।

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूं। हम सब का कर्तव्य बनता है कि इस योजना का लाभ गरीब आदमी को मिले। मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपना एफ प्रतिनिधि चुनकर हमें बताएं, अगस्त के आखिरी दिनों में उसके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद कैसे इस योजना का प्राभावशाली ढंग से क्रियान्वयन कर सकेंगे, इस बारे में उनसे राय लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने जो चिंता व्यक्त की है, वह चिंता हम सबकी है और हम सब मिलकर इस योजना को प्राभावशाली ढंग से लागू करें और आप आगे आ कर हमारी मदद करें, जिससे सरकार आपके फीड बैक के उपयोग से निर्णय कर सके।

श्री उदय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की इस बात का स्वागत करता हूं। हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे, क्योंकि हम सबकी मंशा एक ही है।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बैंकों की वजह से, बैंक के जो कर्मचारी हैं, वे एक तरह से ब्रोकर बन गए हैं, दलाल बन गए हैं, और जिन लोगों को नरेगा के पैसे मिलने चाहिए, उन लोगों के हाथ में पैसे न जाकर जो बिचौलिए हैं, उनके हाथ में पैसा जाता है। जो काम करते हैं या जिन्हें काम मिलना चाहिए, उन्हें पैसा नहीं मिलता है। इत्तेफाक से या मेरी खुशकिस्मती है कि वित्त मंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं, मैं सुझाव देना चाहता हूं और साथ ही सरकार से पूछना चाहूंगा कि यूआईडी जब बनेगी या जब आएगी, तब आएगी, अगर बायोमैट्रिक्स का एक कार्ड हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, उन्हें अगर दे दिया जाए, तो वे बहुत सहूलियत से इन पैसों को निकाल सकते हैं और इस पैसे की छीन-झपटी नहीं होगी। मैं बताना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि बैंक में दलाल बाहर ही बैठे होते हैं, जैसे ही पैसे निकाल कर मजदूर बाहर निकलता है, उसके हाथ से पैसे ले लिए जाते हैं। ऐसा ज़मीनी रूप से हो रहा है। अगर बायोमैट्रिक्स कार्ड या किसी तरह का एटीएम कार्ड उन्हें दे दिया जाए, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस बैंक से चाहें वे पैसा निकाल सकते हैं। हम सबकी जो मंशा है कि उस गरीब के हाथ में दो पैसे आए, तभी हमारी यह मंशा पूरी हो सकती है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरफ सरकार का ध्यान है और क्या इस संबंध में सरकार कुछ कहना चाहती है?

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात से मैं सहमत हूं। बायोमैट्रिक्स भी एक तरीका हो सकता है, जिससे सही आदमी को पैसा मिल सके। बायोमैट्रिक्स का या दूसरा जो तरीका है, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का, इन सब बातों पर चर्चा करके, जैसा मैंने आपसे कहा है कि आप सुझाव दें, हम इसे इम्प्लू करेंगे और कोशिश करेंगे कि बायोमैट्रिक्स के माध्यम से भी उस गरीब आदमी को, जो उसका अधिकार बनता है, उसे उसकी पेमेंट मिल सके। इन सुझावों के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी — उपस्थित नहीं।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि किसी राज्य सरकार के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहने पर क्या वह भारत सरकार के प्रति जवाबदेह हैं? इसके अलावा एनआरआईएस के क्रियान्वयन के प्रश्न के संबंध में निर्धारित लक्ष्य के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की क्या स्थिति है?

डॉ. सी.पी. जोशी : महोदया, माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि 'नरेगा' में लक्ष्यों का प्रश्न नहीं है। यह मांग आधारित योजना है। यहां कोई लक्ष्य पहलू नहीं है। लेकिन, जैसाकि मैंने आपको बताया है, हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बैठक में आने और अपने सुझाव देने का निमंत्रण देता हूं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका लाभ निर्धनतम व्यक्ति तक पहुंचे।

मैं यह बात फिर दोहरा रहा हूं कि मैं सभी नेताओं को बैठक में अपना एक-एक प्रतिनिधि भेजने का निमंत्रण दे रहा हूं। हम उनसे चर्चा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना का क्रियान्वयन निष्ठापूर्वक हो।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज : अध्यक्ष महोदया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट 21 मार्च, 2008 में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, नरेगा का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गरीब परिवारों को गारंटी शुदा काम नहीं दिया गया, मजदूरी का फर्जी भुगतान किया गया, भुगतान में अनावश्यक देरी की गई। यही नहीं, योजना के अनुमोदन में 6 से 11 महीने की देरी हुई, मास्टर रोल में ऐसे लोगों की मजदूरी का भुगतान किया गया जो उस गांव के नहीं थे। मैं अध्यक्ष महोदया के माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सीएजी की इस रिपोर्ट के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में नरेगा के क्रियान्वयन में बरती गई अनियमितताओं की जांच कराने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, मैंने कहा कि जो योजना प्रारंभ हुई, उसमें शिकायतें आई हैं और एक्ट के प्रोविजन्स के अनुसार चूंकि उन शिकायतों को राज्य सरकार को ही एड्रेस करना है, [अनुवाद] संघीय ढांचे की यह पूर्वापेक्षा है। [हिन्दी] पर जैसा मैंने आपको कहा कि जहां-जहां भी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उनको पहले उत्तर देने दीजिए। आप उत्तर पूरा करने दीजिए। आप बैठ जाएं, आप शांत हो जाएं।

...(व्यवधान)

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ फंक्शन्स स्टेट गवर्नमेंट के हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। पंचायती राज राज्य का विषय है। [अनुवाद] पंचायती राज राज्य का विषय

है और रोजगार समवर्ती सूची में है। [हिन्दी] कुछ बातें हमें संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत करनी हैं। यह बात सही है कि भारत सरकार पैसा दे रही है लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। जैसा मैंने कहा कि सबकी राय लेकर उसमें जो इम्पूव करने का काम है, हम उसे इम्पूव करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो इस समय की स्थिति बनी हुई है, उसकी जानकारी लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जहां पर भी हमें एफआईआर दर्ज करने का मौका मिला है, हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जो नियम और कानून के अंतर्गत है, चाहें उत्तर प्रदेश हो, या कोई और प्रदेश हो, जहां से शिकायत आती है, वही उनको एड्रेस कर रहे हैं।
...(व्यवधान)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक तो ग्रामीण अंचलों में जो इसका वास्तविक स्वरूप है और जो वहां इसका लाभ पहुंचना चाहिए, जो निचले स्तर तक मजदूरों तक मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। उसमें कई तरह की धांधली है, जैसा कि मुझसे पहले के वक्ता ने कहा। उनकी बातों से संबद्ध करते हुए मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि एक कमेटी बना दें या कोई प्रतिनिधि सांसद बना दें, क्या ऐसी कमेटी आप बनाएंगे जिसमें सांसद को ही प्रतिनिधि बनाएंगे और उसकी जानकारी निचले स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक जिससे गांवों में जो निचले स्तर तक मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है और जो नरेगा का असली स्वरूप ग्रामीण अंचलों तक जाना चाहिए, वह नहीं जा पा रहा है, उसे लागू करने के लिए क्या सांसदों को उस कमेटी में प्रतिनिधि के रूप में आप बनाएंगे जो ग्रामीण स्तर की जानकारी रखें जिससे जो धांधली हो रही है, उसको रोका जा सके और जो नरेगा का वास्तविक स्वरूप है तथा जो सरकार की भी मंशा है कि ग्रामीण स्तर तक मजदूरों को लाभ मिले जिससे जो बेरोजगार हैं, जिनका जीवन-यापन नरेगा से ही संबंधित है, उनको वह लाभा मिल सके। क्या इसके लिए आप कोई ऐसी कमेटी बनाएंगे?

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, रूरल डवलपमेंट की सारी स्कीम को मोनीटर करने के लिए माननीय सदस्यों को उसका चेयरमैन बनाने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। शीघ्र ही हम उसके बारे में आदेश प्रसारित करेंगे जिससे वे अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावशाली ढंग से कर सकें।

श्री अनंत गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में नरेगा योजना पूरी तरह असफल हो रही है। इसका मुख्य कारण

है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो दिशानिर्देश बनाए हैं, उनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जैसा कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने इन योजनाओं के प्रपोजल्स के बारे में जो सर्कुलर भेजे हैं, उनमें यह सुझाव दिया है कि 80 परसेंट प्रपोजल वाटर कन्जर्वेशन के हों। मैं कोंकण क्षेत्र से आता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ, यहां वाटर कन्जर्वेशन के लिए केवल नरेगा से यदि कोई योजना बनाते हैं तो यह योजना पूरी तरह से विफल होती है क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है, यहां टीले हैं। अगर यहां मिट्टी का गड्ढा खोद भी देते हैं तो उसमें पानी रुकता नहीं है। इस तरह से सारा धन मिट्टी में मिल रहा है इसलिए हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के प्रपोजल नहीं आ रहे हैं। यह योजना महाराष्ट्र में लगभग पूरी तरह असफल है। इसका एक और कारण है कि इस योजना को बनाते समय दो कम्पोनेंट पर विचार किया गया — एक 60 परसेंट लेबर और दूसरा 40 परसेंट मैटरियल। इसमें मशीनरी का कोई प्रावधान नहीं है। मैं इस बात को इसलिए आपके माध्यम से सदन और मंत्री जी के सामने रख रहा हूँ, मान लीजिए हमने इस योजना के तहत एक सड़क बनाते हैं तो हम उस सड़क पर रोलर नहीं चला सकते। यदि हम रोलर नहीं चलाते हैं तो पहले ही वह सड़क बारिश में ही बह जाती है, टूट जाती है। इस कारण दिशानिर्देश में चेंज करने की जरूरत है जिसमें 40 परसेंट लेबर, 40 परसेंट मैटरियल और मिनिमम 20 परसेंट मशीनरी का प्रावधान होना चाहिए। मान लीजिए हमें कुआं खोदना है, कुआं खोदते समय मिट्टी तक खुदाई करते हैं लेकिन जब पत्थर आ जाता है तो हम उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि हम वहां सुरंग नहीं बना सकते। इस प्रकार से यह सारा धन मिट्टी में जा रहा है, योजना असफल हो रही है। इस योजना के दिशानिर्देश को बदलने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस संबंध में मंत्री जी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री और लोकसभा, राज्य सभा के सारे सदस्यों के साथ राज्यवार बैठक बुलाकर इस प्रकार के दिशानिर्देश के बारे में पुनर्विचार करना चाहते हैं?

डॉ. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम इस संबंध में अलग-अलग राजनीतिक दलों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह योजना मैनुअल वर्क के लिए है। यदि हम इसे सप्लीमेंट डेवलपमेंट के साथ करना चाहते हैं तो इसमें अलग-अलग योजना का पैसा डाउटेल करने की परमिशन है। इस डाउटेल के पैसे में आप मशीन का उपयोग करना चाहते हैं तो करें। इस योजना में मशीन का उपयोग करने का कोई उद्देश्य नहीं है और न ही हम इसके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि

हम यह काम गरीब आदमी को मदद देने के लिए कर रहे हैं।
...(व्यवधान)

श्री तूफानी सरोज : हमारे यहां मशीन से काम हो रहा है।
...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप उत्तर सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : वहां सही काम नहीं हो रहा है।
...(व्यवधान) इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है
...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप पूरा उत्तर सुनिए।

...(व्यवधान)

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस योजना में मशीन के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। डाउटेल करने में जो सरकार पैसा लगाना चाहती है, वह डाउटेल करने में मशीन का पैसा लगाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यह योजना गरीब आदमी की मदद के लिए है, मैनुअल वर्क के लिए है। हमने एक काम जरूर किया है कि अब इसका स्कोप बढ़ाकर मार्जिनल और स्माल फार्मर्स को भी इस योजना के साथ जोड़ा है ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। हमने यह काम आगे बढ़ाकर किया है लेकिन मशीन का कोई विचार नहीं है।

[अनुवाद]

डॉ. के. एस. राव : अध्यक्ष महोदय, पूरी सभा इस बात से सहमत है कि 'नरेगा' सर्वोत्तम योजनाओं में से एक है, लेकिन सभी सदस्यों की चिंता केवल यही है कि यह किस प्रकार क्रियान्वित की जा रही है। मेरा भी यही मत है कि प्रत्येक जिले को काफी धनराशि आवंटित की जाती है। माननीय मंत्री जी ने इसमें सड़कें, जलाशय, कृषि आदि से संबंधित कार्य जोड़े हैं, जो अच्छी बात है और इसमें श्रम के अलावा, कम-से-कम 40 प्रतिशत सामग्री घटक की अनुमति दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि अब वहां स्थानीय संसद सदस्य की अध्यक्षता में संतर्कता समिति मौजूद है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या मुख्य जिम्मेदारी संसद सदस्य की होगी, ताकि इसे पुनः राज्य प्राधिकारियों, स्थानीय

उपाध्यक्ष आदि के जिम्मे छोड़ने के स्थान पर इसका उचित उपयोग हो सके, क्योंकि इससे स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित नहीं हो रही है।

दूसरे, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ — यह एक अनुरोध है — कि क्या वे केवल उस अवधि के लिए अनुमति देंगे जब काम कम होता है। कृषि मौसम के दौरान जब कुछ सिंचित कृषि क्षेत्रों में श्रमिकों की अत्यधिक कमी होती है; उस समय के दौरान उन्हें 100/- रुपये से ज्यादा पारिश्रमिक मिलेगा और इस प्रकार उनकी रुचि इसमें नहीं होगी। यदि उस मौसम के दौरान नरेगा के अंतर्गत व्यय दर्शाया जाता है, तो यह फर्जी व्यय होगा। अतः, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे ऐसा दिशानिर्देश देंगे कि यह 'नरेगा' कार्यक्रम केवल उस समय क्रियावित किया जाए जब कृषि कार्य कम हो और मुख्यतः शुष्क भूमि क्षेत्रों में किया जाए।

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, यह व्यक्ति विशेष की मर्जी है कि वह इस अवसर का उपयोग कब करना चाहता है। मैं बताना चाहता हूँ कि यह उसकी पसंद है। आप उसे उस समय कार्य करने के लिए नहीं कह सकते, जब कृषि क्षेत्र में कार्य कम हो। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि उस व्यक्ति को इसके बारे में भलीभांति ज्ञात है; वह इसका उपयोग कब करना चाहता है; और वह 365 दिन में 100 दिन का कभी भी उपयोग कर सकता है। इसलिए, हम किसी व्यक्ति विशेष पर यह शर्त नहीं थोप सकते।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदया, उत्तर प्रदेश के अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों की भांति ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 'नरेगा' का प्रयोग केवल गड्ढे खोदने और उनको भरने, फिर गड्ढे खोदने और फिर उन्हें भरने के लिए किया जा रहा है। अनेक अन्य संसद सदस्यों ने भी यह प्रश्न पूछा है। क्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अगुवाई करने वाले संसद सदस्य के साथ मासिक बैठक करना संभव है, ताकि वस्तुतः हम यह देख सकें कि क्या हो रहा है? अन्यथा, आपके अनुसार, क्योंकि आपकी योजना का उद्देश्य, गरीब व्यक्ति तक धन पहुंचाना है, अतः क्यों न उन्हें घर बैठने दें और हर जगह गड्ढे खोदने, जिनका बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है, के स्थान पर उनको उतनी ही धनराशि दे दें। संसद सदस्य और विधायक, चाहे वे कोई भी हों, स्थानीय अधिकारियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए मासिक बैठक कर सकते हैं कि उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या आवश्यक है और सहमति बना सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि कार्य उसी प्रकार हो। इस प्रकार धन भी खर्च हो जाएगा और कार्य भी होगा। [हिन्दी] यहां केवल मिट्टी की सड़कें बन रही हैं या जमीन पर खड्डे बन रहे हैं। [अनुवाद] उत्तर प्रदेश में कोई तीसरा काम नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस एक्ट में दो बातें बहुत सिम्पल हैं और हमने शैड्यूल-1 में प्रॉयरेटी पर काम आइडेंटिफाई किए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जहां सरकारें क्यों प्रॉयरेटी पर काम नहीं ले रही हैं क्योंकि जो काम शैड्यूल में लिखे हुए हैं वे तो लिखे ही हुए हैं। [अनुवाद] इसमें कहा गया है कि "जल संरक्षण और जल संचयन पहली प्राथमिकता है। फिर, सूखे से बचना दूसरी प्राथमिकता है। सूक्ष्म और लघु सिंचाई समेत सिंचाई नहरें तीसरी प्राथमिकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था चौथी प्राथमिकता है परंपरागत जल का नवीकरण....।"

राज्य सरकार को ये दिशानिर्देश दिए गए हैं। यही राज्य सरकार का कार्य है। उन्हें इसका पालन करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, यदि वे नहीं कर रही हैं, तो हमें इस पर चर्चा करनी होगी और एक प्रणाली विकसित करनी होगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ।

[हिन्दी]

ऋण वृद्धि दर

+

*483. श्री अनंत कुमार हेगड़े :

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 2008 से जून 2009 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बैंक-वार तथा माह-वार ऋण दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई;

(ख) क्या जनवरी 2008 से सितम्बर 2008 की अवधि की तुलना में अक्टूबर 2008 से जून 2009 तक की अवधि के दौरान बैंकों की ऋण वृद्धि दर में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस अवधि के दौरान क्षेत्र-वार ऋण प्रवाह कितना रहा?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक श्रेणी-वार और माह-वार ऋण वृद्धि अनुबंध-I में दी गई है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि जनवरी, 2008 और सितम्बर, 2008 के बीच 20 प्रतिशत से कम होकर अक्टूबर, 2008 और जून, 2009 के बीच 9 प्रतिशत हो गई थी। तथापि, यह कमी गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा दर्ज की गई कमी की तुलना में काफी कम थी।

(ग) ऋण वृद्धि में कमी का मुख्य कारण वर्ष 2008-09 के उत्तरार्द्ध के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में आई तीव्र गिरावट थी, जिसमें उद्योग और निर्यात दोनों क्षेत्रों ने कई महीनों तक ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की थी। वित्तीय बाजारों में सार्वभौमिक मंदी और अस्थिरता के परिणामस्वरूप अनिश्चितता में वृद्धि हुई और कारबार संबंधी दिलचस्पी कम हुई, जिसने ऋण की मांग कम होने में और योगदान किया।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण का क्षेत्र-वार प्रवाह अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध-I

बकाया बैंक ऋणों में बैंक श्रेणी-वार और माह-वार वृद्धि

(करोड़ रुपए)

बड़े समाप्त पखवाड़ा	सरकारी क्षेत्र के बैंक बैंक	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित)
1	2	3	4	5
18-जनवरी-08	1510328	449039	151878	2165563
29-फरवरी-08	1579947	460100	159361	2254760
28-मार्च-08	1670150	471479	162868	2361914
25-अप्रैल-08	1633526	469407	164111	2325134
23-मई-08	1655982	480017	167045	2361207
20-जून-08	1681633	483313	169556	2393239
18-जुलाई-08	1698636	485949	170312	2407308
29-अगस्त-08	1739246	489621	178258	2460754
26-सितम्बर-08	1813005	495614	184327	2551026
24-अक्टूबर-08	1867339	503139	186856	2615981
21-नवम्बर-08	1884394	506737	182102	2633180
19-दिसम्बर-08	1905277	502046	175571	2643734
30-जनवरी-09	1914649	489243	171527	2637780
27-फरवरी-09	1944729	490091	169707	2667928

1	2	3	4	5
27-मार्च-09	2018711	523492	169335	2775549
24-अप्रैल-09	2013709	504500	161802	2744490
22-मई-09	2014640	500277	156700	2736452
19-जून-09	2040466	504883	157515	2702865
जनवरी 08 की तुलना में सितम्बर 08 में वृद्धि दर	20.04	10.37	21.37	17.80
अक्टूबर 08 की तुलना में जून 09 में वृद्धि दर	9.27	0.35	-15.70	3.32
जून 08 की तुलना में जून 09 में वृद्धि दर (प्रतिवर्ष) अन्तर	21.34	4.46	-7.10	12.94
वृद्धि दर (जून 08 — जून 07) प्रतिवर्ष अन्तर	27.32	21.84	31.48	26.30

स्रोत: आरबीआई

49 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से विवरणियों के आधार पर

अनुबंध-II

क्षेत्र-वार बकाया ऋण : सरकारी क्षेत्रा के बैंक

(राशि करोड़ रुपए में)

माह	कृषि और संबंधित क्रियाकलाप	उद्योग (लघु, मझौले और बड़े)	सेवाएं	वैयक्तिक ऋण	कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
जनवरी-2008	209981	625025	347809	297835	1480650	542428
फरवरी-2008	214247	647454	368205	305590	1535496	552620
मार्च-2008	226884	689636	420269	304094	1640884	577431
अप्रैल-2008	220970	680484	395099	304754	1601305	611955
मई-2008	221056	690068	390318	310715	1612157	579273
जून-2008	221614	702223	402380	316854	1642819	585753
जुलाई-2008	215834	716701	407309	319145	1658989	577555

1	2	3	4	5	6	7
अगस्त-2008	223138	744899	416732	326376	1711145	587342
सितम्बर-2008	239766	787631	430404	330063	1787864	630229
अक्तूबर-2008	244709	807250	448826	338093	1836445	634509
नवम्बर-2008	244803	810771	447931	337341	1840846	630752
दिसम्बर-2008	250571	821890	444452	344687	1861600	637799
जनवरी-2009	253586	826673	453495	340692	1874446	654321
फरवरी-2009	255453	848079	457892	341174	1902598	666518
मार्च-2009	272158	864065	492714	351178	1980115	702938
अप्रैल-2009	273460	859102	487651	353075	1973290	721769
मई-2009	273146	855115	483497	353700	1965458	717614
जनवरी 08 की तुलना में सितम्बर 08 में वृद्धि दर	14.18	26.02	23.75	10.82	20.75	16.19
अक्तूबर 08 की तुलना में मई 09 में वृद्धि दर	11.62	5.93	7.72	4.62	7.03	13.10
मई 08 की तुलना में मई 09 में वृद्धि दर (प्रतिवर्ष) अंतर	23.60	23.90	23.90	13.80	21.90	23.90
मई 07 की तुलना में मई 08 में वृद्धि दर (प्रतिवर्ष) अंतर	18.20	28.60	37.00	15.10	26.10	16.80

स्रोत: आरबीआई

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े : माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार ने मान लिया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि जनवरी 2008 और सितम्बर 2008 के बीच 20 प्रतिशत से कम होकर अक्तूबर 2008 से जून 2009 के बीच 9 प्रतिशत हो गई थी। मेरी जानकारी के अनुसार सीआरआर में मैकेनिज्म करके लगभग 3,80,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का बैंकिंग सैक्टर में प्रावधान किया गया था ताकि देश में उत्पादन में वृद्धि हो। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने सीआरआर द्वारा बैंकिंग सैक्टर में निधि का प्रावधान किया है, इसके बाद क्या

क्रेडिट ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है? अगर हुई है तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेनिंग में सैक्टरवाइज क्या बढ़ोतरी हुई है?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदया, तथ्य यह है कि जब औद्योगिक संकट ने विकसित देशों को अपनी चपेट में ले लिया और वित्तीय गिरावट दुनिया भर में मुख्य वित्तीय संकट बन गई, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव हुआ। निवेश के लिए, व्यापार चलाने के लिए और उत्पादकीय उद्देश्यों हेतु इसके उपयोग के लिए ऋण की आवश्यकता होती है।

ये गतिविधियां उस अवधि में कम हो जाती हैं जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। हां, यह सही है कि सितम्बर के बाद हमें वैश्विक वित्तीय संकट का अहसास हुआ। अक्टूबर, 2008 और जनवरी 2009 की अवधि में यह प्रभाव जारी रहा। यह जून, 2009 तक भी जारी रहा। कुछ क्षेत्रों में यह अब भी जारी है। स्वाभाविक रूप से उन क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं में कमी आई है।

माननीय सदस्य देखेंगे कि लिखित उत्तर के पाठ के साथ मैंने अनुबंध-I और अनुबंध-II में दो महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं, जो सरकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के संबंध में बकाया बैंक ऋण में वृद्धि को दर्शाते हैं। अनुबंध-I में, हमने 18 जनवरी, 2008 से 19 जून, 2009 तक माहवार ऋण प्रगति दर्शाई है। विवरण के नीचे हमने जो सार दिया है उसमें आप पाएंगे कि हमने उन अवधियों को अलग किया है, जब अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था।

क्षेत्रवार आवश्यकताओं के संबंध में, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, मैंने आंकड़े अनुबंध-II में दिए हैं। पांच मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। पांच मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है हमने कृषि और संबद्ध कार्यकलापों, उद्योग (लघु, मध्यम और बृहद), सेवा क्षेत्रों, कार्मिक क्षेत्रों, कुल गैर-खाद्य सकल बैंक ऋण और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संबंध में आंकड़े दिए हैं। ये आंकड़े अनुबंध-दो में दिए गए हैं। इस पर भी यदि आप इन्हें एक साथ मिलाकर देखें तो पायेंगे कि संगत अवधि में वृद्धि थोड़ी कम हुई है। कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में अक्टूबर, 2008 की तुलना में मई, 2009 में वृद्धि दर 11.62 प्रतिशत थी; उद्योग के संबंध में यह 5.93 प्रतिशत; और सेवा क्षेत्र के संबंध में अक्टूबर, 2008 की तुलना में मई, 2009 में 7.72 प्रतिशत थी। परन्तु यदि आप मई, 07 और मई, 08 के मध्य वृद्धि दर संबंधी आंकड़ों को देखते हैं, तो आपको कुछ सुधार अवश्य नजर आएगा। मई, 08 की तुलना में मई, 09 (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) में वृद्धि दर आंकड़ों के संबंध में आप पायेंगे कि कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के संबंध में वृद्धि दर 23.60 थी। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र के संबंध में मई, 08 की तुलना में, मई, 09 में वृद्धि दर 23.90 प्रतिशत थी; सेवा क्षेत्र के संबंध में यह 23.90 प्रतिशत थी; और निजी ऋणों के संबंध में यह 13.80 प्रतिशत थी परन्तु अक्टूबर, 08 की तुलना में मई, 09 की अवधि सबसे खराब रही। इस अवधि में कृषि और संबद्ध कार्यकलापों, उद्योग और सेवा क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े : महोदया, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था कि सी.आर.आर. द्वारा इतनी निधि का प्रावधान करने के बावजूद भी

क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ नहीं पाया, फिर इतनी धनराशि कहाँ गई? हमने सी.आर.आर. द्वारा जो मैकेनिज्म किया था, उसका क्या मतलब निकला? यह मैं जानना चाहता हूँ। मंत्री जी ने मान लिया है कि इसके बावजूद भी क्रेडिट ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे देश के अधिकतर किसानों में 80 प्रतिशत स्माल और मार्जिनल फार्मर्स हैं और इंडस्ट्रीज सेक्टर में भी स्माल इंडस्ट्रीज के लोग बहुत ज्यादा हैं। इन छोटे किसानों और स्माल इंडस्ट्रीज सेक्टर के क्षेत्रों में वृद्धि लाने के लिए बैंकों द्वारा क्या निर्देशन दिये गये थे?

यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया? जैसा मंत्री जी ने पहले बताया कि सी. आर. आर. द्वारा प्रावधान करने के बावजूद भी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने प्रश्न कर लिया, अब उत्तर सुनिये।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदया, माननीय सदस्य मुख्य बात से हट रहे हैं और मैंने यही कहने की कोशिश की थी कि ऐसा नहीं है। कि इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। आप ऋण की तुलना में संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को देखें। विगत वर्ष 2008-09 की पहली छमाही में स्थिति ऐसी थी कि मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊँची थी यह दो अंकों में थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें ऋण नीति को और कठोर करना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप नकदी में कमी आयी। विश्व वित्तीय संकट का असर हम पर सितम्बर माह से पड़ना प्रारंभ हुआ और तत्पश्चात प्रोत्साहन स्वरूप दो उपाय किए गए जिसमें वित्तीय रियायतें दी गयीं थीं। परन्तु मैं अभी इस बात पर नहीं आ रहा हूँ। इन पर बजट के दौरान विस्तार से चर्चा की गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय नीति के जरिए सीआरआर और एसएलआर में परिवर्तन कर बैंकिंग क्षेत्र को नकदी उपलब्ध कराई ताकि बैंकिंग क्षेत्र कृषि हेतु प्राथमिकता के अनुसार गैर-खाद्य ऋण क्षेत्र की ऋण क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लघु और मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है आवास सहित अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है परन्तु इसे लेने वाले भी होने चाहिए। प्रारंभ में इस संबंध में अनिश्चितता थी।

इसके परिणामस्वरूप, वस्तुतः लगभग 9 माह की अवधि हेतु, उदाहरण के लिए आज भी, निर्यात में कमी आ रही है। विनिर्माण

क्षेत्र में मई और जून माह में ही वृद्धि होनी प्रारंभ हुई है। इसलिए इस अवधि से पूर्व सितम्बर, 2008 से ऋण में गिरावट आयी और बैंकिंग क्षेत्र के लिए उपलब्ध संपूर्ण नकदी का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा सका। इसलिए, अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार आया है। परन्तु मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ क्योंकि कम वर्षा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण अन्य समस्याएँ भी आ सकती हैं। मेरे साथी, कृषि मंत्री इसका आकलन कर रहे हैं। हम भी आकलन कर रहे हैं परन्तु समस्या यही और यही समस्या वास्तविक भी है। हम इसका सामना करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु हम इसे स्पष्ट नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था को किसी 'स्विच की तरह बंद या चालू' नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि यदि हम आज ऋण नीति में परिवर्तन कर कार्यवाही भी करते हैं, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका पूर्ण प्रभाव पड़ने में कुछ और समय लगेगा।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, मैंने यह प्रश्न बजट के समय भी उठाया था। मैं यह देख रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स हैं, उनकी बहुत बड़ी डिपॉजिट्स गवर्नमेंट पेपर्स में हैं।

[अनुवाद]

वर्ष 2008-09 में सरकार के ऋण कार्यक्रम में 2,00,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और 2009-10 में 3,50,000 करोड़ रुपये या 4,00,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होना तय है। अतः जब आप अधिक ऋण लेते हैं, तो नकदी में कमी आ जाती है इसलिए ब्याज दर भी उच्च हो जाती है।

[हिन्दी]

तो उससे मध्यम और लघु उद्योग के लोग हैं, उन्हें जो ऋण मिलना चाहिये, उसकी दर सस्ती नहीं हुई है। मेरे सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि बैंक्स के इंटेरेस्ट रेट्स, लेंडिंग रेट्स कम होने चाहिये, खासतौर पर इन लोगों के लिये। क्योंकि अगर गवर्नमेंट पेपर्स में ही मनी डिपॉजिट होता रहा, एट दू नाईन फोल्डस हो गया। इस साल जून के अंत में मैंने देखा [अनुवाद] सरकारी पन्नों में जमा राशि आठ से नौ गुना बढ़ गई है। [हिन्दी] तो इससे इंडस्ट्रीज की फटींग दूर नहीं होगी। एक तरफ आप चाहते हैं कि मनी वहां पम्प करें और इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करें लेकिन दूसरी तरफ मनी आपके पेपर्स में डिपॉजिट है। फिर एक तमारा और है कि बैंकों का प्रॉफिट बहुत बढ़ा है। प्राइवेट सैक्टर के बैंकों का प्रॉफिट पिछले साल 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में 21 परसेंट बढ़ा है जबकि फॉरेन बैंकों का प्रॉफिट 35 परसेंट बढ़ा है।

फॉरेन बैंकों की आमद कम हो गई है। [अनुवाद] विदेशियों द्वारा किए जाने वाले निवेश में कमी आई है।

[हिन्दी]

तो ऐसी देशा में आप कैसे बैलेंस करेंगे? [अनुवाद] खाका उलटा प्रतीत हो रहा है। [हिन्दी] वह लगता नहीं कि ठीक चलेगा। [अनुवाद] यह इसलिए क्योंकि आपके पास काफी धन है; बैंक आपको दे रहे हैं और उद्योग को नुकसान हो रहा है। इसलिए मानसून के आने के साथ-साथ तथा जो कुछ भी आपको हासिल हो, आप इन सब का प्रबंधन कैसे करने जा रहे हैं?

इसलिए क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि विनिर्माण के क्षेत्र में लघु-उद्योगों और मध्यम स्तर के उद्योगों के संबंध में जोकि घरेलू बाजार के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का आधार है के प्रोत्साहन हेतु आपकी क्या आयोजना है।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदया, यह व्यापक नीतिगत मामले हैं और निःसंदेह बजट पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया था। माननीय सदस्य ने बजट पर चर्चा प्रारंभ की थी और इनमें से अनेक मुद्दों का उल्लेख किया गया था। मैंने उनका उत्तर भी दिया था।

मैंने यह दावा कभी नहीं किया कि इसमें कुछ अहम् मुद्दों को नहीं उठाया जायेगा, परन्तु विकल्प भी काफी सीमित थे। विकल्प केवल यही था कि धीमी वृद्धि दर के साथ चला जाए अथवा और वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए और अधिक ऋण लेकर वित्तीय क्षेत्र को विस्तारित और निर्मित किया जाए। इसका कुछ हद तक लाभ भी हुआ है, जैसा कि आपने नोटिस किया है। यदि आप देखें, तो मैं माननीय सदस्य को इस वृद्धि परिदृश्य की जिसका कि अनुमान लगाया गया है, जानकारी दे सकता हूँ। वर्ष 2008-09 के लिए हमारा संभावित वृद्धि परिदृश्य 5.4 प्रतिशत था, परन्तु हमने 6.7 प्रतिशत प्राप्त किया। हमने यह कैसे प्राप्त किया? हमें यह दिए गए प्रोत्साहन के कारण प्राप्त हुआ परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उद्योग की सारी समस्याओं का एक साथ ध्यान रखा गया है।

इसकी गति काफी धीमी थी और माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा था कि प्रारंभिक अवस्था में जब बैंकों के पास पर्याप्त नकदी थी, तो उन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों पर कुछ ब्याज प्राप्त करना बेहतर समझा, क्योंकि उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र ऋण लेने से हिचक रहा था, क्योंकि निर्यात क्षेत्र ऋण लेने में अनिच्छुक था। इसलिए उन्होंने इस राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में स्थानांतरित कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए विगत वर्ष 2008-09 में सरकारी उधार 1.23 लाख करोड़ रुपये से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया।

इस वर्ष, मैं पहले ही बजट में यह संभावना व्यक्त कर चुका हूँ कि यह 3.5 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहेगा। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह लघु उद्योग और मध्यम क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र की वास्तविक ऋण आवश्यकता को कम करेगा। मेरा सविनय निवेदन यह है कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श कर संतुलन स्थापित कर रही है और उधार लेने संबंधी कार्यक्रम इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा ताकि निजी क्षेत्र बाजार से बाहर न हो जाए।

श्री ए. सम्पत: महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि ऋण-जमा अनुपात कम हो रहा है। कुछ राज्यों से कई लाख लोग अपनी जीविका कमाने के लिए विदेश गए हैं और ये लोग बहुमूल्य विदेशी मुद्रा वापस भेज रहे हैं। केरल जैसे राज्य को संघ सरकार द्वारा राज्य को किये जाने वाले कुछ बजटीय आबंटन से सात गुना अधिक प्राप्त हो रहा है।

हाल ही में, हमने विभिन्न बैंकों को निदेश दिए हैं कि विद्यार्थियों को पर्याप्त शिक्षा संबंधी ऋण दिए जाएं। यह एक नई प्रवृत्ति है और इसे भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

महोदया, लेकिन आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि कुछ राज्यों में एक ही पाठ्यक्रम के लिए शुल्कों में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय हैं। सरकारी शुल्क बहुत कम होता है जबकि इसके साथ ही प्रबंधन द्वारा दी जा रही सीटों के संदर्भ में शुल्क बहुत अधिक होगा। हाल ही में यह बात हमारे कुछ माननीय सदस्यों की जानकारी में भी आई है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री ए. सम्पत : मैं अब प्रश्न ही पूछ रहा हूँ।

हमारी जानकारी में भी यह बात आई है कि इस समय बैंक भी छात्रों की जरूरत के अनुसार शिक्षा ऋण देने में संकोच कर रहे हैं। इसलिए, यह बात यदि माननीय वित्त मंत्री की जानकारी में भी आई है तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो छात्र व्यावसायिक महाविद्यालयों, विशेषकर स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके अध्ययन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ऋण देने, फीस आदि अदा करने हेतु कौन-से कदम उठाए गए हैं। यही मेरा प्रश्न है।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह विशेष प्रश्न बैंकों के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण राशि में वृद्धि तथा इस राशि में अंतर से संबंधित है। लेकिन जैसाकि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है और जैसाकि मुझे विषय के बारे में पता है, इसलिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ।

जहां तक छात्रों को शिक्षा ऋण संबंधी सुविधाओं का संबंध है योजना में तेजी आई है और पिछले वित्त वर्ष के जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं, उससे ज्ञात होता है कि 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस सुविधाओं का लाभ उठाया है। मैं आपको एक वृहत आंकड़ा दे सकता हूँ परन्तु बैंक-वार, महाविद्यालय-वार; आंकड़े नहीं दे सकता क्योंकि यह मेरे लिए संभव नहीं है। लगभग 15 लाख छात्रों के बीच 26000 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया और इस बजट में भी मैंने यह सुविधा न केवल उच्च शिक्षा के लिए जारी रखी है बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के लिए छात्र बैंकों से ऋण प्राप्त करने के हकदार होंगे। यदि इसमें किसी प्रकार का विपथन पाया जाता है या माननीय सदस्यों की जानकारी में कोई शिकायत आती है तो राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर बैंकों में पहले से ही एक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है और इस तंत्र की सहायता ली जा सकती है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन

*484. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले दस वर्षों में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का उत्पादन करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई विजन दस्तावेज तैयार किया गया है अथवा तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) :

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 11वीं योजना के दौरान अक्षय स्रोतों से 15,000 मेगावाट (14,000 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव और 1,000 मेगावाट ऑफ-ग्रिड/वितरित) के क्षमता संयोजन का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार, 11वीं योजना के अंत तक ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता के 24,000 मेगावाट से भी अधिक अथवा उस समय की अनुमानित कुल संस्थापित क्षमता के लगभग 12% हो जाने की

संभावना है। 12वीं और 13वीं योजना के लिए प्रत्येक लगभग 15,000 मेगावाट के क्षमता संयोजन की पूर्व कल्पना की गई है। 13वीं योजना अवधि के अंत तक अक्षय विद्युत क्षमता 54,000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है जिसमें 40,000 मेगावाट पवन विद्युत, 6,500 मेगावाट लघु पनबिजली और 7,500 मेगावाट बायो विद्युत और 50 मेगावाट सौर विद्युत शामिल है जो कि विद्युत मिश्रण में लगभग 5% के हिस्से के तदनुरूप होगा।

(ग) और (घ) उपर्युक्त लक्ष्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के 11वीं योजना प्रस्तावों के भाग हैं जिनका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पहले ही कर दिया गया है। अक्षय ऊर्जा सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों को शामिल करते हुए एक समेकित ऊर्जा नीति भी तैयार की गई है और दिसम्बर, 2008 में इसे अनुमोदित किया गया है। हाल ही में एक प्रारूप राष्ट्रीय सौर मिशन दस्तावेज को जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री परिषद की दिनांक 3 अगस्त, 2009 को सम्पन्न बैठक में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है जिसमें वर्ष 2020 तक सौर विद्युत हेतु 20,000 मेगावाट के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) देश में अक्षय विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद और सीमा शुल्क जैसे राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन;
- सौर विद्युत और पवन विद्युत हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन;
- संभाव्यता वाले अधिकांश राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत हेतु अधिमान्य शुल्क-दर;
- अक्षय विद्युत के उत्पादन अथवा उत्पादन और वितरण हेतु संस्थापित उपक्रमों के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 180-1ए के अंतर्गत लाभ;
- अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए एक न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित करने हेतु, सभी राज्यों को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत दिशा-निर्देश।

श्री नित्यानंद प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने अखिल भारतीय स्तर के लिए अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं लेकिन मैं विशेषरूप से नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जानना चाहता हूं। क्या यह ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में काम कर रहा है? मैं यह इसलिए

पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि यह तंत्र कई ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर शुरू किया गया था, कुछ महीनों में ही विफल हो गया है। इसलिए, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है।

दूसरी ओर, सरकार को ध्यान का नुकसान हो रहा है और सरकार मात्र इसी बात से संतुष्ट है कि उसने इतनी सारी यूनिटें खोल रखी है। इसीलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या नवीकरणीय ऊर्जा संस्थानों के संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गई है? क्या जो लक्ष्य उन्होंने तय किया है, उसे प्राप्त किया जाता है मैं यह बात इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने अपने राज्य उड़ीसा के बहुत से गांवों में देखा है कि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह बात स्पष्ट है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं। क्या वे अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमानित आंकड़ों को पूरा करने या अंतिम रूप देने में वे कब तक सक्षम होंगे?

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : अध्यक्ष महोदया, अध्ययन में मंत्रालय के अंतर्गत चलाये जा रहे दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत असम, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न गांवों में 8 एस.पी.वी. पम्पों और वसावटों के 99,908 गृह लाइटिंग प्रणाली, 615 स्ट्रीट लाइट, 91 सौर लालटेन, को कवर किया गया है। इस कार्य में स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली के 70 प्रतिशत से एस.पी.वी. पम्पों के 100 प्रतिशत कार्य सम्मिलित हैं।

गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के 250 सौर कुकरों के अध्ययन से यह पता चला है कि 85 प्रतिशत लाभार्थी अपना भोजन बनाने के लिए नियमित रूप से सौर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। समेकित अनुसंधान और विकास कार्रवाई (आईआरएडी), नई दिल्ली, नेशनल कौंसिल ऑफ अप्लाएड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर), नई दिल्ली; और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), नई दिल्ली ने 2007-2008 और 2008-2009 के दौरान ये अध्ययन करवाए थे।

मुख्य बात यह है कि हमारा मंत्रालय इसके लिए भरसक प्रयास कर रहा है कि हम राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर सके। तत्पश्चात्, राज्य सरकारें इन्हें कार्यान्वित करें। हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें कहा गया है कि वे सभी 85 प्रतिशत तक कार्य कर रही हैं और कहीं-कहीं यह 96 प्रतिशत तक काम कर रहा है।

लेकिन यहां पर मैं माननीय संसद सदस्य से सुन रहा हूँ कि उनके राज्य उड़ीसा में इसका कार्य अच्छा नहीं है। मैं माननीय सदस्य का बहुत अभारी रहूंगा यदि वे मुझे लिखें और उन क्षेत्रों के बारे में बताएं जहां पर वे अच्छी तरह कार्य नहीं कर रहे हैं मैं इसकी जांच कराऊंगा। चूंकि मैं इन राज्य सरकारों के पास जा रहा हूँ और मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से मिल रहा हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहां एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां संसद सदस्यों ने सूचना दी है कि हमने जो प्रणाली वहां लगाई है वे काम नहीं कर रही हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह प्रणाली काम करे, हमें आपके और मंत्रालय के बीच द्विपक्षीय कार्रवाई करनी होगी।

संसद के समक्ष मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मौसम परिवर्तन के संबंध में प्रधान मंत्री परिषद द्वारा जिस सौर मिशन का अनुमोदन किया गया है, एक ऐसा मिशन होगा जिससे वास्तव में हमारे देश में ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव आएगा और मौसम परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसे सौर मिशन दस्तावेज में सम्मिलित करने का जहां तक संबंध है, मुझे विश्वास है कि उसे इस सभा के समक्ष रखा जाएगा और आप सभी सदस्य मंत्रालय की गतिविधियों से अवगत होंगे। सौर मिशन हमारी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा परियोजनाएं

*485. श्री राजू शेड्टी : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित/वित्त पोषित कई सौर ऊर्जा परियोजनाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) :

(क) और (ख) मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में संस्थापित सौर ऊर्जा प्रणालियां सामान्यतया संतोषजनक रूप से

कार्य करती पाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में संस्थापित सौर ऊर्जा प्रणालियों हेतु स्वतंत्र एजेंसियों अर्थात् राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर), नई दिल्ली, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), नई दिल्ली और इंटिग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट (आईआरएडी), नई दिल्ली द्वारा आरंभ की गई क्षेत्र मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन अध्ययनों से 70-100 प्रतिशत प्रणालियों के संतोषजनक कार्य-निष्पादन का पता चला है। इन प्रणालियों में सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां, सौर सड़क रोशनी, सौर लालटेन, सौर पंप, सौर कुकर और सौर विद्युत संयंत्र शामिल हैं।

(ग) इन प्रणालियों के कार्य में सुधार लाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जैसे (i) इन प्रणालियों के बेहतर कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए मंत्रालय ने हाल ही में इन कार्यक्रमों को परियोजना पद्धति में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है (ii) प्रणालियों की विशिष्टताओं का निर्धारण और प्राधिकृत केन्द्रों द्वारा उनका टाइप परीक्षण (iii) बैटरियों सहित सम्पूर्ण सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों हेतु न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए और प्रकाशवोल्टीय मॉड्यूलों के लिए न्यूनतम 10 वर्षों हेतु वारंटी का प्रावधान (iv) वारंटी अवधि सहित प्रणालियों के लिए 5 वर्षों के विस्तृत/वार्षिक रखरखाव ठेके का प्रावधान (v) अक्षय ऊर्जा दुकानों, विनिर्माताओं के सर्विस नेटवर्कों और राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों के स्थानीय स्तर के कार्यालयों के माध्यम से बिक्री बाद सेवा/रखरखाव की अतिरिक्त सुविधाएं।

वसूली एजेंटों से संबंधित दिशानिर्देश

*486. श्री एन.एस.वी. चित्तन :

श्री नवीन जिन्दल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से भारतीय रिजर्व बैंक/उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के बावजूद निजी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संगठनों के वसूली एजेंट चूककर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वसूली एजेंटों की नियुक्ति हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए कोई तंत्र बनाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंटों के व्यवहार को नियमित करने तथा बैंकों के ग्राहकों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए 24 अप्रैल, 2008 को "बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंटों" के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में वसूली एजेंटों द्वारा देयराशियों की वसूली के लिए अनुसरण किए जाने वाले तरीकों, वसूली एजेंटों के लिए प्रशिक्षण, बैंकों में बंधक/दृष्टिबंधक रखी गई संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए प्रक्रिया, आदि सहित बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न परिचालनात्मक मुद्दे शामिल हैं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि देयराशि वसूल करने से संबंधित संहिताओं का दृढ़ता से पालन करें।

वसूली एजेंटों के व्यवहार से दुःखी बैंक के ग्राहक बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006 के तहत अपनी शिकायतों का निवारण किए जाने की मांग कर सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन को ग्राहकों द्वारा उठाई गई परेशानी और मनोव्यथा के कारण उसे क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए तक की राशि देने के लिए "अधिनिर्णय" पारित करने का अधिकार प्राप्त है।

विद्युत वितरण

*487. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से विद्युत क्षेत्र में सुधारों के अंतर्गत विद्युत के वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के पश्चात् विद्युत कंपनियों के राजस्व अर्जन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विद्युत के वितरण का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी में सुधार लाने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) से (ग) राज्यों अर्थात् दिल्ली और उड़ीसा में विद्युत वितरण का निजीकरण कर दिया गया है। राज्यों में बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई है। पीएफसी की "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" में दिए गए वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

निजी वितरण यूटिलिटियों की विद्युत बिक्री से राजस्व अर्जन

राज्य	डिस्कॉम का नाम	वित्तीय वर्ष					
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
दिल्ली	एनडीपीएल		863	1268	1577	1734	1916
	बीएसईएस राजधानी		1120	1693	2156	2388	2647
	बीएसईएस यमुना		511	894	1092	1233	1370
कुल			2494	3855	4825	5355	5933
उड़ीसा	सिस्को	654	675	694	719	707	827
	नेस्को	317	385	399	488	611	762
	सेस्को	262	279	274	273	295	308
	वेस्को	503	624	667	758	818	941
कुल		1736	1963	2034	2238	2431	2838

(घ) और (ङ) निजी यूटिलिटियों ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वितरण क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों और आईटी अनुप्रयोगों को स्वयं ही अंगीकार कर लिया है। क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार की दृष्टि से निजी यूटिलिटियों द्वारा किए गए प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:-

- प्रणालीगत मीटरिंग (फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर) और उपभोक्ता मीटरिंग में सुधार
- ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षा
- वितरण नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग
- ऊर्जा प्रबंधन एवं वितरण प्रबंधन प्रणाली के साथ एससीएडीए
- वितरण नेटवर्क की निगरानी एवं नियंत्रण।

डेरिवेटिव कांटेक्ट्स के माध्यम से कथित अनियमितताएं

*488. श्री मनीष तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा के जोखिमों से बचने के लिए भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के उपबंधों तथा डेरिवेटिव्स संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का उल्लंघन करते हुए असंदिग्ध लघु तथा मध्यम उद्यमों को करोड़ों रुपए के स्पेक्यूलेटिव वेजिंग कांटेक्ट्स का विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कांटेक्ट्स के रूप में जोर शोर से विपणन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ देशों में इसी प्रकार के दोषी बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) निर्यातकों सहित प्रयोक्ताओं द्वारा व्युत्पन्न लेन-देनों की वजह से व्यापक हानियों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों की विशेष संवीक्षा की और बैंकों के अपने वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों के दौरान व्युत्पन्न पोर्टफोलियो पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया। भारतीय रिजर्व बैंक

ने 22 बैंकों से उनके व्युत्पन्न पोर्टफोलियो, लघु एवं मझौले उद्यमों (एसएमई) को उनके एक्सपोजर और व्युत्पन्न खंड में उनकी संविदाओं के संबंध में विवादों, यदि कोई हों, के बारे में आंकड़े भी एकत्र किए। विश्लेषण से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि:-

- (i) बहुत कम बैंकों का एसएमई को व्युत्पन्न एक्सपोजर है।
- (ii) बैंकों द्वारा उनकी ग्राहक उपयुक्तता नीतियों के आधार पर अधिकांश एसएमई को विदेशी उत्पादों की अनुमति नहीं दी गई है।
- (iii) 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, एसएमई को बैंकों के व्युत्पन्न एक्सपोजर का दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) केवल 196 करोड़ रुपए था, जो व्युत्पन्न क्षेत्र में उनके कुल एमटीएम एक्सपोजर के 1 प्रतिशत से कम बैठता है।
- (iv) व्युत्पन्न लेन-देनों की वजह से एसएमई ग्राहकों के साथ विवाद बहुत कम थे।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से इस मामले में अंतर्ग्रस्त संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखने और ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा है।
- (ii) एसएमई की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आस्ति के वर्गीकरण तथा व्युत्पन्न संविदाओं के पुनर्गठन से संबंधित विनियामक ढांचे पर पुनर्विचार किया है और यह प्रावधान किया है कि एमटीएम व्युत्पन्न एक्सपोजर की वजह से प्राप्य किसी भी राशि के लिए, चाहे वह 90 दिन या इससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय क्यों न हो, ग्राहक की अन्य निधिक सुविधाओं का अनुपयोग्य आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण करना आवश्यक नहीं होगा।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की सूची तैयार करना

*489. डॉ. संजीव गणेश नाईक :

श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से गरीबी की

रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) लोगों की सूची में और अधिक परिवारों को शामिल करने तथा राज्यों में पहचान किए जाने वाले बी.पी.एल. परिवारों की कुल संख्या के संबंध में सीमा हटाए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की और अधिक विश्वसनीय सूची तैयार करने हेतु उचित पद्धति के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की फिर से गणना कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) :

(क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) व्यक्तियों के अनुपात एवं संख्या का अनुमान, लगभग पांच वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् नमूना सर्वेक्षण के आधार पर लगाया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे ग्रामीण परिवारों जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सहायता दी जा सकती है, का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के सहयोग से बीपीएल जनगणना करवाता है। वर्ष, 2002 में आयोजित पिछली बीपीएल जनगणना में पता लगाए गए ग्रामीण बीपीएल परिवारों की कुल संख्या, योजना आयोग के 1999-2000 के गरीबी अनुमानों पर आधारित थी। बाद में, कुछ राज्यों की आपत्तियों को देखते हुए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 1999-2000 के गरीबी अनुमान के बराबर अथवा योजना आयोग द्वारा निर्धारित समायोजित हिस्से, जो भी अधिक हो, के आधार पर बीपीएल परिवारों की कुल संख्या का निर्धारण करने का विकल्प दिया गया था। राज्यों को अस्थायी निर्धनों के संदर्भ में अन्य 10% को शामिल करने संबंधी सुविधा भी दी गई थी। यह स्थिति अभी भी यथावत है।

(ग) जी, हां।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बीपीएल जनगणना करवाने हेतु पद्धति तैयार करने के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय को सलाह देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगस्त, 2008 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ विषयों में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों का पता लगाने हेतु अगली बीपीएल जनगणना आयोजित करने के लिए एक उपयुक्त पद्धति की सिफारिश करना शामिल है। विशेषज्ञ समूह ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की परियोजनाओं में दुर्घटनाएं

*490. श्रीमती मीना सिंह :

श्री तथागत सत्यथी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की परियोजनाओं में बार-बार हो रही दुर्घटनाओं की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के कामगारों तथा श्रमिकों सहित कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा इन दुर्घटनाओं का कारण है;

(ग) क्या मृतकों के परिवारों तथा घायलों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने यह बताया है कि उनकी परियोजनाओं में प्रत्येक उस दुर्घटना के बाद, जिनमें कि मृत्यु हुई है या गंभीर रूप से घायल हुए हैं, सामान्य परामर्शदाता के सुरक्षा विशेषज्ञ के साथ-साथ डीएमआरसी का सुरक्षा दस्ता एक विस्तृत जांच करता है और प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सभी दुर्घटनाएं निर्माण चरण के दौरान ही हुई हैं। केन्द्र सरकार, डीएमआरसी से बड़ी दुर्घटनाओं तथा उनकी बचावपकर कार्रवाई के बारे में पूछताछ करती है।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान मारे गए व घायल हुए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:—

मृत्यु के मामले

2006	—	04
2007	—	11
2008	—	17
2009	—	15
कुल	—	47

वर्ष 2006 में बड़ी और छोटी चोटें

2006	-	09
2007	-	08
2008	-	16
2009	-	22
कुल	-	55

डीएमआरसी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये हैं।

(ग) और (घ) मृतकों और घायलों से संबंधित अधिकतम मामलों में कामगार प्रतिपूर्ति आयुक्त के पास मुआवजा राशि की अदायगी/जल

किए जाने के बारे में सूचना दी गई है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया है।

(ङ) दिल्ली मेट्रो में एक त्रि-स्तरीय सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली है, पहले स्तर पर स्वयं ठेकेदार द्वारा नियुक्त एक सुरक्षा दस्ता, दूसरे स्तर पर एक अनुभवी पूर्व अधिकारी (एक्सपैक्टिएट) की अध्यक्षता में डीएमआरसी का सुरक्षा लेखा परीक्षा दल तथा तीसरे स्तर पर डीएमआरसी के अपने इंजीनियर उपयुक्त जांच करते हैं। हाल ही में सुरक्षा पर बल देने के लिए सामान्य परामर्शदाताओं के अंतर्गत सुरक्षा दस्ता मजबूत बनाया गया है।

केन्द्र सरकार ने लक्ष्मी नगर में डीएमआरसी के निर्माण स्थल पर दिनांक 19.10.2008 की दुर्घटना के बारे में सभी ब्यौरे प्राप्त करने के बाद देश में वर्तमान में निर्माण कार्य में लगे सभी मेट्रो प्राधिकरणों तथा संबंधित मुख्य सचिवों को दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की जरूरत के बारे में सूचित किया था।

विवरण-I

दुर्घटना के कारण मृतकों और घायलों का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	दुर्घटनाओं की सं.	मृतकों की सं.	घायल व्यक्तियों की सं.	दुर्घटना के कारण
1	2	3	4	5
2006	10	04	09	ऊंचाई से गिरने के कारण-04 वाहन द्वारा कुचले जाने के कारण-02 विद्युतमारण-01 बिजली से-शून्य क्रेन पलटने/असफलता के कारण-शून्य खुदाई गिरने से दबने के कारण-शून्य गिरते हुए वस्तु/सामग्री द्वारा चोटिल/कुचला जाना-03 तेजधार वस्तुओं से घायल-शून्य गिरने से घायल-शून्य
2007	14	11	08	ऊंचाई से गिरने के कारण-02 वाहन द्वारा कुचले जाने के कारण-04 विद्युतमारण-शून्य बिजली से-01 क्रेन पलटने/असफलता के कारण-02 खुदाई गिरने से दबने के कारण-शून्य गिरते हुए वस्तु/सामग्री द्वारा चोटिल/कुचला जाना-05 तेजधार वस्तुओं से घायल-शून्य गिरने से घायल-शून्य

1	2	3	4	5
2008	19	17	16	ऊंचाई से गिरने के कारण-04 वाहन द्वारा कुचले जाने के कारण-02 विद्युतमारण-शून्य बिजली से-शून्य क्रेन पलटने/असफलता के कारण-02 खुदाई गिरने से दबने के कारण-01 गिरते हुई वस्तु/सामग्री द्वारा चोटिल/कुचला जाना-08 तेजधार वस्तुओं से घायल-शून्य गिरने से घायल-02
2009 अब तक	12	15	22	ऊंचाई से गिरने के कारण-शून्य वाहन द्वारा कुचले जाने के कारण-03 विद्युतमारण-01 बिजली से-शून्य क्रेन पलटने/असफलता के कारण-01 खुदाई गिरने से दबने के कारण-शून्य गिरते हुए वस्तु/सामग्री द्वारा चोटिल/कुचला जाना-04 तेजधार वस्तुओं से घायल-03 गिरने से घायल-शून्य

विवरण-II

मृत्यु के कुल मामलों का सार और डीएमआरसी द्वारा क्षतिपूर्ति और मजदूर कल्याण कोष में किये गये भुगतान का ब्यौरा (एलडब्ल्यूएफ) (सड़क दुर्घटनाओं/प्राकृतिक मृत्यु को शामिल करके)

1.	चरण-I और चरण-II के अंतर्गत कुल मृत्यु के मामले	—	102 (3 बाहरी)
	चरण-I के मामले	—	55 (2 बाहरी)
	चरण-II के मामले	—	47 (1 बाहरी)
2.	कामगार प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए पात्र मामले	—	99 (102-3 बाहरी)
3.	किया गया कामगार प्रतिपूर्ति भुगतान	—	72 मामले
4.	परिवार ब्यौरे/पतों/बैंक लेखाओं/न्यायालय मामला न होने के कारण लंबित कामगार प्रतिपूर्ति	—	27 मामले
		कुल	99
5.	वर्ष 2006 से कुल बड़ी और छोटी चोटें:	—	55 (7 बाहरी)
—	सभी मामलों के उनके उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूर्ण मजदूरी और चिकित्सा व्यय किया गया था।		
—	11 मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है तथा 17 मामलों में डीएमआरसी द्वारा अनुग्रह राशि दी गई है।		
—	शेष मामलों में कोई क्षति पूर्ति ग्राह्य नहीं थी।		

[अनुवाद]

सरकारी आवास पर अवैध कब्जा करना/
उसे किराए पर देना

*491. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी आवासों तथा परिसरों पर अवैध कब्जा करने/उन्हें किराए उन्हें किराए पर दिए जाने के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य, क्षेत्र-वार ऐसे कितने मामले निपटाए गए तथा कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सम्पदा निदेशालय के अंतर्गत दिल्ली तथा अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में सरकारी क्वार्टरों की उपकिराएदारी के बारे में सम्पदा निदेशालय में प्राप्त शिकायतों की संख्या का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) यदि क्वार्टर उप किराएदारी में पाया जाता है तो निर्णायक प्राधिकारी द्वारा आबंटी पर निम्नलिखित शास्तियां लगाई जाती हैं:-

- (i) आबंटी के नाम क्वार्टर का आबंटन निरस्त किया जाता है।
- (ii) आबंटी को उसकी शेष सेवा अवधि के लिए सामान्य पूल रिहायशी आवास के आबंटन के लिए अपात्र घोषित किया जाता है।
- (iii) ऐसे आबंटी से आबंटन निरस्त होने की तारीख से क्वार्टर खाली करने की तारीख तक का हरजाना लिया जाता है।
- (iv) आबंटी के संबंधित विभाग को उस आबंटी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए कहा जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान सम्पदा निदेशालय के अंतर्गत दिल्ली और अन्य केन्द्रों में निपटाए गए मामलों तथा लम्बित मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) शिकायतों के लिए निरीक्षण और जांच की कार्रवाई तेज

की गई है और जहां कहीं भी उपकिराएदारी के मामलों का पता लगता है, निवारक शास्तियां लगाई जाती हैं।

विवरण

अवैध कब्जे/उपकिराएदारी के बारे में राज्य/संघ
राज्य क्षेत्रवार शिकायतों की संख्या

वर्ष	प्राप्त शिकायत	निपटाये गये मामले	लंबित मामले
1	2	3	4
दिल्ली			
2006-07	1325	668	657
2007-08	1654	731	923
2008-09	903	593	310
मुंबई (महाराष्ट्र)			
2006-07	79	76	00
2007-08	36	36	00
2008-09	52	44	08
नागपुर (महाराष्ट्र)			
2006-07	13	11	00
2007-08	43	40	00
2008-09	07	00	06
चेन्नई (तमिलनाडु)			
2006-07	04	02	00
2007-08	05	03	00
2008-09	14	22	00
शिमला (हिमाचल प्रदेश)			
2006-07	01	01	00
2007-08	01	01	00
2008-09	शून्य	00	00

1	2	3	4
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)			
2006-07	शून्य	00	00
2007-08	04	04	00
2008-09	09	07	00
फरीदाबाद (हरियाणा)			
2006-07	05	05	00
2007-08	14	14	00
2008-09	19	19	00
कोलकाता (पश्चिम बंगाल)			
2006-07	37	19	00
2007-08	10	08	00
2008-09	19	15	00
चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)			
2006-07	24	24	00
2007-08	18	18	00
2008-09	07	07	00

**राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विद्युत
संयंत्रों में कोयले की कमी**

*492. श्री गुरुदास दासगुप्त :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के कई विद्युत संयंत्रों में पिछले कुछ महीनों से कोयले का भंडार लगातार कम होता जा रहा है, जिससे विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2008-09 के दौरान तथा चालू वर्ष में इन विद्युत संयंत्रों की कोयले की मांग और इसकी आपूर्ति का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया गया;

(ग) कोयले की आपूर्ति में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) इन विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) जी, हां। एनटीपीसी के कुछ विद्युत केन्द्रों में अर्थात् फरक्का, कहलगांव, तालचेर (कनिहा) तथा सिपत कोयले का स्टॉक कम हुआ है।

(ख) वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 (जून, 2009 तक) के दौरान फरक्का, कहलगांव, तालचेर (कनिहा) तथा सिपत में कोयले की आवश्यकता तथा आपूर्ति के साथ-साथ क्षमता उपयोग (प्लांट लोड फैक्टर) का विवरण संलग्न है।

(ग) स्वदेशी कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता कोयले की कमी का मुख्य कारण है। वर्ष 2009-10 की अवधि के लिए 404 मिलियन टन (एमटी) की कुल आवश्यकता की तुलना में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) से कोयले की उपलब्धता 313 एमटी दर्शाई गयी थी। सिंगरैनी कोल्लीरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) 30 एमटी तथा कैप्टिव खदानों से 20 एमटी को गणना में लेते हुए, स्वदेशी कोयले की कुल उपलब्धता 363 एमटी आती है, फिर भी 41 एमटी का अंतर रहता है। चालू वर्ष 2009-10 की अवधि के लिए कोयले की मांग और स्वदेशी आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से विद्युत यूटिलिटीज को 28.7 एमटी कोयला आयात करने की सलाह दी गई है।

(घ) एनटीपीसी के विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

- कोयले की मांग तथा स्वदेशी आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए कोयले का आयात वर्ष 2009-10 के लिए कोयले के आयात के लिए निर्धारित लक्ष्य 12.5 एमटी की तुलना में 30 जून, 2009 तक एनटीपीसी द्वारा पहले ही 3.6 एमटी कोयले का आयात किया जा चुका है।
- ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय द्वारा मानीटरिंग किए जाने के साथ-साथ 7 दिनों तक का स्टॉक रखने वाले संयंत्रों की कोयले की आपूर्ति की ईष्टतम बनाने के लिए कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय विद्युत मंत्रालय तथा सीईए के प्रतिनिधियों वाली अंतर मंत्रालयीन समिति द्वारा मानीटरिंग।

- कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रक्शंस रिव्यू कमेटी द्वारा कोयले के उत्पादन और ताप विद्युत केन्द्रों को आपूर्ति की समीक्षा।
- सदस्य (विद्युत), योजना आयोग की अध्यक्षता वाली फ्यूल इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी द्वारा देश में विद्युत केन्द्रों को ईंधन की आपूर्ति की समीक्षा।
- एनटीपीसी ने कैप्टिव कोयला खनन के क्षेत्र में प्रवेश किया है तथा इसे आबंटित किए गए छह कोयला ब्लॉकों को विकसित कर रही है, ताकि लंबी अवधि के लिए ईंधन

को सुरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। अपने विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति स्रोत बनाने के लिए एनटीपीसी विदेशों की कोयला खदानों में स्टैक अर्जित करने की संभावना तलाश रही है।

- विदेशों से मेटलुरजिकल कोयला और थर्मल कोयला परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए एनटीपीसी, आरआईएनएल, एसएआईएल, एनएमडीसी तथा सीआईएल के बीच इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी बनायी गयी है।

विवरण

कोयले की आवश्यकता के साथ-साथ आपूर्ति (घरेलू) और विद्युत उत्पादन
[2008-09 और 2009-10 के दौरान (जून, 2009 तक)]

स्टेशन	कोयला आवश्यकता (एसीक्यू) (लाख एमटी) सीआईएल द्वारा सहमत					कोयला आपूर्ति (लाख एमटी)					संयंत्र भार घटक (%)				
	2008-09					2009-10					2008-09				
	अप्रैल	मई	जून	कुल		अप्रैल	मई	जून	कुल	%	अप्रैल	मई	जून		
	उपलब्धता														
फरक्का	97.4	7.50	7.50	7.50	22.50	77.2	4.82	5.16	5.51	15.49	68.8	76.76	68.3	85.8	100.7
	87.4					69.7						80.04			
कहलगांव-I (840 मेगावाट)		5.00	5.00	5.00	15.00		7.38	7.66	7.17	22.21	69.0		69.8	74.1	78.3
कलहगांव-II (3×500 मेगावाट)		5.72	5.72	5.72	17.16*										
तालचर (कानिहा)	190.1	14.42	14.42	14.42	43.26	165.6	11.72	11.93	14.40	38.05	88.0	85.83	98.6	95.6	89.3
सीपत	34.8	4.83	4.83	4.83	14.49	30	3.78	4.36	4.03	12.17	84.0	94.63	68.7	70.4	90.0

*विचाराधीन होते हुए वार्षिक संविदात्मक मात्रा (एसीक्यू) के मद्देनज़र 90% पीएलएफ पर विचार किया गया।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

*493. श्री राजनाथ सिंह :

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का विचार देश में सस्ते मकानों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं के अंतर्गत श्रेणी तथा स्थान-वार कितने फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा;

(ग) इन फ्लैटों की बिक्री किस मूल्य पर किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (एनबीसीसी) देश के विभिन्न भागों में उचित मूल्य पर मकानों का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। इस समय, एनबीसीसी ने कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के राजारहाट में न्यू टाउनशिप में फ्लैटों के निर्माण के लिए एक परियोजना आरंभ की है। जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

एक बैडरूम आवास	—	224
दो बैडरूम आवास	—	224
तीन बैडरूम आवास	—	126
चार बैडरूम आवास	—	14

इन मकानों का विक्रय 1,500 रु. से 2,300 रु. प्रति वर्ग फुट की दर से किया गया है।

उपर्युक्त परियोजना मार्च, 2010 तक पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों की सहायता

*494. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों पर कितना ऋण भार है;

(ख) राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों द्वारा ऋण-भार कम करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु सौंपा गया प्रस्ताव क्या है;

(ग) वर्ष 2009-10 के दौरान ऋण भार कम करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) मार्च, 2009 (ब.अनु.) के अंत तक यथा विद्यमान स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों की बकाया देनदारियों को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ 11 जून, 2009 को आयोजित राज्य वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने, अन्य मुद्दों के साथ-साथ, ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित हुए बिना राजकोषीय घाटा लक्ष्यों में छूट के साथ-साथ ऋण राहत, वित्तीय संस्थानों द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों के समेकन और पुनर्वर्गीकरण, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा प्रबंधन अधिनियमों आदि की समीक्षा के लिए अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने अपनी अवार्ड अवधि अर्थात् 2005-10 के दौरान डी.सी.आर.एफ. की सिफारिश की है। डी.सी.आर.एफ. स्कीम के दो घटक हैं— (i) 31.03.2004 तक अनुबंधित तथा 31.03.2005 को यथा-विद्यमान बकाया केन्द्रीय ऋणों का समेकन, तथा (ii) राज्यों को उनके राजकोषीय निष्पादन के आधार पर ब्याज राहत और ऋण माफी प्रदान करना। वर्ष 2009-10 के लिए, डी.सी.आर.एफ. के मौजूदा दिशा-निर्देशों तथा राज्य द्वारा अपने बजट दस्तावेजों में बताई गई सूचना के आधार पर संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, आज तक, 8 राज्यों को 2192.06 करोड़ रुपए तक की ऋण माफी दी गई है। हालिया केन्द्रीय बजट में राजकोषीय घाटा सीमा में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत की रियायत दी गई है ताकि राज्य डी.सी.आर.एफ. के लाभों से वंचित हुए बिना अपने विकासात्मक कार्यक्रमों को जारी रख सकें।

विवरण-I

राज्य सरकारों की बकाया देनदारियां (मार्च समाप्ति को यथा-विद्यमान स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	126,996
2.	अरुणाचल प्रदेश	3,331
3.	असम	21,532
4.	बिहार	53,277
5.	छत्तीसगढ़	16,317

1	2	3
6.	गोवा	7,118
7.	गुजरात	103,674
8.	हरियाणा	32,062
9.	हिमाचल प्रदेश	21,283
10.	जम्मू और कश्मीर	24,800
11.	झारखंड	26,407
12.	कर्नाटक	64,992
13.	केरल	64,801
14.	मध्य प्रदेश	61,370
15.	महाराष्ट्र	176,730
16.	मणिपुर	4,806
17.	मेघालय	3,278
18.	मिजोरम	3,634
19.	नागालैंड	3,836
20.	उड़ीसा	44,666
21.	पंजाब	60,081
22.	राजस्थान	83,051
23.	सिक्किम	2,036
24.	तमिलनाडु	84,825
25.	त्रिपुरा	5,647
26.	उत्तर प्रदेश	188,197
27.	उत्तरांचल	15,713
28.	पश्चिम बंगाल	146,563
	कुल	1451,026

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

विवरण-II

राज्यों को दी गई ऋण माफी

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2009-10 के लिए ऋण माफी
आंध्र प्रदेश	703.08
बिहार	394.93
छत्तीसगढ़	93.26
झारखंड	104.96
कर्नाटक	49.66
मध्य प्रदेश	363.06
महाराष्ट्र	339.97
तमिलनाडु	153.14
कुल	2192.49

टिप्पणी:

1. राज्यों को दी गई ऋण माफी के ये आंकड़े राज्यों से वित्त लेखों तथा बजट दस्तावेजों के प्राप्त होने पर बदल सकते हैं।
2. 3.5 प्रतिशत जी.एस.डी.पी. की अधिकतम सीमा की तुलना में मौजूदा राजकोषीय घाटे के आधार पर लिया गया निर्णय।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों/उद्योगों को ऋण

*495. श्री प्रहलाद जोशी :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी/निजी तथा विदेशी बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों/उद्योगों को ऋण प्रदान करने हेतु निर्धारित तथा प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वैश्विक मंदी के प्रभाव से जूझ रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों/उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि करने के लिए सरकारी/निजी तथा विदेशी बैंकों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों/उद्योगों को ऋण प्रदान करने के संबंध में सरकारी/निजी/विदेशी बैंकों की भूमिका की निगरानी कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने लघु एवं मझौले उद्यमों (एसएमई) को ऋण में वृद्धि करने के

लिए 10 अगस्त 2005 को एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य यह था कि सरकारी क्षेत्र के बैंक एसएमई को निधियां उपलब्ध कराने के लिए अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें ताकि एसएमई क्षेत्र को ऋण में प्रति वर्ष न्यूनतम 20% की वृद्धि करके 5 वर्षों की अवधि के अंदर ऋण प्रवाह को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एसएसएमई) को कुछ समयावधि में ऋण के प्रवाह में वृद्धि हुई है जैसाकि नीचे दिया गया है:—

(रुपए करोड़ में)

वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	सरकारी क्षेत्र के बैंक	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
2006	82434**	10421	8430	101285
2007	102550 (24.4%)	13136	11637	127323
2008	151137 (47.4%)	46912	15489	213538
2009*	190968 (26.4%)	47916	18188	257072

*मार्च 2009 के आंकड़े अंतिम हैं।

**कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रति वर्ष प्रतिशत वृद्धि के द्योतक हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के उधार के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 1.7.2009 को एक समेकित मास्टर परिपत्र जारी किया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट www.rbi.org.in पर डाल दिया गया है।

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह की निगरानी करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में एमएसएमई के संबंध में शक्ति प्राप्त समितियों का गठन किया गया है, जिसमें एसएलबीसी संयोजक के प्रतिनिधि, राज्य में एमएसएमई के वित्तपोषक में सर्वाधिक हिस्से वाले दो बैंकों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, सिडबी के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के उद्योग निदेशक, राज्य में एमएसएमई/एसएसआई समूहों के वरिष्ठ स्तर के दो प्रतिनिधि और एसएफसी/एसआईडीसी के एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के रूप में शामिल हैं। समिति को आवधिक रूप से बैठक करनी है और एमएसएमई के वित्तपोषण तथा ऋण, सूक्ष्म, लघु और मझौली इकाइयों के पुनरुद्धार के मामले में हुई प्रगति की समीक्षा करनी है। वह इस क्षेत्र को ऋण का सहज प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अड़चनों, यदि कोई

हों, को दूर करने के लिए अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा राज्य सरकार के साथ समन्वय भी करेगी। समिति समूह/जिला स्तरों पर इसी तरह की समितियों की आवश्यकता के बारे में निर्णय ले सकती है।

इसके अलावा, सरकार एमएसएमई क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह की उच्चतम स्तर पर तिमाही आधार पर निगरानी भी कर रही है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

*496. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्री जगदानंद सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान गांवों के विद्युतीकरण हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु और अधिक धनराशि का आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) जी, हां। सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की कार्यप्रणाली की समीक्षा की है।

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं हेतु अविद्युतीकृत/निर्विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण की राज्यवार और वर्ष-वार उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) गांवों के विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य इस अवधि के दौरान प्राप्त नहीं किए जा सके। गांवों का विद्युतीकरण होने में निम्नलिखित कारणों से देरी हो रही है:-

- कुछ राज्यों में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वन संबंधी स्वीकृति में विलंब।
- कुछ राज्यों द्वारा 33/11 केवी उपकेन्द्रों के लिए भूमि अधिग्रहण में अनावश्यक देरी की गई थी।
- टर्न-की आधार की संविदाओं के क्रियान्वयन हेतु योग्य एजेंसियों की सीमित संख्या में उपलब्धता।
- सामग्री की कमी तथा उच्च मूल्य।
- कुछ राज्यों द्वारा सड़क अनुमति तथा मार्ग बिल जारी करने की वजह से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हुई।
- कुछ राज्यों में अपस्ट्रीम ग्रामीण विद्युत अवसंरचना की खराब स्थिति।
- कुछ राज्यों द्वारा बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने में विलंब।

- कुछ राज्यों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त होने में विलंब।
- कुछ राज्यों में कठिन क्षेत्र/भू-भाग।
- कुछ राज्यों में माओवादी हिंसा सहित कानून और व्यवस्था की समस्या।

(ङ) और (च) सरकार ने 10वीं योजनावधि के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के निष्पादन हेतु अनुमोदित 5000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 11वीं योजना के चरण-1 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के निष्पादन के लिए 28,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी का अनुमोदन प्रदान किया है।

विवरण

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं के अविद्युतीकृत/निर्विद्युतीकरण गांवों के विद्युतीकरण की राज्यवार तथा वर्ष-वार उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (15.7.2009 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	54
3.	असम	0	84	651	90
4.	बिहार	8415	3347	3098	610
5.	छत्तीसगढ़	0	0	50	4
6.	गुजरात	0	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
9.	झारखंड	0	1259	4933	1567
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0	46	4
11.	कर्नाटक	0	0	11	0
12.	केरल	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
13. मध्य प्रदेश	0	15	69	0	
14. महाराष्ट्र	0	0	0	0	
15. मणिपुर	0	36	57	0	
16. मेघालय	0	0	90	19	
17. मिजोरम	0	0	0	0	
18. नागालैंड	0	0	0	0	
19. उड़ीसा	0	0	1427	517	
20. पंजाब	0	0	0	0	
21. राजस्थान	765	633	158	147	
22. सिक्किम	0	0	0	0	
23. त्रिपुरा	0	0	0	0	
24. तमिलनाडु	0	0	0	0	
25. उत्तर प्रदेश	16620	2862	0	0	
26. उत्तराखंड	798	341	175	32	
27. पश्चिम बंगाल	2108	724	596	121	
कुल	28706	9301	12056	3165	

[हिन्दी]

महिला सरपंच***497. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला :****श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :**

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पंचायती राज प्रणाली में सरपंच निर्वाचित होने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में राज्यवार कितनी महिला सरपंच हैं;

(ग) ऐसी कितनी पंचायतें हैं, जहां इस उपबंध को कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी):

(क) से (घ) भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 घ (4) यह उपबंधित करता है कि पंचायतों के प्रत्येक स्तर में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आरक्षित पदों की वास्तविक संख्या का निर्धारण प्रत्येक राज्य के पंचायती राज अधिनियम में प्रावधानों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, महिलाओं के लिए सरपंचों के एक तिहाई स्थान आरक्षित हैं। महिला सरपंचों की संख्या संबंधी आंकड़े का अनुरक्षण केन्द्र स्तर पर नहीं किया जाता है।

कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश***498. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :****श्री जगदीश शर्मा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किए गए पूंजी निवेश का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त अवधि में कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ग) इस लाभ में से देश में कितनी राशि लाई गई है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में किए गए निवेश के संबंध में आंकड़े निम्नानुसार हैं। देशवार ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक की प्रणाली में तैयार की गई रिपोर्टों में उपलब्ध हैं, जिसका समेकित सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

सभी आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में @

वर्ष (अप्रैल से मार्च)	इक्विटी	ऋण	मांगी गई गारंटी	जोड़
2006-07	12,497.52	1,266.04	0	13,763.56
2007-08	15,150.92	2,954.15	0	18,105.07
2008-09	13,184.26	2,891.55	0	16,075.81

@आंकड़े अंतिम हैं और उनको ओडीआई प्रपत्र की प्राप्ति पर अद्यतन किया जाता है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की प्रणाली विदेश में कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ के आंकड़ों का संग्रहण नहीं करती है।

(ग) वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिए अंतर्वाह के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की प्रणाली द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों में यथा उपलब्ध आंकड़े निम्नानुसार हैं: (अंतर्वाह में लाभांश, अन्य (रायल्टी, तकनीकी शुल्क आदि) और इक्विटी-भिन्न निर्यात शामिल है)।

वर्ष (अप्रैल से मार्च)	लाभांश (मिलियन अमरीकी डालर)	अन्य (मिलियन अमरीकी डालर)	जोड़ (मिलियन अमरीकी डालर)	नीक्स (मिलियन रुपए)
2006-07	26.87	696.95	723.82	3451.70
2007-08	83.55	2253.77	2337.32	2094.79
2008-09	33.72	2190.35	2224.07	978.92

आंकड़े अनंतिम हैं और उनको ओडीआई प्रपत्र की प्राप्ति पर अद्यतन किया जाता है।

विवरण

बहिर्वाह सारांश: पहली अप्रैल, 2006 से 31 मार्च,
2009 तक देशवार

सभी राशियां मिलियन अमरीकी डालर में

क्र. सं.	देश का नाम	बहिर्वाह का वर्ष		
		2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	—	1.75	—
2.	अल्जीरिया	0.315	—	—
3.	आस्ट्रेलिया	51.614	62.632	119.320
4.	आस्ट्रिया	5.662	1.400	6.351
5.	अर्जेंटीना	—	—	0.218
6.	बांग्लादेश	1.874	45.929	21.065

1	2	3	4	5
7.	बहामास	0.100	—	—
8.	बहरीन	1.146	4.560	8.002
9.	भूटान	1.236	3.129	12.353
10.	बेजियम	127.394	21.587	66.520
11.	बेलिज	0.157	—	—
12.	बरमूडा	—	0.050	129.900
13.	बोलीविया	—	0.127	5.020
14.	बोत्सवाना	—	4.843	7.480
15.	ब्राजील	32.367	8.838	11.655
16.	बुल्गारिया	0.498	—	—
17.	ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड	49.281	805.523	230.483
18.	कनाडा	412.035	63.621	38.330
19.	केमैन आइलैंड	43.200	28.109	119.753
20.	चैनल आइलैंड	6110.50	0.287	44.004
21.	चीन	136.466	34.849	246.037
22.	कोलम्बिया	—	—	0.059
23.	कांगो	—	—	3.750
24.	क्यूबा	23.1712	1.382	31.369
25.	साइप्रस	172.111	514.080	2255.640
26.	चेक रिपब्लिक	38.760	31.891	12.210
27.	डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ तिमोर लेस्ट	0.725	—	—
28.	डेनमार्क	6.8649	1.746	5.101
29.	डोमिनिकन रिपब्लिक	—	0.004	—
30.	मिस्र	6.982	223.686	9.466

1	2	3	4	5
31. इथोपिया	1.292	1.837	2.951	
32. फिनलैंड	0.023	23.039	—	
33. फ्रांस	57.963	19.964	131.678	
34. गैबन	12.700	0.358	4.602	
35. गाम्बिया	—	—	1.500	
36. जर्मनी	58.045	122.654	37.707	
37. जार्जिया	.493	0.135	0.045	
38. घाना	1.539	4.050	8.507	
39. हांगकांग	81.902	58.696	187.538	
40. हंगरी	—	2.080	2.530	
41. इंडोनेशिया	28.292	19.511	22.492	
42. ईरान	40.940	8.13	17.048	
43. आइल ऑफ मैन	63.382	124.972	334.708	
44. इजराइल	—	3.575	7.700	
45. आयरलैंड	1.598	0.024	35.042	
46. इटली	23.910	21.480	85.734	
47. आइवरी कोस्ट	.470	80.170	0.500	
48. जार्डन	—	—	13.229	
49. जापान	1.058	42.088	29.023	
50. कजाकस्तान	—	—	0.006	
51. केन्या	0.200	133.744	0.641	
52. कुवैत	—	0.212	0.019	
53. किर्गीज़ रिपब्लिक	—	—	0.827	
54. दक्षिण कोरिया	0.939	—	—	
55. लाओस	2.000	—	2.029	

1	2	3	4	5
56. लक्जमबर्ग	.008	6.298	0.063	
57. लीबिया	8.537	11.822	23.111	
58. लाइबेरिया	.001	18.377	6.000	
59. माल्टा	21.080	0.006	—	
60. मलावी	—	0.180	0.810	
61. मार्शल आइलैंड	—	—	0.100	
62. मॉरीटानिया	—	—	1.625	
63. मारीशस	909.745	1467.180	1804.921	
64. म्यांमार	42.459	35.379	34.922	
65. मालदीव	2.900	—	1.875	
66. माल्दोवा	1.250	—	—	
67. मलेशिया	44.864	132.477	6.059	
68. मेडागास्कर	—	—	0.645	
69. मोरक्को	—	1.860	1.406	
70. मोजाम्बिक	—	3.305	4.662	
71. मैक्सिको	9.210	9.116	6.914	
72. नेपाल	.681	11.780	4.596	
73. नीदरलैंड	442.068	1935.49	2776.008	
74. न्यूजीलैंड	1.817	1.415	0.502	
75. नाइजर	—	—	0.140	
76. नाइजीरिया	18.850	18.086	1.265	
77. नामीबिया	—	—	0.100	
78. नार्वे	.383	—	—	
79. ओमान	13.441	7.979	8.437	
80. पनामा	.148	25.707	23.914	

1	2	3	4	5
81. पेरू		0.490	0.235	0.425
82. फिलीपीन्स		1.609	19.550	6.103
83. पोलैंड		0.529	35.974	1.589
84. पुर्तगाल		—	0.064	0.004
85. कतर		2.603	75.694	23.876
86. रोमानिया		0.298	—	0.910
87. रूस		509.449	365.731	676.078
88. रवांडा		—	17.55	1.420
89. सऊदी अरब		8.261	91.285	5.191
90. सेनेगल		—	0.031	—
91. सेशल्स		—	—	0.0001
92. सीरिया लियोन		0.010	—	—
93. सिंगापुर		1020.416	8352.190	3680.737
94. स्लोवाकिया		—	—	0.014
95. साउथ अफ्रीका		27.914	58.671	3.122
96. श्री लंका		7.472	14.619	50.053
97. स्पेन		10.952	7.620	82.098
98. सूडान		1039.236	62.127	63.476
99. स्वीडन		4.366	0.037	1.628
100. स्विट्जरलैंड		168.557	58.623	246.866
101. सीरियन अरब रिपब्लिक		2.639	6.734	3.379
102. तजाकिस्तान		0.680	—	1.600
103. ताइवान		0.226	—	—
104. तंजानिया		—	10.385	—

1	2	3	4	5
105. थाइलैंड		13.756	18.588	123.622
106. ट्यूनीशिया		5.092	—	—
107. तुर्की		0.406	6.490	5.770
108. यूएई		196.812	783.771	791.785
109. युगांडा		10.709	—	—
110. यू.के.		912.695	685.550	353.322
111. यूएसए		695.413	1095.914	873.586
112. उरुग्वे		7.200	96.100	12.540
113. उजबेकिस्तान		0.115	0.252	0.365
114. यमन		—	—	2.550
115. वियतनाम		3.964	28.083	48.748
116. जाम्बिया		—	0.010	0.100

[अनुवाद]

काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठन

*499. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (कापार्ट) द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अब तक कितने गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया है तथा उनके विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाले जाने के बाद भी धनराशि जारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) :

(क) 03.08.2009 की स्थिति के अनुसार कापार्ट द्वारा काली सूची

में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की संख्या 830 है। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की संख्या को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। जैसाकि संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है, काली सूची में डाले गए 129 गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। 10 मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दिया गया है।

(ख) से (घ) काली सूची में डाल दिए जाने के पश्चात 5 गैर सरकारी संगठनों को निधियां रिलीज की गईं। इन गैर-सरकारी संगठनों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां रिलीज किए जाने का कारण मामले से संबंधित अधिकारियों की अनदेखी से संबंधित है। इन अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

3 अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार कापार्ट द्वारा काली सूची में डाले गए गैर सरकारी संगठनों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	193
3.	असम	1
4.	अरुणाचल प्रदेश	1
5.	बिहार	124
6.	चंडीगढ़	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	1
8.	दादरा एवं नगर हवेली	शून्य
9.	दमन व दीव	शून्य
10.	दिल्ली	23
11.	गोवा	शून्य

1	2	3
12.	गुजरात	13
13.	हरियाणा	20
14.	हिमाचल प्रदेश	5
15.	जम्मू व कश्मीर	3
16.	झारखंड	8
17.	कर्नाटक	75
18.	केरल	35
19.	लक्षद्वीप	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	15
21.	महाराष्ट्र	24
22.	मणिपुर	16
23.	मेघालय	1
24.	मिजोरम	5
25.	नागालैंड	10
26.	उड़ीसा	34
27.	पांडिचेरी	2
28.	पंजाब	शून्य
29.	राजस्थान	42
30.	सिक्किम	शून्य
31.	तमिलनाडु	82
32.	त्रिपुरा	शून्य
33.	उत्तर प्रदेश	72
34.	उत्तरांचल	1
35.	पश्चिम बंगाल	24
कुल		830

विवरण-II

3 अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार काली सूची में डाले गए ऐसे मामले जिनमें एफआईआर दर्ज की गई है

क्र. सं.	राज्य	काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों, जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	17
3.	असम	1
4.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
5.	बिहार	43
6.	चंडीगढ़	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	शून्य
8.	दादरा एवं नगर हवेली	शून्य
9.	दमन व दीव	शून्य
10.	दिल्ली	7
11.	गोवा	शून्य
12.	गुजरात	शून्य
13.	हरियाणा	9
14.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
15.	जम्मू व कश्मीर	शून्य
16.	झारखंड	शून्य
17.	कर्नाटक	12
18.	केरल	3
19.	लक्षद्वीप	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	3

1	2	3
21.	महाराष्ट्र	4
22.	मणिपुर	4
23.	मेघालय	शून्य
24.	मिजोरम	शून्य
25.	नागालैंड	6
26.	उड़ीसा	3
27.	पांडिचेरी	शून्य
28.	पंजाब	शून्य
29.	राजस्थान	7
30.	सिक्किम	शून्य
31.	तमिलनाडु	शून्य
32.	त्रिपुरा	शून्य
33.	उत्तर प्रदेश	5
34.	उत्तरांचल	शून्य
35.	पश्चिम बंगाल	5
कुल		129

3 अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार काली सूची में डाले गए गैर सरकारी संगठनों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम और पता
1	2
राज्य का नाम आंध्र प्रदेश	
1.	आर्टिसंस (इंडिया) इंटरनेशनल फाउंडेशन, हैदराबाद
2.	कलेक्टिव रूरल ऑपरेशन ऑफ द पुअर (सीआरओपी), रंगारेड्डी
3.	रूरल पीपुल डेवलपमेंट सोसायटी, नालगोंडा

1	2
4.	श्री लक्ष्मी हरिजन महिला मंडली, प. गोदावरी
5.	सोसायटी फॉर नेचुरल स्टडीज, खम्माम
6.	अम्बेडकर युवाजन संगम, प. गोदावरी
7.	श्री लक्ष्मी हरिजन महिला मंडली, पू. गोदावरी
8.	ज्वाइंट एफर्ट ऑफ सप्रेस्ड अपलिफ्टमेंट सर्विसेज (जीसस), पू. गोदावरी
9.	पश्चिम गोदावरी जिला आदि आंध्र क्रिश्चियन एसोसिएशन, पू. गोदावरी
10.	आर्य चंद्रा हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिसंस एण्ड सोशल वेलफेयर एसो., पू. गोदावरी
11.	द डाउनट्रोडन डेवलपमेंट सोसायटी, कडप्पा
12.	सोशल सर्विस सोसायटी, कडप्पा
13.	कडप्पा जिला हरिजन श्रीसत्व एण्ड वेंकावदिना, जथुला विमोचन समिति, कडप्पा
14.	मल्टीपरपस सोशल डेवलपमेंट सोसायटी, गुंडलापल्ली, डुगनगरीपल्ली, पुलीवेंडला, कडप्पा
15.	तालमरला इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड सोशल एजुकेशन सोसायटी, तालमरला, सत्यसाई तालुक, अनंतपुर
16.	कडप्पा जिला ग्राम सेवा समिति, 13/310, हाजी रहमतुल्ला स्ट्रीट, कडप्पा
17.	वेलेंकाने सोशल एण्ड एजुकेशन सोसायटी, प. गोदावरी
राज्य का नाम : असम	
1.	स्वर्द कनकलता शिल्प कला केन्द्र, सोनितपुर
राज्य का नाम : बिहार	
1.	परिवर्तन सामाजिक विकास संस्थान, फारसी मोहल्ला, मोकामा, पटना
2.	बिहार समाज कल्याण विकास परिषद, मोकामा, पटना
3.	गुरु नानक महिला शिल्प कला केन्द्र, हरमिंदर गली, पटना

1	2
4.	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर रिसर्च इन रूरल एरिया, उत्तरी कृष्णापुरी, 10 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पटना
5.	कस्तूरबा प्रतिष्ठान महिला सिलाई केन्द्र, नेउरा, बिहटा, पटना
6.	कमला नेहरू समाज कल्याण केन्द्र
7.	जन विकास समिति/परिषद, फुलवारी शरीफ, पटना
8.	अंबर सामाजिक विकास संस्थान, हाजीगंज, पटना सिटी, पटना
9.	भारतीय ग्रामीण कल्याण परिषद, फारसी मोहल्ला, मोकामा, पटना
10.	सेवांजली, मेन रोड मधेपुरा
11.	प्रगति, माधोपुर पो. वासुदेवपुर, मुंगेर
12.	बिहार नागरिक सेवा परिषद, चमदोरिया, पटना सिटी, पटना
13.	समग्र विकास संस्थान, बरबीघा, मुंगेर
14.	बिहार प्रगतिशील महिला उत्थान सेवा केन्द्र, दरीबाबाद, बदरू रोड, सेरमा, पटना सिटी, पटना
15.	नारायणी महिला सिलाई-कटाई प्रशिक्षण केन्द्र, पू. गली, पटना सिटी, पटना
16.	गुरु गोविंद सिंह महिला विकास परिषद, हरिमंदिर गली, पटना
17.	डा. अम्बेडकर समाज कल्याणकारी योजना समिति, गोशाला रोड, मोकामा, पटना
18.	अखिल भारतीय सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक विकास संस्थान, 209 एशियन टावर, एक्जीविशन रोड, पटना सिटी, पटना
19.	बिहार प्रगतिशील महिला उत्थान सेवा केन्द्र, दरीबाबाद, बदरू रोड, सेरमा, पटना सिटी, पटना
20.	जयप्रभा ग्रामीण चेतना विकास समिति, चौरिया, पटना सिटी, पटना
21.	पाटलीपुत्र ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, हाजीगंज, पटना सिटी, पटना
22.	वीर कुंवर सिंह सामाजिक जागृति परिषद, चमोरिया, पटना सिटी, पटना
23.	हिन्द सेवा सदन, चन्दोरिया, कच्ची घाट, पटना

1	2
24.	अखिल भारतीय सामाजिक परिवर्तन परिषद, किला रोड, पटना
25.	लोक नायक जयप्रकाश आश्रम सेवा परिषद, किला रोड, पटना
26.	माता जनकल्याण प्रगतिशील विकास परिषद, बेलामोनी, हाथीदेह, पटना
27.	ग्रामीण विकास एवं अनुसंधान केन्द्र, बाजीतपुर, बाढ़, पटना
28.	कांता ग्रामीण विकास संस्थान, आरएस बाढ़, पटना
29.	नव चेतना समिति, बरहना रोड, बाढ़, पटना
30.	श्री राजेन्द्र समाज सेवा संस्थान, खाजपुरा, पो. बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना
31.	रचना, बोरिंग रोड चौराहा, पटना
32.	इंदिरा अंत्योदय ग्रामाभिमुख प्रशिक्षण केन्द्र, डाक बंगला रोड, मोकामा, पटना
33.	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास सेवा परिषद, गोशाला रोड, मोकामा, पटना
34.	लोहिया सेवा परिषद, डाक्टर टोली, मोकामा, पटना
35.	समर्पित, जिला किशनगंज
36.	भारत महिला विकास संस्थान, दरभंगा
37.	पीडित शोषित हरिजन एवं आदिवासी कल्याण संस्था, बी-31, विजयनगर, पटना
38.	जनाभिमुख विकास संस्थान, चट्टीपुर, खुशरूपुर, पटना
39.	ऑल इंडिया रूरल रिसर्च सेंटर, बाबा रोड, पटना
40.	सोनाली ग्रामोत्थान समिति, बजसपुरा, तेघड़ा, बेगुसराय
41.	रश्मिरति नवचेतन समिति, न्यू जक्कनपुर, पटना
42.	राष्ट्रीय स्व-नियोजन कल्याण केन्द्र, भोजपुर भवन, मीठापुर, पटना
43.	नई रोशनी, पटना
राज्य का नाम : दिल्ली	
1.	भारत सेवा समिति, दिल्ली

1	2
2.	ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ डाउन, दिल्ली
3.	ग्राम भारतीय सेवाश्रम, दिल्ली
4.	बाल एवं विधवा महिला कल्याण सोसायटी, दिल्ली
5.	नॉर्थ इंडिया वेलफेयर सोसायटी, दिल्ली
6.	समरफील्ड एजुकेशन सोसायटी, दिल्ली
7.	ललित कोशी सेवा आश्रम, दिल्ली
राज्य का नाम : हरियाणा	
1.	अनिल ग्रामोद्योग मंडल, करनाल
2.	राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग मंडल, करनाल
3.	करण खादी ग्रामोद्योग मंडल, करनाल
4.	कौशिक खादी ग्रामोद्योग मंडल, करनाल
5.	खादी सेवा निकेतन, करनाल
6.	अंजूम खादी ग्रामोद्योग मंडल, करनाल
7.	पवन खादी ग्रामोद्योग मंडल, करनाल
8.	खादी सदन, करनाल
9.	सरस्वती ग्रामोद्योग समिति, करनाल
राज्य का नाम : कर्नाटक	
1.	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, मालागुर
2.	मैसूर सोशल एजुकेशन सेंटर, बंगलौर
3.	सैक्रेड रूरल डवलपमेंट सोसायटी, कोलार
4.	जर्नादन खादी ग्रामोद्योग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, कोलार
5.	चिन्तालु एजुकेशन एंड रूरल डवलपमेंट सोसायटी, कोलार
6.	नालंदा एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डवलपमेंट सोसायटी, कोलार
7.	भाग्योति एजुकेशन ट्रस्ट, कोलार
8.	श्रीमूर्ति ग्रामोद्योग संघ, कोलार

1	2
9.	श्री वेंकटेश्वर सिल्क खादी ग्रामोद्योग संघ, कोलार
10.	आदर्श रूरल डवलपमेंट सोसायटी, कोलार
11.	ममता रिलिजियस एसोसिएशन, कोलार
12.	कुमार ग्रामोद्योग संघ, कोलार
	राज्य का नाम : केरल
1.	पी.के.पी. मैमोरियल महिला समाज, इडुक्की
2.	बापूजी सेवक समाज, कोल्लम
3.	त्रिक्कादावूर फिश कल्चर सोसायटी, कोल्लम
	राज्य का नाम : मध्य प्रदेश
1.	सेल्फ इम्प्लाइड विमेन एसोसिएशन, भोपाल
2.	मानव विकास समिति, मुरैना
3.	चम्बल शिक्षा प्रचार समिति, मुरैना
	राज्य का नाम : महाराष्ट्र
1.	श्री योगानन्द शिक्षण प्रसारक मंडल, जालना
2.	सोशल एंड इकोनोमिक असिस्टेंस फॉर रूरल एंड सिटी, पुणे
3.	मधुवन कुष्ठ रोग निर्मूलन, चन्द्रपुर
4.	गायत्री एजुकेशन सोसायटी, नागपुर
	राज्य का नाम : मणिपुर
1.	विमेन कम्यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन, इम्फाल
2.	सापेमानिया विमेन सोसायटी, सेनापति
3.	माम खोनो विमेन सोसायटी, सोनापति,
4.	ब्रिंघरिगलोन क्रियिश्चयन सोसायटी, इम्फाल
	राज्य का नाम : नागालैंड
1.	चिल्ड्रन वेलफेयर सोसायटी, कोहिमा,
2.	ट्रेनिंग यूथ एसोसिएशन, कोहिमा
3.	वेस्टर्न यूनाइटेड क्लब, कोहिमा

1	2
4.	सेंटर आफ रूरल अपलिफ्टमेंट, कोहिमा
5.	विसमेंस फेलोशिप इंटरप्राइजेज, कोहिमा
6.	स्टडी एंड एक्शन फार कमिप्रहेंसिव डवलपमेंट, दीमापुर
	राज्य का नाम : उड़ीसा
1.	आवाज आदिवासी हरिजन सेवा संघ, धेनकनाल
2.	राजीव गांधी यूथ क्लब, धेनकनाल,
3.	श्री अरविंदो पथागार, धेनकनाल
	राज्य का नाम : राजस्थान
1.	ग्रामीण मेवात समाज समिति, भरतपुर
2.	नरोत्तम विद्या मंदिर, भरतपुर
3.	नेहरू विद्या मंदिर समिति, भरतपुर
4.	किशोरी शिक्षण एंड प्रकाशन औद्योगिक संस्थान, भरतपुर
5.	प्रिया सामाजिक कल्याण सेवा समिति, भरतपुर
6.	चेतना पब्लिक स्कूल सेवा समिति, भरतपुर
7.	श्री तिलक बालिक मॉडर्न शिक्षा समिति, भरतपुर
	राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश
1.	जय मा पदमावती कल्याण समिति, फिरोजाबाद
2.	जन उद्योग ग्रामीण विकास कल्याण समिति, फिरोजाबाद
3.	आदर्श ग्रामोद्योग विकास संस्थान, रामपुर
4.	भारतीय ग्रामीण विकास समिति, रामपुर
5.	इन्द्राणी ग्रामीण विकास समिति, रामपुर
	राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल
1.	कालीगंज ब्लॉक ग्रामीण खुर्द एंड कुटीर शिल्प जन-कल्याण समिति, नादिया
2.	मातांगिनि सेवा संघ, 24 परगना (दक्षिण)
3.	रूरल पुअर पीपुल वेलफेयर एसोसिएशन, वर्दमान
4.	अनइम्प्लाइड यंग वर्कर सोसायटी, वर्दमान
5.	सेवक समिति, मिदनापुर

विवरण-III

काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों जिन्हें काली-सूची में डाले जाने के पश्चात निधियां रिलीज की गई हैं, की सूची

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठनों का नाम और पता	राज्य	काली सूची में डाले जाने का वर्ष	मंजूरी का वर्ष	वित्त पोषण का वर्ष	काली-सूची में डाले जाने के पश्चात रिलीज की गई निधियां (राशि रु. में)
1.	निर्मला वीकर सेक्शन महिला मंडली, गुंटुर	आंध्र प्रदेश	1992	1991-92	1993	2,34,875
2.	सर्वोदय आश्रम, नालंदा	बिहार	1989	1994-95	1994	5,18,704
3.	मगध सोशल डेवलपमेंट सोसायटी, पटना	बिहार	1992	1992-93	1993	1,01,200
4.	पद्माकुलम सोशल सर्विस सोसायटी, (पास)	केरल	1992	1995-96	1995	37,02,788
5.	विजय वारांगल ट्रस्ट	महाराष्ट्र	1994	1993-94	1994	1,25,575

विवरण-IV

कपार्ट के अधिकारियों की सूची जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी

क्र. सं.	आरोपित अधिकारी का नाम	आरोप का प्रकार और राशि	विभागीय जांच के निष्कर्ष	कार्यवाही संबंधी निर्णय
1	2	3	4	5
1.	श्री सी मिज, निदेशक	काली सूची में डाले गए एनजीओ को निधियों की रिलीज (5,18,704 रु.)	श्री सी मिज के खिलाफ आरोप जांच से सिद्ध नहीं हुए। अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट मंजूर की गई और जनवरी, 1999 में आरोप मुक्त कर दिया गया।	11.1.1999 को आरोप मुक्त कर दिया गया।
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह, निदेशक	काली सूची में डाले गए एनजीओ को निधियों की रिलीज (2,34,875 रु.)	आरोप सिद्ध हुए। सक्षम प्राधिकारी को दंड दिया गया।	2 वर्ष की अवधि के लिए समय वेतनमान में दो स्तरों तक वेतन में कटौती का दण्ड और इसके साथ यह निदेश दिया गया कि वेतन में कटौती के दौरान और इस अवधि की समाप्ति के बाद उसे कोई वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी। इस कटौती से 10.3.2000 से भविष्य में होने वाली वेतनवृद्धि नहीं होगी।

1	2	3	4	5
3.	श्री ओम प्रकाश, सहायक निदेशक	काली सूची में डाले गए एनजीओ को निधियों की रिलीज (5,18,704 रु.)	जांच से आरोप सिद्ध नहीं हुए। अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट मंजूर की गई और जनवरी, 1999 में आरोप मुक्त कर दिया गया।	11.1.1999 को आरोप मुक्त कर दिया गया।
4.	श्री एस.डी. सिंह, सहायक निदेशक	काली सूची में डाले गए एनजीओ को निधियों की मंजूरी एवं रिलीज (36 लाख रु.)	आरोप सिद्ध हुए। सक्षम प्राधिकारी को दंड दिया गया।	संचयी प्रभाव के साथ 5.8.2004 को एक वर्ष की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि तक समय वेतनमान में निम्नतम स्तर तक वेतन में कटौती का दण्ड।
5.	श्री वाई. भक्त, अनुसंधान अधिकारी	काली सूची में डाले गए एनजीओ को निधियों की मंजूरी एवं रिलीज (1,01,205 रु.)	आरोप सिद्ध हुए। सक्षम प्राधिकारी को दंड दिया गया।	27.8.2001 को एक वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड।
6.	श्री ए.आर.आर. पिल्लई, अनुसंधान अधिकारी	काली सूची में डाले गए एनजीओ को निधियों की मंजूरी एवं रिलीज (36 लाख रु.)	आरोप सिद्ध हुए। सक्षम प्राधिकारी को दंड दिया गया।	संचयी प्रभाव के साथ 5.8.2004 को तीन वर्ष की अवधि के लिए तीन वेतनवृद्धि तक समय वेतनमान में निम्नतम स्तर तक वेतन में कटौती का दण्ड।
7.	श्री पी.के. गुप्ता, अनुसंधान अधिकारी	कपार्ट की काली सूची में डाले गए एनजीओ की श्रेणी में रहते हुए भी एनजीओ को दूसरी किस्त के रूप में 1,25,575 रु. रिलीज किए गए।	अन्वेषण अधिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार किया गया और उन्हें 22.11.2005 को सीसीएस (सीसीए नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत आरोप मुक्त कर दिया गया।	22.11.05 को आरोप रद्द कर दिया गया।
8.	श्री एम.पी. सिंह, अनुसंधान अधिकारी	काली सूची में डाले गए एनजीओ को निधियों की रिलीज (1,01,200 रु.)	आरोप सिद्ध हुए। सक्षम प्राधिकारी को दंड दिया गया।	अधिकारी पर लघु अर्थ दण्ड लगाया गया। आदेश 28.03.2002 को जारी किया गया। मुकदमा पूरा कर बंद कर दिया गया।
9.	श्री एस.के. दास, अनुसंधान अधिकारी	काली सूची में डाले गए एनजीओ को निधियों की रिलीज (1,02,788 रु.)	जांच में आरोप सिद्ध नहीं हुए और सक्षम प्राधिकारी आईओ के निष्कर्षों से सहमत नहीं हुए और दंड दिया गया।	अर्थ दण्ड लगाया गया। 23.9.2002 को दो वर्ष के लिए वेतनमान में निम्नतम स्तर तक एक वेतनवृद्धि की कटौती। अपीलीय प्राधिकारी ने 26.3.04 को अर्थदण्ड को हटाकर निन्दा में बदल दिया।

पूर्ण स्वच्छता अभियान

*500. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

श्री हरिभाऊ जावले :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के कार्य निष्पादन का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के कार्यान्वयन में कोई कमी पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के निष्पादन में अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान व वितरित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डा. सी.पी. जोशी) :

(क) जी, हां।

(ख) दी गई जानकारी के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्य निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) योजना के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां धीमी प्रगति तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत बनाए गए निजी शौचालय के संबंध में दिए गए आंकड़ों तथा वास्तव में उपयोग में लाए जा रहे शौचालयों की संख्या में अंतर से संबंधित हैं। सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए हैं:-

- स्वच्छता को बढ़ावा देने का काम शुरू करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से

निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक प्रोत्साहन योजना की शुरूआत ताकि खुले में शौच से मुक्त वातावरण हासिल किया जा सके।

- निजी पारिवारिक शौचालयों के निर्माण की इकाई लागत को 1500 रु. से बढ़ाकर 2500 रु. (पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 3000 रु.) कर दिया गया है।
- विद्यालय तथा आंगनवाड़ी शौचालयों के निर्माण के लिए सामुदायिक अंशदान को समाप्त कर दिया गया है तथा केन्द्र और राज्य के बीच वित्त-पोषण की पद्धति को बदलकर 70:30 कर दिया गया है।
- ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक को वर्ष 2006 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं में शामिल किया गया ताकि योजना के तहत जिले की परियोजना लागत का 10% तक इस प्रयोजनार्थ दिया जा सके।
- संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत वित्तीय प्रोत्साहन न पाने वाले एपीएल परिवारों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शौचालयों के निर्माण के लिए स्व-सहायता समूहों/सहकारी समितियों के एपीएल सदस्यों को ऋण देने के लिए 50 लाख रु. की परिक्रामी निधि निर्धारित की गई है जो कि प्रत्येक जिले की कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50% होगी।
- स्वच्छता संबंधी पारंपरिक आदतों को बदलने तथा शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गहन आईईसी अभियान शुरू किया गया है।
- राज्यों को संपूर्ण स्वच्छता अभियान की ऑन लाइन निगरानी प्रणाली में उन बीपीएल लाभार्थियों के नाम तथा अन्य ब्यौरे डालने को कहा गया है और जिन्हें निजी पारिवारिक शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्राम पंचायतों को दिए गए निर्मल ग्राम पुरस्कार का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में तथा ब्लॉक और जिला पंचायतों को दिए गए निर्मल ग्राम पुरस्कार का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान अभी तक कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का उद्देश्य					परियोजना का निष्पादन					आईएचएचएल की उपलब्धि का %
		आईएचएचएल बीपीएल**	आईएचएचएल एपीएल**	आईएचएचएल कुल	विद्यालय शौचालय	बालवाड़ी के लिए शौचालय***	आईएचएचएल बीपीएल	आईएचएचएल एपीएल	आईएचएचएल कुल	विद्यालय शौचालय	बालवाड़ी के लिए शौचालय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	6521091	3629688	10150779	113861	15040	3989343	2080422	6069765	97560	5342	59.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	115560	18301	133861	3944	1866	19889	2306	22195	3447	1198	16.58
3.	असम	2220017	1161020	3381037	34772	16819	391986	81136	473122	13128	2000	13.99
4.	बिहार	6195779	4975535	11171314	76581	6595	1377143	478212	1855355	40255	921	16.61
5.	छत्तीसगढ़	1553540	1811886	3365426	48549	10167	646549	565636	1212185	43689	7414	36.02
6.	दादरा व नगर हवेली	2480	0	2480	0	0	37	0	37	0	0	1.49
7.	गोवा	17935	27388	45323	731	547	16231	17522	33753	436	58	74.47
8.	गुजरात	207056	2041521	4111577	22425	22505	1512035	1634285	3146320	23684	19835	76.52
9.	हरियाणा	550500	1234597	1785097	7309	6820	519085	1169666	1688751	7140	5739	94.60
10.	हिमाचल प्रदेश	216421	630065	846486	17723	10406	163175	550981	714156	5673	2336	84.37
11.	जम्मू व कश्मीर	598614	702110	1300724	23108	940	227760	47602	275362	10463	64	21.17
12.	झारखंड	2327306	1402189	3729495	42687	11472	894419	120483	1014902	31468	2164	27.21
13.	कर्नाटक	2507923	3050138	5558061	35698	24086	988661	1101197	2089858	35467	23761	37.60
14.	केरल	961831	111911	1073742	3600	4957	930516	142689	1073205	3245	3187	99.95
15.	मध्य प्रदेश	3636365	4289857	7926222	85568	14320	1747871	2224326	3972197	74110	16961	50.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	महाराष्ट्र	3505909	6307374	9813283	87436	55850	1908383	3392487	5300870	80294	53381	54.02
17.	मणिपुर	194887	68367	263254	3919	1201	9181	6414	15595	1298	157	5.92
18.	मेघालय	202722	66414	269136	8859	1580	30586	29711	60297	1835	165	22.40
19.	मिजोरम	59679	16861	76540	3219	912	56890	14152	71042	3219	912	92.82
20.	नागालैंड	167193	31176	198369	2672	1238	37049	1830	38879	917	149	19.60
21.	उड़ीसा	4485050	2571598	7056648	70663	25160	1851699	325281	2176980	55588	15474	30.85
22.	पुदुचेरी	18000	0	18000	26	16	2191	0	2191	0	16	12.17
23.	पंजाब	623198	532768	1155966	7464	3274	111904	383336	495240	6742	776	42.84
24.	राजस्थान	1960903	5023430	6984333	68134	21198	514511	1750446	2264957	48853	8369	32.43
25.	सिक्किम	51302	35712	87014	1604	340	58104	36496	94600	1606	416	108.72
26.	तमिलनाडु	4214089	4030794	8244883	40828	25470	3147074	2453350	5600424	37642	23878	67.93
27.	त्रिपुरा	434316	124747	559063	4939	6024	410120	112773	522893	4079	4349	93.53
28.	उत्तर प्रदेश	8217302	12276854	20494156	241424	96967	4982800	5102266	10085066	201745	64050	49.21
29.	उत्तराखंड	441631	444670	886301	3925	1601	192872	167789	360661	2113	294	40.69
30.	पश्चिम बंगाल	5029415	4104101	9133516	134981	50630	4427033	1943455	6370488	56202	13437	69.75
कुल योग		59101014	60721072	119822086	1196649	438001	31165097	25936249	57101346	891898	276803	47.66

*निजी पारिवारिक शौचालय — गरीबी रेखा से नीचे के परिवार

**निजी पारिवारिक शौचालय — गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार

***बालवाड़ी

विवरण-II

निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या

क्र. स.	राज्य का नाम	2005 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	2006 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	2007 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	2008 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0	10	143	662	815
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	4	6
3.	असम	0	1	3	14	18
4.	बिहार	0	4	39	155	198
5.	छत्तीसगढ़	0	12	90	300	402
6.	गुजरात	1	4	576	739	1320
7.	हरियाणा	0	0	60	798	858
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	22	245	267
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	12	12
10.	झारखंड	0	0	12	142	154
11.	कर्नाटक	0	0	121	479	600
12.	केरल	1	6	220	600	827
13.	मध्य प्रदेश	0	1	190	682	873
14.	महाराष्ट्र	13	380	1974	4301	6668
15.	मणिपुर	0	0	0	1	1
16.	मेघालय	0	0	0	11	11
17.	मिजोरम	0	0	3	8	11
18.	नागालैंड	0	0	0	8	8
19.	उड़ीसा	0	8	33	94	135
20.	पंजाब	0	0	0	22	22
21.	राजस्थान	0	0	23	141	164
22.	सिक्किम	0	0	27	137	164

1	2	3	4	5	6	7
23.	तमिलनाडु	12	119	296	1474	1901
24.	त्रिपुरा	1	36	46	30	113
25.	उत्तर प्रदेश	0	40	488	729	1257
26.	उत्तराखंड	0	13	109	160	282
27.	पश्चिम बंगाल	10	126	468	328	932
	कुल	38	760	4945	12276	18019

विवरण-III**निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाली ब्लॉक पंचायतों की संख्या**

क्र. स.	राज्य का नाम	2005 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली ब्लॉक पंचायतों की संख्या	2006 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली ब्लॉक पंचायतों की संख्या	2007 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली ब्लॉक पंचायतों की संख्या	2008 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली ब्लॉक पंचायतों की संख्या	पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	1	1
2.	बिहार	0	0	1	0	1
3.	हरियाणा	0	0	0	1	1
4.	कर्नाटक	0	0	0	1	1
5.	केरल	0	0	6	81	87
6.	महाराष्ट्र	0	1	0	2	3
7.	तमिलनाडु	1	0	0	5	6
8.	पश्चिम बंगाल	1	8	7	14	30
	कुल	2	9	14	105	130

निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाली जिला पंचायतों की संख्या

क्र. स.	राज्य का नाम	2005 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली जिला पंचायतों की संख्या	2006 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली जिला पंचायतों की संख्या	2007 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली ब्लॉक पंचायतों की संख्या	2008 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली ब्लॉक पंचायतों की संख्या	पुरस्कार प्राप्त करने वाली ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या
1.	केरल	0	0	0	4	4
2.	सिक्किम	0	0	0	4	4
	कुल	0	0	0	8	8

राज्य राजमार्गों के लिए गुजरात का प्रस्ताव

4667. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वित्तीय सहायता हेतु राज्य राजमार्गों की परियोजना को विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विस्तृत जांच के पश्चात् उपर्युक्त प्रस्ताव की सिफारिश योजना आयोग द्वारा की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक को इसकी ऋण सहायता के लिए सिफारिश की गयी है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर ऋण सहायता के लिए 3.10.2008 को विश्व बैंक को सिफारिश की गयी है।

बैंकों का विलय

4668. श्री एल. राजगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों के विलय पर विचार कर रही है जिसमें सरकारी धारिता 51 प्रतिशत होगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विलय हेतु विचार किए जा रहे बैंकों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारत सरकार की सरकारी क्षेत्र के 21 बैंकों, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और आईडीबीआई बैंक लि. शामिल हैं, में शेयरधारिता है। सांविधिक और अन्य उपबंध यह

अनिवार्य करते हैं कि सरकार, किसी भी समय, एसबीआई की इक्विटी पूंजी के 55% और राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा आईडीबीआई बैंक लि. की इक्विटी पूंजी के 51% से कम धारिता नहीं रखेगी। सरकार ने किसी भी विशिष्ट बैंक को, किसी बैंक विशेष के साथ विलयन/समामेलन के लिए प्रस्ताव पर विचार करने का निदेश नहीं दिया है। समेकन का प्रस्ताव स्वयं बैंकों के प्रावधानों की तरफ से आता है और इसमें सरकार की एक आम शेयरधारक के रूप में एक समर्थक भूमिका होती है। विलयन के किसी प्रस्ताव का समर्थन करते समय, सरकार विलयित हो रहे बैंकों के पणधारियों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखती है।

[हिन्दी]

जेंडर बजटिंग

4669. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक मंत्रालय में जेंडर बजट सेल की स्थापना करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को जेंडर बजट सेल की स्थापना के निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में, 56 मंत्रालयों/विभागों ने जेंडर बजट सेल की स्थापना कर ली है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जेंडर बजट सेल चार्टर के अनुसार, ये जेंडर बजट सेल अपने मंत्रालय/विभागों के कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा करेंगे, जिसका प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है।

सभी क्षेत्रों में लिंग आधारित बजटिंग और उस को मुख्यधारा में लाने को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। यह मंत्रालय जेंडर बजटिंग के काम की जिम्मेवारी लेने के लिए जेंडर बजट सेल को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और अन्य निकायों जैसे महिला आयोगों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है, जेंडर बजट हैंडबुक और मेन्यूअल सहित जेंडर बजटिंग के लिए संसाधन सामग्री का विकास एवं राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षकों की टीम तैयार कर रहा है।

[अनुवाद]

सरकारी खरीद

4670. श्री रघुवीर सिंह मीणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी खरीद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यापारियों और आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

विश्व बैंक द्वारा पुलों का वित्त पोषण

4671. श्री कोडिकुनील सुरेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने पुलों के निर्माण हेतु भारत को वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय सहायता की निबंधन व शर्तें क्या हैं; और

(घ) इस सहायता से राज्य-वार विशेषतः केरल में बनाये जाने वाले संभावित पुलों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) जी, नहीं। विश्व बैंक ने विशेष रूप से पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन हेतु बैंक समितियां

4672. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यातों का संवर्धन करने के लिए राज्य स्तरीय बैंक समिति स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को निर्यातकों की निर्यात वित्तपोषण और राज्य स्तर के बैंक संबंधित अन्य मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के अंतर्गत एक पृथक उप-समिति गठित करने की सलाह दी गई है। इस उप-समिति के सदस्यों में प्रादेशिक स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा स्थानीय निर्यातक, परिसंघ, एसबीआई और बड़ी मात्रा में निर्यात कारोबार वाले दो/तीन अग्रणी बैंक, विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी), सीमा शुल्क, राज्य सरकार (वाणिज्य और उद्योग विभाग तथा वित्त विभाग), एक्जिम बैंक, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी), भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीआई) शामिल हैं। सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों को, यदि उप-समिति गठित नहीं की गई है, तो गठित करने का परामर्श दिया गया है।

इस उप-समिति की बैठक छः माह के अंतराल में अथवा जरूरत महसूस हुई, तो उससे पहले भी होनी अपेक्षित है। एसएलबीसी संयोजक बैंक संबंधित राज्य की उप-समिति के भी संयोजक होंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग

4673. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के लिए अपराध दण्ड प्रक्रिया में एहतियाती उपाय करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सरकार को कोई सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनसीडब्ल्यू ने देश में महिला कैदियों की स्थिति की जांच करने के लिए कारावासों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एनसीडब्ल्यू द्वारा राज्य-वार कितने कैदियों से भेंट की गई है;

(ङ) क्या एनसीडब्ल्यू ने इस संबंध में कोई अनियमितता पाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनसीडब्ल्यू द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(छ) इन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों हेतु धनराशि

4674. डॉ. के.एस. राव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों तथा जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु बैंकों द्वारा किये गये वित्त-पोषण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु बैंकों द्वारा अनुकूल ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्व में कमी

4675. श्री पी. बलराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी राजस्व घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तुलना में तत्संबंधी राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना हेतु सरकार की आय को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) आर्थिक समीक्षा 2008-09 के अध्याय-3 (पैरा 3.36) में राजकोषीय घटनाक्रम का ब्यौरा देते हुए यह इंगित किया गया था कि 2008-09 में (2007-08 की तुलना में) जहां क्रेदीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क

और कर-भिन्न राजस्व स्रोतों से प्राप्त राजस्व में क्रमशः 12.0 प्रतिशत, 4.1 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत की गिरावट हुई, वहीं केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, आर्थिक समीक्षा 2008-09 में 28 राज्यों के बजट अनुमान भी दिए गए थे, उनमें भी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देखी गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर कटौती के कारण राजस्व हानि

4676. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की प्राकृतिक गैस अथवा कच्चा तेल नेटवर्क की स्थापना और संचालन पर आगे पूंजी व्यय कर प्रथम वर्ग में शत-प्रतिशत कर कटौती की अनुमति देने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे लाभान्वित होने वाली संभावित निजी अथवा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के नाम क्या है;

(घ) सरकार की कितनी राजस्व हानि होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार को इस राजस्व हानि की भरपाई किस प्रकार करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2009 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 35 क घ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि विदेश में वितरण के लिए प्राकृतिक गैस अथवा कच्चा तेल अथवा पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने तथा संचालित करने के विनिर्दिष्ट कारोबार के संबंध में निवेश से जुड़े कर प्रोत्साहन का प्रावधान किया जा सके जिसमें ऐसे नेटवर्क का अभिन्न अंग होने के नाते भंडारण की सुविधाएं भी शामिल हैं। धारा 35 क घ में निर्धारित की गई शर्तों के अधधीन उस पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें ऐसा व्यय किया गया है, के दौरान विनिर्दिष्ट कारोबार के प्रयोजनार्थ, पूर्ण रूप से तथा अनन्य रूप से किए गए पूंजीगत स्वरूप के किसी पूर्ण व्यय (भूमि अथवा साख अथवा वित्तीय लिखतों पर व्यय से भिन्न) के संबंध में शत-प्रतिशत कटौती अनुमत होगी।

(ग) आयकर अधिनियम की धारा 35 क घ में उल्लिखित 'विनिर्दिष्ट कारोबार' के संचालन से जुड़ा उपक्रम उस धारा में विनिर्दिष्ट

शर्तों के अधीन कर लाभ के लिए पात्र है। अतः किसी सार्वजनिक अथवा निजी कम्पनी के नाम बता पाना संभव नहीं है जिन्हें धारा 35 क घ के उपबंधों से लाभ होने की संभावना है।

(घ) इस स्तर पर राजस्व क्षति का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कॉमन अंडरग्राउण्ड डक्ट

4677. श्री मिलिंद देवरा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सौंदर्यीकरण के भाग के रूप में केबल नेटवर्क, ब्राडबैंड इंटरनेट और टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को बिजली तथा बत्ती के खंभों से झूलने वाले तारों को हटा कर एक कॉमन अंडरग्राउण्ड डक्ट के माध्यम से शहर में पहुंचाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सेवा प्रदाताओं की प्रतिक्रिया क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं, विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उपकरण परियोजना हेतु सहायता

4678. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में विद्युत उपकरण परियोजना हेतु कोई वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय विद्युत उपकरण परियोजना की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों द्वारा होल्डिंग कंपनी की स्थापना

4679. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईसीआईसीआई बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक का विचार एक होल्डिंग कंपनी की स्थापना करने का है जो बैंक तथा अन्य वित्तीय सेवा कंपनियों की स्थापना कर सकती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लि. से नियंत्रक कंपनियां स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चूंकि नियंत्रक कंपनियां स्थापित करने हेतु बैंकों को अनुमति देने के मुद्दे का व्यापक प्रभाव होगा, इसलिए बैंकिंग समूहों में नियंत्रक कंपनियों पर विचार-विमर्श पत्र 27 अगस्त, 2007 को जनता की टिप्पणियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर दे दिया गया है। कानूनी और विवेकसम्मत परिप्रेक्ष्यों से इन प्रतिक्रियाओं की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

सेबी द्वारा कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई

4680. श्री अंजनकुमार एम. यादव :

श्री यशवंत लागुरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने अपने शेयरधारकों को लाभश नहीं देने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में रिलायंस ग्रुप को भी दंडित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कंपनी के विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस कार्रवाई के निष्कर्ष क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ड) सेबी ने निवेशक की शिकायतों का समाधान नहीं करने के लिए कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी है जिनमें लाभांश की घोषणा के बाद निर्धारित समय के भीतर लाभांश का भुगतान न करना शामिल है जैसाकि:-

(क) 44 कंपनियों और इनके निदेशकों के विरुद्ध अभियोजन, (ख) सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15ग के तहत 38 कंपनियों के विरुद्ध न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियाँ और (ग) सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 के तहत 29 कंपनियों और इनके निदेशकों के विरुद्ध आदेश। सेबी ने सूचित किया है कि 'रिलायंस ग्रुप' के नाम से कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। सेबी ने लाभांश की घोषणा करने के बाद निर्धारित समय अवधि के भीतर लाभांश का भुगतान नहीं करने के लिए रिलायंस नामक किसी कंपनी को दंडित नहीं किया है।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक की घाटे में चल रही
सहायक कंपनियाँ

4681. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों को घाटा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय स्टेट बैंक की घाटे में चल रही सहायक कंपनियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक की दो सहायक कंपनियों अर्थात् एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसबीआई लाइफ) और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसिज प्रा.लि. (एसबीआई कार्ड्स) को हानियाँ हुई हैं। यद्यपि इन दोनों सहायक कंपनियों ने वर्ष 2006-07 के लिए लाभ की सूचना दी थी, तथापि एसबीआई कार्ड्स को वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए क्रमशः 230 करोड़ रुपए और 185.10 करोड़ रुपए की कर-पूर्व हानियाँ हुई थीं और एसबीआई लाइफ को वर्ष 2008-09 के लिए 26.31 करोड़ रुपए की कर-पूर्व हानि हुई थी।

(ग) (i) गैर-सरकारी बीमाकर्ताओं में एसबीआई लाइफ लाभ घोषित करने वाली पहली बीमा कंपनी थी और इसने लगातार तीन वर्षों की अवधि (अर्थात् 2005-06 से 2007-08) के लिए लाभ दर्ज किया है। एसबीआई लाइफ द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में उठाई गई हानि मुख्य रूप से बाजार की मंदी की परिस्थितियों की वजह से थी। कंपनी का व्यावसायिक मॉडल निरन्तर लाभप्रद बना हुआ है और इसे वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के दौरान बीमा परिचालनों से लाभ हुआ है।

(ii) एसबीआई कार्ड्स ने आस्ति की गुणवत्ता में सुधार करने, परिचालन लागत को कम करने और उसके द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने और लाभ अर्जित करने के लिए अपने व्यावसायिक मॉडल में कतिपय परिवर्तन किए हैं।

[हिन्दी]

कर मामले

4682. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों में कर मामलों के लंबित होने के कारण फंसी राशि का शुल्क-वार विवरण क्या है;

(ख) क्या ऐसे मामलों में अधिकारियों की लापरवाही के कारण बढ़ोतरी हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारामत्क कदम उठाए गये हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम) :

(क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बहुस्तरीय विपणन

4683. श्री चन्दूलाल साहू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुस्तरीय विपणन हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में बहुस्तरीय विपणन पर कार्य करने वाली ऐसी प्रत्येक कंपनी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कई कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त की गयी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने बहुस्तरीय विपणन के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ग) वांछित तरीके से आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2003 के दौरान, उपभोक्ता मामले विभाग को प्रत्यक्ष बिक्री/प्रत्यक्ष/नेटवर्क/बहुस्तरीय विपणन को शामिल करने के लिए एक पृथक विधान अधिनियमित करने के लिए भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री संघ तथा अन्य व्यक्तियों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। विधि मंत्रालय के परामर्श से, उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र जारी किया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रत्यक्ष/नेटवर्क/बहुस्तरीय विपणन कंपनियां अपने क्रियाकलाप विधिपूर्वक करती हैं तो उनके क्रियाकलापों पर पुरस्कार, चिट तथा धन परिचालन योजना (परिवर्जन) अधिनियम, 1978 का कोई प्रावधान लागू नहीं होता। आर्थिक अपराधों से संबंधित जांच अभिकरण अर्थात् केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने उपभोक्ता मामले विभाग का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया है कि अपने उत्पादों को बेचने के लिए पिरामिड योजनाओं का प्रयोग करने वाली कंपनियां संभावित कानूनी कार्रवाई में स्वयं का संरक्षण करने के लिए इस पत्र का सहारा ले रही थीं। आगे अनुक्रिया में उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को स्पष्ट कर दिया कि जारी किए गए पूर्ववर्ती अनुदेशों में पिरामिड संरचना विपणन योजना शामिल नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पृथक रूप से यह स्पष्ट भी किया है कि यह निर्णय करने के लिए कि कोई उल्लिखित योजना पुरस्कार, चिट तथा धन परिचालन योजना (परिवर्जन) अधिनियम, 1978 के प्रावधानों पर प्रयोज्य है या नहीं, राज्य सरकारों को अपने कानूनी अधिकारियों/लोक अभियोजक की राय लेनी चाहिए।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश की पर्यटन परियोजनाएं

4684. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पर्यटन विकास हेतु धनराशि के आवंटन को बढ़ाने तथा नयी परियोजनाओं को स्वीकृति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपमंश मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति की गई परियोजनाओं और स्वीकृत की गई राशि दर्शाता हुआ विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृति राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16	12610.06
2.	असम	9	3379.51
3.	अरुणाचल प्रदेश	23	6477.32
4.	बिहार	12	2993.20
5.	छत्तीसगढ़	5	2407.91
6.	गोवा	2	4314.91
7.	गुजरात	12	2710.24
8.	हरियाणा	18	4755.76
9.	हिमाचल प्रदेश	21	5263.88

1	2	3	4
10.	जम्मू एवं कश्मीर	61	10678.72
11.	झारखंड	7	1130.47
12.	कर्नाटक	9	6277.92
13.	केरल	22	7393.83
14.	मध्य प्रदेश	27	7093.77
15.	महाराष्ट्र	8	5389.49
16.	मणिपुर	14	4054.61
17.	मेघालय	8	1912.94
18.	मिजोरम	9	2011.32
19.	नागालैंड	32	4786.01
20.	उड़ीसा	18	6491.68
21.	पंजाब	4	2365.99
22.	राजस्थान	10	5744.02
23.	सिक्किम	50	13112.86
24.	तमिलनाडु	28	6427.52
25.	त्रिपुरा	17	1471.70
26.	उत्तराखंड	8	6549.76
27.	उत्तर प्रदेश	13	6672.67
28.	पश्चिम बंगाल	21	6562.50
29.	अंडमान और निकोबार	0	0.00
30.	चंडीगढ़	7	819.11
31.	दादरा एवं नागर हवेली	3	24.88
32.	दिल्ली	8	764.08
33.	दमन व दीव	1	12.50
34.	लक्षद्वीप	1	782.73
35.	पुडुचेरी	10	1863.68
कुल		514	155307.55

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में जागरूकता

4685. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से विद्युत के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न भाषाओं में कुछ प्रश्न आधारित कार्यक्रमों का वित्त-पोषण कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए चयनित फर्मों/कंपनियों के नाम क्या हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) :

(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मुख्यतया मौजूदा सरकारी चैनलों जैसे राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए), विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), दूरदर्शन, आकाशवाणी (एआईआर) और डाक विभाग, आदि के व्यवहारिक उपयोग के माध्यम से अक्षय ऊर्जा की आवश्यकता, लाभों और उपयोग के बारे में जनजागरूकता हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक, प्रिंट जैसे विभिन्न प्रकार के जन-प्रचार माध्यमों, प्रदर्शनियों, होर्डिंग, किओस्क के माध्यम से आउटडोर प्रचार और अन्य आउटडोर प्रचार कार्यकलापों को भी उपयोग में लाया जाता है। जनजागरूकता सृजन के लिए जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन के लिए एक नई योजना अभी हाल ही में आरंभ की गई है।

(ख) और (ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में अखिल भारतीय अक्षय ऊर्जा प्रश्नोत्तरी के साथ-साथ स्थानिक भाषाओं में क्षेत्रीय प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जा रहा है। इस मंत्रालय की ओर से मैसर्स जी टेलीफिल्मस लिमि., नई दिल्ली, मैसर्स आयरिश पब्लिकेशन्स, लिमिटेड, नई दिल्ली और मैसर्स सब टीवी नेटवर्क द्वारा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

[हिन्दी]

जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं

4686. श्री हरिशचन्द्र चव्हाण : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों से वित्तीय व तकनीकी सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार देश में विद्यमान ऐसी प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा):

(क) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन सभी जिलों में जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं बनाने के लिए वित्तीय सहायता देती रही है जिन जिलों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब तक पेयजल आपूर्ति विभाग ने महाराष्ट्र में तीन प्रयोगशालाओं सहित देश भर में 464 जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्वीकृत की हैं। अन्य 164 जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बनाई गई हैं। महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा 27 जिला स्तरीय जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा, अन्य एजेंसियों की मदद से अलग-अलग राज्यों में 15 जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। दी गई जानकारी के अनुसार स्वीकृत की गई तथा बनाई गई जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जिला स्तरीय जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों की संख्या	जल जांच प्रयोगशालाओं की संख्या				
			भारत सरकार द्वारा		राज्य द्वारा	अन्य द्वारा	बनाई गई कुल प्रयोगशालाएं
			स्वीकृत	बनाई गई	बनाई गई	बनाई गई	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	23	14	14	37	0	51
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	16	0	0	16
3.	असम	23	21	21	2	0	23
4.	बिहार	38	35	35	2	0	37
5.	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	16	16	16	0	0	16
7.	गोवा	2	1	1	1	0	2
8.	गुजरात	25	21	21	4	0	25
9.	हरियाणा	19	18	18	1	0	19
10.	हिमाचल प्रदेश	12	10	10	5	0	15
11.	जम्मू व कश्मीर	14	9	6	2	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	झारखंड	24	7	7	16	1	24
13.	कर्नाटक	29	23	23	6	0	29
14.	केरल	14	4	4	10	0	14
15.	मध्य प्रदेश	48	48	48	14	0	62
16.	महाराष्ट्र	35	3	3	27	0	30
17.	मणिपुर	9	8	1	1	0	2
18.	मेघालय	7	7	7	0	0	7
19.	मिजोरम	8	8	8	0	0	8
20.	नागालैंड	8	6	2	0	0	2
21.	उड़ीसा	30	30	29	0	0	29
22.	पंजाब	17	12	12	0	0	12
23.	राजस्थान	32	23	23	10	0	33
24.	सिक्किम	4	3	2	0	0	2
25.	तमिलनाडु	30	24	24	4	0	28
26.	त्रिपुरा	4	3	3	3	0	6
27.	उत्तर प्रदेश	70	55	55	1	14	70
28.	उत्तराखण्ड	13	13	0	3	0	3
29.	पश्चिम बंगाल	18	18	18	0	0	18
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	1	1	0	0	1
31.	दादरा व नागर हवेली	1	1	1	0	0	1
32.	दमन व दीव	2	2	2	0	0	2
33.	दिल्ली	9	0	0	6	0	6
34.	लक्षद्वीप	1	2	2	7	0	9
35.	पुदुचेरी	4	2	2	2	0	4
कुल		608	464	435	164	15	614

[अनुवाद]

साल और सियाली पत्रों से बनी प्लेट

4687. श्री रूद्रमाधव राय : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) साल और सियाली पत्रों से बनी प्लेटों का उत्पादन और बिक्री में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कदम उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) :

(क) और (ख) जी, हां। ट्राइफेड साल और सियाली पत्रों से बनी प्लेटों के उत्पादन में सुधार के लिए अनुसूचित जनजाति के कारीगरों और लघु वन उत्पाद का संग्रह करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस गतिविधि में जनजातीय स्वयं सहायित समूहों को तकनीकी प्रशिक्षण, जैव इंधन चलित सांचे में ढालने वाली (मौल्लिंग) तथा स्टीचिंग मशीनें निःशुल्क प्रदान किया जाना शामिल है। ट्राइफेड अस्थाई कार्य शोड के निर्माण हेतु भी सहायता प्रदान करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क

4688. श्री एम.बी. राजेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कोई कमी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :

(क) जी, हां।

(ख) खाद्य तेल पर आयात शुल्क धीरे-धीरे कम किया जाता रहा है ताकि घरेलू उपभोक्ता के लिए उचित कीमतों पर इस आवश्यक वस्तु की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। खाद्य तेलों पर बुनियादी सीमा शुल्क अगस्त, 2006 में 45% से लेकर 100% तक था। वर्तमान समय

में कच्चे खाद्य तेलों को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया है, जबकि रिफाईन्ड खाद्य तेलों पर समान रूप से 7.5% बुनियादी सीमा शुल्क लगता है।

क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता:

4689. श्री निलेश नारायण राणे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .:

(क) क्या क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों से प्रचलन शुल्कों के माध्यम से बैंकों/सेवा प्रदाताओं द्वारा ज्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि क्रेडिट कार्ड ग्राहकों पर बैंकों द्वारा प्रभारित प्रचलन शुल्कों के संबंध में कुछ शिकायतें उसे प्राप्त हुई हैं।

क्रेडिट कार्ड क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए आरबीआई ने 23 जुलाई 2008 को "बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड परिचालन" संबंधी एक व्यापक मास्टर परिपत्र जारी किया है जिसमें कार्डों को जारी करने, ब्याज दरों एवं अन्य प्रभारों, प्रत्यक्ष विक्रय एजेंटों (डीएसए)/प्रत्यक्ष विपणन एजेंटों (डीएमए) एवं अन्य एजेंटों के इस्तेमाल, गलत बिल बनाने, ग्राहक अधिकारों की सुरक्षा, शिकायतों के निपटान, धोखाधड़ी नियंत्रण, शास्ति लगाने का अधिकार, आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस परिपत्र को हाल ही में संशोधित किया गया था और एक अद्यतन मास्टर परिपत्र 1 जुलाई, 2009 को जारी किया गया था। ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज दरों के संबंध में 7 मई, 2007 का आरबीआई का परिपत्र क्रेडिट कार्ड बकायों पर भी लागू कर दिया गया था। बैंकों को परामर्श दिया है कि वे क्रेडिट जारी करते समय ग्राहकों को जारी किए जाने वाले "सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंधन एवं शर्तों" (एमआईटीसीएस) में उपर्युक्त उपबंध शामिल करें।

15 ओम्बड्समैन कार्यालयों को प्राप्त क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतों को बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006 के उपबंधों के तहत देखा जाता है। इस योजना के तहत बैंकिंग ओम्बड्समैन को शक्ति दी गई है कि वे क्रेडिट कार्ड परिचालनों से उत्पन्न शिकायतों के मामले में, शिकायतकर्ता द्वारा झेले गए उत्पीड़न और मानसिक व्यथा और साथ ही, लेन-देनों में हुई वास्तविक आर्थिक हानि, के एवज में अधिकतम 1 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति का निर्णय दे सकते हैं।

पारेषण तथा वितरण हानियाँ

4690. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारेषण तथा वितरण हानियों के कोई अन्तर्राष्ट्रीय मानक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में वर्तमान औसत पारेषण तथा वितरण हानियाँ अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विद्युत क्षेत्र में सुधारों के उपाय के रूप में कुछ राज्यों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के बाद, पारेषण तथा वितरण हानियाँ बढ़ गई हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (घ) पारेषण तथा वितरण (टी एंड डी) हानियों के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि 2006-07 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य विद्युत यूटिलिटीज का समेकित तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि 33.07% थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पारेषण तथा वितरण (टी एंड डी) हानियों को कम करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय स्थितियों में अपरिहार्य तकनीकी हानि का प्रतिशत 10-15 है। कुछ पड़ोसी देशों में टी एंड डी हानियाँ (जो कि वर्ष 2003 के लिए उपलब्ध हैं) नीचे दी जा रही हैं:-

क्र. सं.	देश का नाम	टी एंड डी हानि (%)
1.	पाकिस्तान	25
2.	बांग्लादेश	12
3.	चीन	6
4.	नेपाल	19
5.	श्रीलंका	18

(स्रोत: विश्व बैंक प्रकाशन, विश्व विकास संकेतक, 2006 तक)

हानियों के कारणों में विद्यमान लाइनों तथा सबस्टेशनों उपस्करों

की ओवरलोडिंग, पुराना और आउट डेटेड नेटवर्क, कम एच टी: एलटी अनुपात, उपस्करों की खराब मरम्मत और अनुरक्षण, पर्याप्त कैपसिटर्स का न लगाया जाना, घटिया, अकुशल तथा खराब गुणवत्ता वाले वितरण उपस्कर, अंतः उपभोक्ता युक्तियाँ आदि के खराब विद्युत फैक्टर और खराब मीटर, चोरी तथा संधमारी, मीटरों में छेड़छाड़, कार्मिकों की कम जवाबदेही, मीटरिंग की खराब दक्षता, खराब बिलिंग दक्षता, देयताओं की वसूली न हो जाना इत्यादि जैसे वाणिज्यिक कारण शामिल हैं।

(ङ) और (च) पुनर्गठन के बाद सामान्यतया राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) के टी एंड डी हानियों में वृद्धि नहीं हुई है।

बैंकों में जमा पूंजी

4691. श्री उदयनराजे भोंसले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के बैंकों में कुल कितनी जमा पूंजी है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस जमा पूंजी पर औसत ब्याज दर कितनी रही?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि नीचे दी गई है:-

राशि लाख रुपये में

जनसंख्या वर्ग	31 मार्च की स्थिति के अनुसार		
	2006	2007	2008
ग्रामीण	22606118	25301369	30342304
अर्द्धशहरी	30221281	35739514	43027971

स्रोत: आरबीआई

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमा पर औसत ब्याज दरें नीचे दी गई हैं:-

(प्रतिशत)

जनसंख्या वर्ग	31 मार्च की स्थिति के अनुसार		
	2006	2007	2008
ग्रामीण	6.47	7.30	8.17
अर्द्धशहरी	6.29	7.35	8.20

स्रोत: आरबीआई

सौर उपकरणों हेतु अधिष्ठान लागत

4692. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बायोगैस तथा खाद प्रबंधन कार्यक्रम तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को दी जा रही राजसहायता के अंतर्गत सौर ऊर्जा उपकरणों तथा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई अधिष्ठान लागत निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्यों हेतु कोई विशेष मूल्य सूची है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) :

(क) से (घ) जी, नहीं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर ऊर्जा उपकरणों और राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों को लगाने की कोई संस्थापना लागत निर्धारित नहीं की है क्योंकि ऐसी प्रणालियां स्थल विशिष्ट भी होती हैं। सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम और भारत के पर्वतीय राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर के अविद्युतीकृत गांवों और बस्तियों में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की एक बालिका (कक्षा IX से XII में पढ़ने वाली) को सौर लालटेन निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों के लिए कोई विशेष मूल्य सूची नहीं है। तथापि, इस क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में सौर ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों और परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्तर पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता/ सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इस संबंध में विवरण संलग्न हैं।

विवरण

I. सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां/उपकरण

क्र. सं.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली/उपकरण का नाम	केन्द्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडी (रुपये में)
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां	4500 (18 डब्ल्यूपी) 8660 (37-74 डब्ल्यूपी)
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियां	17300 (74 डब्ल्यूपी)
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए स्टैंड एलोन और प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र:	
(i)	1 केडब्ल्यूपी से अधिक (1 केडब्ल्यूपी से कम क्षमता के साथ, मामला दर मामला आधार पर)	225 प्रति डब्ल्यूपी
(ii)	10 केडब्ल्यूपी से अधिक, संवितरण लाइन के साथ	270 प्रति डब्ल्यूपी
4.	विशेष श्रेणी के राज्यों और संघ शासित द्वीपों में अविद्युतीकृत गांवों और विद्युतीकृत गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों में लाभार्थियों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सौर लालटेन	2400/- प्रति सौर लालटेन

II. सौर जल तापक

पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीप समूहों, जम्मू और कश्मीर, जहां उच्च दृश्यता के स्थानों पर संस्थापना हेतु पूंजीगत सब्सिडी की विशेष दरें उपलब्ध कराई जाती हैं, में सौर जल तापकों पर विशेष प्रदर्शन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूंजीगत सब्सिडी की दर प्रणाली की लागत के अधिकतम 50% के अध्यधीन संग्राहक क्षेत्र के प्रति वर्गमीटर 6000/- रु. हैं। जम्मू एवं कश्मीर तथा द्वीप समूहों के लिए यह दर 4000/- रु. प्रति वर्गमीटर है।

III. पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र

क्र. सं.	श्रेणी	विभिन्न पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता (रुपये)	
		1 घन मीटर	2-6 घन मीटर
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य एवं सिक्किम (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)	11,700/-	11,700/-
2.	असम के मैदानी क्षेत्र	9,000/-	9,000/-
3.	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल (तराई क्षेत्र को छोड़कर) तमिलनाडु का नीलगिरी, दार्जिलिंग जिले (पश्चिम बंगाल) के सदर कुसूंग और कलिंगपोंग सब-डिवीजन, सुंदरबन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3,500/-	4,500/-
4.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, रेगिस्तानी जिले, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, उत्तरांचल के तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अन्य अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र	2,800/-	3,500/-

[हिन्दी]

पर्यटन मानचित्र में धार्मिक स्थलों को शामिल करना

4693. श्री अशोक कुमार रावत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने पर्यटन मानचित्र में मदार साहेब तथा मकनपुर (उत्तर प्रदेश) के नीमसार पवित्र स्थलों सहित देश के धार्मिक स्थलों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उन्हें निम्न योजनाओं के अंतर्गत निधियां प्रदान करता है:-

1. गंतव्यों एवं परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास।
2. वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता।

3. कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी।

4. मेले, उत्सव एवं कार्यक्रम।

5. ग्रामीण पर्यटन-सेवा प्रदाताओं हेतु अवसंरचना और क्षमता निर्माण।

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है तथा निधियों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान, धार्मिक पर्यटन सहित देश में पर्यटन के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वीकृत की गई निधियों और स्वीकृत की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं और स्वीकृत की गई राशि

(लाखों रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16	12610.06

1	2	3	4
2.	असम	9	3379.51
3.	अरुणाचल प्रदेश	23	6477.32
4.	बिहार	12	2993.20
5.	छत्तीसगढ़	5	2407.91
6.	गोवा	2	4314.91
7.	गुजरात	12	2710.24
8.	हरियाणा	18	4755.76
9.	हिमाचल प्रदेश	21	5263.88
10.	जम्मू और कश्मीर	61	10678.72
11.	झारखंड	7	1130.47
12.	कर्नाटक	9	6277.92
13.	केरल	22	7393.83
14.	मध्य प्रदेश	27	7093.77
15.	महाराष्ट्र	8	5389.49
16.	मणिपुर	14	4054.61
17.	मेघालय	8	1912.94
18.	मिजोरम	9	2011.32
19.	नागालैंड	32	4786.01
20.	उड़ीसा	18	6491.68
21.	पंजाब	4	2365.99
22.	राजस्थान	10	5744.02
23.	सिक्किम	50	13112.86
24.	तमिलनाडु	28	6427.52
25.	त्रिपुरा	17	1471.70
26.	उत्तराखण्ड	8	6549.76

1	2	3	4
27.	उत्तर प्रदेश	13	6672.67
28.	पश्चिम बंगाल	21	6562.50
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
30.	चंडीगढ़	7	819.11
31.	दादरा एवं नागर हवेली	3	24.88
32.	दिल्ली	8	764.08
33.	दमन व दीव	1	12.50
34.	लक्षद्वीप	1	782.73
35.	पुदुचेरी	10	1863.68
कुल		514	155307.55

[अनुवाद]

म्युचुअल फंडों में एलआईसी हिस्सेदारी

4694. श्री टी.आर. बालू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का एलआईसी म्युचुअल फंड में अपनी हिस्सेदारी 50% से कम करने तथा एक जापानी वित्तीय सेवा कंपनी के पक्ष में अपना प्रबंधन नियंत्रण छोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है एलआईसी म्युचुअल फंड में इस समय उसकी धारित पूंजी 49.50% है। मैसर्स नोमुरा आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में एलआईसी म्युचुअल फंड में 35% का अल्पांश स्टैक कम करने का प्रस्ताव है। मैसर्स नोमुरा आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. के पक्ष में अंश स्वामित्व कम करने का यह कार्य जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. तथा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. द्वारा किया जाएगा। अंश स्वामित्व कम करने के बाद एलआईसी समूह (एलआईसी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.) की एलआईसी म्युचुअल फंड में धारित पूंजी 65% होगी तथा प्रबंधन नियंत्रण एलआईसी के पास ही बना रहेगा।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

4695. श्री पी.टी. थॉमस : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) क्या उक्त ब्यूरो संस्थाओं तथा व्यक्तियों को तकनीकी तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या ब्यूरो केरल में किसी गतिविधि में संलग्न है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ब्यूरो उन संस्थाओं तथा व्यक्तियों को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है जो हरित भवनों को निर्माण करना चाहते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) भारत सरकार ने, भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा संबंधी गंभीरता को कम करने के मूल उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र फ्रेम वर्क के अंदर-अंदर, आत्म-नियंत्रण तथा बाजार सिद्धांतों पर बल देते हुए नीतियां तथा कार्यनीतियां बनाने में सहायता देने के लिए ऊर्जा संरक्षण, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना की।

(ख) ब्यूरो राज्य विनिर्दिष्ट एजेंसियों, नगर पालिकाओं, लघु एवं मध्यम उद्यमों, भवन संबंधी सरकारी कार्यालयों को तथा विद्युत वितरण कंपनियों को ऊर्जा दक्षता उपायों के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तथा आयोजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। ब्यूरो व्यक्तियों को कोई सहायता प्रदान नहीं कर रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल में, एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर (ई.एम.सी.) केरल राज्य में ऊर्जा संरक्षण संबंधी कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु राज्य नोडल एजेंसी है। ब्यूरो ने ईएमसी को आई.टी. अवसंरचना के सृजन, ऊर्जा प्रबंधकों/ऊर्जा लेखा परीक्षकों तथा विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए डाटाबेस के सृजन? कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया/प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करने इत्यादि के लिए सहायता दी है।

(ङ) और (च) ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुरूप

भवन डिजाइन तैयार करने में सरकारी एजेंसियों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। सहायता बीईई द्वारा सूचीबद्ध विशेषज्ञ वास्तुकारों की सेवाएं प्रदान करने के रूप में की जाती है। ब्यूरो व्यक्तियों कि कोई सहायता प्रदान नहीं कर रहा है।

म्यूचुअल फंड के निवेशक

4696. श्री बलीराम जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यूचुअल फंडों के निवेशकों पर गत दो वर्षों के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अध्यधीन होते हैं तथा उनके प्रतिफल के संबंध में कोई निश्चितता नहीं होती। समग्र बाजार दशाओं के समनुरूप, कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंडों के औसत प्रतिफल में कुछ कमी हुई है जो सांकेतिक हानियों में परिणामी हुई है। वर्तमान सेबी विनियमों के अनुसार म्यूचुअल फंडों द्वारा किए गए प्रकटन निवेशकों को जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं। सरकार ने एक सुरक्षित, पारदर्शी तथा कुशल बाजार का संवर्धन करने तथा बाजार अखंडता का संरक्षण करने के लिए प्रणालियां तथा पद्धतियां तैयार की हैं।

[हिन्दी]

बोकारो ताप विद्युत संयंत्र

4697. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो ताप विद्युत संयंत्र में क्षमता योग हेतु किसी नई विद्युत का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को संयंत्र के निर्माण में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) 'ए'

में 500 मे.वा. की एक नई इकाई निर्मित की जा रही है। योजना के अंतर्गत इसके मुख्य संयंत्र के लिए इंजीनियरिंग, प्रापण तथा निर्माण (ईपीसी) का कार्य संविदा आधार पर, मै. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. को आदेश दिये गये हैं। चालू होने की लक्षित तिथि (सीओडी) दिसम्बर, 2011 है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय के सतर्कता स्कंध ने सूचित किया है कि बीटीपीएस "ए" में कार्यों को अवार्ड देने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मामला जांच के अधीन है।

[अनुवाद]

भारत में संपत्ति मूल्य

4698. श्री बिलास मुतेमवार : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सभी देशों में सम्पत्ति मूल्य वैश्विक रियल्टी बाजार में गिरावट के कारण नीचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस रुझान का भारत में संपत्ति मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान संपत्ति मूल्यों में किस सीमा तक गिरावट देखी गई;

(घ) क्या सरकार का विचार आवासीय फ्लैटों, विशेष रूप से सहकारी समूह आवास योजना के अंतर्गत बने फ्लैटों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को कम करने हेतु कुछ प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) जी, हां। विश्व भर में स्थावर संपदा बाजार में संपत्ति के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। राष्ट्रीय आवास बैंक के रिहायशी आवास मूल्य सूचकांक (एनएचबीआरईएसआईडीईएक्स) के अनुसार, सूचकांक में शामिल कुछ नगरों में संपत्ति मूल्यों में गिरावट देखी गई है। सूचकांक में शामिल 15 नगरों में से नौ नगरों नामतः हैदराबाद, पटना, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, पुणे, सूरत तथा कोची में रिहायशी संपत्तियों के मूल्यों में मामूली गिरावट दिखाई गई है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 तैयार की है जिसका उद्देश्य 'सभी के लिए किफायती

आवास' की व्यवस्था करना है जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा अल्प आय वर्ग (एलआईजी) की आवास जरूरतों को पूरा करने पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति में शहरी पर्यावास के सुस्थिर विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है ताकि समाज के सभी वर्गों के लिए किफायती मूल्यों पर भूमि, आवास तथा सेवाओं की समान आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

वर्ष 2005 में सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया जिसका उद्देश्य शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) के तहत 65 निर्धारित नगरों में तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अन्य नगरों व कस्बों में स्लमों के समग्र व एकीकृत विकास द्वारा शहरी निर्धनों के लिए अन्य प्रावधानों के साथ-साथ आवास व बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था करना है। अब तक सारे देश में शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) के अंतर्गत कुल 461 परियोजनाएं तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत 839 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनमें क्रमशः 9,93,523 तथा 4,61,887 रिहायशी इकाइयों का निर्माण/ उन्नयन शामिल है।

दिसंबर, 2008 में सरकार ने शहरी निर्धनों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) नामक एक नई योजना शुरू की जिसका उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्गों (एलआईजी) के लिए आवास ऋण किफायती बनाने तथा उनकी ऋण वापसी क्षमता में लाने के लिए ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत मकानों के निर्माण/अधिग्रहण के लिए व्यवसायिक बैंकों/आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के साथ 1 लाख रु. तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

ईडब्ल्यूएस आवास के लिए भूमि आबंटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से, 'भागीदारी में किफायती आवास' की एक अन्य योजना शुरू की गई जिसके तहत 80 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र तक के मकान उपलब्ध कराने वाली आवास परियोजनाओं के लिए, जिनमें कम से कम 25 प्रतिशत मकान ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए होंगे। अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने हेतु केन्द्र सरकार की सहायता उपलब्ध है।

जून, 2009 में सरकार ने स्लमों की समस्या का व्यापक समाधान करने का अपना निश्चय घोषित किया तथा शहरी क्षेत्रों में आवास हेतु राजीव आवास योजना (आरएवाई) की घोषणा की जहां सज्ज स्लमों में रहने वाले लोगों को संपत्ति अधिकार देने के इच्छुक हैं।

[हिन्दी]

जिप्सा पन-बिजली परियोजना

4699. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय जल आयोग ने जिप्सा पन-बिजली परियोजना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु 35 करोड़ रुपयों की राशि का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस विद्युत परियोजना को आरंभ करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (घ) केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के कार्मिकों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) एवं हिमाचल प्रदेश सरकार जिप्सा जल विद्युत भंडारण परियोजना, के अन्वेषण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच तथा तैयारी के विवरण तैयार करेगी तथापि निधियन का कार्य सीडब्ल्यूसी द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को इस आशय का और आगे यह संकेत दिया कि संयुक्त रूप से कार्य करना लागत प्रभावी और डीपीआर के अन्वेषण तथा तैयारी हेतु सीडब्ल्यूसी को स्वीकृत निधियों के अधीन होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) ने हालांकि सूचित किया है कि उसके विचार परियोजना की डीपीआर तैयार करने कुछ प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय परामर्शकों/फर्मों से जुड़े हैं। एचपीएसईबी ने आगे सूचित किया कि डीपीआर को तैयार करने के लिए कुल अनुमानित राशि (रु. 32.50 करोड़) एक किश्त में अपेक्षित नहीं होगी, लेकिन इसे चरण-बद्ध कर सी डब्ल्यू सी को प्रस्तुत किया जाएगा। यद्यपि, डीपीआर तैयार करने के लिए इसके वित्त-पोषण हेतु अपेक्षित स्रोत सी डब्ल्यू सी के पास उपलब्ध नहीं हैं। तब से इस परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण सिंचाई और पेय जल घटकों हेतु निधियन सी डब्ल्यू सी द्वारा किया जाना है।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के साथ विद्युत समझौता

4700. शेख सैदुल हक:

श्री हंसजराज गं. अहीर :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन हेतु पड़ोसी देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जुलाई, 2006 में, भारत एवं भूटान ने जल विद्युत में सहयोग के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए जिसमें यह सहमति हुई थी कि भारत 2020 तक भूटान में भारत को निर्यात की जाने वाली 5000 मेगावाट जल विद्युत का विकास करेगा। मार्च, 2009 में उक्त करार के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके इस लक्ष्य को औपचारिक रूप से संशोधित करके 10,000 मेगावाट किया गया, जिसमें परस्पर सहमति की परियोजनाओं में संयुक्त उद्यमों के माध्यमों से लेने की व्यवस्था भी की गई थी। जुलाई, 2007 में, भारत तथा भूटान ने अंतर-शासकीय प्राधिकरण मॉडल के तहत 1200 मेगावाट पुनर्तसंगचू-1 जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन करने के करार पर हस्ताक्षर किए।

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) ने, अरूण-III जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए नेपाल सरकार द्वारा आमंत्रित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के प्रति स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) के रूप में प्रतिभागिता की थी तथा उसे परियोजना आबंटित की गई। नेपाल में अरूण-III जल विद्युत परियोजना (402 मेगावाट) के निष्पादन के लिए 02 मार्च, 2008 को जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधित्व ने नेपाल सरकार तथा एसजेवीएनएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

'अम्बाजी' का विकास

4701. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात में 'अम्बाजी' के विकास हेतु गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2008-09 के दौरान 353.94 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता सहित गुजरात में "अम्बाजी" के गंतव्य विकास के लिए परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान की गई है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सशस्त्र गार्ड

4702. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :

श्री यशवंत सिन्हा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों/शाखाओं के पास पर्याप्त सशस्त्र गार्ड नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों/शाखाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी बैंक शाखाओं की पुनरीक्षा करने का है जो कम जोखिम वाली श्रेणीकृत की गई हैं तथा जिनमें कोई सशस्त्र गार्ड नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि असुरक्षित समझी जानी वाली 26379 बैंक शाखाओं में से 19450 शाखाओं में सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराये गए हैं, 2012 शाखाओं में सशस्त्र रहित गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। शेष 4916 शाखाओं में कोई गार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। असुरक्षित समझी जानी वाली लगभग 81% शाखाओं में गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) और (घ) बैंक शाखाओं में सुरक्षा प्रबंध मुख्य रूप से प्रत्येक बैंक की जिम्मेदारी है। प्रत्येक शाखा में सुरक्षा कार्मिकों की संख्या प्रचलित कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी खतरे क्षेत्र विशेष की समस्याओं, शाखा की असुरक्षा आदि पर निर्भर करता है। जहां तक करेंसी चेस्ट वाली शाखाओं का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक ने आवश्यक पूर्ति रखी है कि सशस्त्र पुलिस गार्डों को नियोजित किया जाए। अन्य शाखाओं, एटीएम आदि पर बैंक अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से स्वयं की व्यवस्था कर सकते हैं। तथापि, बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा शुरू किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:-

(i) भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था संबंधी परिपत्र जारी करता है, जिनमें उन्हें अधिक सतर्क रहने, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा अपनी शाखाओं में लूटपाट/डकैती के विरुद्ध रोकथाम संबंधी कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

(ii) भारतीय बैंक संघ ने बैंक-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु जुलाई, 2004 में बैंकों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर मार्गनिर्देश परिचालित किए थे।

(iii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रियान्वित सुरक्षा संबंधी उपायों की सभी राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा आवधिक रूप से की जानी वाली राज्य स्तरीय सुरक्षा समितियों में समीक्षा की जाती है। इन बैठकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित बैंकर एवं राज्य सरकार के अधिकारी भाग लेते हैं। समिति राज्य में सुरक्षा माहौल की समीक्षा करती है, बैंकों में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार-विमर्श करती है तथा बैंकों को अपेक्षित मार्ग-निर्देश/अनुदेश जारी करती है।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 2007 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों के प्रमुख सभी क्षेत्रीय निदेशकों को सलाह दी है कि उन्हें सभी बैंक शाखाओं में क्लोज्ड सर्किट टी.वी. उपलब्ध कराने के संबंध में चालू स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए और साथ ही वहनीय आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करके सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के मुद्दे की जांच करनी चाहिए।

अर्थव्यवस्थाओं की वीक रिकवरी

4703. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री मधु गौड यास्खी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का इस वर्ष तीव्र मंदी से आगामी वर्ष वीक रिकवरी का सामना करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) आर्थिक समीक्षा 2008-09 के अनुसार, राजकोषीय वर्ष 2009-10 में, सामान्य मॉनसून का अनुमान लगाते हुए, उपादान लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7.0 ± 0.75 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होने की संभावना है। दो साधारण तिमाहियों के बाद दो अच्छी तिमाहियों के चलते "यू" आकार के विकास पथ के पुनरुद्धार की संभावना है।

(ग) विकास की सतत रफ्तार बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में व्यय के स्तरों को बढ़ाने और शुल्क कटौतियों के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने जैसे अल्पावधि उपाय

शामिल हैं। 2009-10 के बजट में अन्य बातों के साथ-साथ अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, कृषि का विकास करने और अल्पावधिक घाटों को पूरा करने में मदद करने हेतु निर्यातकों को सहायता देने जैसे उपायों की सार्थकता का उल्लेख किया गया है। केन्द्र सरकार ने 2008-09 के बजट अनुमानों की तुलना में 2009-10 के बजटीय आबंटन में आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय में क्रमशः 34 प्रतिशत और 37 प्रतिशत की वृद्धि की है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक के दल द्वारा दौरा किए गए गांव

4704. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दल ने हाल में भारत में शुरू की गई परियोजनाओं के स्थानों का दौरा किया, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर परियोजनावार तथा राज्यवार उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) इस समय, भारत में विश्व बैंक पोषित 63 परियोजनाएं चल रही हैं। ये परियोजनाएं केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं और कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विश्व बैंक परियोजना दल प्रत्येक 6 महीने में सभी चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहायता मिशन आयोजित करते हैं। भारत सरकार के अनुमोदन से आयोजित ये मिशन केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर संबंधित परियोजना अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करते हैं और कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों और परियोजना लाभभागियों के साथ बैठकें करने के लिए परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं। मिशनों के दौरों की समाप्ति पर इन बैठकों और विचार-विमर्शों के निष्कर्षों पर ब्यौरेवार रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं।

विश्व बैंक से इन रिपोर्टों की प्राप्ति पर, यदि विश्व बैंक ने किसी मुद्दे को संकेतित किया हो तो, सरकार उस पर जरूरी कार्रवाई करती है।

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बैंकों द्वारा ऋण

4705. श्री राधापति सांबासिवा राव : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा दिलाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) :

(क) से (ग) जी, हां। तथापि प्राथमिकता क्षेत्र, जो इस समय समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 40% है, पहले ही कृषि से परिपूर्ण है जो लगभग 45% भाग लिए हुए है और शेष 55% भाग हाउसिंग, माइक्रो, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई), खुदरा और अन्य क्षेत्रों द्वारा शेयर किया गया है। इस स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं सामान्यतया पूंजी गहन हैं, ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता आधार पर ऋण देने के लिए कम गुंजाइश रह जाती है।

पक्षी अभयारण्य का विकास

4706. डॉ. रतन सिंह अजनाला : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरि केय पक्षी अभयारण्य सहित देश के पक्षी अभयारण्यों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कोई कदम उठाया है/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) पर्यटन के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पक्षी अभयारण्य सहित पर्यटक गंतव्यों/परिपथों पर अवसंरचना के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटक स्थल के रूप में हरि केय पक्षी अभयारण्य का विकास करने हेतु ऐसा कोई परियोजना प्रस्ताव पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात् 2007-08 और 2008-09 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (प्रथम दो वर्षों) के दौरान स्वीकृत की पर्यटन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16	12610.06
2.	असम	9	3379.51
3.	अरुणाचल प्रदेश	23	6477.32
4.	बिहार	12	2993.20
5.	छत्तीसगढ़	5	2407.91
6.	गोवा	2	4314.91
7.	गुजरात	12	2710.24
8.	हरियाणा	18	4755.76
9.	हिमाचल प्रदेश	21	5263.88
10.	जम्मू और कश्मीर	61	10678.72
11.	झारखंड	7	1130.47
12.	कर्नाटक	9	6277.92
13.	केरल	22	7393.83
14.	मध्य प्रदेश	27	7093.77
15.	महाराष्ट्र	8	5389.49
16.	मणिपुर	14	4054.61
17.	मेघालय	8	1912.94
18.	मिजोरम	9	2011.32
19.	नागालैंड	32	4786.01

1	2	3	4
20.	उड़ीसा	18	6491.68
21.	पंजाब	4	2365.99
22.	राजस्थान	10	5744.02
23.	सिक्किम	50	13112.86
24.	तमिलनाडु	28	6427.52
25.	त्रिपुरा	17	1471.70
26.	उत्तराखण्ड	8	6549.76
27.	उत्तर प्रदेश	13	6672.67
28.	पश्चिम बंगाल	21	6562.50
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
30.	चंडीगढ़	7	819.11
31.	दादरा व नागर हवेली	3	24.88
32.	दिल्ली	8	764.08
33.	दमन व दीव	1	12.50
34.	लक्षद्वीप	1	782.73
35.	पुडुचेरी	10	1863.68
कुल		514	155307.55

पोर्टफोलियो में निवेश का सत्यापन

4707. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार निवेशकों को पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना में अपने निवेशों का सत्यापन करने की अनुमति प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) सेबी (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियमों में यह निर्धारित किया गया है कि मई, 2009 तक क्लायंटों की प्रतिभूतियां अलग डीमैट खातों में धारित की जानी हैं। तदनुसार, क्यायंटों की प्रतिभूतियों को पृथक डीमैट खातों में धारित किया जाता है तथा क्लायंट अपनी धारिताओं और पोर्टफोलियो में अपने निवेशों का सत्यापन कर सकते हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

4708. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने संबंधी गोवा सहित राज्य सरकारों के कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) से (ग) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का कार्य राज्य सरकारों के अनुमोदन के अंतर्गत आता है और इसके लिए केन्द्र सरकार की पूर्व तकनीकी-आर्थिक अनापत्ति/अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों/पदनामित राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से नियमित आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। कभी-कभी ये प्रस्ताव अपूर्ण होते हैं अथवा स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं होते हैं। पूर्ण प्रस्तावों पर स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है और बजट प्रावधानों के अध्वधीन तुरंत अनुमोदन किया जाता है।

आदिवासी उपयोजना

4709. श्री आर. धुवनारायण :

श्री भक्त चरण दास :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा सहित देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत आबंटित तथा उपयोग की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत उचित ढंग से धनराशि आबंटित करने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के आदिवासी क्षेत्रों में किस सीमा तक संचार प्रणाली स्थापित की गई है;

(ङ) क्या सरकार को आदिवासी उपयोजना के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) उन राज्यों का मेरिटवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने आदिवासी उपयोजना के कार्यान्वयन में सबसे अच्छा कार्य-निष्पादन किया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) :

(क) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात्, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान उड़ीसा सहित देश में अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए जनजातीय उपयोजना के अधीन आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान आबंटित और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) योजना आयोग ने जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के निरूपण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं और मंत्रालय भी इस संबंध में राज्य सरकारों से लगातार संपर्क करता रहता है।

(ङ) सरकार को जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वार्षिक योजना 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का % (2001 जनगणना)	वार्षिक योजना 2006-07				वार्षिक योजना 2007-08				वार्षिक योजना 2008-09	
			कुल सम्मत परिव्यय		किया गया आबंटन		कुल सम्मत परिव्यय		किया गया आबंटन		कुल सम्मत परिव्यय	
					टीएसपी	%			टीएसपी	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	आंध्र प्रदेश	6.60	20000.00	1168.00	5.84	30500.00	2454.83	8.05	44000.00	3331.96	7.57	
2.	असम	12.40	3798.00	31.61	0.83	3800.00	33.58	0.88	5011.51	621.33	12.40	
3.	बिहार	0.90	8250.00	74.34	0.90	10200.00	93.94	0.92	13000.00	117.00	0.90	
4.	छत्तीसगढ़	32.40	5378.00	2084.56	38.76	7431.72	870.99	11.72	9600.00	3052.80	31.80	
5.	गोवा	12.10	1200.00	89.50	7.46	1430.00	0.00	0.00	1737.65	212.00	12.20	
6.	गुजरात	14.80	12503.50	1850.26	14.80	16000.00	2361.60	14.76	21000.00	255.00	1.21	
7.	हिमाचल प्रदेश	5.60	1800.00	159.84	8.88	2100.00	189.00	9.00	2400.00	96.00	4.00	
8.	जम्मू व कश्मीर	10.90	4347.67	381.50	8.77	4850.00	11.97	0.25	4500.00	20.00	0.44	
9.	झारखंड	26.30	6500.00	3811.29	58.64	6676.00	729.96	10.93	8015.00	4082.39	50.93	
10.	कर्नाटक	6.60	16166.00	482.17	2.98	17782.58	11.61	0.07	26188.83	1263.90	4.83	
11.	केरल	1.10	6210.00	120.05	1.93	6950.00	139.00	2.00	7700.00	84.70	1.10	
12.	मध्य प्रदेश	20.30	9020.00	2857.74	20.60	12011.00	1832.60	15.26	14182.61	2879.00	20.30	
13.	महाराष्ट्र	8.90	14829.00	1389.00	9.37	20200.00	1798.00	8.90	21577.86	1920.43	8.90	
14.	मणिपुर	34.20	1160.00	489.87	42.23	1374.31	592.61	43.12	1660.00	567.72	34.20	
15.	उड़ीसा	22.10	3500.00	1000.00	28.57	5105.00	1257.00	24.62	7500.00	1699.73	22.66	
16.	राजस्थान	12.60	8501.42	1066.33	12.54	11638.86	1431.17	12.30	13879.00	1748.75	12.60	
17.	सिक्किम	20.60	550.00	64.88	11.80	691.14	135.16	19.56	852.00	83.62	9.81	
18.	तमिलनाडु	1.00	12500.00	27.52	0.22	14000.00	3185.05	22.75	16000.00	160.00	1.00	
19.	त्रिपुरा	31.10	950.00	346.98	36.52	1220.00	408.05	33.48	1450.00	501.34	34.58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	उत्तर प्रदेश	3.00	19000.00	120.00	0.63	25000.00	लागू नहीं	—	35000.00	—	—
21.	उत्तराखंड	0.10	4000.00	43.00	1.08	4378.63	134.09	3.06	4775.00	143.25	3.00
22.	पश्चिम बंगाल	5.50	8024.36	595.32	7.42	9150.00	721.07	7.88	11602.38	638.13	5.50
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.30	1119.07	64.08	5.73	1154.83	86.34	7.48	829.19	2.68	0.32
24.	दमन व द्वीव								155.00	2.54	1.64
	अखिल भारत		149307.02	17317.84	11.60	213644.07	18478.07	8.65	272616.03	23484.27	8.61

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन हेतु निधियां

4710. श्री अर्जुन मुंडा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखण्ड राज्य सरकार ने राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु तेरहवें वित्त आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार से 18,100 करोड़ रुपये की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित निधियां स्वीकृत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) तेरहवें वित्त आयोग को दिए गए ज्ञापन में झारखंड राज्य सरकार ने भविष्य में राज्य की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए 18700 करोड़ रुपये की जरूरत का अनुमान लगाया है।

(ख) राज्य में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए झारखंड सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के समक्ष दिया गया निधियों की आवश्यकता का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

ब्यौरा	मे.वा	सरकारी वित्त पोषण (रु. करोड़ में)
1	2	3
उत्पादन	5000 1000	7200 (30% लागत का)

1	2	3
न्यूक्लियर	500	3000
हाइडल	500	
पारेषण	—	—
वितरण+आईटी	—	7500
गैर परंपरागत ऊर्जा	—	500
निधि संरक्षण	—	500
कुल	—	18700

(ग) और (घ) तेरहवां वित्त आयोग अन्य राज्यों के प्रस्तावों सहित इस प्रस्ताव पर निर्णय लेगा, जिसे दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2015 तक की आयोग की पांच वर्षीय अवधि की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाएगा।

संगम विकास प्राधिकरण

4711. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'प्रयागराज संगम' को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में शामिल करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संगम को एक सुन्दर एवं आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने हेतु संगम विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार उनसे प्राप्त, योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर, पर्यटन परियोजनाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

तिपाईमुख जलविद्युत परियोजना

4712. श्रीमती मेनका गांधी :

श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना अपने क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं से जूझ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांग्लादेश के एक शिष्टमंडल ने इस संबंध में भारत का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा परियोजना के पूरा होने की अनुमानित तिथि क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, बांग्लादेश सरकार ने मणिपुर में तिपाईमुख बांध परियोजना (1500 मेगावाट) के निर्माण के संबंध में चिंता जतायी और तिपाईमुख बांध की जानकारी देने का अनुरोध किया है। बराक नदी पर परियोजना के निर्माण के संबंध में बांग्लादेश में विरोध की गलत सूचना भी है। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ परियोजना पर सूचना का आदान-प्रदान किया है तथा बांग्लादेश को आमंत्रित भी किया है।

(ग) और (घ) बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष तथा पूर्व जल संसाधन मंत्री श्री मोहम्मद अब्दुर रज्जाक के नेतृत्व में बांग्लादेश के संसदीय शिष्ट मंडल, जिसमें, संसद

सदस्य, विशेषज्ञ तथा अधिकारी शामिल थे, ने भारत सरकार के आमंत्रण पर 29 जुलाई, 2009 से 01 अगस्त, 2009 तक भारत का दौरा किया। नई दिल्ली दौरे के दौरान, तिपाईमुख बांध परियोजना से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए, परियोजना के उन पारस्परिक लाभों को, जो भारत तथा बांग्लादेश, दोनों को होंगे, को उल्लिखित करने तथा परियोजना के विवरण आदान-प्रदान करने के लिए शिष्टमंडल के लिए प्रस्तुतीकरण दिया गया है।

(ङ) तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना को निर्माण हेतु अभी लिया जाना है। तकनीकी आर्थिक मंजूरी (टीईसी) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रदान की जा चुकी है तथा पर्यावरण संबंधी मंजूरी भी दी जा चुकी है। अब परियोजना का कार्यान्वयन एनएचपीसी लि. सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएनएल) तथा मणिपुर सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। संयुक्त उद्यम के विवरणों को अभी पूरा किया जाना है। परियोजना को निवेश संबंधी अनुमोदन की तिथि से 87 महीनों में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न

4713. श्री शरद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अप्रैल, 2007 में घोषणा की है कि विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न के संबंध में दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे दिशानिर्देश किस तिथि को जारी किए गए थे;

(ग) क्या ऐसे दिशानिर्देशों की घोषणा और इसके जारी किए जाने के बीच के समयांतर का उसी समय हुए विदेशी मुद्रा घोटाले के साथ कोई संबंध है;

(घ) यदि हां, तो दिशानिर्देशों के जारी किए जाने के पहले लम्बे समय का अंतर रखने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने दिनांक 20 अप्रैल, 2007 के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी 86/21.04.157/2006-07 के माध्यम से "व्युत्पन्न संबंधी व्यापक दिशानिर्देश" जारी किए हैं, जिनमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न के संबंध में दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

(ख) से (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाओं के संबंध में दिशानिर्देश मई, 2000 से विद्यमान हैं। अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचने के लिए निवासियों को उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं और लिखतें तथा विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न को शासित करने वाले नियम और विनियम 3 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 25/आरबी-2000 अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियम, 2000 में शामिल किए गए हैं।

इन दिशानिर्देशों को वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाता है और प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले कार्य दिवस को जारी 'जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक संव्यवहार' संबंधी मास्टर परिपत्र के रूप में परिचालित किया जाता है, जिसमें दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना फेमा 25/आरबी-2000 के तहत जारी सभी अनुदेशों और उनमें किए गए तदन्तर संशोधनों को समेकित किया जाता है। दिशानिर्देशों का ब्यौरा देने वाला मास्टर परिपत्र जुलाई, 2007 में जारी किया गया था और इसे प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। व्युत्पन्न उत्पादों के संबंध में नवीनतम दिशानिर्देशों को ब्यौरा पहली जुलाई, 2009 के जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक संव्यवहारों संबंधी मास्टर परिपत्र में दिया गया है।

(ङ) भारत में विदेशी विनियम व्युत्पन्न बाजार के कुशल कार्यकरण के लिए, जब और जैसे आवश्यक हो सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपाय किए जाते हैं।

दिल्ली में बाल गृह

4714. श्री वैजयंत पांडा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बाल गृहों का संचालन काफी खराब तरीके से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली से प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा घरेलू नौकरों के शोषण के मामले बढ़ रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली महिला आयोग से इस संबंध में कुछ दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

बाल उत्पीड़न

4715. श्री आनंदराव अडसुल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छह महीनों से बालकों के साथ हिंसा और उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा बच्चों हेतु चौबीस घंटे ऑनलाइन काउन्सलिंग सेवा शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र

4716. श्री सज्जन वर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) प्रमाणपत्र जारी करने हेतु एक एकसमान प्रक्रिया निर्धारित की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अपनायी जा रही प्रक्रियाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में एकसमान प्रक्रिया बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) :

(क) से (घ) जी हां। अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों को जारी करने

के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक समान रूप से जारी किए गए हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने/सत्यापन का अधिकार प्राप्त है। कुमारी माधुरी पाटिल तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जून, 2004 में पुनः उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दिया जो सामाजिक स्तर पर प्रमाणपत्रों को जारी करने, उनकी संवीक्षा तथा अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाते हैं।

बैंकों में घोटाले

4717. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय बैंकों में हुए घोटालों पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है तथा उन बैंकों के नाम क्या हैं जो इनमें शामिल हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों में कोई घोटाला उनके ध्यान में नहीं आया है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्थायी कृषि परियोजनाएं

4718. श्री मोहन जेना :

श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय आंध्र प्रदेश में किसी समुदाय प्रबंधित सतत कृषि परियोजनाओं की सहायता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसी परियोजनाओं के अंतर्गत क्या उपलब्धि हासिल की गयी है; और

(ग) पूरे देश में ऐसी परियोजनाओं को सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय आंध्र प्रदेश में किसी भी समुदाय प्रबंधित सतत कृषि परियोजना की सहायता नहीं कर रहा है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की स्थायी आजीविका के लिए ऋण सह-सब्सिडी कार्यक्रम है, का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के सामाजिक जागरण, उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए ग्रामीण निर्धनों का स्व-सहायता समूह बनाकर तथा कृषि क्षेत्र सहित किसी भी क्षेत्र में माइक्रो - इण्टरप्राइजेज शुरू करने वाली आय सर्जक परिसंपत्तियों की व्यवस्था करके निर्धारित समयावधि में आय का पर्याप्त स्थायी स्तर सुनिश्चित करते हुए सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। एसजीएसवाई में विशेष परियोजनाएं शुरू करने के लिए आबंटन का 15% अलग से रखने की भी व्यवस्था की गई है ताकि ऐसी नवीन पहलों की आजमाइश की जा सके जो बीपीएल परिवारों की विनिर्दिष्ट संख्या को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की दृष्टि से एक समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित कर सके।

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना

4719. श्री गजानन घ. बाबर : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत का प्रतिव्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किसी भी स्थिति में विकसित देशों की तुलना में अधिक नहीं होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) :

(क) और (ख) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में कहा गया है कि समानता के सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे वैश्विक दृष्टिकोण पर बल दिया जाना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान करता हो और इस पृथ्वी के प्रत्येक निवासी

को वैश्विक वातावरणिक संसाधन की समान हकदारी प्रदान करता हो। इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर एनएपीसीसी में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कभी भी, चाहे हम अपने विकास संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हों, विकसित देशों से अधिक नहीं होगा। भारत में मौजूदा प्रति व्यक्ति कार्बन-डाईऑक्साइड विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत अपने प्रदूषण उत्सर्जनों को विकास लक्ष्यों के साथ सुसंगत रखने हेतु सतत् विकास की नीति का अनुसरण करता है।

सह-उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ावा

4720. श्री के. सुगुमार : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रु. की लागत की सहकारी और सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में 234 मेगावाट क्षमता वाले सत्रह सह-उत्पादन (को-जेनरेशन) संयंत्र स्थापित करने और मिलों का आधुनिकीकरण करने हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) :

(क) और (ख) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) ने बनाओ, अपनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो (बीओओटी) आधार पर 234 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता वाली सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में 17 सहउत्पादन संयंत्रों की संस्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता की मांग करते हुए एक पत्र भेजा है।

(ग) मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों सहित चीनी मिलों में खाई सह-उत्पादन परियोजनाओं के संवर्धन को बढ़ावा दिया जाता है। तथापि, इस समय योजना में बीओओटी आधार पर संस्थापित ऐसे परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।

गरीबी उपमशन

4721. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों के दौरान देश में गरीबी घटने की दर विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में गरीबल उपमशन की दर को गति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) योजना आयोग ने सूचित किया है कि विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए 'वर्ष 2009 हेतु वैश्विक आर्थिक परिदृश्य' शीर्षक वाले दस्तावेज में उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि वर्ष 1990 से 2005 के दौरान भारत में गरीबी की दर कुछ क्षेत्रों से कम है और विश्व के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा है।

योजना आयोग के 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 'तीन और अधिक समग्र विकास की ओर' एप्रोच पेपर में भारत में गरीबी में कमी लाने के तुलनात्मक डाटा का प्रयोग करके यह टिप्पणी की गई है कि गरीबी में कमी लाने की दर प्रतिवर्ष केवल 0.8 प्रतिशत है जोकि गिरावट की सर्वाधिक श्रेष्ठ दर है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सबसे ज्यादा गरीब लोगों को नियोजित करने वाले कृषि क्षेत्र की विकास दर, पिछले दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर के समान ही है। गैर-कृषि सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की वृद्धि अत्यधिक रही है पर इस लाभ से कृषि के धीमे विकास की क्षतिपूर्ति नहीं होती। वस्तुतः वर्ष 1999-2005 के दौरान गरीबी में कमी की वजह खाद्यान्नों की कीमतों में न के बराबर वृद्धि होना है। यदि कृषि का विकास तीव्रता से हुआ होता तो अधिक बेहतर परिणाम होते।

(ग) शहरी क्षेत्रों में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार नामक योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, दिनांक 1.12.1997 से चलाया जा रहा है। स्कीम में शहरी बेरोजगारी और अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में प्रोत्साहन के जरिए तथा सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों को निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके लाभकारी रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया जाना है।

एस.जे.एस.आर.वाई. स्कीम को वर्ष 2009-10 से व्यापक स्तर पर संशोधित किया गया है।

संशोधित एस.जे.एस.आर.वाई. निम्नलिखित पांच प्रमुख घटक हैं:-

- (i) शहरी रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) - लघु उद्यम स्थापित करने हेतु वैयक्तिक शहरी गरीबों पर केन्द्रित।
- (ii) शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) - समूह उद्यम पर केन्द्रित करना और उन्हें थ्रिफ्ट और क्रेडिट कार्यकलापों हेतु सहायता मुहैया कराना।
- (iii) शहरी निर्धनों में रोजगार संवर्द्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) - गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शहरी

गरीबों पर ध्यान देना ताकि वे स्व-रोजगार अथवा बेहतर वेतन भोगी रोजगार के लिए अपनी नियोजन क्षमता को बढ़ा सकें।

- (iv) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) — शहरी गरीबों को, 5 लाख से कम जनसंख्या वाले कस्बों में, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्ति के निर्माण में अपने श्रम का उपयोग करने में सहायता मुहैया कराना।
- (v) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (यूसीडीएन) — शहरी गरीबों को समुदाय ढांचे के स्वयं-प्रबंधन करने में सहायता प्रदान करना ताकि वे गरीबी की मुश्किलों का सामना करने में सामूहिक रूप से मजबूत बन सकें और शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में भाग ले सकें।

इसके अलावा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) जैसी गरीबी उन्मूलन स्कीमों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

कृषि भूमि का उपयोग बदला जाना

4722. श्री महाबल मिश्रा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि भूमि को गैर-कृषि के रूप में बदलने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) सहित विभिन्न राज्यों के मुख्य नगर योजनाकार के कार्यालय को प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशेषकर राजस्थान में मुख्य नगर योजनाकारों (सी.टी.पी.) द्वारा काफी संख्या में ऐसे प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है/उनके पास लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलावा हरियाणा के 8 जिले, उत्तर प्रदेश के 5 जिले तथा राजस्थान का 1 जिला शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से प्राप्त सूचना इस प्रकार है:-

राजस्थान :

मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि 1 अप्रैल, 2008 से 31 जुलाई, 2009 तक कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तन करने के लिए कुल 194 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 15 जुलाई, 2009 तक प्राप्त सभी प्रस्तावों पर विचार किया गया है। कुल 17 प्रस्ताव अस्वीकार किए गए हैं। अस्वीकार किए जाने के कारण इस प्रकार हैं; (i) क्षेत्रीय योजना-2021 (आरपी-2021) के अनुसार प्रस्तावित स्थलों पर प्रस्तावित गतिविधियां स्वीकार्य नहीं हैं; (ii) नियंत्रित/विनियमित क्षेत्र में कृषि जोन में प्रस्तावित गतिविधियां स्वीकार्य नहीं हैं; (iii) क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल हरित क्षेत्र में आते हैं, (iv) प्रस्तावित भू-उपयोग लागू मास्टर प्लान के अनुसार नहीं है और भवन विनियमनों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है।

हरियाणा:

हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि निदेशक, नगर और ग्राम नियोजन, हरियाणा के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1999 से आज तक पंजाब सेडमूल्ड रोड्स एण्ड कंट्रोल्ड एरियाज रेट्रिक्शन ऑफ अन रेगुलेटिड डेवलपमेंट एक्ट, 1963 के उपबंधों के अंतर्गत कुल 3900 प्रस्ताव/आवेदनपत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 1281 मामलों में अनुमति दी गई है। भू-उपयोग परिवर्तन के लिए कुल 2619 प्रस्ताव लंबित/अस्वीकार कर दिए गए हैं। हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों का विनियमन अधिनियम, 1975 के उपबंधों के अंतर्गत कुल 1887 प्रस्ताव/आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं तथा जिनमें से 650 मामलों में अनुमति दी गई है। अस्वीकार/वापिस किए गए/लंबित आवेदनपत्रों/प्रस्तावों की कुल संख्या 1237 है। मामले लंबित रहने के कारण ये हैं; (i) आवेदन की गई भूमि के स्वामित्व के संबंध में स्पष्टता की कमी; (ii) आवेदकों को भेजी गयी टिप्पणियों पर कार्रवाई न करने और (iii) यह मामला विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीन होने आदि।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार, कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने के लिए उन्हें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि गजियाबाद जिले में एक डेन्टल कालेज और एक इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण के

लिए वर्ष 2001 में 7.243 हेक्टेयर कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। मेरठ जिले में सामुदायिक सुविधाओं के विकास के लिए 2002 में 0.2262 हेक्टेयर कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है।

[हिन्दी]

निर्यातकों को प्रतिदाय

4723. श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री श्रीपाद येसो नाईक :

श्री प्रहलाद जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 90 प्रतिशत मामलों में निर्यातकों को निर्यात हेतु सेवाओं के प्रयोग पर उनके द्वारा भुगतान किए गए सेवा कर के संबंध में प्रतिदाय नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिदाय के स्थान पर सीधी छूट की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार अथवा इस संबंध में गठित समिति द्वारा क्या कदम उठाए जाने अथवा क्या निर्णय लिए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :

(क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मदेनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) यदि निर्यातक को अधिसूचना सं. 18/2009-एस टी दिनांक 7.7.2009 के तहत विपरीत प्रभार आधार पर सेवा कर देना होता है तो कर योग्य दो सेवाओं, नामशः 'सड़क द्वारा माल का परिवहन' और 'विदेशी एजेंटों को प्रदत्त कमीशन' को सेवा कर की वसूली से छूट दे दी गयी है।

अन्य कर योग्य सेवाओं के संदर्भ में, सरकार द्वारा एक नयी कारगर और विश्वसनीय प्रतिदाय योजना अधिसूचना सं. 17/2009-एस टी दिनांक 7.7.2009 के तहत अधिसूचित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय मरुभूमि पार्क

4724. श्री देवजी एम. पटेल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र को राष्ट्रीय मरुभूमि पार्क के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पार्क को विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, मरुभूमि पार्क सहित, किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित नहीं करता है। तथापि, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों के अंदर पड़ने वाले 3162 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय मरुभूमि पार्क के रूप में घोषित किया गया है।

(ग) इस पार्क का संरक्षण, मरुभूमि की जैव-विविधता को, उसके वर्तमान स्वरूप में बनाए रखने के लिए किया गया है।

[अनुवाद]

शारीरिक जांच परीक्षण

4725. श्री मधु गौड यास्वी :

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक विवाह समारोह में भाग लेने वाली कुछ लड़कियों को शारीरिक जांच परीक्षण करवाने के लिए मजबूर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) ये आरोप लगाए गए थे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला शहडोल में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के अवसर पर कुछ महिलाओं का कौमार्य परीक्षण किया गया।

(ग) मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने तीन-सदस्यीय समिति गठित की। जांच के पश्चात, समिति ने पाया

कि सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने वाली महिलाओं की गर्भधारण करने की स्थिति का पता लगाने के लिए उदर-पूर्व जांच की गई।

(घ) सरकार का राष्ट्रीय महिला आयोग को यह कहने का प्रस्ताव है कि वह अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को एक सलाह के रूप में भेजे।

सूचीबद्ध कंपनियों में शेयरधारिता

4726. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :

श्री चंद्रकांत खैरे :

श्री नित्यानंद प्रधान :

श्री देवजी एम. पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमोटर्स की भागीदारी एक कतिपय स्तर तक नीचे लायी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रमोटर्स की भागीदारी की गणना करने हेतु विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, संस्थागत निवेशकों और म्यूचुअल फंडों की भागीदारी को ध्यान में रखा जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) एक गहन तथा उत्साहशील द्वितीयक बाजार के लिए सार्वजनिक शेयर धारिता का स्तर पर्याप्त होना आवश्यक है तथा तदनुसार सार्वजनिक शेयरधारिता को बढ़ाकर पच्चीस प्रतिशत के स्तर पर लाने का सुझाव देते हुए वित्त मंत्रालय की वेबसाईट में एक संकल्पना दस्तावेज डाल गया है।

गैर-प्रवर्तक धारिता को सार्वजनिक शेयरधारिता माना जाता है जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, सांस्थानित निवेशक तथा म्यूचुअल फंड भी शामिल होंगे।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

4727. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर : क्या आवास और शहरी गरीबी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत महानगरों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने हेतु विभिन्न राज्यों को विशेष पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह विशेष पैकेज कब तक किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) स्कीम को 1 अप्रैल, 2009 से व्यापक स्तर पर संशोधित किया गया है।

संशोधित एस.जे.एस.आर.वाई. के निम्नलिखित पांच प्रमुख घटक हैं:-

- (i) शहरी रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) — लघु उद्यम स्थापित करने हेतु वैयक्तिक शहरी गरीबों पर केन्द्रित
- (ii) शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) — समूह उद्यम स्थापित करने हेतु शहरी गरीब महिला समूह पर केन्द्रित करना और उन्हें श्रिप्ट और क्रेडिट कार्यक्रमों हेतु सहायता मुहैया कराना।
- (iii) शहरी निर्धनों में रोजगार संवर्द्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) — गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शहरी गरीबों पर लक्षित ताकि वे स्व-रोजगार अथवा बेहतर वेतन भोगी रोजगार के लिए अपनी नियोजन क्षमता को बढ़ा सकें।
- (iv) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) — शहरी गरीबों को, 5 लाख से कम जनसंख्या वाले कस्बों में, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उपयोग सार्वजनिक परिसंपत्ति के निर्माण में अपने श्रम का उपयोग करने में सहायता मुहैया कराना।
- (v) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (यूसीडीएन) — शहरी गरीबों को स्वयं-प्रबंधित सामुदायिक समुदाय ढांचे में व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करना ताकि वे गरीबी से जुड़े मसलों को संबोधित करने और शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए सामूहिक शक्ति जुटा सकें।

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकरण

4728. श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण में क्या खाँमियाँ पाई गई हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):

(क) और (ख) संविधान का अनुच्छेद 243 छ, इन दो उद्देश्यों (I) अपने-अपने क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने, तथा (II) अपने-अपने क्षेत्रों में ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों सहित और जैसा कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित हो, की शक्तों के अधीन, पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किए गए विषयों के लिए आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अंतरण, यानी पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का प्रावधान करता है जिससे कि वे "स्व-सरकार की संस्थाओं" के तौर पर कार्य कर सकें। राज्य विधान के जरिए अंतरण को कार्यकारी आदेशों, निर्देशों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से विभिन्न स्तरों के पंचायतों को अंतरित कार्यों से संबंधित गतिविधियों के वास्तविक अंतरण में परिवर्तित करने की जरूरत है। शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के ऐसे अंतरण को निधियों व कर्मियों के संगत अंतरण द्वारा सुमेलित करने की जरूरत होगी जिसमें कि पंचायतें संविधान (73वें संशोधन) अधिनियम 1992 की मूल भावना के अनुरूप स्व-सरकार की संस्थाओं के तौर पर अपनी भूमिका निभा सकें। देश में पंचायती राज संस्थाएं विकास की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। एक ओर उन सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों जहां संविधान का भाग IX लागू होता है, में नियमित रूप से पंचायतों के चुनाव कराये गए हैं (झारखंड, जहां मामला विचाराधीन है, को छोड़ कर) वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में पंचायतों को कोषों, कार्यों व कर्मियों के अंतरण की स्थिति भिन्न-भिन्न है।

(ग) स्पष्ट प्रकार्यात्मक कार्यक्षेत्र की कमी, पर्याप्त संसाधनों के अभाव, खातों के अनुरक्षण के लिए यथोचित सहयोग समेत स्टॉफ की कमी के साथ-साथ पंचायतों के साथ कार्य कर रहे निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के क्षमता निर्माण की कमी स्थानीय स्व-सरकार की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने में पंचायतों की क्षमता में बाधक है। पंचायतें ज्यादातर निधियां केंद्रीय प्रायोजित, केन्द्र सेक्टर व राज्य सेक्टर स्कीमों के तहत प्राप्त करती हैं जो उन्हें एजेंसी व कार्यान्वयन भूमिका तक परिसीमित रखता है। नियोजन में उनकी भूमिका नगण्य है। अनेक विकास कार्यक्रमों को लागू करने एवं मानीटर करने में समांतर निकायों का अस्तित्व भी पंचायती राज संस्थाओं के कार्य-कलाप को प्रभावित करता है।

चूंकि पंचायती राज अनिवार्यतः एक राज्य विषय है, इसलिए मंत्रालय ने पंचायती राज को सशक्त बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंचायतें संविधान के भाग IX में परिकल्पित स्व-सरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य करें, राज्यों के साथ निकटता से कार्य किया है। जुलाई तथा दिसम्बर, 2004 के मध्य आयोजित हुए पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलनों के जरिए राज्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श से एक ऐसी सहमति बनी जिसमें प्रकाश, वित्त व कर्मियों के प्रभावकारी अंतरण, योजनाकरण, ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण, अ.जा./अ.ज.जा. व महिला के आरक्षण से संबंधित मुद्दे चुनाव, लेखा व लेखा-परीक्षा के अनुरक्षण, निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण एवं अन्य संबंधित मामलों पर ध्यान दिया गया है। इन मामलों की प्रगति की समीक्षा परामर्शों, समीक्षा बैठकों एवं राज्यों व पंचायतों के दौरों के जरिए की जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 243 ज की भावना के अनुरूप राज्य सरकारों से, उनकी समेकित निधि से पंचायतों को अबद्ध अनुदान उपलब्ध कराने तथा पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए पंचायत सेक्टर विण्डो बनाने हेतु नियमित रूप से आग्रह किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत क्षमता निर्माण घटक के माध्यम से पंचायतों के क्षमता निर्माण में राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करता है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम महत्वपूर्ण विकासात्मक अंतरालों को पाटने के लिए पंचायतों को प्रचुरता से अबद्ध अनुदान उपलब्ध कराता है। पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम (पी ई ए आई एस) पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों, कोषों व कर्मियों के अंतरण को बढ़ावा देकर पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने में राज्यों को प्रोत्साहित करती है एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कार के रूप में धनराशि दी जाती है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2006-07 में, पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पंचायतों की स्थिति की मध्यावधि समीक्षा की। इस प्रतिवेदन को नवम्बर, 2006 में संसद के पटल पर रखा गया तथा दिसम्बर, 2006 में लोक सभा में इस पर बहस हुई। वित्तीय वर्ष 2007-08 में, मंत्रालय ने, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद को राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों में पंचायती राज की स्थिति के स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य सौंपा। रिपोर्ट से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि पंचायतों के पास स्व-शासन की निकायों के तौर पर कार्य करने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त मानव व वित्तीय संसाधन के साथ स्पष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र होने चाहिए। रिपोर्ट के खंड-II में निर्वाचित पंचायतों वाले प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पंचायतों के चुनावों, पंचायतों को कार्यों के अंतरण, कर्मियों के अंतरण, पंचायती राज न्याय प्रक्रिया, पंचायत वित्त, लेखा परीक्षा, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी समर्थित ई-शासन, ग्राम सभा एवं सामाजिक लेखा-परीक्षा, महिलाओं के लिए आरक्षण, अ.जा./अ.ज.जा के लिए आरक्षण, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) जहां लागू हो, को लागू किया जाना, पंचायत के प्रत्येक स्तर द्वारा नियोजन एवं कार्यान्वयन, जिला योजना समितियों का गठन, समांतर निकाय एवं पंचायतों के वार्षिक रिपोर्ट के पहलुओं पर ब्यौरे वाले अध्याय हैं। इस रिपोर्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में आयोजित जिला व मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में 24 अप्रैल 2008 को जारी किया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ब्याज का भुगतान

4729. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को दैनंदिन आधार पर ब्याज का भुगतान करने की प्रणाली अपनाने का कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 24.04.2009 के अपने परिपत्र के जरिए परामर्श दिया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज के भुगतान की गणना 1 अप्रैल, 2010 से दैनिक उत्पाद आधार पर की जाएगी।

[हिन्दी]

सरकारी एवं निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं

4730. श्री राकेश सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में सरकारी एवं निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के क्रियान्वयन का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शुरू की गई परियोजनाओं की निगरानी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्रियान्वयन के लिए विचाराधीन योजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा ये परियोजनाएं कब शुरू होंगी; और

(ङ) इस कार्य का पूरा क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन का ब्यौरा वित्त मंत्रालय की वेबसाइट www.pppindiadatabase.com पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं की मानीटरिंग परियोजना को सौंपने पर सरकारी एजेंसी और प्राइवेट कंपनी के बीच निष्पादित संविदा/अनुदान करार के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(घ) सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी)/अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय के पास परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में संलग्न है। इन प्रस्तावों के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) जारी हो चुका है और बोली प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है। किसी परियोजना को अनुमोदन दिए जाने के बाद बोली प्रक्रिया पूरी होने में सामान्यतः 12-18 महीने का समय लगता है।

(ङ) सरकार ने कार्य का सही निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) उन पीपीपी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए जिनकी पूंजीगत लागत या आस्तियों का आधार मूल्य 250 करोड़ रुपए

(एनएचडीपी के लिए 500 करोड़ रुपए) से अधिक है, सचिव आर्थिक एवं कार्य विभाग की अध्यक्षता में पीपीपीएसी का गठन किया गया है।

- (ii) प्रावइंट सेक्टर की ऐसी कंपनी का चयन करने के लिए जो गुणवत्ता पूर्ण कार्य/सेवाओं की सुपुर्दगी देने में समर्थ होगी, पारदर्शी और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा पीपीपी परियोजनाओं के बोलीदाताओं की पूर्व-अर्हता के लिए अर्हता हेतु मॉडल अनुरोध (आरएफव्यू) और पीपीपी परियोजनाओं के लिए बोलीदाताओं से वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव हेतु मॉडल अनुरोध (आरएफपी) अधिसूचित किए गए हैं।
- (iii) प्रदान की गयी पीपीपी परियोजनाएं अनुदान करारों/संविदागत करारों के आधार पर संविदा द्वारा विनियमित होती हैं। जोर जबरदस्ती (फोर्स मेज्योर) और समापन के लिए जोखिम का उचित आबंटन और प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/योजना आयोग द्वारा मॉडल रियायत करार विकसित किए गए हैं। मॉडल रियायत करारों के माध्यम से एक सही नीति और विनियामक ढांचा विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (iv) गुणवत्तापूर्ण कार्य और सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए गलती, दण्ड और समापन का उचित प्रावधान करते हुए संविदा/अनुदान करार में निष्पादन पैरामीटर स्पष्ट रूप से विहित हैं।
- (v) राजमार्गों को दो/चार लेन वाला बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विनिर्देशन एवं मानक मैनुअल जारी किया गया है।

विवरण

पीपीपीएसी/अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की सूची

केन्द्रीय क्षेत्र सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश के अंतर्गत पीपीपीएसी की स्वीकृति

1. जम्मू-कश्मीर राज्य में बीओटी आधार (वार्षिकी) पर एनएच 1क के काजीगुंड से बनिहाल खंड को चार लेनों का बनाना।

2. जम्मू-कश्मीर राज्य में बीओटी आधार (वार्षिकी) पर एनएच 1क के रामवन से बनिहाल खंड को चार लेनों का बनाना।
3. जम्मू-कश्मीर राज्य में बीओटी आधार (वार्षिकी) पर एनएच 1क के उधमपुर से रामवन खंड को चार लेनों का बनाना।
4. जम्मू-कश्मीर राज्य में बीओटी आधार (वार्षिकी) पर एनएच 1क के चेतानी से नशरी खंड को चार लेनों का बनाना।
5. जम्मू-कश्मीर राज्य में बीओटी आधार (वार्षिकी) पर एनएच 1क के जम्मू-उधमपुर के चार लेनों वाले खंड का पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण।
6. बीओटी (टोल) आधार पर कर्नाटक में टुमकुर से चित्रदुर्ग तक एचएच 4 को छः लेनों का बनाना।
7. जम्मू-कश्मीर राज्य में बीओटी आधार (वार्षिकी) पर एनएच 1क श्रीनगर से बनिहाल खंड का नवीनीकरण।
8. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास पर 300 मीटर उत्तर की ओर के घाट की लंबाई सहित स्टैंड एलोन कंटेनर संचालन सुविधा का विकास।

अवसंरचना में (अर्थक्षमता अन्तर निधिकरण) सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता के लिए स्कीम

9. नांदेड-नरसी रोड को चार लेनों का बनाना और नरसी-डेगलोर से राज्य सीमा सड़क (एमएसएच 6) तक की दो लेन वाली सड़क का सुधार
10. शिरूर ताजबंद-मुखेड-नरसी रोड को दो लेन का बनाना और नरसी-बिलोली से राज्य सीमा सड़क (एसएच 225) को खड़जे उठाकर 2 लेन का बनाना।
11. अकोला-वाशिम-हिंगोली-वाराणाफट्टा एस एच 204 कि.मी. 4/600 को (मालेगांव एवं हिंगोली बाइपास सहित) चार लेनों का बनाना।
12. तेमभुर्नी-कुर्दुवाडी-बारशी-येदशी सड़क एचएच 77 कि.मी. 70/200 से 159/300 कि.मी. तक चार लेनों को बनाना।

लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु स्टॉफ एक्सचेंज

4731. श्री जगदम्बिका पाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु अलग स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना को मंजूरी नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड स्टॉक एक्सचेंजों को मान्य तथा विनियमित करता है। सेबी ने पृथक स्टॉक एक्सचेंजों की अथवा लघु तथा मध्यम उद्यमों को समर्पित विद्यमान स्टॉक एक्सचेंजों में एक मंच की स्थापना को सुकर बनाने का निर्णय किया है। इस का उद्देश्य लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए निम्नतर लागत पर इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराना है। सेबी ने लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों/स्टॉक एक्सचेंजों के मंचों की मान्यता तथा पर्यवेक्षण के लिए ढांचे पहले ही सार्वजनिक अधिक्षेत्र में डाल दिया है। इसके अनुसरण में, सेबी को आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

राजीव गांधी आवास योजना

4732. श्री संजय निरुपम :

श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या आवास और शहरी गरीब उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई सहित देश के शहरी क्षेत्रों में राजीव गांधी आवास योजना (आर.ए.वाई.) के अंतर्गत कितने मकानों का निर्माण किया जाना है;

(ख) इस योजना हेतु कितनी निधि का आबंटन किया गया है; और

(ग) इस योजना का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) मुम्बई सहित देश में शहरी क्षेत्रों में राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) के अंतर्गत निर्माण किए जाने वाले मकानों की संख्या तथा इस स्कीम को लागू करने का समय, संपत्ति का अधिकार देने के लिए राज्य विधान बनाने और स्कीम के पैरामीटरों पर निर्भर करेगा। चालू वर्ष के योजना आबंटन में 150 करोड़ रु. का सांकेतिक आबंटन किया गया है।

पेंशन एवं भविष्य निधि के लाभ

4733. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि "पेंशन लाभ" को "आस्थगित वेतन" माना जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को बिना "भुगतान की क्षमता" पर विचार किए बिना उद्योग-वार सेटलमेंट के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्टाफ के वेतन ढांचे में साम्य लाने का भी निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आईपीओ जारी करना

4734. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनियों ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) जारी करके पर्याप्त मात्रा में धनराशि जुटाई है तथा आईपीओ के विपणन के लिए स्टॉक ब्रोकिंग फर्मों को कमीशन का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये स्टॉक ब्रोकिंग फर्मों सेवा कर का भुगतान कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उनसे सेवा कर एकत्रित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इन प्रत्येक स्टॉक ब्रोकिंग फर्मों के ऊपर कितना सेवा कर देय है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क)

और (ख) खोले गए आईपीओ की संख्या और जुटाई गई धनराशि के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष-वार (01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक)	खोले गए आईपीओ की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
2006	74	24720.53
2007	101	33951.48
2008	37	18392.78

निर्गमकर्ता कंपनियां निर्गम संबंधी मर्चेट बैंकर्स को एक समेकित राशि अदा करती हैं तो बदले में सिंडीकेट सदस्यों को दलाली का भुगतान करते हैं।

(ग) से (च) स्टॉक ब्रोकिंग एक करयोग्य सेवा है और पिछले तीन वर्षों में स्टॉक ब्रोकरेज कमीशन से एकत्रित कुल सेवा कर के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	सेवा कर (करोड़ रुपए में)
2006-07	1029
2007-08	1555
2008-09	795

भूमि का कटाव

4735. श्री बदरुद्दीन अजमल :

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में भूमि के कटाव के कारण होने वाली भूमि की हानि संबंधी कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से भूमि के कटाव के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है तथा इस मामले में केन्द्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में विशेषकर पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के ईष्टतम उपयोग के संबंध में कोई नीति तैयार करने का है; ओर

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी) :

(क) से (च) जी, हां। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग आयोजना ब्यूरो (एन.बी.एस.एस. एण्ड एल.यू.पी.) — भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) — क्षेत्रीय केन्द्र, नागपुर द्वारा किए गए अध्ययन (2005) के अनुसार, देश के कुल 328.60 मि.है. भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 146.82 मि.है. क्षेत्र विभिन्न प्रकार के मृदा कटाव तथा भूमि अवक्रमण से प्रभावित है। 146.82 मि.है. के कुल अवक्रमित क्षेत्र में से 93.68 मि.है. क्षेत्र की मृदा का कटाव जल के कारण होता है, जो कुल अवक्रमित क्षेत्र का लगभग 630 है। बाढ़ के पानी के कारण मृदा कटाव सहित अवक्रमित भूमि का राज्य-वार और श्रेणी-वार क्षेत्रफल और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में इसकी प्रतिशतता को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में आई.सी.ए.आर. द्वारा कराए गए अध्ययनों के अनुसार मृदा कटाव की औसत दर 16.4 टन प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष है, जो 10.00 टन प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष की उचित सीमा से अधिक है। कुल अपरदित मिट्टी में से 61% एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है, लगभग 29% मिट्टी समुद्र के कारण स्थायी रूप से नष्ट हो जाती है और शेष 10% जलाशयों में जम जाती है।

मृदा कटाव तथा भूमि अवक्रमण को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विभिन्न वाटरशेड विकास कार्यक्रमों अर्थात् समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.), वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदी के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (आर.वी.पी. एण्ड एफ. पी.आर.), अम्लीय तथा क्षारीय भूमि को पुनः उपयोग-योग्य बनाना एवं विकसित करना (आर.ए.डी.ए.एस.) तथा देश में झूम खेती वाले क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजना डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.) का संचालन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जारी की जाती हैं।

संघ सरकार, भूमि के कटाव के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु किसी योजना का संचालन नहीं कर रही है। तथापि, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 तैयार की गई है। यह नीति भारत के राजपत्र में 31 अक्टूबर, 2007 को प्रकाशित की गई थी और इसमें स्थाई स्वरूप के अनैच्छिक विस्थापन संबंधी सभी मामले शामिल हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों

से नीति को लागू किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में, केन्द्र सरकार की भूमिका मात्र सलाहकारी और समन्वयकारी स्वरूप की ही है। इस समय देश में भूमि के इष्टतम उपयोग के संबंध में नीति तैयार करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

भारत में भूमि अवक्रमण के विभिन्न प्रकारों का राज्य-वार विस्तार (एन.बी.एस.एस. एण्ड एल.यू.पी. - आई.सी.ए.आर.-2005 के अनुसार 1:250,000 पैमाने पर)

(क्षेत्र हजार है. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जल से कटाव	वायु से कटाव	जल भराव	लवणीयता/क्षारीयता	मृदा अम्लीयता	जटिल समस्या	अवक्रमित क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	अवक्रमित क्षेत्र (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	11518	0	1896	517	905	156	14992	27505	54.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	2372	0	176	0	1955	0	4503	8374	53.8
3.	असम	688	0	37	0	612	876	2213	7844	28.2
4.	बिहार+झारखंड	3024	0	2001	229	1029	0	6283	17387	36.1
5.	गोवा	60	0	76	0	2	24	162	370	43.9
6.	गुजरात	5207	443	523	296	0	1666	8133	19602	41.5
7.	हरियाणा	315	536	146	256	0	214	1467	4421	33.2
8.	हिमाचल प्रदेश	2718	0	1303	0	157	0	4178	5567	75.0
9.	जम्मू और कश्मीर	5460	1360	200	0	0	0	7020	22224	31.6
10.	कर्नाटक	5810	0	941	110	58	712	7631	19179	39.8
11.	केरल	76	0	2098	0	138	296	2608	3886	67.1
12.	मध्य प्रदेश + छत्तीसगढ़	17883	0	359	46	6796	1126	26210	44345	59.1
13.	महाराष्ट्र	11179	0	0	1056	517	303	13055	30771	42.4
14.	मणिपुर	133	0	111	0	481	227	952	2233	42.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मिजोरम	137	0	0	0	1050	694	1881	2108	89.2
16.	मेघालय	137	0	7	0	1030	34	1208	2243	53.9
17.	नागालैंड	390	0	0	0	127	478	995	1658	60.0
18.	उड़ीसा	5028	0	681	75	263	75	6122	15571	39.3
19.	पंजाब	372	282	338	288	0	0	1280	5036	25.4
20.	राजस्थान	3137	6650	53	1418	0	110	11368	34224	33.2
21.	सिक्किम	158	0	0	0	76	0	234	710	33.0
22.	तमिलनाडु	4926	0	96	96	78	138	5334	13006	41.0
23.	त्रिपुरा	121	0	191	0	203	113	628	1049	59.9
24.	उत्तर प्रदेश + उत्तराखण्ड	11392	212	2350	1370	0	0	15324	29441	52.0
25.	पश्चिम बंगाल	1197	0	710	170	556	119	2752	8875	31.0
26.	दिल्ली	55	0	6	10	0	11	82	148	55.4
27.	संघ राज्य क्षेत्र	187	0	0	9	0	9	205	825	24.8
कुल योग		93680	9483	14299	5946	16033	7381	146820	328602	
कुल योग (मि.है.)		93.68	9.48	14.30	5.95	16.03	7.38	146.82	328.60	

स्रोत : राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग आयोजना ब्यूरो (एन.बी.एस.एस. एण्ड एल.यू.पी.)—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) का क्षेत्रीय केन्द्र, नागपुर, महाराष्ट्र।

[हिन्दी]

न्यू इंडिया इश्योरेन्स कंपनी

4736. श्री मिथिलेश कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू इंडिया इश्योरेन्स कंपनी ने वर्ष 2008-2009 के दौरान उत्तर प्रदेश के किसानों सहित बाढ़ से प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित धनराशि का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (घ) न्यू इंडिया इश्योरेन्स कंपनी लि. फसल बीमा के लिए कोई कवरेज प्रदान नहीं करती है। तथापि, कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसीएल) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) का क्रियान्वयन कर रही है और इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान खरीफ - 08 मौसम के लिए 597.97 लाख रु. की राशि उत्तर प्रदेश के 14 बाढ़ प्रभावित जिलों में पहले ही संवितरित कर दी गई है।

किसान क्रेडिट कार्ड

4737. श्री अशोक अर्गल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते समय बैंकों को किसी समस्या या कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ग) किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने में किसी समस्या अथवा कानूनी कठिनाई के बारे में बैंकों से सरकार को कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वास्तव में, 31 मई, 2009 तक 3,56,803 करोड़ रुपये की संस्वीकृति राशि सहित कुल 8,32,28,058 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए हैं।

लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं

4738. श्री महेश जोशी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान स्थापित लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों तथा उनकी क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान सहित देश में लिग्नाइट से विद्युत उत्पादन करने की काफी क्षमता है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित तथा चालू वर्ष में जुलाई, 2009 तक राजस्थान में केवल एक लिग्नाइट आधारित परियोजना अर्थात् गिराल टीपीपी चरण-I यूनिट-1/आरआरवीयूएनएल (125 मेगावाट) दिनांक 28.2.2009 को तुल्यकालिक की गई है।

(ख) और (ग) कोयला मंत्रालय की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयला एवं लिग्नाइट पर कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 1.4.2006 को देश में लिग्नाइट का कुल भू-गर्भीय भंडार राजस्थान राज्य के लगभग 4235 मिलियन टन को मिलाकर लगभग 38274 मिलियन टन था। दिनांक 1.4.2006 को लिग्नाइट भंडारों का राज्यवार ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:-

(मिलियन टन में)

राज्य	परीक्षित	सांकेतिक	अनुमानित	कुल
तमिलनाडु	2831.00	16953.54	11137.98	30922.52
राजस्थान	560.91	2620.60	1053.64	4235.35
गुजरात	785.27	259.40	1618.08	2662.75
पांडिचेरी	0	405.61	11.00	416.61
केरल	0	0	9.65	9.65
जम्मू और कश्मीर	0	20.25	7.30	27.55
कुल	4177.18	20259.40	13837.85	38274.43

(घ) भारत सरकार, संभाव्यता का पूर्ण दोहन करने के लिए लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लिग्नाइट आधारित निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम/संगठन/सेक्टर	राज्य	क्षमता (मे.वा.)	चालू होने की तारीख
1	2	3	4	5
11वीं योजना				
1.	नैवेली टीपीएस-II यूनिट-1 और 2, एनएलसी	तमिलनाडु	2×250	यू-1-05/10 यू-2-07/10

1	2	3	4	5
2.	बरसिंगसर लिग्नाइट टीपीपी यूनिट-1 और 2/एनएलसी/केन्द्रीय	राजस्थान	2×125	यू-1:10/09 यू-2:01/10
3.	गिराल टीपीपी चरण-II यू-2/आरआरवीयूएनएल/राज्य	राजस्थान	125	08/09
4.	जलीपा कपूरदी टीपीपी यू-1 से 8/राज वेस्ट पावर लि./निजी	राजस्थान	8×135	यू-1:08/09 यू-2:09/09 यू-3:11/09 यू-4:12/09 यू-5:02/10 यू-6:04/10 यू-7:05/10 यू-8:08/10
5.	कच्छ लिग्नाइट टीपीपी विस्तार यू-1/जीएसईसीएल/राज्य	गुजरात	75	08/09
6.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी विस्तार, फेज-II यूनिट-3 व 4/जीआईपीसीएल/राज्य	गुजरात	2×125	यू-3:12/109 यू-4:03/10

12वीं योजना

क्र. सं.	संयंत्र का नाम	राज्य	एजेंसी	अंतिम क्षमता (मेगावाट)
1.	नैवेली न्यू टीपीएस	तमिलनाडु	एनएलसी	1000
2.	बरसिंगसर विस्तार	राजस्थान	एनएलसी	250
3.	बिथनोक टीपीपी	राजस्थान	एनएलसी	250
4.	नैवेली टीपीएस-III विस्तार	तमिलनाडु	एनएलसी	1000
				2500

[अनुवाद]

पीएमजीएसवाई

4739. श्री कौशलेन्द्र कुमार :

श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जा रही सड़कों की मोटाई एवं चौड़ाई संबंधी

प्रावधान क्या हैं एवं किन मानदंडों के अंतर्गत राज्यों को निधियों का आबंटन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों सहित कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों की मोटाई और चौड़ाई भारतीय सड़क संगठन (आईआरसी) की प्रक्रिया संहिता द्वारा नियंत्रित होती है। आईआरसी एसपी 72 में अस्थायी खड्डों (कोलतार वाली सड़कों) के लिए सड़कों की चौड़ाई और मोटाई की डिजाइन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं और आईआरसी एसपी 62 में ठोस खड्डों (सीमेंट — कंक्रीट से बनी सड़कों) की डिजाइन के लिए मार्गदर्शन दिए गए हैं। खड्डों की मोटाई अगले 10 वर्षों के लिए अनुमानित अपेक्षित यातायात और निचली परत बनाने के लिए उपयोग में लाई गई मिट्टी की दृढ़ता पर निर्भर करती है। सामान्यतः नाली की चौड़ाई 3.00 मीटर होती है यदि अपेक्षित वार्षिक औसत दैनिक यातायात (एएडीटी) 100 मोटरयुक्त वाहनों से कम है। 100 अथवा इससे अधिक वाहनों की वार्षिक औसत दैनिक यातायात वाली सड़कों के लिए नाली की चौड़ाई 3.75 मीटर है।

मंत्रालय द्वारा राज्यों को निधियां योजना के अंतर्गत उपलब्ध बजटीय प्रावधानों, राज्यों की उपयोग क्षमता और राज्यों के निष्पादन के आधार पर जारी की जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ड) और (च) उपयुक्त भाग (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

बिल्डरों से संबंधित आयकर संशोधन

4740. श्री के. सुधाकरण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की आवास परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण से संबंधित धारा में संशोधन करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस धारा के संशोधन के परिणामस्वरूप लाभान्वित होने वाले संभावित बिल्डरों/डेवलपर्स की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इससे सरकार द्वारा राजस्व में होने वाली हानि या लाभ का अनुमान लगाया गया है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2009 द्वारा आवासीय परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ ख की उपधारा (10) को संशोधित किया गया है ताकि आवासीय क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय राजस्व क्षति का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

बीच पर्यटन

4741. श्री निशिकांत दुबे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के समुद्र तटों के विश्व स्तरीय रैंकिंग आर्डर की सूचना है तथा देश के कौन से समुद्र तट इनमें ऊंचे रैंक पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुद्रतटीय पर्यटन के विकास के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों सहित देश के समुद्र तटों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया या उठाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तथा समुद्रतट-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु अब तक किन समुद्रतटों का विकास एवं पहचान की गई है तथा कितनी निधियां आबंटित एवं उपयोग की गई हैं;

(ड) पहले से ही स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने समुद्र तटों की रैंकिंग के संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ग) से (च) पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय की गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत समुद्रतटों सहित, पर्यटक गंतव्यों/परिपथों के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई पर्यटन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय स्थल दौरो और समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनिटर करता है।

विवरण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (प्रथम दो वर्षों) के दौरान स्वीकृत की गई पर्यटन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16	12610.06
2.	असम	9	3379.51
3.	अरुणाचल प्रदेश	23	6477.32
4.	बिहार	12	2993.20
5.	छत्तीसगढ़	5	2407.91
6.	गोवा	2	4314.91
7.	गुजरात	12	2710.24

1	2	3	4
8.	हरियाणा	18	4755.76
9.	हिमाचल प्रदेश	21	5263.88
10.	जम्मू और कश्मीर	61	10678.72
11.	झारखंड	7	1130.47
12.	कर्नाटक	9	6277.92
13.	केरल	22	7393.83
14.	मध्य प्रदेश	27	7093.77
15.	महाराष्ट्र	8	5389.49
16.	मणिपुर	14	4054.61
17.	मेघालय	8	1912.94
18.	मिजोरम	9	2011.32
19.	नागालैंड	32	4786.01
20.	उड़ीसा	18	6491.68
21.	पंजाब	4	2365.99
22.	राजस्थान	10	5477.02
23.	सिक्किम	50	13112.86
24.	तमिलनाडु	28	6427.52
25.	त्रिपुरा	17	1471.70
26.	उत्तराखण्ड	8	6549.76
27.	उत्तर प्रदेश	13	6672.67
28.	पश्चिम बंगाल	21	6562.50
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
30.	चंडीगढ़	7	819.11
31.	दादरा व नगर हवेली	3	24.88

1	2	3	4
32.	दमन व दीव	8	764.08
33.	दिल्ली	1	12.50
34.	लक्षद्वीप	1	782.73
35.	पुडुचेरी	10	1863.68
कुल		514	155307.55

आरजीजीवीवाई

4742. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सहित कतिपय राज्य सरकारों ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) में कोई परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। हरियाणा राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) में निम्नलिखित संशोधन करने का सुझाव दिया है:-

"हरियाणा में संस्वीकृत की गई स्कीमों में चूंकि कोई भी गैर-विद्युतीकरण आबादी आरजीजीवीवाई की परिभाषा में नहीं आती है, अतः गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का कोई संघटक नहीं है। यह सत्य है कि हरियाणा के अनेक जिलों में काफी बड़ी मात्रा में घरों के समूह (ढानियां) हैं, जो अभी भी अविद्युतीकृत हैं, अतः यह प्रस्तावित है कि हम भारत सरकार से, जनसंख्या की सीमा घटाकर 25 व्यक्ति प्रति आबादी करने के लिए अनुरोध करें। हमारा अनुरोध है कि आरजीजीवीवाई के दिशानिर्देशों में तदनुसार संशोधन किया जाए तथा हमें अपनी डीपीआर को संशोधित करने की अनुमति दी जाए।"

(ग) राज्य ने आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए आरजीजीवीवाई के पात्रता मानदंडों के अंतर्गत 100 से कम 25 तक की आबादी वाली छोटी ढानियों को शामिल करने का अनुरोध किया है।

आरजीजीवीवाई के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत, 100 से अधिक जनसंख्या वाली ढानियां विद्युतीकरण के लिए पात्र हैं। 10वीं योजना के दौरान, ये प्रावधान 300 से अधिक की जनसंख्या वाली ढानियों के लिए तथा विभिन्न राज्यों के अनुरोधों पर विचार करते हुए, 11वीं योजना की आरजीजीवीवाई के अंतर्गत यह सीमा घटाकर 100 की दी गई है।

छोटी ढानियां प्रायः गांवों/बड़ी ढानियों के किनारे पर होती हैं। राज्य सरकारों को भी आगे आना चाहिए तथा मौजूदा आजीजीवीवाई अवसंरचनाओं को लघुतर ढानियों तक बढ़ाना चाहिए ताकि इन ढानियों में विद्युत उपलब्ध कराई जा सके। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 6 के तहत, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि गांवों तथा पुरवों सहित सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति हो।

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण के अंतर्गत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से 100 से कम जनसंख्या वाले आवासीय क्षेत्रों को विद्युत प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है।

भारत सरकार राजस्व ग्रामों तथा 100 तक की जनसंख्या वाली ढानियों तक मुख्य अवसंरचना उपलब्ध करवा रही है।

विदेशी मुद्रा भंडार

4743. श्री प्रदीप माझी :

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह माह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में स्तर के उतार-चढ़ाव आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विदेशी मुद्रा भंडार को उचित स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ग) जनवरी, 2009 से जुलाई, 2009 तक विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति नीचे दिखाई गई है:-

क्र. सं.	माह-अंत	विदेशी मुद्रा भण्डार (बिलियन अमरीकी डालर)
1	2	3
1.	जनवरी, 2009	248.61

1	2	3
2.	फरवरी, 2009	249.28
3.	मार्च, 2009	251.74
4.	अप्रैल, 2009	251.70
5.	मई, 2009	262.31
6.	जून, 2009	265.14
7.	जुलाई, 2009 (24 जुलाई, 2009 की स्थिति)	267.71

विदेशी मुद्रा भण्डार में जनवरी, 2009 से वृद्धि का रुख देखा गया है। विदेशी मुद्रा भण्डार का स्तर मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय दर की अस्थिरता को प्रतिसंतुलित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में की गई दखल कार्रवाई और विदेशी मुद्रा समूह में अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डालर के मूल्य की परस्पर घट-बढ़ के कारण हुए मूल्यन परिवर्तनों का परिणाम होता है।

लेखांकन प्रणाली

4744. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेखांकन की प्रोद्भूत प्रणाली में परिवर्तन की संभाव्यता की जांच करने हेतु कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों के साथ कोई बैठक बुलाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विचार क्या है तथा अब तक क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने लेखांकन की प्रोद्भूत प्रणाली में परिवर्तन की संभाव्यता की जांच करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में और शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चार प्रभागों में प्रायोगिक परियोजनाएं

शुरू की हैं। परियोजना के लिए सलाहकार के रूप में भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान ने प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया था।

यद्यपि परामर्शदाताओं ने अपेक्षित प्रोद्भूत लेखांकन विवरण तैयार कर लिए थे तथापि, अन्य सरकारी विभागों में इसको दोहराना नियमों, बजटीय प्रक्रियाओं, विधान, भर्ती और कर्मिक नीतियों, विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में परिवर्तन किए बिना व्यवहार्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन की लागत ज्यादा होगी और इससे होने वाले लाभ निर्णायक रूप से स्थापित नहीं हुए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भू-जल का संदूषण

4745. श्री एम. राजामोहन रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संदूषित भू-जल ने देश के अनेक राज्यों को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जी, हां। लवणता, फ्लूऑराइड, क्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट इत्यादि जैसे संदूषणों के कारण भू-जल गुणवत्ता की समस्याओं से प्रभावित राज्यों के ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अन्य संस्थानों की मदद से मैट्रो-शहरों के लिए एक अध्ययन किया था। सीपीसीबी अध्ययन में जिन मैट्रो-शहरों के लिए भू-जल गुणवत्ता की समस्याओं के बारे में बताया गया है, उनकी सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

सीपीसीबी अध्ययन में भू-जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं। अध्ययन की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

विवरण-I

भू-जल गुणवत्ता की समस्याओं से प्रभावित राज्यों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्यों के नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	छत्तीसगढ़
5.	दिल्ली
6.	गोवा
7.	गुजरात
8.	हरियाणा
9.	हिमाचल प्रदेश
10.	जम्मू तथा कश्मीर
11.	झारखंड
12.	कर्नाटक
13.	केरल
14.	मध्य प्रदेश
15.	महाराष्ट्र
16.	मणिपुर
17.	मेघालय
18.	उड़ीसा
19.	पंजाब
20.	राजस्थान
21.	तमिलनाडु

1	2
22.	त्रिपुरा
23.	उत्तराखंड
24.	उत्तर प्रदेश
25.	पश्चिम बंगाल

विवरण-II

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्ययन में जिन मैट्रो शहरों के लिए भू-जल गुणवत्ता की समस्याओं के बारे में बताया गया है, उनकी सूची (फरवरी, 07 तथा अप्रैल, 08 में प्रकाशित)

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. अमृतसर
4. आसनसोल
5. बंगलौर
6. भोपाल
7. चेन्नई
8. कोयम्बटूर
9. दिल्ली
10. धनबाद
11. फरीदाबाद
12. हैदराबाद
13. इन्दौर
14. जबलपुर
15. जयपुर
16. जमशेदपुर
17. कानपुर
18. कोच्ची

19. कोलकाता
20. लखनऊ
21. लुधियाना
22. मदुरै
23. मरेठ
24. नागपुर
25. नासिक
26. पटना
27. पुणे
28. राजकोट
29. सूरत
30. वडोदरा
31. विजयवाड़ा
32. विशाखापट्टनम

लिए लाल रंग से पेंट किया जाए कि इस स्रोत से निकाला गया पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है।

5. यदि पानी में अधिक फ्लूओराइड हो तो डी-फ्लूओराइडेशन शोधन (घरेलू स्तर पर) किया जाए। अनुमेय सीमा से अधिक भू-जल प्राप्ति स्रोत में नाइट्रेट का संशोधन विकल्प अपनाया जाए।
6. हैंडपंप से निकाले गए भू-जल का बैक्टीरियाई संदूषण को समाप्त करने के लिए उपयुक्त क्लोरीनीकरण किया जाए।
7. विभिन्न खुले नालों में बहने वाला अशोधित सीवेज और सीवेज भू-जल गुणवत्ता ह्रास का कारण है। सभी निवास योग्य क्षेत्रों में समुचित भूमिगत सीवेज प्रणाली डाली जाए और अशोधित सीवेज व औद्योगिक कचरा खुले नालों में बहाने की अनुमति नहीं दी जाए।
8. ऐसे क्षेत्रों में, जहां मेट्रोपोलिटन शहरों में संदूषित जल पाया गया था, भूमिगत जल गुणवत्ता को नियमित मानीटरिंग की जाए। गंदे पानी का समुचित एकत्रण व शोधन तथा नगर पालिका ठोस कचरे का समुचित एकत्रण व निपटान किया जाए। रिहायशी क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाकलापों, खासकर प्रदूषकारी उद्योगों को निषिद्ध किया जाए। भूजल में संदूषण के रिसाव को रोकने के लिए गंदे पानी को ठहरने न दिया जाए।

विवरण-III

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्ययन की मुख्य सिफारिशें

1. भू-जल की अत्यधिक जल-निकासी और भू-जल गुणवत्ता के ह्रास को कम करने के लिए सभी भू-जल प्राप्ति संरचनाओं का पंजीकरण व विनियमन करना।
2. सभी भू-जल संरचनाओं से प्राप्त जल की उपयोग से पूर्व जांच की जाए ताकि मानव उपयोग के अनुकूल गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। भू-जल प्राप्ति स्रोतों तथा उनके आस-पास के स्थानों का उपयुक्त रखरखाव किया जाए जिससे कि वहां स्वास्थ्यकर स्थिति रहे और किसी सीवेज अथवा प्रदूषित जल को भू-जल के जल वाही स्तर तक सीधे रिसने नहीं दिया जाए।
3. भू-जल रीचार्ज में वृद्धि के लिए कृत्रिम रीचार्ज संरचनाओं के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जाए।
4. जिन हैंडपंपों को संदिग्ध जल गुणवत्ता के लिए चिह्नित किया गया है, उन्हें जनता को यह जानकारी देने तथा सचेत करने के

ऊर्जा खपत में बचत

4746. डॉ. जी. विवेकानन्द :

डॉ. के.एस. राव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा ऊर्जा खपत में बचत करने हेतु तैयार की गई प्रविधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए घरेलू बाजार में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़ी औद्योगिकी यूनिटों के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित करने का है जिसमें ऐसा तंत्र होगा कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली यूनिटों को पुरस्कृत किया जाएगा तथा अनुमोदित एजेंसी द्वारा वास्तविक ऊर्जा खपत की लेखापरीक्षा के पश्चात् बचत का बाजार में उनके द्वारा तैयार नियमों के अंतर्गत लेन-देन किया जा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक यूनिटों द्वारा ऊर्जा उपभोग में बचतों का पता लगाने के लिए अपनाई गई पद्धति का ब्यौरा निम्नवत है:-

- बचतों का पता विद्युत मंत्रालय की राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड योजना के आधार पर लगाया जाता है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- देश में विभिन्न राज्यों द्वारा समान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक यूनिटों को स्वैच्छिक आधार पर योजना में भाग लेने के लिए वार्षिक रूप से आमंत्रित किया जाता है और उन्हें आवार्ड प्रश्नावली भरना आवश्यक है।
- औद्योगिक यूनिट लगातार पूर्व तीन वर्षों के लिए अपने वार्षिक ऊर्जा उपयोग एवं उत्पादन की सूचना देते हैं।
- प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिक यूनिट ऊर्जा उपयोग में किसी कमी की सूचना भी देते हैं और पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त प्रतिशत कमी के आधार पर पुरस्कार दिए जाते हैं।
- उसके बाद पुरस्कार जीतने वाली औद्योगिक यूनिटों का दौरा ऊर्जा उपयोग की कीमतों तथा प्राप्त कमी की जांच हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा नियुक्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है।

(ख) सरकार ने घरेलू बाजार में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में कमी भी होगी। एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) डिमान्ड साइज मेजर (डीएसएम) के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता पर बल देती है और इसमें अनुमान लगाया गया है कि ऊर्जा की 15% बचत इन हस्तक्षेपों द्वारा संभव है। 28 मई, 2007 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विद्युत की बचत हेतु शीघ्र परिणाम प्रदान करने के लिए डीएसएम हस्तक्षेपों द्वारा इसके दक्ष प्रयोग के माध्यम से विद्युत की बचत की महत्वपूर्ण क्षमता को पहचाना। हस्तक्षेपों में सीएफएल की व्यापक प्राप्ति एवं वितरण, एनर्जी कन्वर्शन बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी) अपनाना, ऊर्जा दक्षता पम्पों तथा अन्य ऊर्जा दक्षता उपकरणों को प्रोत्साहित करना अनिवार्य बनाना शामिल है। भारत सरकार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से 11वीं पंचवर्षीय योजना में 10,000 मेगावाट तक एवायडेड क्षमता को कम करने के साथ निम्नलिखित

योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में कमी भी होगी:-

- बचत लैम्प योजना।
- उपकरणों के लिए मानकीकरण एवं लेवलीकरण कार्यक्रम।
- भवनों में ऊर्जा संरक्षण।
- कृषि पम्प सेटों में मांग पक्ष प्रबंधन।
- म्यूनीसिपल वाटर पम्पिंग एण्ड स्ट्रीट लाइट में मांग पक्ष प्रबंधन।
- छोटे और लघु उद्योगों तथा नामित उपभोक्ताओं में ऊर्जा संरक्षण।

(ग) और (घ) जी हां, सरकार का प्रस्ताव वास्तविक ऊर्जा उपयोग की ऊर्जा लेखा परीक्षा के पश्चात् अनुमोदित एजेन्सी द्वारा इसके लिए तैयार नियमों के अंतर्गत बाजार में बचतों का व्यवसाय तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले यूनिटों को पुरस्कृत करने की प्रणाली सहित बड़े औद्योगिक यूनिटों के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित करने हेतु मौसम परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के नेशनल मिशन आन एनहैन्सड एनर्जी एफीशिएन्सी (एनएमईईई) के अंतर्गत एक योजना का प्रस्ताव है। इसका ब्यौरा निम्नवत है:-

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 14(ई) तथा 14(जी) नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा उपभोग मानदण्डों एवं मानकों को निर्धारित करने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की सिफारिशों पर, केन्द्र सरकार को अधिकार प्रदान करती है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा की न्यूनतम विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक का उपभोग करने वाले यूनिटों अर्थात् एलूमिनियम, सीमेंट, फ्लोर एलक्लाई, पल्प व पेपर, उर्वरक, विद्युत उत्पादन संयंत्र, स्टील, टेक्सटाइल एण्ड रेलवे को मार्च 2007 में नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में अधिसूचित किया है। इन नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रबंधक की नियुक्ति करनी होती है, प्रत्येक वर्ष ऊर्जा उपभोग रिटर्न दाखिल करनी होती है और अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा करनी होती है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपभोग मानदण्डों का पालन करना होता है।

अधिकतम सम्भाव्य ऊर्जा बचतों के लिए, एनएमईईई के अंतर्गत परफार्म एचीव एण्ड ट्रेड (पीएटी) प्रणाली व्यवसाय की जा सकने वाली ऊर्जा बचतों के माध्यम से ऊर्जा-तीव्र बड़े औद्योगिक यूनिटों तथा सुविधाओं में ऊर्जा दक्षता में सुधार की मूल्य प्रभाविकता को बढ़ाने

के लिए बाज़ार आधारित प्रणाली के रूप में प्रस्तावित हैं पीएटी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- आधारभूत वर्ष तथा लक्ष्य वर्ष में प्रत्येक नामित उपभोक्ता के लिए विशेष ऊर्जा उपभोग मानदण्ड (एसईसी) स्थापित करने के लिए पद्धति।
- प्राधिकृत जांच एजेन्सी द्वारा आधार वर्ष तथा लक्ष्य वर्ष में प्रत्येक पदनामित उपभोक्ता कंएमसीईआरसी के लिए सत्यापन प्रक्रिया।
- उन पदनामित उपभोक्ताओं को जिनका एसईसी कमी लक्ष्य अधिक है, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र (ईएससीईआरसी) जारी करने की प्रक्रिया।
- ईएससीईआरटी के लिए अनुपालन एवं समाधान प्रक्रिया।
- ईएससीईआरटी को क्रास क्षेत्रीय उपभोग और उनके कार्यकलापों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र।

कृषि ऋण का वितरण

4747. श्री सी. शिवासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि ऋण के संवितरण या कृषि ऋण के संवितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न कर पाने वाले भ्रष्ट कृत्यों को अपनाने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने, विगत में, कुछ शिकायतें प्राप्त होने की सूचना दी है जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि बैंक के कर्मचारी अग्रिम मंजूर/पुनर्निर्धारित/बट्टे खाते में डालते समय अपने उत्तरदायित्व ठीक से निष्पादित नहीं कर रहे हैं। यदि शिकायतकर्ता आरोपों का विशिष्ट ब्यौरा देते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के दौरान अथवा विशेष संवीक्षा के द्वारा जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक अपने पर्यवेक्षी जिम्मेदारी के एक भाग के रूप

में बैंकों को समय-समय पर सामान्य भ्रष्टाचार/धोखाधड़ी संभावित क्षेत्रों और भ्रष्टाचार/धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम करने/कम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले पूर्वोपायों के बारे में सलाह देता रहा है।

नई विद्युत परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी

4748. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में विदेशी भागीदारी वाले क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विद्युत प्रशुल्क एवं काउंटर गारंटी के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) की परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग पर 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत विक्रय के प्रशुल्क को प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से निर्धारित किया जाता है, सरकार द्वारा जनवरी, 2006 में प्रशुल्क नीति अधिसूचित की गई जिसमें यह व्यवस्था की थी कि वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की सभी भावी आवश्यकताओं का प्रापण प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से किया जाए, सिवाय मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के मामले के अथवा वहां जहां राज्य नियंत्रित/स्वामित्व की कंपनी चिह्नित विकासकर्ता के रूप में है तथा जहां विनियामक को मानदंडों पर आधारित प्रशुल्क निर्धारण का आश्रय देना हो बशर्ते कि निजी विकासकर्ता द्वारा इस उद्देश्य के लिए किए जाने वाले उत्पादन क्षमता के विस्तार को, एक बार की अभिवृद्धि, जो कि वर्तमान क्षमता के 50% से अधिक नहीं होगी, तक प्रतिबंधित किया जाए।

यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी, सभी नई उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं के प्रशुल्क को, पांच वर्षों की अवधि के पश्चात अथवा जब विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करने का समय आ चुका है, प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

तथापि, जल विद्युत परियोजना के विकासकर्ता को, राज्य नियंत्रित/स्वामित्व की कंपनी न होने के कारण, कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्वधीन, सेवा विनियमों की निष्पादन आधारित लागत के आधार पर उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रशुल्क निर्धारण करवाने का विकल्प होगा।

निजी निवेश को बढ़ाने के अस्थायी उपाय के रूप में सरकार की प्रति गारंटी योजना विकसित की गई तथा 1994 में, प्रति गारंटी को 8 तीव्र गति की विद्युत परियोजनाओं को भी देने का निर्णय लिया गया। तथापि, सरकार ने बाद में निर्णय लिया कि किसी भी अन्य निजी विद्युत परियोजना को प्रति गारंटी न दी जाए।

सत्यम घोटाला से संबंधित आयकर आकलन

4749. श्री एम.आई. शानवास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर प्राधिकारियों ने श्री रामलिंगम राजू एवं सभी कम्पनियों के संबंध में आयकर आकलन पुनः शुरू किया है जिसमें 'सत्यम कम्प्यूटर्स' लिमिटेड के साथ-साथ वे भी सम्बद्ध थे;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों को पुनः खोलने के परिणामस्वरूप कितना कर लगाया गया;

(ग) श्री रामलिंगम राजू एवं उसके संबंधियों तथा सत्यम कम्प्यूटर लिमिटेड और उसकी अनुषंगी एवं सहायक कंपनियों के ऊपर कितना आयकर बकाया है;

(घ) क्या सरकार का विचार सत्यम कम्प्यूटर लिमिटेड की सभी ग्रुप कम्पनियों की विशेष लेखा परीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह विशेष लेखा परीक्षा कब तक पूरी होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :

(क) जी, हां। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए श्री बी रामलिंगम राजू एवं अन्य सम्बद्ध कम्पनियों के संबंध में कर-निर्धारण पुनः खोले हैं। कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के अन्तर्गत विभिन्न मामलों में आगे की नियमित संवीक्षा कार्यवाहियां लम्बित हैं। धारा 148 के अंतर्गत पुनः खोले गए कर-निर्धारणों

तथा धारा 143(3) के अन्तर्गत नियमित कर-निर्धारण के ब्यौरा निम्नवत हैं।

श्रेणी	कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए धारा 143(3) के अंतर्गत नियमित कर-निर्धारण	कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए धारा 148 के अंतर्गत पुनः खोले गए कर-निर्धारण
सत्यम एवं सम्बद्ध कंपनियां	102	79
व्यष्टि	14	24
हिन्दू अविभाजित परिवार	3	—
धन कर (उपर्युक्त सभी के लिए)	57	12
कुल	179	115

(ख) उन सभी मामलों जिनमें कर-निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत खोले गए हैं, लम्बित हैं जिन्हें 31.12.2009 तक अन्तिमरूप दिया जाना है। यह विभाग लम्बित कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप देने के लिए अवश्यक सूचना एकत्र करने की कार्रवाई कर रहा है। ऐसे मामलों में उद्ग्रहणीय कर की राशि संबंधी स्थिति की मात्रा का निर्धारण कर-निर्धारणों के पूरा होने पर ही किया जा सकता है जिन्हें 31.12.2009 तक पूरा किया जाएगा।

(ग) आज तक समूचे समूह में वसूली के लिए लम्बित बकाया मांग 5,41,45,74,090/- रुपए है। इसका ब्यौरा निम्नवत है:-

मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	532,91,38,160/- रुपए
मैसर्स मैटास ग्रुप	2,86,38,747/- रुपए
श्री रामलिंगम राजू तथा संबंधी	29,92,996/- रुपए
सत्यम समूह की अन्य समूह कम्पनियां	5,38,07,187/- रुपए
कुल	541,45,74,090/- रुपए

(घ) चूंकि कर-निर्धारण अभी भी खुले हैं, अतः इन लम्बित मामलों में सूचना की जांच के आधार पर विशेष लेखा परीक्षा, यदि आवश्यक हुई, करने का निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) और (च) लागू नहीं।

[हिन्दी]

कर-भार से राहत

4750. श्री उमाशंकर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए जाने तथा तत्पश्चात् इस पर कर लगाए जाने का औचित्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार एक लाख रुपए की बचत सीमा में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आम आदमी विशेषकर सरकारी कर्मचारियों को कर बोझ से राहत प्रदान करने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :

(क) आयकर यथामूल्य कर है जिसे 'भुगतान करने की क्षमता' के सिद्धांत पर लगाया जाता है, जिसे आय के स्तर से नापा जाता है। चूंकि वेतन में वृद्धि से व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए ऐसी वृद्धि पर कर लगाना तर्क संगत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिवारों द्वारा बचत की औसत दर को देखते हुए, वर्तमान सीमा पर्याप्त है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ग के अंतर्गत अनुमत एक लाख रुपए की बचत सीमा में किसी भी वृद्धि से अनिवार्यतः केवल उच्च आय स्लैब वाले करदाताओं को लाभ होगा।

(ङ) आम आदमी को राहत देने संबंधी प्रस्ताव वित्त (सं. 2) विधेयक 2009 में प्रतिविम्बित है जिसे 6.7.2009 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया तथा उसके बाद संशोधित किया गया। व्यष्टियों तथा पैसठ साल से कम उम्र की महिलाओं के मामले में 10000/- रुपए और वरिष्ठ नागरिकों अर्थात् पैसठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यष्टियों के मामले में 15000/- रुपए की बुनियादी आयकर छूट में वृद्धि के रूप में वित्त (सं. 2) विधेयक 2009 द्वारा कर राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा, वैयक्तिक आयकर (पी आई टी) पर अधिभार को भी हटा दिया गया है।

[अनुवाद]

भैयाथान तापीय विद्युत परियोजना

4751. श्री मुरारी लाल सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में भैयाथान तापीय विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) छत्तीसगढ़ राज्य के सुरगुजा जिले में भैयाथान तापीय विद्युत परियोजना (2×600 मे.वा.) की वर्तमान स्थिति निम्नवत है:-

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिनांक 28.8.2028 को प्राप्त हुई है।
- विद्युत घर के लिए 268.713 हेक्टेयर की निजी भूमि प्रदान की गई है।
- सीएसईबी को 14.50 हेक्टेयर की राजस्व भूमि प्रदान की गई है।
- 50 एमसीएम जल आबंटित किया गया है।
- कोयला मंत्रालय के द्वारा सीएसईबी को पातुरिया तथा गिद्धमुरी कैप्टिव कोल ब्लॉक पहले ही आबंटित किए गए हैं।
- टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के माध्यम से मैसर्स इंडिया बुल्स को परियोजना अवार्ड की गई है।
- बिजली खरीद करार दिनांक 13.10.2008 को हस्ताक्षरित किया गया।
- मैसर्स इंडिया बुल्स को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) की स्वीकृति के हस्तांतरण के संबंध में एमओईएफ, नई दिल्ली को 08.05.09 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में परियोजना को चालू किया जाना निर्धारित है।

सूचना प्रौद्योगिकी कल्याण निधि

4752. श्री कमल किशोर 'कमांडो' : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग ने कर्मचारियों के लिए आय कर कल्याण निधि ने कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक कार्य शुरू करेगा;

(घ) क्या वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम के अंतर्गत आय कर विभाग को दी गई प्रोत्साहन निधि कल्याण निधि में जमा कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो प्रोत्साहन निधि का उपयोग किए प्रकार किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :

(क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा उक्त निधि के सृजन के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों एवं विभिन्न अन्य आधारों के कारण इस निधि ने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है।

बातचीत के जरिए आपत्तियों का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं। प्रोत्साहन निधि कल्याण निधि से अलग है।

(ङ) सरकार द्वारा 469 करोड़ रुपए की राशि, जो वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान संग्रहीत किए गए अतिरिक्त राजस्व का 1% प्रोत्साहन है, पहले से अनुमोदित की गई है। इस राशि का इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न स्कीमों के विशिष्ट ब्यौरे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आगे विचार एवं अनुमोदन के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

निगरानी प्रकोष्ठ

4753. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित देश में गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के माध्यम से महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न निगरानी प्रकोष्ठों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बढ़िया कार्यनिष्पादन नहीं करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के मानीटरन हेतु तंत्र स्कीमों में ही निर्धारित है। इन स्कीमों में अन्य स्कीमों के साथ-साथ स्वाधार, अल्पावास गृह, महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु सहायता (स्टेप), कामकाजी महिला होस्टल, बेसहारा बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम, देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम, देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बाल गृह (शिशु गृहों) हेतु सहायता स्कीम, कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम शामिल हैं। इन स्कीमों के बारे में विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) गैर-सरकारी संगठनों के निष्पादन का मूल्यांकन आवधिक रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों तथा संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों एवं क्षेत्र अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से किया जाता है। किसी भी स्कीम के अंतर्गत अनुदान की आगामी किस्त की निर्मुक्ति केवल उन्हीं गैर-सरकारी संगठनों को की जाती है, जिनका निष्पादन संतोषजनक पाया जाता है।

क्रैन का प्रमाणीकरण

4754. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली की मेट्रो रेल परियोजना सहित शहरी क्षेत्रों में भवनों, फ्लाईओवर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले क्रैन के प्रमाणीकरण के लिए एक सांविधिक निकाय की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो सौगत राय) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो ने सूचना दी है कि उसने क्रों के बारे में कुछ मानक जारी किए हैं।

बाल कल्याण समितियां

4755. श्री नवीन जिन्दल : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के संरक्षण के लिए पूरे देश में जिला बाल कल्याण समितियों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए बाल कल्याण समितियों का गठन वर्ष 2006 में यथा-संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 के अंतर्गत किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में गठित बाल कल्याण समितियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

देश में गठित बाल कल्याण समितियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गठित बाल कल्याण समितियों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	23
3.	अरुणाचल प्रदेश	16
4.	असम	उपलब्ध नहीं
5.	बिहार	11
6.	छत्तीसगढ़	7
7.	चंडीगढ़	1
8.	दमन व दीव	उपलब्ध नहीं

1	2	3
9.	दादरा व नगर हवेली	1
10.	दिल्ली	4
11.	गोवा	1
12.	गुजरात	24
13.	हरियाणा	20
14.	हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं
15.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं
16.	झारखंड	11
17.	कर्नाटक	26
18.	केरल	7
19.	लक्षद्वीप	1
20.	मध्य प्रदेश	48
21.	महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं
22.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं
23.	मेघालय	7
24.	मिजोरम	8
25.	नागालैंड	7
26.	उड़ीसा	30
27.	पंजाब	5
28.	पुदुच्चेरी	1
29.	राजस्थान	9
30.	सिक्किम	4
31.	तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं
32.	त्रिपुरा	4
33.	उत्तर प्रदेश	10
34.	उत्तराखंड	उपलब्ध नहीं
35.	पश्चिम बंगाल	19

परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

4756. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चाधिकार प्राप्त वित्त मंत्रालय पैनल ने यह सिफारिश की है कि अवसंरचना परियोजनाओं को काफी सरल पर्यावरणीय स्वीकृति नियमों के अध्वधीन नियमों के अध्वधीन किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो पैनल की अन्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय में गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृतियों की वर्तमान प्रक्रिया में सुझाए गए प्रमुख सरलीकरण विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सांविधिक स्वीकृतियों पर विशेषज्ञ समूह की सिफारिश की जांच करने के लिए सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

विवरण

पर्यावरणीय स्वीकृति की वर्तमान प्रणाली में विशेषज्ञ समूह द्वारा सुझाए गए सरलीकरण

- (i) शेष राज्यों (अब तक 28 में से 19 राज्यों और 7 में से 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने ये प्राधिकरण गठित कर लिए हैं) के लिए, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण शीघ्र गठित किए जाने चाहिए ताकि श्रेणी 'ख' की परियोजनाओं के संबंध में आकलन प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करके राज्य स्तर पर ही पूरा किया जा सके।
- (ii) आवृत्ति-मूलक स्वरूप के कार्यकलापों के लिए मानक विचारणीय विषय (टीओआर) तैयार किए जाएं।
- (iii) नियमित अंतरालों पर और महीने में कम से कम एक बार, क्षेत्रीय विशेषज्ञ पर्यावरण आकलन समितियों (एमओईएफ में) और राज्यिक विशेषज्ञ आकलन समितियों (एसईआईएफ में) की बैठकें आयोजित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- (iv) सरल और आवृत्ति-मूलक स्वरूप की कतिपय श्रेणियों की परियोजनाओं को जन-सुनवाई से दी जाए।

- (v) स्वीकृति के लिए पर्यावरण सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का रिपोर्ट की सामान्य सिफारिशों के अनुरूप पुनःप्रारूपण/पुनर्विन्यास किया जाए। आवेदन प्रपत्रों को विषयपरक बनाया जाए तथा स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाए। आंकड़ों की अपेक्षाओं को स्पष्ट तौर पर अभिज्ञात किया जाए। परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए सुस्पष्ट प्रश्नावलियों के माध्यम से जन-सुनवाई पारदर्शी तरीके से की जाए। सभी प्रमुख केन्द्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृतियां देने की संपूर्ण प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत बनाया जाए; सभी प्रमुख स्वीकृतियों के संबंध में समय-सीमा निर्धारित की जाएं; और स्वीकृति की एक 'मानित' प्रणाली लागू की जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति तक कोई अन्य सूचना उपलब्ध नहीं होती तो आवेदन को अनुमोदित समझा जाएगा।

बेसहारा बच्चे

4757. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेसहारा बच्चों के लिए शिक्षा तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई तथा उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को निधियों के उपयोग में किसी अनियमितता का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त निधियों के उचित एवं उद्देश्यपूर्ण उपयोग के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेघर बच्चों तथा कामकाजी बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए क्रमशः (i) निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम; तथा (ii) देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम नामक दो स्कीमें चला रहा है। निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम के घटकों में अन्य बातों के अलावा बेघर बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराना, उनके जीवनयापन, शिक्षा, पोषण, मनोरंजन और समग्र विकास के लिए पूरी

सहायता प्रदान करना तथा उन्हें सार्थक एवं आय-अर्जक व्यवसायों एवं कौशलों के प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने वाले कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। इसी प्रकार, कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम के घटकों में मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में ऐसे बच्चों के प्रवेश/वापसी में सहायता करना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से शेष 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने हाल ही में 'समेकित बाल संरक्षण स्कीम' नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम भी शुरू की है। इस स्कीम का एक घटक शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए 'मुक्त आश्रय केंद्र' स्थापित करने से संबंधित है। इन मुक्त आश्रय केंद्रों के कार्यक्रमों एवं कार्यकलाप में आयु के अनुसार शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, हेतु शिक्षा की सुविधाएं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कार्यक्रम से संबंध स्थापित करना, स्वास्थ्य देखरेख एवं परामर्श इत्यादि शामिल है। बच्चों को उपयोगी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक मुक्त आश्रय केंद्र को गैर-सरकारी संगठनों एवं आई.टी.आई. संस्थानों से संबंध स्थापित करने होते हैं, ताकि या तो बच्चों को ऐसे गैर-सरकारी संगठनों/आई.टी.आई. में भेजकर या मुक्त आश्रय केंद्रों में ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जा सकें। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2009-10 से 'निराश्रित बच्चों हेतु समेकित स्कीम' का 'समेकित बाल संरक्षण स्कीम' में विलय कर दिया गया है।

समेकित बाल संरक्षण स्कीम में भी देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए आश्रय गृहों, बाल गृहों तथा पर्यवेक्षण गृहों, विशेष गृहों जैसी संस्थागत सेवाओं की स्थापना करने और इन्हें चलाने के प्रावधान किए गए हैं। बच्चों को उनकी आयु एवं योग्यता के अनुसार, संस्था के भीतर अथवा उच्च गुणवत्ता वाली औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से संस्था के बाहर शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। किशोरों/बच्चों के स्कूली शिक्षा पूरी कर लेने/छोड़ देने के उपरांत उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान भी इस स्कीम में किया गया है।

(ग) 'निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम' तथा 'देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम' के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है। संगठनों को उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत निधियां केवल तब जारी की जाती हैं, जब उनसे चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाते हैं। यदि कोई अव्ययित शेष राशि हो तो ऐसी राशि संबंधित संगठनों को अगले वर्षों में दिए जाने वाले अनुदानों में समायोजित कर दी जाती है।

चूंकि समेकित बाल संरक्षण स्कीम का कार्यान्वयन मौजूदा वित्तीय वर्ष 2009-10 में ही शुरू किया गया है, इसलिए अब तक इस स्कीम के अंतर्गत कोई निधि जारी नहीं की गई है।

(घ) उपर्युक्त स्कीमों के संबंध में अनियमितता सिद्ध होने की कोई सूचना मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राष्ट्रीयकरण

4758. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) के कर्मचारियों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) देश में ग्रामीण बैंकिंग में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) पर भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों का संयुक्त स्वामित्व है और शेयर पूंजी क्रमशः 50:15:35 के अनुपात में होती है। अतः, आर.आर.बी. के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं:-

- (1) राज्य स्तर पर प्रायोजक बैंक-वार आर.आर.बी. का समामेलन। समामेलित आर.आर.बी. बेहतर अवसंरचना, शाखाओं के कम्प्यूटीकरण, अनुभवी कार्य बल इकट्ठा होने, समान प्रचार एवं विपणन प्रयासों, आदि के कारण बेहतर ग्राहक सेवा देंगे। उनको बड़े परिचालन क्षेत्र और बढ़ी हुई ऋण एक्सपोजर सीमाओं का लाभ भी मिलेगा।
- (2) दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार ऋणात्मक मालियत वाले सभी आर.आर.बी. का पुनर्पूजीकरण।
- (3) बैंकिंग रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने की दृष्टि से आर.आर.बी. का शाखा विस्तार।
- (4) आय सृजन बढ़ाने के लिये गैर-निधि आधारित व्यावसायिक कार्यकलापों जैसे की बीमा पॉलिसियों की बिक्री, पेंशन,

वेतन का संवितरण, आदि का विस्तार और सरकारी कारबार को देखना।

(5) निम्न अथवा न्यूनतम शेष के साथ "अतिरिक्त सुविधा रहित" खाते खखेलना।

(6) आरआरबी को विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमा स्वीकार करने की अनुमति देना।

(7) आरआरबी को संघीय उधार की अनुमति प्रदान करना।

[हिन्दी]

सुरक्षा शुल्क

4759. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कागज के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) कोटेड पेपर, पेपर बोर्ड, अनकोटेड पेपर और कापी पेपर जो सीमा शुल्क टैरिफ अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं के आयात पर 20% मूल्यानुसार की दर से रक्षोपाय शुल्क लगाने के बारे में महानिदेशक (रक्षोपाय) की सिफारिशों सरकार को प्राप्त हुई हैं। रक्षोपाय संबंधी स्थायी बोर्ड ने 11 मई, 2009 को हुई अपनी बैठक में रक्षोपाय शुल्क लगाये जाने संबंधी इन सिफारिशों पर विचार किया है, जिसने महानिदेशक (रक्षोपाय) को निर्देश दिया है कि वे इस मामले की फिर से जांच पड़ताल करें और कानून के अनुसार सभी पण्यधारकों से परामर्श करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

[अनुवाद]

जनजातीय फिल्म महोत्सव

4760. श्री पी. बलराम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित देश में जनजातीय फिल्म महोत्सवों का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितने फिल्म महोत्सव आयोजित किए गए; और

(ग) इन फिल्म महोत्सवों के उद्देश्य एवं प्रयोजन क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिक्री कर में कमी

4761. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर घटाने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे बिक्री कर को कब तक घटाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। तथापि, वैश्विक तेल मूल्यों में वृद्धि के विपरीत प्रभाव को सीमित रखने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति से जून, 2008 में पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर घटाने पर विचार करने का अनुरोध किया था। चूंकि पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर की दरों पर निर्णय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

अंकित मूल्य पर प्रीमियम

4762. श्री एम. अंजनकुमार यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयरों के अंकित मूल्य पर प्रीमियम का भुगतान किए जाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रीमियम का निर्णय किस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है;

(ग) क्या इस मामले में शेयरधारकों के हितों की रक्षा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क)
जी, हां।

(ख) मर्चेट बैंकर्स के परामर्श से निर्गमकर्ता कम्पनी निर्गम मूल्य का निर्णय करती है।

(ग) से (ङ) सेबी (प्रकटन तथा निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश 2000 में पूंजी निर्गमकर्ता कम्पनी को कतिपय प्रकटनों के अध्यक्षीन अपनी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है जिनमें संगत गुणात्मक तथा प्रमात्रात्मक कारकों की सहायता से विवरणिका में निर्गम मूल्य के लिए आधार का प्रकटन करना शामिल है। प्रकटन जानकारी पूर्ण निर्णय लेने में निवेशकों की सहायता करते हैं।

[अनुवाद]

एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत वित्तपोषण ढांचा

4763. श्री कोडिकुनील सुरेश : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत वित्तपोषण ढांचे में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र एवं राज्य द्वारा कितने प्रतिशत व्यय का वहन किया जाएगा; और

(ग) नया वित्तपोषण ढांचा कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) संशोधित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत 11 विशेष श्रेणी वाले राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए वित्तपोषण पद्धति को संशोधित किया गया है और इसमें केन्द्र तथा राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में हिस्सेदारी रहेगी। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में रहेगा। तथापि, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़ दमन व दीव तथा दादरा और नगर हवेली के लिए समग्र वित्तपोषण (100 प्रतिशत) केन्द्र द्वारा किया जाता है।

(ग) एस.जे.एस.आर.वाई. के संशोधित दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2009 से लागू हो गए हैं।

[हिन्दी]

जी.एस.टी. शुरू किया जाना

4764. श्री प्रहलाद जोशी :

श्री लालजी टंडन :

श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अप्रैल, 2010 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कतिपय राज्यों ने वर्ष 2010 से इसे लागू करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इसके कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :

(क) और (ख) जी हां वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में 1 अप्रैल, 2010 से माल एवं सेवा कर (जी एस टी) लागू करने का प्रस्ताव था। वर्ष 2009-10 के बजट भाषण में इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि माल एवं सेवा कर को सुव्यवस्थित रूप से लागू करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2010 से तेज कर दी जाएगी।

(ग) और (घ) तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार को अगले वर्ष से देश भर में प्रस्तावित माल एवं सेवा कर (जी एस टी) के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ चिंताएं सूचित की हैं। उनकी प्रमुख चिंताएं माल एवं सेवा कर की रूप रेखा के लिए हैं जो कि प्रतिगामी नहीं है, वह हमारे संविधान के संघीय सिद्धान्तों के अनुसार है जो राज्यों व केन्द्र के राजस्व हितों की रक्षा करता है और छोटे एवं मझौले उद्यमों पर अतिरिक्त अनुपालन भार नहीं डालता है। उन्होंने माल एवं सेवा कर के लिए कार्यान्वयन अनुसूची अपनाने की सलाह भी दी है जो अपेक्षित क्षमता निर्माण की अनुमति देता है।

(ङ) राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति राज्यों के बीच विभिन्न मामलों पर एक सहमति बनाने के लिए नियमित रूप से मिलती है।

[अनुवाद]

बचत आवास योजना

4765. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने "बचत आवास योजना" शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक ने एनएचबी बचत आवास योजना (एनएचबी-बीएवाई) नामक एक बचत संबद्ध आवास ऋण योजना तैयार की है। तथापि, यह योजना अभी शुरू होनी है।

(ख) एनएचबी-बीएवाई एक बचत संबद्ध आवासीय ऋण योजना है। जो शुरु में सरकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के निम्न स्तरीय कर्मचारियों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य निम्न आय वर्ग के बीच बचत को प्रोत्साहित करना है, जो आवास के लिए सहायक हो सकता है। बचत राशि, आवास ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता की इक्विटी के रूप में कार्य करने की आशा है।

एस.बी.आई. का साधारण बीमा उद्यम

4766. श्री तथागत सत्पथी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी. ए.) ने भारतीय स्टेट बैंक को इसके साधारण बीमा उद्यम हेतु पहले चरण की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस.बी.आई. ने उक्त प्रयोजनार्थ विदेश की बीमा कंपनी से गठबंधन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) जी, हां। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रथम चरण के अनुमोदन के बाद भारतीय स्टेट बैंक साधारण बीमा कंपनी लि. के लिए पंजीकरण हेतु आर 2 (R 2) आवेदन प्रपत्र जारी कर दिया है।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत में साधारण बीमा व्यवसाय चलाने के लिए इंश्योरेंस आस्ट्रेलिया ग्रुप, आस्ट्रेलिया के साथ गठबंधन किया है।

[हिन्दी]

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत

4767. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के निष्पादन पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) :

(क) जी हां।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना उस समय की गई थी जब राज्य नोडल एजेंसियां कार्य करने की प्रारंभिक अवस्था में थीं। तथापि, अब राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य नोडल एजेंसियों के पूर्ण रूप से कार्यशील हो जाने पर क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकता उल्लेखनीय रूप से कम हो गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वरोजगार

4768. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट 2009-10 में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु उनके लिए स्वरोजगार के सृजन के लिए किसी योजना के अंतर्गत कोई वित्तीय प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि शहरी/ग्रामीण महिलाएं आय अर्जित कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) महिलाओं के स्वरोजगार सृजन के लिए दो प्रमुख योजनाएं हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम' तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' कार्यान्वित की जा रही है।

'महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम' योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ गरीब एवं सीमान्त महिलाओं विशेष तौर से अनुसूचित जाति/जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं के लिए रोजगार सृजन करना है। इस कार्यक्रम के तहत परियोजना लागत का 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। शेष 10 प्रतिशत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अपने स्रोतों या भारत सरकार के अलावा किन्हीं अन्य स्रोतों के माध्यम से वहन किया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय 'स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना' स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बैंक क्रेडिट और सरकारी सब्सिडी को मिलाकर उसके माध्यम से आय सर्जक परिसंपत्तियां प्रदान कर सहायता प्राप्त ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस योजना में, गरीबों के संगठन को स्व-सहायता समूहों में शामिल करना, और उनकी क्षमता निर्माण और आधारभूत अवसंरचना का सृजन, विपणन और तकनीकी सहायता आदि शामिल है। महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत लाभ आरक्षित कर विशेष रक्षोपाय किए गए हैं।

(ग) और (घ) 'महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम' की कई परियोजनाओं का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, परिसंघों, सहकारी और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संपूर्ण देश में जिला/खण्ड/ग्राम स्तर पर किया जा रहा है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का कार्यान्वयन पंचायतीराज संस्थाओं, बैंकों, राज्य सरकारों के संबद्ध विभागों और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से डीआरडीए के माध्यम से किया जाता है।

इसके अलावा, कुछ अन्य योजनाएं जैसे 'अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास योजना' सदृश उद्देश्यों सहित अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पर्यटन को प्रोत्साहन

4769. श्री रुद्रमाधव राय : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सहित देश में बाघों तथा अन्य जानवरों की संख्या में कमी के कारण घरेलू तथा विदेशी दोनों पर्यटकों के आगमन में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) वर्ष 2007 की तुलना में 2008 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, जनवरी-जून, 2009 की अवधि के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन में वर्ष 2008 की इसी अवधि की तुलना में 9.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। विदेशी पर्यटक आगमन में कमी वैश्विक वित्तीय मंदी और आतंकवादी गतिविधियों सहित विभिन्न कारणों से हो सकती है। पर्यटन मंत्रालय विदेशी पर्यटक आगमन के राज्य स्तरीय अनुमानों का संकलन नहीं करता है।

उड़ीसा सहित भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू पर्यटक आगमन की संख्या में वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2008 के दौरान 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2009 के लिए घरेलू पर्यटक आगमन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

भारत में विदेशी पर्यटक आगमन में वृद्धि करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, विदेश स्थित अपने भारत पर्यटन कार्यलयों के माध्यम से श्रृंखलाबद्ध संवर्धनात्मक क्रियाकलाप संचालित कर रहा है। इन क्रियाकलापों में विज्ञापन जारी करना, यात्रा मेलों, प्रदर्शनियों, रोड शोज, इंडिया इवनिंग्स, सेमिनार एवं कार्यशालाओं में भाग लेना, भारतीय व्यंजन और सांस्कृतिक उत्सवों, विवरणिकाओं का प्रकाशन, मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश की यात्रा हेतु मीडिया कर्मियों, टूर ऑपरेटर्स तथा विचारकों को आमंत्रित करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, विद्यमान वर्ष के दौरान, भारत की यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए, एयरलाइनों, होटलों, टूर ऑपरेटर्स, राज्य सरकारों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा "भारत भ्रमण 2009" योजना की घोषणा की गई है।

पर्यटन मंत्रालय की मार्केटिंग विकास सहायता (एमडीए) योजना का विस्तार किया गया है, जिससे कि देश में चिकित्सा, समागम और

सम्मेलन एवं स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

सौर ऊर्जा की लागत

4770. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में विश्व और भारत में सौर ऊर्जा की पूंजी लागत (रुपए/किलोवाट) में की गई कमी का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान इसके लिए क्या अनुमान लगाया गया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) :

(क) और (ख) सौर प्रकाशवोल्टीय (पीवी) मॉड्यूलों की लागत पिछले पांच वर्षों के दौरान कम हुई है। कुछ अनुमानों के अनुसार यह कमी 4200 अमेरिकी डालर प्रति किलोवाट की औसत लागत से 2700 अमेरिकी डालर प्रति किलोवाट तक है। इस अवधि के दौरान भारत में औसत लागत लगभग 1,80,000 रु. प्रति किलोवाट से घटकर 1,45,000 रु. प्रति किलोवाट हो गई हैं वर्तमान प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वैश्विक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सौर पीवी मॉड्यूलों के विस्तृत उपयोग और बड़े पैमाने पर उत्पादन के होने से लागत में कमी होना जारी रहेगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों से यह प्रदर्शित होता है। कि अगले पांच वर्षों में पीवी मॉड्यूलों की लागत कम होकर 1000-1500 अमेरिकी डालर प्रति किलोवाट तक हो सकती है। उस समय तक पीवी मॉड्यूलों की भारत में लागत उसी भांति कम होकर 60,000-80,000 रु. प्रति किलोवाट तक होने की संभावना है।

डी.डी.ए. होटल फ्लैट्स

4771. श्री मिलिन्द देवरा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए "होटल" फ्लैट के नमूने का अनावरण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान दिल्ली में आने वाले आगन्तुकों के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ाने हेतु डीडीए ने दक्षिण दिल्ली में 3179 फ्लैटों को चुना है। इन फ्लैटों में 3 स्टार

होटलों के समान की सुविधाएं होंगी तथा फर्नीचर व साज-सामान भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वसंत कुंज में दिनांक 24.7.2009 को "होटल" फ्लैट के नमूने का अनावरण किया गया तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम की सिफारिशों के अनुसार अनेक मंदाओं के विनिर्देशन उन्नत किए गए हैं।

[हिन्दी]

विद्युत वितरण का निजीकरण

4772. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत वितरण के निजीकरण के परिणामस्वरूप सामने आए गुणवत्तापरक सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत वितरण कंपनियों के पुनर्गठन और विद्यमान विद्युत कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) वितरण व्यापार का उड़ीसा और दिल्ली में निजीकरण कर दिया गया है। इन राज्यों में पारेषण एवं वितरण हानियों आदि में कमी जैसे पैरामीटरों के संदर्भ में सुधार देखा गया है। विभिन्न अवरोधों और सीमाओं के बावजूद भी आपूर्ति की गुणवत्ता तथा निष्पादन के स्तर में सामान्यतया सुधार हुआ है।

(ख) और (ग) 14 राज्यों ने अपने विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन किया है और 7 राज्यों द्वारा अपने-अपने बोर्डों का गठन अभी किया जाना है। विद्युत अधिनियम 2003 में आपूर्ति के समान क्षेत्र में बहु लाइसेन्सियों की व्यवस्था का प्रावधान है। अधिनियम में उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के विभिन्न घटकों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विद्युत नीति में अधिनियम के उद्देश्य को और सुदृढ़ बनाया गया है तथा दोहराया गया है कि पारेषण एवं वितरण हानियों में अपेक्षित कमी प्राप्त करने तथा उपभोक्ताओं को सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वितरण में निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि सरकारी यूटिलिटीयों का पुनर्गठन करते समय वितरण जोन को सुदृढ़ करने में राज्य सरकारों को पूरी तरह से छूट है बशर्ते कि दूसरे और पश्चातवर्ती वितरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए, अपेक्षाकृत छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक राजस्व जिला, एक म्यूनिसिपल काउंसिल और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम को न्यूनतम क्षेत्र माना जाए।

विस्थापित लोगों का पुनर्वास

4773. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री यशवंत लागुरी :

श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी उपबंधों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र की स्थापना की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों में उक्त उपबंधों को पूरा नहीं करने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी) :

(क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग ने परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए राष्ट्रीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति, 2003 को प्रतिस्थापित करने के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एन.आर.आर.पी.-2007) तैयार की है। एन.आर.आर.पी.-2007 को भारत के राजपत्र में दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को प्रकाशित किया गया था। एन.आर.आर.पी.-2007 को विधिक आधार प्रदान करने के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक, 2007 तथा भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों को नीति के समनुरूप बनाने हेतु भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 को लोक सभा में दिसम्बर, 2007 में पुरः स्थापित किया गया था। इन विधेयकों को जांच हेतु ग्रामीण विकास संबंधी स्थाई समिति को भेजा गया था। ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति द्वारा विधेयकों की जांच की गई थी और उनके संबंध में रिपोर्टें प्रस्तुत की गई थीं। विधि मंत्रालय के परामर्श से इस विभाग द्वारा इन विधेयकों में शासकीय संशोधन किए गए थे। विधेयकों पर विचार-विमर्श किया गया था और इन्हें लोक सभा की 25 फरवरी, 2009 को हुई बैठक में पारित किया गया था तथा राज्य सभा के विचारार्थ भेजा गया था। तथापि, 14वीं लोक सभा के भंग होने के कारण ये विधेयक व्यपगत हो गए। विधेयकों को संसद में पुरः स्थापित करने संबंधी मामले पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

एन. आर. आर. पी. - 2007 में उन सभी मामलों, जिनके लिए

यह नीति लागू होती है, के संबंध में पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी करने के लिए सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय निगरानी समिति गठित करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 17 मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय निगरानी समिति को सेवाएं केन्द्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध करायी जाएंगी। हालांकि राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन कर लिया गया है, राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ को गठित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। निगरानी प्रकोष्ठ के गठन के पश्चात् निगरानी तंत्र को क्रियाशील बनाया जाएगा। तथापि, वर्तमान स्थिति में एन.आर.आर.पी.-2007 के उपबंध केवल दिशा-निर्देश स्वरूप के ही हैं और इन्हें कानूनों के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट

4774. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी एक कंपनी को दिए जाने वाले अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

20-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत

कार्यों की समीक्षा

4775. श्री वीरेन्द्र कश्यप :

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार के अधीन

निष्पादित कार्यों की समीक्षा की है अथवा समीक्षा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्यों का कार्य निष्पादन क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टें, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र दौरों तथा राज्य सचिवों एवं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों/जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए सभी कार्यक्रमों सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की एक व्यापक प्रणाली बनाई है।

(ग) वर्ष 2008-09 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का राज्य-वार निष्पादन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बनाए गए स्व-सहायता समूहों की संख्या	आर्थिक कार्यकलाप शुरू करने वाले स्वसहायता समूह	सहायता प्रदत्त वैयक्तिक स्वरोज-गारियों की सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	142356	10480	34267
2.	अरुणाचल प्रदेश	56	34	568
3.	असम	20481	11468	6550
4.	बिहार	20344	9094	9114
5.	छत्तीसगढ़	4945	3001	14421
6.	गोवा	81	187	33

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	4824	961	31423
8.	हरियाणा	4506	1732	2279
9.	हिमाचल प्रदेश	1399	964	2187
10.	जम्मू और कश्मीर	433	236	4019
11.	झारखंड	6894	3231	22529
12.	कर्नाटक	7301	5503	15834
13.	केरल	1808	2333	15336
14.	मध्य प्रदेश	46234	7991	20145
15.	महाराष्ट्र	30975	11259	29241
16.	मणिपुर	476	382	42
17.	मेघालय	527	152	894
18.	मिजोरम	236	123	288
19.	नागालैंड	282	103	368
20.	उड़ीसा	11875	8066	9575
21.	पंजाब	754	615	7353
22.	राजस्थान	165641	3014	22869
23.	सिक्किम	287	116	525
24.	तमिलनाडु	15373	5125	37268
25.	त्रिपुरा	4942	2202	260
26.	उत्तर प्रदेश	36219	18867	99715
27.	उत्तरांचल	1320	1684	4653
28.	पश्चिम बंगाल	32746	4447	12
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	39	0	51
30.	दमन और दीव			0

1	2	3	4	5
31. दादरा और नगर हवेली		0	0	24
32. लक्षद्वीप				0

1	2	3	4	5
33. पांडिचेरी		176	102	0
कुल		563530	114452	391843

वर्ष 2008-09 के संबंध में नरेगा के कार्यान्वयन संबंधी स्थिति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य	परिवारों की संचयी सं. जिन्हें जॉब कार्ड जारी किए गए (शुरुआत से अब तक) (सं.)	सृजित श्रमदिवस (लाख में)	मजदूरी पर व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11347815	2735.45	225796.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	82591	25.71	1492.64
3.	असम	2970522	751.07	57932.88
4.	बिहार	10284009	991.75	84379.94
5.	छत्तीसगढ़	3354795	1243.18	91005.61
6.	गुजरात	2877792	213.07	14446.09
7.	हरियाणा	377568	69.11	8454.39
8.	हिमाचल प्रदेश	849993	205.28	20337.81
9.	जम्मू और कश्मीर	497175	78.80	5321.82
10.	झारखंड	3375992	749.97	67843.60
11.	कर्नाटक	3420945	287.64	23295.85
12.	केरल	1897713	153.75	18459.60
13.	मध्य प्रदेश	11229547	2946.97	215621.25
14.	महाराष्ट्र	4814593	419.85	31074.71
15.	मणिपुर	385836	285.62	20741.36
16.	मेघालय	298755	86.31	6051.24
17.	मिजोरम	172775	125.82	13712.28

1	2	3	4	5
18.	नागालैंड	296738	202.70	16372.28
19.	उड़ीसा	6125819	403.75	35977.57
20.	पंजाब	524928	39.89	4440.35
21.	राजस्थान	8468740	4829.55	426531.88
22.	सिक्किम	77112	26.34	2446.38
23.	तमिलनाडु	5512827	1203.59	95899.82
24.	त्रिपुरा	600615	351.12	30057.75
25.	उत्तर प्रदेश	10652018	2278.39	226977.39
26.	उत्तरांचल	817753	104.33	8830.23
27.	पश्चिम बंगाल	9556067	786.61	61522.41
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23313	1.00	123.91
29.	दादरा और नगर हवेली	8100	0.48	0.52
30.	दमन और दीव	0	0.00	0.00
31.	गोवा	10244	0.00	97.10
32.	लक्षद्वीप	3313	1.82	145.33
33.	पांडिचेरी	15547	1.64	130.00
34.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00
कुल		100931550	21600.57	1815520.49

वर्ष 2008-09 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित
राज्यवार आवासों की संख्या

इकाई (सं. में)		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मित आवासों की संख्या
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	266654

1	2	3
2	अरुणाचल प्रदेश	7236
3	असम	112706
4	छत्तीसगढ़	484197
5	गोवा	30023
6.	गोवा	586

1	2	3
7.	गुजरात	122412
8	हरियाणा	13302
9	हिमाचल प्रदेश	4518
10	जम्मू और कश्मीर	13211
11	झारखंड	56180
12	कर्नाटक	87051
13	केरल	53133
14	मध्य प्रदेश	74651
15	महाराष्ट्र	118611
16	मणिपुर	514
17	मेघालय	5619
18	मिजोरम	5179
19	नागालैंड	24717
20	उड़ीसा	62447
21	पंजाब	11700
22	राजस्थान	52654
23	सिक्किम	1774
24	तमिलनाडु	94675
25	त्रिपुरा	26389
26	उत्तर प्रदेश	267543
27	उत्तराखंड	11874
28	पश्चिम बंगाल	123910
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	124
30	दादरा और नगर हवेली	41

1	2	3
31	दमन और दीव	0
32	लक्षद्वीप	190
33	पांडिचेरी	52
कुल		2133873

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

वास्तविक कार्य निष्पादन - 2008-09

क्र.सं.	राज्य	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1885.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	317.43
3.	असम	1985.11
4.	बिहार (आरईओ)	45.05
5.	बिहार (एनईए)	2487.15
6.	छत्तीसगढ़	2427.08
7.	गोवा	0
8.	गुजरात	1262.07
9.	हरियाणा	969.87
10.	हिमाचल प्रदेश	1360.099
11.	जम्मू और कश्मीर	469.8
12.	झारखंड	214.97
13.	कर्नाटक	2099.13
14.	केरल	240.215
15.	मध्य प्रदेश	7893.72
16.	महाराष्ट्र	4138.65

1	2	3
17.	मणिपुर	78.95
18.	मेघालय	30.80
19.	मिजोरम	195.18
20.	नागालैंड	298.53
21.	उड़ीसा	2641.00
22.	पंजाब	751.62
23.	राजस्थान	10349.93
24.	सिक्किम	308.57
25.	तमिलनाडु	609.59
26.	त्रिपुरा	361.27
27.	उत्तर प्रदेश	6461.02
28.	उत्तरांचल	645.6
29.	पश्चिम बंगाल	1877.11
कुल		52404.51

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
(एआरडब्ल्यूएसपी)-2008-09

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर की गई बसावट (संख्या में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17086
2.	अरुणाचल प्रदेश	905
3.	असम	23940
4.	बिहार	28937
5.	छत्तीसगढ़	11544

1	2	3
6.	गोवा	4
7.	गुजरात	4656
8.	हरियाणा	969
9.	हिमाचल प्रदेश	5529
10.	जम्मू और कश्मीर	1899
11.	झारखंड	6832
12.	कर्नाटक	10582
13.	केरल	8936
14.	मध्य प्रदेश	6244
15.	महाराष्ट्र	22636
16.	मणिपुर	115
17.	मेघालय	1117
18.	मिजोरम	46
19.	नागालैंड	132
20.	उड़ीसा	33279
21.	पंजाब	1962
22.	राजस्थान	28465
23.	सिक्किम	27
24.	तमिलनाडु	11956
25.	त्रिपुरा	4136
26.	उत्तर प्रदेश	440
27.	उत्तरांचल	1332
28.	पश्चिम बंगाल	59203
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	26

1	2	3
30.	दादरा और नगर हवेली	0
31.	दमन और दीव	-
32.	दिल्ली	-
33.	लक्षद्वीप	-
34.	पांडिचेरी	0
35.	चंडीगढ़	-
कुल		292935

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएसपी) 2008-09

क्र. सं.	राज्य	निर्मित निजी पारिवारिक शौचालय (सं. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	292697
2.	अरुणाचल प्रदेश	3399
3.	असम	206256
4.	बिहार	756465
5.	छत्तीसगढ़	305456
6.	दादरा व नागर हवेली	0
7.	गोवा	18753
8.	गुजरात	984112
9.	हरियाणा	367097
10.	हिमाचल प्रदेश	313872
11.	जम्मू और कश्मीर	139415
12.	झारखंड	362573
13.	कर्नाटक	409816

1	2	3
14.	केरल	81865
15.	मध्य प्रदेश	1406113
16.	महाराष्ट्र	854563
17.	मणिपुर	4590
18.	मेघालय	30004
19.	मिजोरम	8973
20.	नागालैंड	5543
21.	उड़ीसा	323802
22.	पुदुचेरी	227
23.	पंजाब	263721
24.	राजस्थान	889762
25.	सिक्किम	3712
26.	तमिलनाडु	421967
27.	त्रिपुरा	62971
28.	उत्तर प्रदेश	2415154
29.	उत्तराखंड	98884
30.	पश्चिम बंगाल	636422
कुल		11668184

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन

4776. श्री दुष्यंत सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पुनर्गठित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान से एक पूर्णकालिक सदस्य रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पुनर्गठित बोर्ड की संरचना क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में पंजाब तथा हरियाणा, प्रत्येक से एक, वर्तमान दो सदस्यों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार की ओर से बोर्ड में एक सदस्य को शामिल करने हेतु विभिन्न फोरम पर की जा रही मांग की कैबिनेट सचिव के स्तर पर नियमित समीक्षा की गई थी। विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के पश्चात, राजस्थान के अनुरोध को पूरा करने के लिए उपर्युक्त मुद्दे पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में आवश्यक संशोधन किए जाने का अनुरोध करते हुए गृह मंत्रालय (एमएचए) को एक नोट भेजा गया था, क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अधिनियमों का प्रशासन गृह मंत्रालय को आबंटित कार्य में आता है। गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब तथा हरियाणा की सरकारों से परामर्श कर इस प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा गृह मंत्रालय का विचार था कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 79(2) (क) में संशोधन करने से कोई उपयोगी ध्येय पूरा नहीं होता।

[हिन्दी]

बी.पी.एल. परिवारों को खाद्यान्न

4777. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों हेतु बिहार को मुहैया कराये जा रहे खाद्यान्नों की मात्रा राज्य के लिए अपेक्षित मात्रा की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को और अधिक खाद्यान्न आबंटित करने हेतु बिहार से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय के किसी भी चल रहे कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्न का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सर्कस में महिलाएं

4778. श्री अशोक कुमार रावत : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सर्कस कंपनियों में राज्य-वार कितने बच्चे और महिलाएं काम कर रही हैं;

(ख) क्या देश में भारतीय सर्कस कंपनियों में काम करने वाले बच्चों और महिलाओं का शोषण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) भारतीय सर्कस कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारतीय सर्कस कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के शोषण के बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मर्वेन्ट/कैप्टिव पावर प्लांट

4779. डॉ. के.एस. राव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मर्वेन्ट पावर प्लांट और कैप्टिव पावर प्लांट्स को दिए गए लाभों के संबंध में हाल ही में अंतरमंत्रालयीय बैठक में की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया अथवा निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है और प्रत्येक एम.पी.पी.एस. तथा सी.पी.पी.एस. की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार कैप्टिव विद्युत संयंत्र के स्थापना के लिए कोई मंजूरी/लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। सरकार ने कैप्टिव उत्पादन तथा अधिशेष क्षमता के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई विधिक, नीतिगत तथा प्रशासनिक उपाय किए हैं। विवरण नीचे दिया जा रहा है-

- (i) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत ग्रुप-कैप्टिव सहित, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को मुक्त अनुमति प्रदान की गई है। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रचालन कर सकता है और पारेषण लाइनों को सौंप सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रत्येक व्यक्ति जिसने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया है तथा उसका अनुरक्षण और प्रचालन कर रहा है, उसे पारेषण क्षमता की उपलब्धता की शर्त के अधीन अपने कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की विद्युत को अपने उपयोग के स्थान तक ले जाने के उद्देश्य से ओपन-एक्सेस का अधिकार होगा।
- (ii) फरवरी, 2005 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति में भारत की कैप्टिव तथा स्टैंड-बाई-जनरेटिंग स्टेशन में उपलब्ध अधिशेष क्षमता को निरंतर अथवा कुछ निश्चित अवधि के लिए ग्रिड में लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- (iii) जनवरी, 2006 में अधिसूचित टैरिफ नीति में यह माना गया है कि प्रतिस्पर्धी विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए कैप्टिव उत्पादन एक महत्वपूर्ण साधन है तथा इसमें विद्युत विनियामक आयोग से ऐसा वातावरण बनाने का अनुरोध किया गया है जिसमें कैप्टिव संयंत्रों को ग्रिड से जोड़े जाने को बढ़ावा मिले।
- (iv) मई, 2007 में विद्युत क्षेत्र के मामलों पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि कैप्टिव विद्युत संयंत्र की अपनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, ग्रिड को उपलब्ध करवाना सुगम बनाया जाए तथा बढ़ा तरीके

से प्रतिबंधक शुल्कों, करों तथा विनियमों को हटवाया जाए।

- (v) बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति 2006 में नई उत्पादन क्षमताओं के एक भाग, लगभग 15% को लंबी अवधि के पीपीए से बाहर बेचे जाने की अनुमति प्रदान की गई है। 2006 में अधिसूचित तथा दिनांक 31.03.2008 के संकल्प के अनुसार संशोधित टैरिफ नीति के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को बिक्री योग्य विद्युत के अधिकतम 40% को मर्चेन्ट सेल के माध्यम से बेचने की अनुमति विशेष प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की गई है।

मर्चेन्ट विद्युत संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रचालनात्मक उपाय किए गए हैं-

- (i) मर्चेन्ट विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन की व्यवस्था की जा रही है।
- (ii) विद्युत अधिनियम, 2003 में पारेषण में ओपन असेस शुरू की गई है। वितरण में ओपन एक्सेस चरणों में शुरू की जानी है। एक मेगावाट से अधिक की जरूरत वाले उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य रूप से ओपन असेस जनवरी, 2009 तक शुरू की जानी है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एम.एस.एम.ई. हेतु कोष

4780. श्री एल. राजगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 1,000 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की मांग कर रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने निर्णय लिया है कि सिडबी को, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को पुनर्वित्तपोषित करने के लिये उसे उपलब्ध कराए जा रहे 4000 करोड़ रुपए में से, अनन्य रूप से सूक्ष्म उद्यमों पुनर्वित्तपोषित करने के लिये 1000 करोड़ रुपए अलग रखने चाहिए।

कराधान में सुधार

4781. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी संधि के माध्यम से किए गए संव्यवहारों के कारण राजकोष को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दुरुपयोग को रोकने के नियम बनाकर कराधान में सुधार करने की शुरुआत करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :

(क) और (ख) भारत-मॉरिशस के दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय की शर्तों में, पूंजीगत अभिलाभों का कराधान "अधिवास आधारित कराधान" के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसके द्वारा भारतीय कम्पनियों के शेयरों के अंतरण पर मॉरिशस के निवासियों को अदभूत हुए पूंजीगत अभिलाभ पर भारत में कर नहीं लगाया जाएगा। मॉरिशस आधारित विदेशी संस्थागत निवेशकों/सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के उप-लेखों में किए गए लेन-देनों के संबंध में माफ किए गए पूंजीगत अभिलाभ करों के कारण अनुमानित राजस्व हानि का विभागीय विश्लेषण कुछेक आंकड़ों और अवधारणाओं के आधार पर किया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। सन् 2004 से अब तक की गई दोहरे कराधान के परिहार संबंधी संधियों में लाभों के परिसीमन उपबंधों के रूप में दुरुपयोग-रोधी नियमों को शामिल किया गया था। जहां तक भारत-मॉरिशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय का संबंध है, संधि के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय करने हेतु वर्ष 2006 में एक संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था। तब से जे डब्ल्यू जी की छह दौर की बैठकें हो गई हैं।

मनोरंजन उद्योग में बच्चे

4782. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनोरंजन उद्योग में काम कर रहे बच्चों के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं/तैयार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में कर्मचारियों को सजा देने के लिए बनाए गए उपबंधों का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची के भाग 'क' एवं 'ख' में उल्लिखित किसी भी व्यवसाय और प्रक्रम में नियोजन निषिद्ध है। मनोरंजन उद्योग ऐसे व्यवसायों में शामिल नहीं है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने टेलीविजन धारावाहिकों/प्रतिस्पर्धात्मक रीयल्टी शोज/विज्ञापनों में कार्यकर रहे बच्चों पर एक कार्यदल गठित किया है। इस दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

निधियां जारी करना

4783. श्री सज्जन वर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लिए निधियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को राज्य-वार एवं वर्ष वार कितनी धनराशि जारी की गई और उपयोग की गई;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने धनराशि वापस कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) :

(क) जी हां।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान कार्यक्रम के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त राज्य-वार अनुदान तथा राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09	
		निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियां	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियां	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2830.31	2830.31	2453.03	1923.75	1863.44	**
2.	अरुणाचल प्रदेश	322.52	322.52	544.29	544.29	308.68	**
3.	असम	1514.17	1514.17	1192.63	1189.77	1444.88	835.84
4.	बिहार	293.00	**	319.20	**	0.00*	**
5.	छत्तीसगढ़	4131.86	4124.17	3090.44	3090.15	3211.43	2579.79
6.	गोवा	62.00	**	68.45	**	7.00	**
7.	गुजरात	3964.38	3964.38	3652.68	3270.18	2372.77	2032.77
8.	हिमाचल प्रदेश	330.33	330.33	165.43	165.43	148.32	148.32
9.	जम्मू और कश्मीर	427.00	133.56	286.61	348.232	193.66	175.45
10.	झारखंड	3244.15	3244.15	3060.27	3060.27	1852.43	**
11.	कर्नाटक	1526.87	1526.87	1458.05	1458.05	1496.37	1344.73
12.	केरल	497.19	497.19	101.52	101.52	159.42	**
13.	मध्य प्रदेश	6052.44	6052.44	5973.00	5973.00	6466.80	6466.80
14.	महाराष्ट्र	2508.35	2184.80	3610.31	3264.60	2441.46	**
15.	मणिपुर	411.00	411.00	311.96	311.96	324.44	**
16.	मेघालय	0.00*	**	773.02	642.34	155.33	**

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मिजोरम	384.17	384.17	409.79	409.79	403.57	**
18.	नागालैंड	812.22	812.22	866.17	866.17	200.00	**
19.	उड़ीसा	4029.11	4029.11	4176.84	4176.72	4129.73	4129.73
20.	राजस्थान	3160.00	3160.00	3168.91	1495.82	3107.94	7.45
21.	सिक्किम	50.99	50.99	101.50	74.94	65.00	**
22.	तमिलनाडु	477.62	477.62	0.00*	**	291.39	**
23.	त्रिपुरा	570.32	570.32	485.04	485.04	434.88	434.88
24.	उत्तर प्रदेश	0.00*	**	499.12	367.7	391.28	**
25.	उत्तराखण्ड	249.00	214.49	107.81	132.28	20.00	**
26.	पश्चिम बंगाल	2151.00	2151.00	2151.62	2151.62	2489.09	**
कुल		40000.00	38985.81	39027.69	35503.62	33978.41	18155.76

*पूर्व वर्ष में निर्मुक्त निधियों के संबंध में राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्तावों/उपयोगिता प्रमाणपत्र/वास्तविक प्रगति की अप्राप्ति के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की गई।

**राज्यों ने उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया।

[अनुवाद]

विद्युत उपकरणों का विनिर्माण

4784. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :

श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उपकरण विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) ने 50:50 इक्विटी योगदान के साथ एनटीपीसी-

बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल) के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी शुरू की है। दिनांक 11.1.2008 को संयुक्त उद्यम करार हस्ताक्षरित किया गया तथा कंपनी 28.4.2008 को पंजीकृत की गई थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) संविदाओं के लिए बैलेंस आफ प्लांट (बीओपी) तथा विद्युत संयंत्र उपकरणों के विनिर्माण के क्षेत्र में क्षमता को विकसित करना है।

(ख) कंपनी वर्तमान में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि का पता लगाने की प्रक्रिया में है। एनटीपीसी- बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लि. (एनबीपीपीएल) ने भूमि के आबंटन के लिए दस राज्यों को लिखा था। जिसमें से 4 राज्य नामतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा ने उत्तर दिया है। एनबीपीपीएल को प्राप्त हुए 4 प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।

फ्रोजन डीमैट खाता

4785. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर विभाग को फ्रिज किए गए डीमैट खातों में बिना हिसाब-किताब के करोड़ों रुपयों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभाग ने इन खातों की जांच के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :
(क) जी, हां।

(ख) से (घ) आयकर विभाग फ्रीज किए गए ऐसे डीमैट खातों की जांच कर रहा है जिनमें दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार तकरीबन 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के अधिशेष थे। ऐसे खातों की संख्या 6385 है जिनका दिसम्बर 2008 में कुल अनुमानित शेयर मूल्य 6709.21 करोड़ रुपये और उस समय अनुमानित मूल्य 16230 करोड़ रुपये था जब डीमैट खाते फ्रिज किए गए। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में आयकर कार्रवाई के लिए संबंधित जांच निदेशालयों को ब्यौरे अग्रेषित किए गए हैं।

[हिन्दी]

चीन से विद्युत ट्रिलर्स का आयात

4786. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन से अनेक ब्रांडों के विद्युत ट्रिलर्स का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न ब्रांडों पर सीमा शुल्क किस दर से लगाया गया है;

(ग) इन ट्रिलर्स को किसानों को किस मूल्य पर उपलब्ध कराया गया है;

(घ) क्या आयात मूल्य और जिन मूल्यों पर इन ट्रिलर्स को किसानों को उपलब्ध कराया गया है; के बीच भारी अंतर है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम) :
(क) जी हां, देश में चीन से कई ब्राण्डों के पावर टिलर आयात किये जा रहे हैं।

(ख) इस समय 'पावर टिलरों' के आयात पर 12.034%, मूल्यानुसार, की कारगर दर से सीमा शुल्क लगाया जा रहा है।

(ग) सरकार किसानों को पावर टिलर सीधे प्रदान नहीं करती है।

(घ) सरकार न तो पावर टिलरों का आयात कर रही है और न ही उनकी बिक्री कर रही है। अतः वैयक्तिक विनिर्मित और पावर टिलरों के माडल और मूल्य के बारे में कोई जानकारी नहीं रखी जाती है। मूल्य बाजार-शक्तियों पर निर्भर करते हैं जो राज्य दर राज्य या एक ही राज्य में क्षेत्र दर क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हैं।

(ङ) सभी वर्गों के किसानों को, वहन किए जा सकने वाले मूल्य पर पावर टिलरों को उपलब्ध कराने के लिए, सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पावर टिलर के मूल्य का 25%, 45,000/- रुपये तक सीमित, की दर से, पहले से ही, सब्सिडी प्रदान कर रही है।

कर छूटों के कारण हानि

4787. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

श्री जगदीश शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान निगमित और गैर-निगमित फर्मों को कर छूटों तथा वित्तीय करों में छूट तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के कारण अनुमानतः 4,18,095 रुपए की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2007-08, 2006-07 और 2005-06 में भी इसी प्रकार की रियायतें दी गई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त वर्षों के दौरान सरकार को इसके परिणामस्वरूप राजस्व संग्रहण में दर्ज की गई कमी का ब्यौरा क्या है; और

(ड) क्या उक्त रियायतों से हुए लाभों का आकलन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम) :

(क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ड) वित्तीय वर्ष 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान छोड़े गये कुल राजस्व के अनुमानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	छोड़ा गया कुल अनुमानित राजस्व (रुपये करोड़ों में) (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों को शामिल करके)
2007-08	2,85,052
2006-07	2,39,712
2005-06	2,06,700

अनुमानों की तुलना में राजस्व वसूली में कमी विभिन्न कारणों से है, जैसे अनुमान निर्धारित करने के पश्चात दरों में कटौती, आर्थिक गतिविधियों मंदी मी अथवा राजकोषीय वर्ष के अंत में राजस्व वसूली की असामान्य प्रवृत्ति, आदि और इस प्रकार राजस्व प्राप्ति में कमी, करों में कटौती तथा छूटों के कारण छोड़े गये राजस्व के तथ्यतः अनुरूप नहीं है।

आगे, विभिन्न छूट एवं कटौतियां आधारभूत संरचनात्मक विकास, क्षेत्रीय विकास, निर्यात के संवर्धन, कुछ विशिष्ट उद्योगों आदि के संवर्धन से संबंधित है। व्यक्तियों को दी गई छूट एवं कटौतियां विशिष्ट वित्तीय लिखतों में बचत, अशक्त व्यक्तियों को निर्वाह के लिए, चिकित्सा बीमा प्रीमियम के भुगतान, उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए, परोपकारी (चैरिटेबल) कार्यों के लिए दान देने को प्रोत्साहित करने, आदि के लिए दी जाती हैं।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. फ्लैटों के लिए पंजीकरण शुल्क

4788. श्री कौशलेन्द्र कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डी.डी.ए. आवास योजना, 2006 और आवास योजना 2008 में आवेदन करने वाले ऐसे असफल उम्मीदवारों के प्रति आवेदन जमा किए गए 1.5 लाख रुपए के पंजीकरण शुल्क को रोक लिया है जहां पति तथा पत्नी दोनों ने आवेदन किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवास योजना, 2006 पंजीकरण शुल्क को जब्त किए जाने के मामले अभी भी डी.डी.ए. के पास लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो आवास योजना, 2008 की घोषणा के क्या कारण हैं जबकि संबंधित मामले पहले ही न्यायाधीन थे; और

(ड) आवास योजना, 2008 के ऐसे आवेदकों को पंजीकरण शुल्क वापस करने के लिए डी.डी.ए. द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है जहां पति तथा पत्नी दोनों ने आवेदन किए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) डीडीए ने बताया है कि असफल आवेदकों के मामले में, जहां आवास योजना 2006 तथा 2008 में पति और पत्नी दोनों ने आवेदन किया था, प्रति आवेदनपत्र 1.5 लाख रु. की रोकी गई राशि मार्च, 2009 में रिलीज कर दी गई है। तथापि, डीडीए आवास योजना-2008 के तहत जुर्माने और प्रशासनिक प्रभारों के रूप में 5,000/- रुपए प्रति आवेदन की राशि काटी गई है।

(ग) डीडीए ने बताया है कि ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है। आवेदकों को भुगतान करने के लिए धनराशि बैंकों को पहले ही दे दी गई है।

(घ) डीडीए आवास योजना-2006 के न्यायाधीन मामले अपात्र आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने से संबंधित थे, जबकि डीडीए आवास योजना-2008 विभिन्न स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों के नव निर्मित तथा उपलब्ध फ्लैटों के आबंटन के लिए शुरू की गई थी। इस प्रकार डीडीए आवास योजना-2006 तथा डीडीए आवास योजना-2008 के मामलों में कोई संबंध नहीं है।

(ड) उपर्युक्त (क) को देखते हुए डीडीए द्वारा फिलहाल आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

कम कार्य-निष्पादन करने वाले बैंकों की बिक्री

4789. श्री गजानन ध. बाबर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने प्रबंधग्रहण और विलय संबंधी मानदंडों को उदार बनाने संबंधी सुझाव के अतिरिक्त छोटे और कम कार्य-निष्पादन करने वाले सरकारी बैंकों की बिक्री का भी सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन छोटे और कम कार्य-निष्पादन करने वाले बैंकों के क्या नाम हैं जिनकी बिक्री अथवा विलय का प्रस्ताव है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उच्च स्तरीय समिति द्वारा छोटे और कम कार्य-निष्पादन करने वाले बैंकों के संबंध में की गई अन्य प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (घ) योजना आयोग द्वारा श्री रघुराम जी. राजन की अध्यक्षता में गठित वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने "ए हन्डरेड स्माल स्टेप्स" शीर्षक अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि-

- (i) छोटे, क्षेत्रीय एवं अलाभकारी बैंक उन सुप्रबंधित वित्तीय संस्थाओं, जो पूरक आस्तियां चाहते हैं, द्वारा अपने अधिकार में लेने के लिए स्वाभाविक उम्मीदवार होंगे।
- (ii) कमजोर बैंकों की पहचान हेतु अनुवीक्षण मानदंडों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कुल ऋण में अनुप्रयोज्य आस्तियों का अनुपात, आस्तियों पर आय, ईक्विटी पर आय तथा निवल ब्याज मार्जिन जैसे पैरामीटर शामिल हो सकते हैं।
- (iii) जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों अथवा सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अधिकार में लेने के लिए हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए यद्यपि एक कमजोर बैंक द्वारा अन्य कमजोर बैंक को अपने अधिकार में लेने को कोई औचित्य नहीं है।
- (iv) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने अधिकार में लेना गैर-सरकारी बैंकों को अपने अधिकार में लेने से अलग

नहीं होना चाहिए, जिसमें बैंकों के बोर्ड को प्रमुख भूमिका अदा करनी चाहिए।

(ख), (ग) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक भलीभांति पूंजीकृत हैं, उनका काफी कम एनपीए अनुपात है, विगत तीन वर्षों में उन्होंने लाभ दर्ज किया है और कार्यनिष्पादन संबंधी प्रमुख सूचकों पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार का यह भी विचार है कि बैंकों के विलय का प्रस्ताव स्वयं बैंकों से प्रस्तुत हो और सरकार एक आम शेरधारक के रूप में सहायक भूमिका निभाए।

बलात्कार पीड़ितों का पुनर्वास

4790. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार को बलात्कार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी, हां।

(ख) पीड़ितों को प्रस्तावित स्कीम के अंतर्गत तत्काल वित्तीय सहायता और पुनर्वास प्रदान किया जाना परिकल्पित है।

(ग) इस स्कीम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

औषधियों को जब्त किया जाना

4791. श्रीमती मीना सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, जुलाई और अगस्त माह के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जब्त किए गए मनःप्रभावी पदार्थों का मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम) :
(क) और (ख) जिस वर्ष मनः प्रभावी पदार्थों की जब्ती की गई,
वह वर्ष प्रश्न में निर्दिष्ट नहीं है। तथापि, राजस्व आसूचना निदेशालय

द्वारा जून, जुलाई और अगस्त 2009 के दौरान जब्त किए गए मनःप्रभावी
पदार्थों के मद-वार ब्यौरे (अलग से) एवं उन पर की गई कार्रवाई
निम्नानुसार है:-

माह	मामलों की सं.	औषधि का नाम	मात्रा	की गई कार्रवाई
जून, 2009	01	डाईजपम	194 कि.ग्रा.	3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।
	01	एल्प्राजोलम	27560 गालियों	2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।
जुलाई, 2009	01	डाईजपम	300 कि.ग्रा.	शून्य
अगस्त, 2009 (05.08.2009 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान

4792. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने
की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से गांधीनगर में
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार
संस्थान की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क)
जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं की स्थिति

4793. श्री उदय सिंह : क्या महिला और बाल विकास मंत्री
यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन
करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;
और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने
का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा
तीरथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निधियां जुटाना

4794. श्री अनंत कुमार हेगड़े :

श्री नित्यानंद प्रधान :

श्री चंद्रकांत खैरे :

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 2009-10 में बाजार
से धनराशि उधार लेने/जुटाने का है;

(ख) यदि हां, तो उन स्रोतों का ब्यौरा क्या है, जहां से उक्त
धनराशि उधार ली जाएगी;

(ग) प्रत्येक स्रोत से कितनी धनराशि उधार लिए जाने की
संभावना है; और

(घ) क्या बाजार में नकारात्मक प्रतिक्रिया का अभाव
सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यनीति तैयार की गई है/की जा रही
है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क)

जी हां। बजट अनुमान 2009-2010 के अनुसार, वित्त वर्ष 2009-2010 में दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से भारत सरकार के निवल बाजार उधार 3,97,957 करोड़ रुपये है। तथापि, 53,136 करोड़ रुपए की राशि की दिनांकित प्रतिभूतियों की अनुसूचित वापसी अदायगी को लेखे में लेने के बाद वित्त वर्ष 2009-2010 के सरकार के सकल बजटीय बाजार उधार 4,51,093 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) बजटीय बाजार उधार मुख्यतः दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से लिए जाने प्रस्तावित हैं। नीलामियों में दिनांकित प्रतिभूतियां वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, म्यूचुअल निधियों आदि जैसे सांस्थानिक निवेशकों तथा व्यष्टि, हिन्दु अविभक्त कुटुम्बों आदि जैसे गैर-संस्थागत निवेशकों द्वारा अभिदत्त हैं। इन स्रोतों से प्रत्येक की निश्चित राशि की जानकारी केवल नीलामियों के पूरा होने पर ही होगी।

(घ) वित्तीय बाजारों में बाजार उधारों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में बजटीय उधारों का उच्च अनुपात जुटाने का निर्णय लिया गया है। चूंकि वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा ऋण की मांग मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में संभावित सुधार के होने से तेज गति पकड़ेगी, इसलिए सरकार के बाजार उधारों को फ्रंटलोडेड किया गया है ताकि उधार कार्यक्रम को बिना किसी अवरोध के हाथ में लिया जा सके। तदनुसार, वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितम्बर, 2009) में 2,99,000 करोड़ रुपए बाजार उधार कार्यक्रम की जो वित्त वर्ष 2009-2010 का सकल उधार का लगभग 66 प्रतिशत है, विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों हेतु निर्देशक कैलेंडर के माध्यम से घोषणा की गई। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक भी सरकार द्वारा अपने मुक्त बाजार प्रचालनों के द्वारा निर्बाध उधारों को सुकर बनाता है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

4795. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिकांश परियोजनाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ अंतिम रूप देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में डेवलपर्स को छूट दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (च) जी, हां। तथापि 12वीं योजना के दौरान निजी क्षेत्रों सहित स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के विवरणों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। निजी क्षेत्र सहित परियोजना विकासकर्ताओं को मौजूदा नीति के अनुसार लाभ प्रदान किए जाएंगे।

कृषि ऋण आवेदनों का निपटान

4796. श्री राजू शेड्टी :

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ और रबी फसलों के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा अग्रिम कृषि ऋण किसानों को समय पर उपलब्ध होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या इसके कारण हैं;

(ग) क्या बड़ी संख्या में किसान ऋण आवेदनों के निपटान में विलंब के कारण प्रभावित होते हैं;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में बैंक-वार कितने आवेदन विभिन्न बैंकों के पास लंबित हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) कृषि के लिए ऋण उपलब्धता में, वर्ष 2003-04 में 86,981 करोड़ रुपए से वर्ष 2008-09 में 2,87,149 करोड़ रुपए (आंकड़े अनन्तिम) तक के रूप में निरन्तर वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, कृषि के लिए ऋण प्रदान करने के लक्ष्य को वर्ष 2008-09 के दौरान 2,80,000 करोड़ रुपए से वर्ष 2009-10 के लिए 3,25,000 करोड़ रुपए में संशोधन किया गया है। यह दर्शाता है कि सरकार, किसानों के लिए ऋण को समय पर उपलब्ध कराया जाना तथा वहनीय बनाया

जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य परिपत्र के अनुसार, 25,000/- रुपए तक ऋण के लिए सभी ऋण आवेदनों को कृषि आवेदनों सहित एक पखवाड़े के भीतर तथा 25,000/- रुपए से अधिक के आवेदन 08 से 09 सप्ताहों के भीतर निपटा दिए जाने चाहिए।

(ग) से (ङ) सरकार को ऋण आवेदनों के निपटाए जाने में विलंब के कारण किसानों को हो रही कठिनाइयों के बारे में कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, किसानों द्वारा ऋण आदि प्राप्त करने से संबंधित शिकायतों सहित सभी उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक सुदृढ़ आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया है। इस संबंध में, बैंकों को समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

एन.आई.एफ. को भंग करना

4797. श्री गुरुदास दासगुप्त :

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय निवेश कोष (एन.आई.एफ.) की स्थापना कब की गई थी;

(ख) क्या इस कोष को भंग कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :

(क) सरकार ने नवम्बर, 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) का गठन किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिभूतिकरण में पारदर्शिता

4798. श्री राजनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन आफ सिक्यूरिटीज कमीशन

(आई.ओ.एस.सी.) ने प्रतिभूतिकरण में अधिक पारदर्शिता पर बल देने के लिए कोई ड्राफ्ट पेपर तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो आर्गेनाइजेशन की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ग) इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन आफ सिक्यूरिटीज कमीशन (आई.ओ.एस.सी.) संबंधी तकनीकी समिति ने अविनियमित वित्तीय बाजारों और उत्पादों पर नवंबर, 2008 में एक कृतिक बल का गठन किया है, जिसने प्रतिभूतिकरण और सीडीएस के संबंध में एक परामर्शदात्री रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसे सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए आईओएससीओ की वेबसाइट पर डाला है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रतिभूतिकरण संबंधी सिफारिशों में ये शामिल हैं:- (i) निर्गमकर्ताओं द्वारा प्रकटन और सृजनकर्ताओं और/अथवा प्रायोजकों द्वारा प्रतिभूतिकरण के लिए दीर्घावधिक आर्थिक उद्भासनों के प्रतिधारण के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ाना, (ii) निर्गमकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विशेषज्ञों को स्वतंत्रता, (iii) जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए 'क्रेता पक्ष' की सहायता से वैकल्पिक साधनों के विकास को प्रोत्साहित करना, जिसमें विशेषज्ञों से उत्पाद के जीवनकाल से संबंधित रिपोर्टों का पुनर्वलोकन और अनुरक्षण करना अपेक्षित है, (iv) प्रकटन में सुधारों को अनिवार्य बनाना जिसमें आधार पूल निष्पादन और हामीवारों, प्रायोजकों और/अथवा सृजनकर्ताओं की समीक्षा पद्धतियों के बारे में प्रारंभिक और चल रही सूचना का प्रकटन शामिल है, (v) निवेशक उपयुक्तता अपेक्षाओं का सुदृढ़ीकरण और साथ ही सुविज्ञ निवेशक की परिभाषा और (vi) विनियामक पहुंच के कार्यक्षेत्र का मूल्यांकन और विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के संवर्धन के लिए अपेक्षित विनियामक शक्तियों संबंधी संवृद्धि पर विचार करना। ये प्रस्ताव औचित्यपूर्ण प्रतीत होते हैं।

[हिन्दी]

बिहार को प्रदान की गई निधियां

4799. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर बिहार को कितनी निधियां प्रदान की गईं और ये किन-किन शीर्षों के तहत प्रदान की गईं;

(ख) क्या सरकार ने उन कार्यमदों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जिन पर उक्त निधियां खर्च की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त जानकारी प्राप्त करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बिहार को मुहैया कराई गई निधियों की मात्रा का शीर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (05.08.2009) की स्थिति के अनुसार
वन	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50
स्वास्थ्य	289.30	322.57	179.83	200.51	223.57
शिक्षा	443.99	486.17	266.18	582.93	319.16
सड़क एवं पुल		77.34	77.34	77.34	38.67
सार्वजनिक भवन		89.90	44.95	44.96	44.95
विरासत संरक्षण		8.97	10.00	6.88	1.19
राज्यगत विशिष्ट जरूरतें		119.47	43.09	22.70	70.00
स्थानीय निकाय अनुदान	176.60	353.20	515.60	339.00	42.60
आपदा राहत कोष (सी. आर. एफ.)	55.85	55.85	233.23	121.86	62.80
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिता निधि (एन.सी.सी.एफ.)				1000.00	
कुल	966.74	1514.47	1371.22	2397.18	803.44

(ख) से (घ) बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत निधियों का उपयोग केवल उन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों पर हो सकता है जिसके लिए उन्हें जारी किया गया हो। इन अनुदानों के उपयोग की निगरानी एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। जारी अनुदानों की लेखापरीक्षा भी होती है।

[अनुवाद]

एल.आई.सी. के कारोबार का विस्तार

4800. श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश और विदेश में जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या एल.आई.सी. ने सरकार द्वारा बचत प्रोत्साहन वापिस लिए जाने के फलस्वरूप भारत और विदेशों में कारोबार का विस्तार करने के लिए अपनी रणनीति में संशोधन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने यह सूचित किया है कि 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार, इसके देश में 3,030 कार्यालय और विदेश में 10 कार्यालय (3 शाखा कार्यालय, 6 संयुक्त उद्यम कम्पनियां और एक प्रतिनिधि कार्यालय) हैं।

(ख) और (ग) एलआईसी ने यह सूचित किया है कि कारबार विस्तार हेतु इसकी कार्य नीतियां निम्नानुसार हैं:-

- (i) संसाधनों का संवर्धन एवं पुनर्वर्गीकरण।
- (ii) ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम), ग्राहक देख-रेख केन्द्र (सीसीसी) एवं महानगरीय क्षेत्र सेवा हब (एमएसएसएच) आदि जैसी सीआरएम पहलों के द्वारा विद्यमान ग्राहकों के साथ गहरे संबंध बनाकर ग्राहक आधार का सुदृढीकरण।
- (iii) प्रत्यक्ष विपणन जैसे नए माध्यमों से नए ग्राहक बनाना।
- (iv) नए उत्पाद विकसित करना।

इसके अतिरिक्त, एलआईसी की वर्ष 2009-10 के दौरान एक सौ साठ अनुषंगी कार्यालय और इसके साथ-साथ छियासठ अनुषंगी कार्यालय जो मुख्य जीवन बीमा सलाहकार (सीएलआईए) तथा बैकशेयोरेंस माध्यमों को पूर्णतः समर्पित हैं, खोलने की योजना भी है।

काला धन

4801. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

श्री संजय धोत्रे :

श्री सी. शिवासामी :

डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने यह सुझाव दिया है कि सरकार को देश में काले धन से छुटकारा पाने के लिए एक तीन चरणीय एकीकृत दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :

(क) और (ख) जी, हां। तत्कालीन केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने वर्ष 2001 में एक पेपर में काले धन से निपटने के लिए तीन चरणीय कार्यनीति का सुझाव दिया था जो इस प्रकार है:-

चरण-I। काले धन के जमाकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी ढांचे को मजबूत करना।

चरण-II। काला धन जमाकर्ताओं को उचित आयकर अदा करने के बाद सामने आने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराना।

चरण-III। चरण I में तैयार की गई कानूनी रूपरेखा का कठोर

एवं व्यापक प्रयोग।

(ग) सरकार ने इन सुझावों पर निम्नलिखित कदम उठाये हैं:-

(i) वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-10 के बजट भाषण में घोषणा की है कि सरकार नई प्रत्यक्ष संहिता जारी करके प्रत्यक्ष करों में अवसरचनात्मक परिवर्तनों को करने का प्रस्ताव करती है।

(ii) विवेकाधिकार को एक लक्ष्य के रूप में कम करके अप्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण को प्रारंभ करना।

(iii) अप्रत्यक्ष करों में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के क्षेत्र को 2005 में बढ़ाया गया था जिससे कि इसमें पूर्ण: स्वामित्व वाली अनुषंगी भारतीय कंपनियों को जो विदेशी शेयर धारित करने वाली कंपनियां हैं और जिसमें भारतीय निवासी भी हैं और जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं उन्हें भी शामिल किया जा सके।

(iv) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को 1.7.2005 से लागू किया गया है और इस अधिनियम के अंतर्गत जांच/अभियोजनों को जोरदार तरीके से किया जा रहा है। इसके साथ ही धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 में अन्य बातों के साथ-साथ सीमा शुल्क अपवचन के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषेध के अपवचन को धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

(v) आयकर विभाग ने काले धन को खोजने के लिए अनेक दंडात्मक एवं निवारक उपाय किये हैं। इनमें कर विवरणियों की संवीक्षा सर्वेक्षण, तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई, शास्ति लगाना और उपयुक्त मामलों में अभियोजन शुरू करना शामिल है। काले धन को खोज निकालने के लिए अन्य प्रयासों में करसूचना नेटवर्क (टिन) की स्थापना कर संबंधित महत्वपूर्ण सूचना के कोष के रूप में की गई है जिसका निर्धारण विभाग द्वारा किया जा सकता है। जहां तक संदिग्ध संव्यवहारों और बड़े नकद संव्यवहारों का संबंध है इस संबंध में सूचना जैसा कि भारत वित्त आसूचना एकक (एफ.आई.यू.इंड.) द्वारा प्रसारित की जाती है की भी जांच आयकर विभाग द्वारा की जाती है।

[हिन्दी]

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु मास्टर प्लान

4802. श्री राकेश सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई मास्टर प्लान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) :
(क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्र सरकार का देशभर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई मास्टर प्लान शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत आयोजना की आवश्यकता को जिला आयोजन समिति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है जिसे संविधान के भाग-IX क के अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत गठित किया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2008 में "एकीकृत जिला आयोजना के लिए मैनुअल" भी प्रकाशित किया है।

परिपक्वता पर बीमा राशि का भुगतान न किया जाना

4803. श्री जगदम्बिका पाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के कितने पॉलिसीधारकों को पॉलिसी परिपक्व होने के पश्चात् भी भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) एल. आई. सी. के पास तीन वर्षों से अधिक समय से कितनी धनराशि गैर-दावाकृत पड़ी है;

(ग) पॉलिसी धारकों के ऐसे खातों का किस प्रकार निपटान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस अदावाकृत धनराशि को गरीबों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों हेतु इस्तेमाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क)

दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार, 36,18,310 पॉलिसियों के संबंध में दावों का भुगतान किया जाना था, जिनमें से 35,82,387 मामलों में दावों का निपटान कर दिया गया है और बकाया दावे 35,923 अर्थात् देय परिपक्व दावों का 0.99% हैं।

(ख) 36,923 बकाया दावों में से 17 दावे तीन साल से भी अधिक अवधि से बकाया हैं, जिनमें 4,36,263/- रु. अंतर्ग्रस्त हैं।

(ग) जीवन बीमा निगम बकाया दावों की नियमित रूप से निगरानी करता है और संबंधित पालिसी धारकों के साथ अनुवर्तन द्वारा ऐसे मामलों का निपटान करने का प्रयास करता है। यह निगरानी एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके लिए जीवन बीमा निगम अपने एजेंटों और विकास अधिकारियों को नियमित आधार पर सहायता भी लेता है।

(घ) यह अदावी राशि पालिसी धारकों की है और यह निगम की बहियों पर दायित्व है, जिसका निपटान, इसके भुगतान संबंधी अपेक्षाएं पूरी होने पर किया जाएगा।

कोटा सुपर ताप विद्युत संयंत्र

4804. श्री खिलाडी लाल बैरवा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा सुपर ताप विद्युत संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संयंत्र की सभी उत्पादन इकाइयां चालू हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनसे पूर्ण विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल और वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (घ) वर्तमान में कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र की छह यूनिटों से इसकी संस्थापित क्षमता 1045 मेगावाट है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
1	2
यूनिट-1	110

1	2
यूनिट-2	110
यूनिट-3	210
यूनिट-4	210
यूनिट-5	210
यूनिट-6	195
कुल (मेगावाट)	1045

1045 मेगावाट समेकित क्षमता वाली उपर्युक्त सभी छह यूनिटें संचालित हैं।

195 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट-7 को 30.05.2009 को ग्रिड से जोड़ा जा चुका है तथा कोल फायरिंग से चालू किए जाने के अधीन है। अगस्त, 2009 में इस यूनिट को कोयले पर लाए जाने की संभावना है, तथा सितंबर, 2009 से वाणिज्यिक उत्पादन (सीओडी) की संभावना है। इसके बाद कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र की कुल संस्थापित क्षमता 1240 मेगावाट हो जाएगी।

[अनुवाद]

सौर पैनलों का आयात

4805. श्री संजय निरूपम : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सौर पैनलों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों का आयात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारूख अब्दुल्ला) :

(क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

धारा 35 क घ के अंतर्गत कर राहत

4806. श्री के. सुधाकरण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बजट 2009-10 में आयकर अधिनियम 1961 में लागू की गई धारा 35 क घ से सरकारी और निजी क्षेत्र की कौन-कौन सी कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है;

(ख) प्रत्येक कंपनी को कितनी धनराशि की कर राहत मिलेगी और इससे सरकार को कितनी धनराशि का नुकसान होगा; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :

(क) आयकर अधिनियम की धारा 35 क घ में उल्लिखित विनिर्दिष्ट कारोबार करने में लगा कोई भी उपक्रम इसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन इसके अंतर्गत लाभ के लिए पात्र है। इसलिए किसी ऐसी सार्वजनिक या निजी कंपनी का नाम बता पाना संभव नहीं है जिसे धारा 35 क घ के प्रावधानों से लाभ होने की संभावना है।

(ख) कर राहत की मात्रा तथा राजस्व क्षति की राशि विनिर्दिष्ट कारोबारों में किए गए निवेश पर निर्भर होगी जिनके लिए यह कर लाभ उपलब्ध है। इस समय इस संबंध में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

4807. श्री प्रदीप माझी :

श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित और राज्य सरकारों द्वारा छोटे तथा मध्यम उपनगरों के लिए विभिन्न शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के

कार्यान्वयन हेतु उपयोग में लाई गई धनराशि का गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उक्त अवधि के दौरान आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कर्नाटक सहित राज्य सरकारों ने इस संबंध में अधिक सहायता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत राज्य-वार सात वर्षीय मिशन (वर्ष 2005-2012) आबंटन मुहैया कराया गया है। उपलब्ध कराये गए राज्य-वार आबंटन की गई वचनबद्धता और अब तक वर्षवार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। गोवा, नागालैंड राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित धनराशि का अब तक उपयोग नहीं किया है।

(ग) गोवा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के लिए अब तक परियोजनाओं की पहचान नहीं की है। एक परियोजना के संबंध में राज्य अंश की वचनबद्धता नहीं किए जाने के कारण नागालैंड राज्य को धनराशि जारी नहीं की गई है; शेष परियोजनाएं तकनीकी रूप से स्वीकृत नहीं हैं।

(घ) और (ङ) कर्नाटक सहित अधिकांश राज्यों की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) ने उन परियोजनाओं को अनुमोदित किया है जिनके लिए उनके सात वर्षीय आबंटन से अधिक धनराशि की आवश्यकता है तथा इसके लिए धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत राज्यों के लिए समय-समय पर आबंटन बढ़ाने का अनुरोध किया गया

है। दिसम्बर, 2008 में, योजना आयोग, भारत सरकार ने 'एक कस्बा-एक परियोजना' के मानदंड पर दिसम्बर, 2008 तक अनुमोदित लंबित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के भाग के रूप में 5000.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन मुहैया कराया था। इस मानदंड का पालन करते हुए, दिसम्बर, 2008 तक एसएलएससी द्वारा अनुमोदित तथा तकनीकी रूप से स्वीकृत निम्नलिखित राज्यों की परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी की गई है:

क्र.सं.	राज्यों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	गुजरात
5.	जम्मू तथा कश्मीर
6.	कर्नाटक
7.	केरल
8.	मध्य प्रदेश
9.	महाराष्ट्र
10.	मणिपुर
11.	मिजोरम
12.	मेघालय
13.	उड़ीसा
14.	पंजाब
15.	राजस्थान
16.	त्रिपुरा
17.	उत्तराखंड
18.	पश्चिम बंगाल

विवरण

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत अब तक उपलब्ध कराया गया आबंटन, की गई वचनबद्धता और जारी एसीए की राज्य-वार स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिशन के लिए आबंटन	अब तक की गई कुल वचनबद्धता	2005-06 के दौरान जारी एसीए	2006-07 के दौरान जारी एसीए	2007-08 के दौरान जारी एसीए	2008-09 के दौरान जारी एसीए	2009-10 के दौरान जारी एसीए	वित्त मंत्रालय/ गृह मंत्रालय द्वारा अब तक जारी कुल एसीए (प्रोत्साहनों सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	49031.00	196361.55	4919.68	25568.26	23546.05	75586.14	245.05	129865.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	746.00	3542.38	0.00	0.00	000	1771.19		1771.19
3.	असम	10129.00	18953.14	0.00	1363.93	1645.22	6946.80		9955.95
4.	बिहार	25478.00	21119.94	0.00	3642.83	2689.05	4342.50		10674.38
5.	छत्तीसगढ़	13478.00	13472.92	0.00	2447.46	4289.00	0.00		6736.46
6.	गोवा	2211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7.	गुजरात	35182.00	35195.58	2444.18	6002.90	2678.67	12169.74		23295.49
8.	हरियाणा	19559.00	13277.69	0.00	0.00	4189.99	2524.58		6714.57
9.	हिमाचल प्रदेश	1744.00	1642.98	000	357.33	392.11	85.59		835.03
10.	जम्मू और कश्मीर	3545.00	28252.70	0.00	10100.02	2724.25	1508.92		14333.19
11.	झारखंड	11452.00	7861.94	0.00	0.00	4003.32	0.00		4003.32
12.	कर्नाटक	44314.00	55116.01	0.00	8216.71	6091.10	14891.23		20199.04
13.	केरल	23282.00	34532.14	0.00	3363.03	5194.27	8783.42		17340.72
14.	मध्य प्रदेश	43843.00	61232.28	000	7554.74	10864.06	12973.89		31392.69
15.	महाराष्ट्र	66476.00	216603.57	0.00	11774.69	1014.78	88262.04		110211.51
16.	मणिपुर	1260.00	5670.09	000	0.00	644.49	2200.95		2845.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	719.00	1289.93	0.00	0.00	0.00	644.97		644.97
18.	मिजोरम	824.00	1399.54	0.00	0.00	0.00	699.77		699.77
19.	नागालैंड	1028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20.	उड़ीसा	18179.00	17990.83	0.00	2234.43	2435.04	4410.38		9079.86
21.	पंजाब	22660.00	31785.23	0.00	0.00	7587.04	8367.20		15954.24
22.	राजस्थान	40143.00	49063.07	1383.63	4300.70	3555.95	19181.71		28421.99
23.	सिक्किम	120.00	3617.25	0.00	0.00	735.08	1085.40		1820.48
24.	तमिलनाडु	70597.00	70618.38	0.00	12168.51	10493.41	29231.76		51893.68
25.	त्रिपुरा	1376.00	7100.13	0.00	0.00	2005.00	1577.38		3582.38
26.	उत्तर प्रदेश	94792.00	94447.49	0.00	20534.14	10340.12	16866.71	1950.12	49691.09
27.	उत्तराखंड	4670.00	4938.60	0.00	0.00	0.00	2469.30		2469.30
28.	पश्चिम बंगाल	31525.00	31199.57	0.00	5267.38	4122.00	11388.40		20777.78
29.	दिल्ली	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
30.	पुदुचेरी	557.00	3134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1567.20	1567.20
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	193.00	1491.78	0.00	0.00	0.00	26.00		26.00
34.	लक्षद्वीप	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
35.	दमन एवं दीव	220.00	753.90	0.00	0.00	0.00	31.00		31.00
कुल		639997.00	1033665.00	8747.49	124897.06	120400.00	328026.97	3762.37	585833.90

[हिन्दी]

धार्मिक शहरों का विकास

4808. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार महाराष्ट्र के शिरडी सहित देश के धार्मिक शहरों के विकास हेतु निधियां आवंटित करती है ताकि वहां अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप सुविधाएं और पहुंच उपलब्ध हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में श्री साईबाबा न्यास प्रबंधन, शिरडी अथवा महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो शिरडी सहित ऐसे धार्मिक शहरों का विकास करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) :

(क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-मिशन-1 के अंतर्गत, 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 35 शहरों को मिशन शहरों में शामिल किया गया है। इसके अलावा, राजधानी शहरों के साथ-साथ धार्मिक/ऐतिहासिक और पर्यटन की महत्ता वाले 30 शहरों को शामिल किया गया है। शिरडी को मिशन शहरों की सूची में शामिल नहीं है। शहरों की सूची संलग्न विवरण-1 पर दी गई। 7 वर्ष की मिशन अवधि हेतु जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन घटक के अंतर्गत धनराशियों का मूल आबंटन शहर-वार न करके राज्य-वार किया गया था और संलग्न विवरण-11 में है। वर्ष 2008-09 में, जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों और राज्य-राजधानियों के लिए 100 करोड़ रुपए और अन्य शहरों के लिए 50 करोड़ का अतिरिक्त आबंटन किया गया था।

(ग) से (ङ) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने अन्य बातों के साथ यह अनुरोध किया है कि बाबा की समाधि की शताब्दी मनाने के लिए संरचना तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सहायता देने हेतु मिशन शहरों की सूची में शिरडी शहरी समूह को शामिल किया जाए और यदि जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शिरडी को शामिल करना संभव नहीं तो छोटे और मझोले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) और एकीकृत आवास स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत इस पर विचार किया जाए और शिरडी के विकास हेतु अतिरिक्त धनराशि आबंटित की जाए। महाराष्ट्र के शिरडी शहर को पहले ही यू आई डी एस एस एम टी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है तथा 2426.00 लाख रुपए की एक सीवरेज परियोजना अनुमोदित की गई है और राज्य सरकार को 1006.79 लाख रुपए की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में जारी की गई है।

विवरण-1

जेएनएनयूआरएम में शामिल शहरों की सूची

क्र.सं.	शहर/शहरी समूह	राज्य का नाम
1	2	3

क. मेगा शहर/शहरी समूह

1.	दिल्ली	दिल्ली
2.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र
3.	अहमदाबाद	गुजरात
4.	बेंगलूर	कर्नाटक
5.	चेन्नई	तमिलनाडु
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश

ख. मिलियन प्लस शहर/शहरी समूह

1.	पटना	बिहार
2.	फरीदाबाद	हरियाणा
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश
4.	लुधियाना	पंजाब
5.	जयपुर	राजस्थान
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
7.	मद्रुरै	तमिलनाडु
8.	नासिक	महाराष्ट्र
9.	पुणे	महाराष्ट्र
10.	कोचीन	केरल
11.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश

1	2	3
13.	अमृतसर	पंजाब
14.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
15.	वडोदरा	गुजरात
16.	सूरत	गुजरात
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
18.	नागपुर	महाराष्ट्र
19.	कोयमबटूर	तमिलनाडु
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश
22.	जमशेदपुर	झारखण्ड
23.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
25.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
26.	राजकोट	गुजरात
27.	धनबाद	झारखण्ड
28.	इंदौर	मध्य प्रदेश

ग. एक मिलियन से कम आबादी वाले अभिज्ञात शहर/शहरी समूह

1.	गुवाहाटी	असम
2.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
3.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़
5.	पणजी	गोवा
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
7.	रांची	झारखण्ड

1	2	3
8.	तिरुवनंतपुरम	केरल
9.	इम्फाल	मणिपुर
10.	शिलांग	मेघालय
11.	आईजोल	मिजोरम
12.	कोहिमा	नागालैंड
13.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
14.	गंगटोक	सिक्किम
15.	अगरतला	त्रिपुरा
16.	देहरादून	उत्तरांचल
17.	बोध गया	बिहार
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश
19.	पुरी	उड़ीसा
20.	अजमेर-पुष्कर	राजस्थान
21.	नैनीताल	उत्तरांचल
22.	मैसूर	कर्नाटक
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
24.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा
25.	श्री नगर	जम्मू और कश्मीर
26.	मथुरा	उत्तर प्रदेश
27.	हरिद्वार	उत्तरांचल
28.	नांदेड़	महाराष्ट्र
29.	पोरबंदर	गुजरात
30.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश

विवरण-II

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
(जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन के अंतर्गत
वर्ष 2005-12 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना
आयोग द्वारा धनराशि का संसूचक आबंटन

क्र.सं.	राज्य का नाम	7 वर्ष (2005-2012) के लिए आबंटन (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1718.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.40
3.	असम	173.20
4.	बिहार	442.41
5.	चंडीगढ़	170.87
6.	छत्तीसगढ़	148.03
7.	दिल्ली	2723.18
8.	गोवा	20.94
9.	गुजरात	2078.81
10.	हरियाणा	223.32
11.	हिमाचल प्रदेश	30.36
12.	जम्मू-कश्मीर	338.36
13.	झारखंड	641.20
14.	कर्नाटक	1374.59
15.	केरल	474.76
16.	मध्य प्रदेश	978.50
17.	महाराष्ट्र	5055.55
18.	मणिपुर	52.87

1	2	3
19.	मेघालय	56.68
20.	मिजोरम	48.22
21.	नागालैंड	16.28
22.	उड़ीसा	172.35
23.	पंजाब	507.75
24.	पुडुचेरी	106.80
25.	राजस्थान	598.69
26.	सिक्किम	6.13
27.	तमिलनाडु	1950.66
28.	त्रिपुरा	40.18
29.	उत्तर प्रदेश	2119.41
30.	उत्तराखण्ड	205.34
31.	पश्चिम बंगाल	3018.40
कुल		25500.00

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाएं

4809. श्री आनंदराव अडसुल :

श्रीमती सुशीला सरोज :

श्री गजानन ध. बाबर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी के प्रभाव से बचाने के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं और कृषि क्रियाकलापों को एकीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और कामगारों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन

गारंटी योजना (एनआरईजीएस) जैसी एक नई योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में परिसंपत्ति सृजन की स्वरोजगार योजना जैसे - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), मजदूरी रोजगार योजना जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजना जैसे - इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों के निर्माण की योजना जैसे - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शामिल हैं। ये सभी योजनाएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्रियाकलापों से जुड़ी हुई हैं। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एनआरईजीए, इंदिरा आवास योजना के ग्रामीण आवास कार्यक्रम तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में बढ़ा हुआ आबंटन देती है ताकि वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आई वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम किया जा सके।

(ग) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नए विनियामक

4810. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक वित्तीय संस्थानों के सुधार, बेलआउट, संरक्षणवाद, शासन, वित्तीय वैश्वीकरण और सुरक्षित स्थानों के लिए वित्तीय परिवर्तनों की सुरक्षा के नियंत्रण हेतु अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन की तर्ज पर एक कठोर विनियामक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विनियामक की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है और यह किस प्रकार लाभप्रद होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान की पर्यटन क्षमता

4811. श्री देवजी एम. पटेल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य में पर्यटन की अपार क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या घरेलू और विदेशी पर्यटक देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान का ज्यादा भ्रमण कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने घरेलू और विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान का दौरा किया पर्यटक स्थल-वार राजस्थान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राजस्थान के इन पर्यटक स्थलों के विकास के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों (2006 से 2008 तक) के दौरान राजस्थान में विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों के आगमन की संख्या निम्नानुसार है:-

	2006	2007	2008*
घरेलू	23483287	25920529	28358918
विदेशी	1220164	1401042	1477646

*अनंतिम

पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय उनसे प्राप्त, योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण, प्रस्तावों के आधार पर, पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर पर्यटन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

पर्यटन मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान पर्यटन अवसंरचना से संबंधित 57.44 करोड़ रु. की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

अटारी-बाबा बार्डर का समेकित विकास

4812. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवाारी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अटारी-वाघा बार्डर के पर्यटन स्थल के रूप में समेकित विकास हेतु धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के पूरा होने में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार उनसे प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर और पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया करता है। पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में पंजाब में बाघा बार्डर के एकीकृत विकास की 484.58 लाख रु. की कुल राशि की एक परियोजना को मंजूरी दी है।

(ग) और (घ) पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों तथा स्थल दौरों के माध्यम से परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करता है और राज्य सरकारों से इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जोर डाला जाता है।

महिलाओं को बैंक ऋण

4813. श्री वैजयंत पांडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अपने शुद्ध बैंक ऋण का 5 प्रतिशत ऋण महिलाओं को देने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों ने इस प्रस्ताव का पूर्णतः अनुपालन किया है;

(घ) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों के दौरान चूककर्ता बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में बैंकों द्वारा दिए गए ऋण से लाभान्वित महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2001 में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) को अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 5% महिला उद्यमियों के लिए निश्चित करने की सलाह दी थी।

(ग) और (घ) मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सिर्फ चार बैंक नामतः इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला तथा आईडीबीआई बैंक और मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के दो बैंक नामतः स्टेट बैंक आफ पटियाला तथा आईडीबीआई बैंक 5% का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके।

(ङ) मार्च, 2008 तथा 2009 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिलाओं को ऋण के तहत बकाया खातों की कुल संख्या क्रमशः 92,23,366 एवं 105,67,238 थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि महिलाओं को ऋण संबंधी राज्यवार आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं। तथापि, मार्च, 2008 एवं 2009 की समाप्ति के अनुसार बैंक-वार खातों की संख्या (बकाया) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिलाओं को ऋण के तहत मार्च, 2008 एवं 2009 की समाप्ति के अनुसार खातों की संख्या (बकाया)

बैंक का नाम	2008 खातों की संख्या	2009 खातों की संख्या
1	2	3
इलाहाबाद बैंक	254490	282007
आन्ध्रा बैंक	401341	493761
बैंक ऑफ बड़ौदा	360049	519658
बैंक ऑफ इंडिया	399269	388289
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	167327	167168
केनरा बैंक	911608	1003411

1	2	3
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	381209	435071
कारपोरेशन बैंक	129158	134877
देना बैंक	82700	95818
इंडियन बैंक	490140	550750
इंडियन ओवरसीज बैंक	461935	489044
ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स	114014	115027
पंजाब नेशनल बैंक	560377	844356
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	38537	39845
सिंडिकेट बैंक	479643	523467
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	422868	426000
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	316820	317526
यूको बैंक	274885	264852
विजया बैंक	155861	156908
भारतीय स्टेट बैंक	1833470	2240852
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	127831	136405
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	311681	373159
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	82165	98219
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	107425	112327
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	64594	72284
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	56301	0
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	217231	241752
आईडीबीआई बैंक	20437	44405
कुल	9223366	10567238

[हिन्दी]

अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाना

4814. श्री राधा मोहन सिंह :

श्री जयप्रकाश अग्रवाल :

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने तथा इनसे नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कॉलोनियों को कब तक नियमित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचना दी है कि नियमितीकरण के लिए 1639 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने सूचना दी है कि वह अनधिकृत कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं मुहैया करा रही है। अनधिकृत कॉलोनियों में विकास संबंधी कार्य आरंभ करने के लिए रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2800 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास निगम, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली और बिजली वितरण कम्पनियों (डीआईएससीओएम) जैसी एजेन्सियां अनधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्य में लगी हुई हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सड़कों और नालियों के निर्माण का विकास कार्य 949 अनधिकृत कॉलोनियों में प्रगति पर है; 490 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाईप लाइनें बिछाई गई हैं और 26 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाई गई हैं। 1256 अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली मुहैया कराई गई है।

(घ) भारत सरकार ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2007 को अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली

विकास प्राधिकरण द्वारा दो अधिसूचनाएं दिनांक 24 मार्च, 2008 तथा 16 जून, 2008 को जारी की गई हैं जिसके द्वारा दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के विनियमन अधिसूचित किए गए हैं दिनांक 16 जून, 2008 की अधिसूचना की गई व्यवस्था के अनुसार, ऐसी अनधिकृत कालोनियों को अनन्तिम नियमितीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि के बाद अनधिकृत कालोनियों के औपचारिक नियमितीकरण के लिए 1 वर्ष की समय सीमा दी गयी है। रा.रा.क्षे, दिल्ली सरकार ने यह भी सूचना दी है कि दिनांक 4.10.2008 की स्थिति के अनुसार, 1218 अनधिकृत कालोनियों को अनन्तिम नियमितीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

दिवंगत कर्मचारियों की बकाया धनराशि का भुगतान

4815. श्री एम.आई. शानवास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत कर्मचारियों और पेंशनरों के मामले में छूटे वेतन आयोग के बकाए के भुगतान हेतु उत्तराधिकरण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र आदि पर जोर दिए बिना मृत पेंशनरों के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों के भुगतान को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) दिवंगत कर्मचारियों के मामले में 10,000/- रुपए से अधिक बकाया राशि का भुगतान दावेदार द्वारा क्षतिपूर्ति बंध-पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जाता है। जहां तक पेंशनरों का संदर्भ है, यदि नियमों के तहत वैध नामांकन मौजूद है तो बकाया राशि का भुगतान नामित व्यक्ति को किया जाएगा। यदि कोई वैध नामांकन मौजूद नहीं है, तो बकाया राशि का भुगतान दिवंगत पेंशनर के उत्तराधिकारियों को किया जाएगा। छूटे वेतन आयोग के बकायों के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(ग) मौजूदा प्रक्रिया को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिक्कों की ढलाई

4816. श्री पी.टी. थॉमस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नए मूल्य वर्ग के सिक्कों की ढलाई और नए मूल्य-वर्ग के नोटों की छपाई का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धब्बे रहित और जल-रोधी नोट जारी करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विदेशों में भारतीय नोट छापे जाते हैं और सिक्कों की ढलाई की जाती है; और

(च) यदि हां, तो नोटों की अनधिकृत छपाई रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभाव

4817. श्रीमती सुशीला सरोज :

श्री राकेश सिंह :

श्री पी. बलराम :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक आय संबंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, खाद्य सुरक्षा, अवसरचना, महिला कामगारों के रोजगार आदि सहित सभी कार्यक्रमों के सामूहिक प्रभाव के मूल्यांकन हेतु कोई गांव आधारित अध्ययन कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन संबंधी इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सार्थकता तथा प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से समय-समय पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करता रहा है। जिले को एक इकाई मानकर सूक्ष्म स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं तथा इस तरह के अध्ययनों के लिए तैयार की गई विस्तृत प्रक्रियाविधि में ग्राम स्तर पर प्राथमिक सर्वेक्षण के आंकड़े एकत्र करना शामिल होता है। इन प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों से मुख्य रूप से यह पता चलता है कि हालांकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव के मामले में राज्यभर में विविधता है तथापि, कुल मिलाकर इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से ग्रामीण गरीबों की आय के स्तर को बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद मिली है। ग्रामीण गरीबों के लिए मकानों, ग्रामीण सड़कों, शौचालय सुविधाओं, पेयजल आपूर्ति इत्यादि जैसी वास्तविक, आर्थिक तथा सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के सृजन से ग्रामीण समुदाय को बाजार तक सड़क संपर्क के अलावा बेहतर मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक आय, खाद्य सुरक्षा तथा आधारभूत सुविधाओं इत्यादि पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, नरेगा के संबंध में राष्ट्रीय भारतीय महिला परिसंघ द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चलता है कि इस कार्यक्रम ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं, महिला मंडलों तथा अन्य सामाजिक - आर्थिक समूहों में उनकी और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है।

तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच

4818. श्री मधु गौड यास्खी :

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने इराक में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के कतिपय व्यक्तियों/कम्पनियों की कथित संलिप्तता

के संबंध में इराक, लेबनान और जोर्डन में अधिकारियों से संपर्क करने हेतु मंत्रालय की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच प्रारंभ की जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) से (घ) प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में अनेक देशों में संबंधित प्राधिकारियों के साथ जांच-पड़ताल कर रहा है।

कृषि ऋण की वसूली

4819. श्री अघलराव पाटील शिवाजी :

श्री आनंदराव अडसुल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना अनेक राज्यों में सूखे जैसे हालात को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋणों की वसूली को स्थगित करने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक उधारकर्ताओं को प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत देने हेतु उधारकर्ताओं के लिए किए जाने वाले राहत उपायों के लिए एक मास्टर परिपत्र जारी करके बैंकों को स्थायी मार्गनिर्देश दिए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- फसल ऋणों तथा फसल मीयादी ऋणों और साथ ही उन पर ब्याज को मीयादी ऋणों में बदलना;
- फसल नष्ट होने की बारम्बारता फसल-क्षति की गंभीरता पर निर्भर करते हुए ऋणों और उन पर ब्याज को 3 से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए बददलना/पुनर्निर्धारण करना;
- प्रभावित किसानों के लिए नए फसल ऋण;
- बदले गये/पुनर्निर्धारित कृषि ऋणों को 'चालू देय राशि' मानना;
- बदले गये/पुनर्निर्धारित ऋणों, आदि के संबंध में ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनाना;

- प्रतिभूति एवं मार्जिन संबंधी मानदंडों में छूट देना;
- जिन किसानों की फसलें नष्ट हो गई हों, उनके लिए उपभोग ऋणों का प्रावधान; और
- पुनर्गठन करते समय न्यूनतम एक वर्ष की ऋण-अधिस्थगन अवधि;
- शिल्पियों एवं स्व-नियोजित व्यक्तियों तथा लघु एवं अत्यन्त छोटे एककों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, इस परपत्र में बैंकों द्वारा व्यवसाय निरन्तरता योजना, ग्राहकों की अपने बैंक खातों तक आसान पहुंच, कुशल मुद्रा प्रबंधन, रियायती केवाईसी मानदंड तथा प्रभावित क्षेत्रों में समाशोधन सेवा में निरन्तरता के मुद्दे का भी समाधान किया गया है। ऋण-अधिस्थगन, अधिकतम चुकौती अवधि, पुनर्गठित ऋणों के लिए अतिरिक्त सम्पार्श्विक तथा नए वित्त के संबंध में आस्ति वर्गीकरण संबंधी अनुदेश कृषि को छोड़कर उद्योग एवं व्यापार-खातों सहित सभी प्रभावित पुनर्गठित उधार खातों के लिए लागू किए गए हैं।

नाबार्ड

4820. श्री विक्रमभाई अर्जुनभाई मादम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की निधियों की बढ़ती लागत से सरकार के वित्तीय समावेशन के कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) नाबार्ड द्वारा बनायी गयी प्रस्तावित लघु वित्तपोषण संस्थाओं के कार्यकरण का क्षेत्र क्या है;

(घ) क्या नाबार्ड के लघु वित्तपोषण क्षेत्र में प्रवेश करने से नाबार्ड वंचित ग्रामीणों का सेवा करने संबंधी अपने मूलभूत सिद्धांत से हट जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को

सुकर बनाने के उद्देश्य से, दो निधियों अर्थात् वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक मध्यवर्तियों की लागत पूरी करने के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ), और प्रौद्योगिकी अपनाने की लागत पूरी करने के लिए वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) की स्थापना, 500 करोड़ रुपये प्रत्येक के समग्र कार्पस से की है। दोनों निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास स्थापित की गई हैं। इन निधियों में प्रारम्भिक निधीयन भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में किया जाना है।

(ग) नाबार्ड ने नाबार्ड वित्तीय सेवाएं लिमिटेड (एनएबीएफआईएनएस) के रूप में विद्यमान 'कर्नाटक कृषि विकास वित्त कम्पनी लिमिटेड' को पुनर्गठित किया है। यह नाबार्ड की एक अनुषंगी है। यह सभी प्रकार की सूक्ष्म वित्त सेवाएं प्रदान करेगी और भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक ढांचे के अंतर्गत कार्य करेगी। एनएबीएफआईएनएस एक माडल सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई) के रूप में कार्य करेगी, और एमएफआई क्षेत्र के लिए बेंचमार्क एवं मानक तैयार करने में मदद करेगी।

(घ) और (ङ) नाबार्ड लाभ कमाने के उद्देश्य से खुदरा खंड में प्रवेश करने का आशय नहीं रखता है। एमएफआई क्षेत्र के लिए बेंचमार्क एवं मानक तैयार करने के उद्देश्य से एक अनुषंगी के माध्यम से खुदरा खंड में प्रवेश करने से सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में नाबार्ड की विकासात्मक भूमिका और भी सुदृढ़ होने की संभावना है। इससे ग्रामीण, शोषित वर्गों की सेवा करने में नाबार्ड और समर्थ होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शहरीकरण संबंधी नीति

4821. श्री अंजनकुमार एम. यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय शहरीकरण नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) :

(क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय शहरी सफाई व्यवस्था नीति के साथ-साथ राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति तैयार की है तथा शहरी करण पर नीति परिप्रेक्ष्य से संबंधित समस्याओं का आयोजन प्रक्रिया के जरिए समाधान किया जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शहरी विकास

की कार्य नीतियों की रूपरेखा तैयार की गयी है जिसमें क्षमता निर्माण और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के जरिए शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करना; नगरों की क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी और नवीन पद्धतियों के उपयोग को बढ़ाना, शहरी गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करना, निजी क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना, ई-शासन को प्रोत्साहित करना और शासन से संबंधित मुख्य शहरी सुधारों का कार्यान्वित करना, वित्तीय सुस्थिरता भूमि और सम्पत्ति प्रबंधन, नागरिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और समग्र विकास शामिल है। उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें बुनियादी अवस्थापना जैसे जलापूर्ति, सीवरेज और ठोस करना प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और शहरी नवीकरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए सुधारों से जुड़ी केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने का प्रावधान है। मिशन 2005-2012 की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है।

[अनुवाद]

राज्य महिला आयोग

4822. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी राज्य सरकारों ने राज्य महिला आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और कुछ राज्यों द्वारा राज्य महिला आयोगों का गठन नहीं किए जाने के कारण हैं; और

(ग) इनका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सभी राज्यों ने अपने-अपने राज्य महिला आयोग गठित कर लिए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयकर वापसी पर ब्याज

4823. श्री नवीन जिन्दल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का भुगतान आयकर वापसी पर ब्याज के रूप में करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन मामलों का ब्यौरा क्या है जहां ब्याज पर दस लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है;

(घ) किन परिस्थितियों के कारण ब्याज के रूप में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा है; और

(ङ) इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (एस. एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिदायों पर अदा किए गए ब्याज के विवरण निम्न प्रकार हैं:-

वित्तीय वर्ष	अदा किया गया ब्याज (करोड़ रुपये में)
2005-06	4553
2006-07	3693
2007-08	4410
2008-09	आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

(ग) उन मामलों के विवरण अलग से नहीं रखे जाते, जिनमें दस लाख रुपये से अधिक का ब्याज अदा किया गया।

(घ) कर निर्धारती को प्रतिदाय और उस पर ब्याज का भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 के सांविधिक उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

(ङ) विभाग ने प्रतिदाय को समय पर सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं ताकि उन पर अदा किए गए ब्याज को कम किया जा सके-

(i) विवरणों का कम्प्यूटरीकृत संसाधन।

- (ii) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी विवरणियों को संसाधित करने और विवरणी दायर करने के 6 माह के भीतर प्रतिदायों को जारी करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) स्रोत पर काटे गए कर विवरणियों की ई-फाइलिंग का प्रारंभ।
- (iv) शीघ्र संसाधन के लिए विवरणियों की ई-फाइलिंग का प्रारंभ।
- (v) विभाग, बंगालुरु में केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया में लगा है। इससे कर्नाटक क्षेत्र के सभी करदाताओं के लिए और देश भर में ई-फाइल की गई सभी विवरणियों के लिए विवरणियों को शीघ्र संसाधित करने और प्रतिदाय जारी करने में सुविधा प्राप्त होती है।

[अनुवाद]

मेगा सिटी

4824. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेगा सिटी का दर्जा प्राप्त करने हेतु शहरों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में कुछ शहरों को मेगा सिटी का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) स्थानीय सरकार से संबंधित मामले राज्य की विषय सूची में आते हैं और भारत सरकार ने किसी शहर को मेगा सिटी का दर्जा देने के लिए कोई सामान्य मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। शहरों का वर्गीकरण विभिन्न स्कीमों के तहत अलग-अलग ढंग से किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही एक प्रमुख स्कीम है, के अंतर्गत शहरों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

(क) 4 मिलियन से अधिक आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाले नगर/शहरी समूह, (ख) मिलियन से अधिक परन्तु 4 मिलियन (2001 की जनगणना के अनुसार) से कम आबादी वाले नगर/शहरी समूह (ग) पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में नगर/कस्बे शहरी समूह और (घ) उपरोक्त विनिर्दिष्ट के अलावा नगर/शहरी समूह। मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की पूर्ववर्ती केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर शहर शामिल थे। तथापि जेएनएनयूआरएम के शुरू होने के बाद यह बंद हो गई है।

पर्यटन स्थल

4825. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात सहित देश में पर्यटन स्थलों की पहचान की है तथा पर्यटन स्थलों के अनुसार कोई वरियता-क्रम निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर के रूप में विकसित और संवर्धित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) मंत्रालय ने मेगा परियोजनाओं के माध्यम से विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अब तक 29 गंतव्यों/परिपथों की पहचान की है, उनमें से गुजरात में द्वारका सहित गंतव्यों/परिपथों के लिए 20 मेगा परियोजनाओं को पहले से ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

मछुआरों को ऋण

4826. श्री तथागत सत्यथी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वे मछुआरों को ऋण नहीं प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ग) सरकार को मछुआरों से उन्हें किसी भी प्रकार के ऋण के लिए मना करने के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में शिकायत निवारण हेतु सुदृढ़ आन्तरिक व्यवस्था है, जिसे मछुआरों द्वारा ऋण प्राप्त करने से संबंधित शिकायतों, आदि सहित सभी ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाया गया है। इस संबंध में बैंकों को समय-समय पर विभिन्न अनुदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

दहेज-विरोधी कानून, 1961

4827. श्रीमती सुमित्रा महाजन:

श्री मिलिंद देवरा:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग का विचार दहेज-विरोधी कानून, 1961 को और अधिक सख्त बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त कानून में संशोधन करने का है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2005, 2006 तथा 2007 में देश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत क्रमशः 3204, 4504 और 5623 मामले दर्ज किए गए, जिससे यह पता चलता है कि दहेज के लिए महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपराधों में वृद्धि हो रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

एनटीपीसी के ऋण

4828. श्री पी. बलराम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने पूंजी व्यय के वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपए के ऋण का समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) एनटीपीसी ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 11वीं पंचवर्षीय पूंजीगत व्यय योजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु अब तक 35,963 करोड़ रुपए का ऋण सुनिश्चित किया है।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सुनिश्चित ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10
घरेलु उधारी (बांड सहित)	5475	13475	15050
बाह्य वाणिज्यिक उधारी	1963 (अनुमानित)	—	—

*यूएसडी 380 मिलियन तथा यूरो 68.563 मिलियन के ऋण समझौते थे। मार्च 2008 के विनियम दर को ध्यान में रखते हुए आंकड़े तैयार कर लिए गए हैं।

(ग) एनटीपीसी, नवरत्न कंपनी, अपनी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार से सकल बजटीय सहायता पर निर्भर नहीं

रहती है। एनटीपीसी घरेलू एवं विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए बाजार से निधियां जुटाती हैं।

[हिन्दी]

जाली नोटों का प्रचालन

4829. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एटीएम मशीनों के द्वारा जाली नोट दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि एटीएम के माध्यम से जाली नोट न दिए जाएं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि एटीएम के जरिए जाली मुद्रा दिए जाने के कुछ दृष्टान्त उनकी जानकारी में आए हैं, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	मूल्यवर्ग	नोटों की संख्या
1	2	3
2005	100	01
	500	20
	1000	शून्य
2006	100	शून्य
	500	शून्य
	1000	शून्य
2007	100	शून्य
	500	07
	1000	शून्य

1	2	3
2008	100	शून्य
	500	03
	1000	01
जून 2009 तक	100	शून्य
	500	04
	1000	शून्य

बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं कि अपने पटलों और एटीएम के जरिए छूटे गए और असली नोट ही संवितरित करे और जब एटीएम को बाहरी एजेंसियों द्वारा दुबारा भरा जाए तो पर्याप्त जांच करें। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कभी भी या शिकायतें मिलने पर एटीएम का अचानक निरीक्षण किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके जरिए जाली नोट संवितरित किए जा रहे हैं अथवा नहीं।

भारतीय रिजर्व बैंक उन चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध उपयुक्त विनियामक कार्रवाई करता है, जो उनके द्वारा जारी मार्गनिर्देशों/निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

इस्पात पर सीमा शुल्क लगाना

4830. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात के आयात पर शुल्क की दरें क्या रही हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों की स्टील मदों पर लागू बुनियादी सीमा शुल्क दरें नीचे दर्शाई गई हैं:

क्र.सं.	स्टील मदों की श्रेणियां	सीमा शुल्क दर		
		2007-08	2008-09	2009-10
1.	स्टील मदें अर्थात् फेरो-अलॉयज, फ्लैट रॉल्ल्ड उत्पाद (हॉट रॉल्ल्ड एंड कोल्ड रॉल्ल्ड), छड़े, रड, एंगल्स, स्टेनलेस स्टील/ अन्य अलॉय स्टील के आकार एवं वर्ग; तथा अन्य अलॉय स्टील के तार	5%	5%	5%
2.	ट्यूब्स और पाईप्स	10%	10%	10%
3.	पुराने एवं दोषपूर्ण इस्पात और स्टील	10%	10%	10%
4.	इस्पात एवं स्टील के मेल्टिंग स्क्रेप	5%	शून्य	शून्य
5.	स्टेनलेस स्टील के मेल्टिंग स्क्रेप	5%	5%	5%

वर्ष 2008-09 के दौरान क्र.सं.1 पर बुनियादी सीमा शुल्क अप्रैल में घटा कर 'शून्य' कर दिया गया था ताकि कतिपय मुद्रा स्फीति दबाव को कम किया जा सके, परन्तु नवम्बर में इसे पुनः 5% कर दिया गया।

(ख) वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में इंजीनियरिंग संस्थान

4831. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी), राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) का विचार संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश में एक इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक स्थापित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 1.2.2009 को संयुक्त रूप से घोषणा की गई थी

कि एनटीपीसी लि. तथा एनएचपीसी लि. हिमाचल में सुयक्त रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करेंगे तथा इसके अतिरिक्त एसजेवीएनएल द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया जाएगा।

(ख) कालेज की स्थापना संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल (पंजाब) के द्वारा अपनाए गए मॉडल के आधार पर होगी।

(ग) चूंकि प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्तर पर है, अतः इन संस्थानों की स्थापना की निश्चित समय सीमा के बारे में नहीं बताया जा सकता।

[अनुवाद]

वैश्विक आर्थिक संकट का प्रभाव

4832. श्री रुद्रमाधव राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक वैश्विक आर्थिक संकट के मद्देनजर अपनायी गई विस्तारकारी नीति को वापिस लेने की संभावना तलाश कर रहा है, जैसाकि दिनांक 21 जून, 2009 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उद्योग की पुनरुद्धार योजनाओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में क्या एहतियाती उपाए किए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति 2009-10 की प्रथम तिमाही की समीक्षा जो दिनांक 28 जुलाई, 2009 को जारी की गई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम आधिकारिक दस्तावेज है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें कहा है कि समग्र मूल्यांकन के आधार पर 2009-10 की शेष अवधि के लिए मौद्रिक नीति का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा "मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के अनुरूप एक ऐसी मौद्रिक और ब्याज दर प्रणाली बनाए रखना होगा जो अर्थव्यवस्था को फिर से उच्च विकास के रास्ते पर लाने में सहायक हो सके।" इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी उल्लेख किया है कि "रिजर्व बैंक तब तक अनुकूल मौद्रिक नीति अपनाएगा जब तक अर्थव्यवस्था के समुत्थान के निश्चित और जबर्दस्त संकेत दिखाई नहीं देते। हालांकि, यह अनुकूल मौद्रिक दृष्टिकोण सरकार का स्थायी दृष्टिकोण नहीं है। आने वाले समय में भारतीय रिजर्व बैंक को स्फोटिकारी संभावनाओं को रोकने और विकास की गति बनाए रखते हुए स्फोटिकारी दबावों को कम करने के लिए विस्तारकारी उपायों से पलटना होगा। यह निकासी कार्ययोजना उत्पन्न हो रहे वृहद आर्थिक घटनाक्रमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।"

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या

4833. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने तथा अन्य राज्यों से होने वाले आवाजन को रोकने के तरीकों का पता लगाने के निदेश दिए और हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

काली सिंध विद्युत परियोजना

4834. श्री दुष्यंत सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काली सिंध विद्युत परियोजना की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है और परियोजना की प्रस्तावित अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) इसके वाणिज्यिक उत्पादन का अनुमानित समय क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और मुआवजे के भुगतान की कोई व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी हां। काली सिंध ताप विद्युत परियोजना (टीपीपी) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरयूवीएनएल) द्वारा जिला झालावार राजस्थान में निर्माणाधीन है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 4600 करोड़ रुपये है तथा इस परियोजना की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 2x 600 मे.वा. = 1200 मे.वा. है।

(ग) काली सिंध परियोजना की यूनिट-1 तथा यूनिट-2 की संभावित वाणिज्यिक परिचालन की तिथियां क्रमशः जनवरी, 2012 तथा मार्च, 2012 हैं।

(घ) और (ङ) आरआरयूवीएनएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार काली सिंध विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के कारण किसी भी व्यक्ति को विस्थापित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध

4835. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराध की प्रकृति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उधार नियमों को शिथिल बनाए जाने के संबंध में
आंध्र प्रदेश का अनुरोध

4836. श्री एल. राजगोपाल :

श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से बजट प्रबंधन के राजकोषीय उत्तरदायित्व (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम में संशोधन करने और उसे बाजार से ऋण लेने की अनुमति देने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से मुक्त बाजार से 5966 करोड़ रुपए के ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति देने का अनुरोध भी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ङ) जी, हां। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया है कि राज्य सरकार को ऋण माफी के लाभों और ब्याज राहत में वंचित किए बगैर बाजार से 5966 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि लेने की अनुमति दी जाए ताकि अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण राजस्व की कमी को पूरा किया जा सके। आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्री ने 06 जुलाई, 2009 को दिए अपने बजट भाषण में घोषणा की कि राज्य सरकारों को वर्ष 2009-10 के लिए उनके जी.एस.डी.पी. के 4 प्रतिशत तक राज्यों के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों में ढील देते हुए उन्हें अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। इससे आंध्र प्रदेश राज्य सरकार चालू वर्ष में 14852 करोड़ रुपए तक उधार ले सकेगी।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

4837. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2030 तक देश में बिजली की अनुमानित मांग क्या होगी और इसमें से कितने प्रतिशत की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की जा सकेगी; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) :

(क) समेकित ऊर्जा नीति (2006) पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में किए गए अनुमानों के अनुसार देश में 8% जीडीपी विकास दर पर बिजली की मांग वर्ष 2031-32 में 7,78,000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता आवश्यकता के साथ 3880 बिलियन किलोवाट घंटा तक पहुंच जाएगी। एक परिदृश्य के अंतर्गत वर्ष 2031-32 में विभिन्न स्रोतों से कुल ऊर्जा आपूर्ति 1536 एमटीओई होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें से अक्षय ऊर्जा स्रोतों का अंशदान लगभग 5.6% होने का अनुमान है।

(ख) सरकार द्वारा अक्षय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के कार्य में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए एक आकर्षक पैकेज (राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों का मिश्रण) लाया गया है। इसमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यहारास, शून्य/रियायती उत्पाद और सीमा शुल्क शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में अक्षय विद्युत के उत्पादन अथवा उत्पादन और संवितरण के लिए स्थापित उपक्रमों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1ए के अंतर्गत लाभ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमाम्य शुल्क-दर दी जा रही है।

म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट

4838. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) रूल्स, 2000 को लागू करने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) रूल्स, 2000 को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के तहत सितम्बर, 2000 में अधिसूचित किया गया है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कचरे के एकत्रण, पृथक्करण, भंडारण और परिवहन निपटान के लिए लैंडफिल सुविधाओं की स्थापना तथा कचरा शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए

म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण I, II और III में दी गई है।

म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और छोटे तथा मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास (यूआईडीएसएसएमटी) स्कीम के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मंत्रालय ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 37 शहरों के लिए 2186.14 करोड़ रु. की कुल लागत वाली 40 ठेस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं तथा यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत 393.98 करोड़ रु. की कुल लागत वाली 65 कस्बा परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

विवरण-I

कचरे के एकत्रीकरण, पृथक्करण, भंडारण और परिवहन के लिए पहल-प्रयास

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कचरे के एकत्रीकरण, पृथक्करण, भंडारण, भंडारण और परिवहन में सुधार लाने के लिए स्थानीय निकाय द्वारा किए गए पहल-प्रयास
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	पोर्ट ब्लेयर में, जिसमें 21000 मकान शामिल हैं
2.	आंध्र प्रदेश	सभी स्थानीय निकायों में घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने का कार्य शुरू किया गया।
3.	अरुणाचल प्रदेश	ईटा गनर-नहरलागुन
4.	असम	गुवाहाटी, सिलचर
5.	बिहार	अभी शुरू किया जाना है।
6.	चंडीगढ़	घर-घर जाकर एकत्र करने का कार्य व्यापक रूप में किया जा रहा है।
7.	छत्तीसगढ़	58 स्थानीय निकायों द्वारा शुरू किया गया।
8.	दमन दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	अभी शुरू किया जाना है।
9.	दिल्ली	कुछ जोनों में चल रहा है
10.	गोवा	पणजिम और अन्य कस्बों में
11.	गुजरात	73 स्थानीय निकायों ने पहल-प्रयास शुरू किए हैं (अहमदाबाद, सूरत, बेजलपुर, गांधीनगर, मोदासा, हिम्मतनगर, नदियाड, नवसारी, अलंग, वसल)
12.	हरियाणा	
13.	हिमाचल प्रदेश	शिमला, मंडी और हमीरपुर में प्रारंभ

1	2	3
14.	जम्मू और कश्मीर	आईएनआर
15.	झारखण्ड	आईएनआर
16.	कर्नाटक	80 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शुरू किया गया।
17.	केरल	कई कस्बे शामिल हैं।
18.	लक्षद्वीप	केवारती
19.	मध्य प्रदेश	• 33 स्थानीय निकायों ने कुछ पहल-प्रयास किए हैं (भोपाल, इंदौर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल, अमरकंटक, चांदी, उज्जैन आदि) • 4493 वार्डों में से 3139 वार्डों में घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने का कार्य शुरू किया गया तथा 1932 वार्डों में कचरा पृथक्करण का कार्य शुरू किया गया।
20.	महाराष्ट्र	अनेक स्थानों पर स्थानीय निकायों ने घंटा गाड़ियों और कूड़ेदानों का उपयोग करके घर-घर जाकर कचरा एकत्र किया गया है। (पूर्ण, नासिक, नागपुर, मुम्बई और अन्य)
21.	मणिपुर	अभी शुरू किया जाना है।
22.	मिजोरम	एजवाल के लिए शुरू किया गया
23.	मेघालय	शिलांग, जोवल, तूरा, विलियमनगर, बाघमोरा, रेसुबेलपुरा के कुछ वार्डों में शुरू किया गया।
24.	नागालैंड	कोहिमा, दीमापुर
25.	उड़ीसा	अभी शुरू किया जाना है।
26.	पंजाब	मंडी, गोविन्दगढ़ और करतारपुर में प्रस्ताव किया जा रहा है।
27.	पुडुचेरी	पुडुचेरी, करलकल
28.	राजस्थान	14 शहरी स्थानीय निकायों ने उपाय किए हैं।
29.	सिक्किम	गंगटोक और एस-डब्ल्यू जिले
30.	तमिलनाडु	तिरुप्पुर, नमक्कल, उदुमलपेट, उटी और अन्य
31.	त्रिपुरा	अगरतला में आंशिक रूप से किया गया
32.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ, कानपुर, (चुनिन्दा वार्डों में)
33.	उत्तराखण्ड	पिथौरागढ़

1	2	3
34.	पश्चिम बंगाल	• 126 स्थानीय निकायों में से, 119 ने कुछ पहल-प्रयास किए हैं। • बराकपुर, बिधाननगर, दमदम, कमरहाटी, कचरापाड़ा, खरदाहा, मध्यमग्राम, नैहटी, न्यू बराकपुर, नार्थ बराकपुर, नार्थ दमदम, राजहट-गोपालपुर, साउथ दमदम, राजपुर-सोनापुर, कुल्टी, सुरी, कूच बिहार, सिलिगुड़ी, भद्रेश्वर, रिसरा, उत्तरपाड़ा-कोटंग, बल्ली, हावड़ा, कोलकाता, इंग्लिश बाजार, खड़कपुर, कांडी, नलसादविप, बलूरघाट के लिए घर-घर जाकर कचरा एकत्रीकरण (>50%)

विवरण-॥

कचरा निपटान के लिए लैंडफिल सुविधाओं की स्थापना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लैंडफिल	किए गए पहल प्रयास	पहचान किए गए स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान निकोबार	शून्य	पोर्ट ब्लेयर	1
2.	आंध्र प्रदेश	विजय नगरम	सूर्यपेट, हैदराबाद, विजयवाड़ा विजयनगरम	81 (शहरी स्थानी निकाय)
3.	अरुणाचल प्रदेश	आईएनआर	आईएनआर	आईएनआर
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
5.	चंडीगढ़	निर्माणाधीन स्थल	—	—
6.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	68
7.	दमन दीव	शून्य	दमन एवं द्वीप	01 (दादरा)
8.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
9.	गोवा	शून्य	शून्य	13
10.	गुजरात	सूरत, अलांग	एयूडीए के 12 शहरी स्थानीय निकायों के लिए साझा स्थल	142
11.	गुवाहाटी	शून्य	शून्य	1
12.	हरियाणा	सिरसा	फरीदाबाद, हिसार, अम्बाला, गुड़गांव	36
13.	हिमाचल प्रदेश	कोई नहीं	शिमला, चोवारी, चम्बा, नालागढ़, चम्बा	52

1	2	3	4	5
14.	झारखंड	आईएनआर	आईएनआर	आईएनआर
15.	जम्मू और कश्मीर	आईएनआर	आईएनआर	आईएनआर
16.	केरल	शून्य	कोझीकोडा	53
17.	कर्नाटक	बंगलौर, मंगलौर, करवर, पुत्तूर अंकोला	सिरसी, डंडेल, भटकल, कुंदापुर, उदुपी और चिकमंगलूर	शेष 213 स्थानीय निकायों ने स्थलों की पहचान कर ली है।
18.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
19.	मध्य प्रदेश	22	130	305
20.	महाराष्ट्र	नासिक, सोनपथ, अम्बाड	जालना, नवापुर, पुणे, मोर्ढ जनजीरा, पिम्परी, चिन्ववाड	241
21.	मणिपुर	शून्य	इम्फाल, विष्णुपुर, जिन, थाउबाल, काकचिंग, मार्च	प्रत्येक एक (8)
22.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
23.	मेघालय	शून्य	शिलांग	04
24.	नागालैंड	शून्य	कोहिमा	01
25.	उड़ीसा	शून्य	03	51
26.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
27.	पुडुचेरी	शून्य	पुडुचेरी	1
28.	राजस्थान	जोधपुर	14 कस्बों में प्रस्तावित	152
29.	सिक्किम	शून्य	सिक्किम का दक्षिण- पश्चिम जिला	1
30.	तमिलनाडु	शून्य	नामक्कल, त्रिरूपुर, उदुमलपेट	104
31.	त्रिपुरा	शून्य	अगरतला	8
32.	उत्तर प्रदेश	आईएनआर	आईएनआर	आईएनआर
33.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य
34.	पश्चिम बंगाल	एनडी एण्ड एनबी में निर्माणाधीन	30	30

विवरण-III

कचरा शोधन संयंत्रों की स्थापना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कम्पोस्ट संयंत्र		वरमी कम्पोस्ट	
		चालू	नियोजित/प्रस्तावित/उपयोग प्रमाणपत्र	चालू	नियोजित
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा, सूर्यपेट, कडप्पा, मन्डोपेट, रामगुंडम, अदिलाबाद			
3.	अरुणाचल प्रदेश	आईएनआर	आईएनआर	आईएनआर	आईएनआर
4.	असम	केमरूप	गुवाहाटी, डिब्रुगढ़ सिलचर, सिबसागर	शून्य	शून्य
5.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	12	12		
8.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दिल्ली	दिल्ली (2)	शून्य		
10.	गोवा	वास्को में पणजी में 70 विकेन्द्रीकृत कम्पोस्टिंग संयंत्र	पाण्डा में 15	शून्य	शून्य
11.	गुजरात	अहमदाबाद, राजकोट, वल्साड, वडोदरा	वर्मी कम्पोस्ट के लिए पहचान किए गए 962 शहरी स्थानीय निकाय + 31 नए शहरी स्थानीय निकाय तथा कम्पोस्टिंग के लिए 34 शहरी स्थानीय निकाय	शून्य	शून्य
12.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
13.	हिमाचल प्रदेश	शिमला, कुल्लु, बन्टर, मनाली, सोलन कांगड़ा/ नगरकोटा, नाहन, उना और हमीरपुर	धर्मशाला, पोन्टा, पालनमपुर, नलगढ़, मंडी		
14.	जम्मू और कश्मीर	आईएनआर	आईएनआर	आईएनआर	आईएनआर
15.	झारखंड	आईएनआर	आईएनआर	आईएनआर	आईएनआर
16.	कर्नाटक	मंगलौर, बंगलौर	निर्मल नगर (8 शहरी स्थानीय निकाय)	शून्य	शून्य
17.	केरल	16	12	7	1
18.	लक्षद्वीप	25 ईकाइयां	शून्य	(25 ईकाइयां)	शून्य
19.	मध्य प्रदेश	4	67	8	36
20.	महाराष्ट्र	12, अकोला, पुणे, पिम्परी- छिन्दवाड, कोल्हापुर, अम्बाड, नागपुर, सोनपथ, मुराद- नवापुर, जनजीरा, भीरा- भयन्दर, नासिक	बारामती जालना	अम्बेमठ	शेगांव, पोधरपुर, भंडारा, पनवेल
21.	मणिपुर	शून्य	इम्फाल,	शून्य	विशानुपुर, थाउसबल, मोर्च, जिन, काकचिंग
22.	मेघालय	शिलांग	तुरा	शून्य	तुरा
23.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	नागालैंड	शून्य	कोहिमा	शून्य	शून्य
25.	उड़ीसा	(2) पुरी, पारादीप	14	शून्य	1
26.	पुडुचेरी	पुडुचेरी, आउटगेट, करलकल, नेडुंगडु	1+	1+	शून्य
27.	पंजाब	शून्य	5	शून्य	शून्य
28.	सिक्किम				
29.	तमिलनाडु	त्रिरूपुर, नामक्कल	उदुमलपेट	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
30.	त्रिपुरा	शून्य	अगरतला	बोलोन्गा कुमारघाट	अमापुर, खोवल, धर्मानगर, कनलपुर, रानी बाजार, उदयपुर
31.	उत्तराखंड	शून्य	पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, नैनीताल		
32.	उत्तर प्रदेश				
33.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता +7 शहरी स्थानीय निकाय	28	05	शून्य

**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ
समझौता ज्ञापन**

4839. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) के अंतर्गत कार्यों के समुचित नियोजन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में बंजर भूमि के विकास हेतु कृषि मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से भी सहायता मांगी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल अधिकार कार्यकर्ता

4840. श्री गजानन ध. बाबर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों को ज्यादा विशेषाधिकार देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को बच्चों के लिए योजनाएं तैयार करने के निदेश दिए हैं तथा उन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बच्चों को और अधिक विशेषाधिकार दिए जाने के संबंध में बाल अधिकार कार्यकर्ताओं से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, नई स्कीमों/कार्यक्रमों के निरूपण के लिए सरकार समय-समय पर अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए हाल ही में एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 'समेकित बाल संरक्षण स्कीम' शुरू की है। इस स्कीम को राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पूर्व-निर्धारित भागीदारी अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विद्युत संयंत्रों का पुनरुद्धार

4841. श्री उदय सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के कार्यों के कितना पूरा होने की संभावना है और हाल ही में विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण से विद्युत उत्पादन क्षयता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : विश्व बैंक ने भारत में निम्नलिखित कोल फायर्ड स्टेशनों के पुनर्वास के

लिए यूएसडी 180 मिलियन का ऋण और यूएसडी 45.4 मिलियन के बराबर के ग्लोबल एनवायरमेंट फ़ैसिलिटी (जीईएफ) के अनुदान को 18 जून 2009 को मंजूरी दे दी है:-

- (i) बांडेल (इकाई-5)/पश्चिम बंगाल
- (ii) कोराडी (इकाई-6)/महाराष्ट्र
- (iii) पानीपत (इकाई-3 और 4)/हरियाणा

इस काम को पूरा करने के लिए अपेक्षित अवधि तथा इकाइयों के ऊर्जा कुशल नवीकरण और आधुनिकीकरण के पूरा होने के पश्चात् अपेक्षित बिजली उत्पादन में वृद्धि निम्नवत् होगी-

क्रम सं.	विद्युत केन्द्र/यूटिलिटीयों के नाम	राज्य का नाम	इकाई सं.	नवीकरण और आधुनिकीकरण के पहले क्षमता (मे.वा.)	नवीकरण और आधुनिकीकरण के बाद अपेक्षित क्षमता (मे.वा.)	पूरा होने का अपेक्षित समय	क्षमता में शुद्ध वृद्धि (मे.वा.)
1.	बांडेल टीपीसी, डब्ल्यूबीपीडीसीएल	पश्चिम बंगाल	5	210	215	2013	5
2.	कोराडी टीपीएस एमएसपीजीसीएल	महाराष्ट्र	6	210	215	2013	5
3.	पानीपत टीपीएस, एचपीजीसीएल	हरियाणा	3	110	115	2014	5
4.	पानीपत टीपीएस, एचपीजीसीएल	हरियाणा	3	110	115	2014	5
कुल				640	660		20

न्यूनतम वैकल्पिक कर

4842. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम वैकल्पिक कर में बढ़ोतरी से कितना राजस्व मिलने की संभावना है;

(ख) कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर बढ़ाने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार न्यूनतम वैकल्पिक कर में वृद्धि पर पुनर्विचार करने और इसे वापिस लेने का है ताकि कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ डालने से बचा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :
(क) लगभग 20,000 करोड़ रुपए।

(ख) न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर खाता लाभ के दस प्रतिशत

से बढ़ाकर खाता लाभ का पंद्रह प्रतिशत कर दी गई है ताकि कर छूटों/प्रोत्साहनों के प्रभाव को उत्तरोत्तर रूप से कम किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषकों को राजसहायता

4843. श्री राजू शेडटी :

डॉ. मन्दा जगन्नाथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी प्रणाली तैयार की है जिससे कृषकों को राजसहायता सीधे अंतरित की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कृषकों तक राजसहायता कब तक सीधे पहुंचने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ग) बजट घोषणा 2006-07 के अनुसार, सरकार, किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना के माध्यम से ब्याज दरों पर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ताकि उन्हें 09 महीनों की अवधि के लिए 3.00 लाख रु. तक का अल्प-अवधि फसल ऋण 7% की ब्याज दर से प्रति वर्ष उपलब्ध हो सके। योजना के अनुसार, सरकार, (i) सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों को उनके अपने स्रोतों द्वारा संवितरित ऋणों पर 2% की दर से ब्याज सब्सिडी (वर्ष 2008-09 के लिए 3%) प्रदान कर रही है तथा (ii) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा निधियों की लागत तथा पुनर्वित्त की दर के बीच ब्याज विभेदकों की सब्सिडी द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को रियायती दरों पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है।

यह योजना वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान कार्यान्वित की गई थी। सरकार वर्ष 2009-10 से, उन किसानों को, जो अपने अल्प-अवधि फसल ऋणों का समय पर भुगतान करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 01 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता भी प्रदान करेगी। ताकि, इन किसानों के लिए ब्याज दर घटकर प्रति वर्ष 6 प्रतिशत तक हो जाए।

[हिन्दी]

गांधी से संबंधित स्थानों का विकास

4844. श्रीमती मीना सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी से संबंधित स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया गया है/किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सहित विभिन्न राज्यों ने इस संबंध में धनराशि/अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त स्थानों पर आने वाले पर्यटकों को राज्य-वार क्या सुविधाएं मुहैया करायी गयी हैं/कराने का विचार है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) पर्यटक स्थलों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एवं पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटक गंतव्य के रूप में दांडी के विकास एवं साबरमती आश्रम में ध्वनि एवं प्रकाश शो की परियोजनाओं को 10वीं योजना के दौरान मंजूरी दी गई थी।

[अनुवाद]

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों द्वारा आवासों का प्रतिधारण

4845. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा उनको मुहैया करायी गयी राजसहायता से आर्बिटल अपने आवासों को बेच न सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटकों-शहरी गरीबी हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत स्वामित्व की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और भूमि का स्वामित्व अधिमान्यता पत्नी के नाम से अथवा वैकल्पिक पति और पत्नी के नाम से करने का प्रावधान है। राज्य सरकारों ने आर्बिटल आवासों से लाभार्थियों को बेदखल न करने के लिए अल्पावधि या दीर्घावधि अथवा लिए गए किसी भी आवासीय ऋण की अवधि के लिए पट्टाभूमि अहस्तांतरणीय अधिकार जैसे तंत्र तैयार किए हैं।

विद्युत के विवेकाधीन कोटे को बेचना

4846. श्री राजनाथ सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत के विवेकाधीन कोटे को बेचने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ग) उन राज्यों पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; जो विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

झारखण्ड में पंचायत चुनाव

4847. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झारखण्ड में पंचायत चुनाव कराने के मामले पर शीघ्र सुनवाई हेतु भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय से विशेष अनुरोध करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां पर ये चुनाव न कराए जाने से राज्य को क्या हानि हुई है/हो रही है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) और (ख) संघ सरकार ने झारखण्ड में पंचायत चुनाव कराने के मामले पर शीघ्र सुनवाई हेतु भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है। दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को बहस पूरी हो गई।

(ग) राज्य में पंचायतों के गठन नहीं किए जाने की वजह से, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243 ख एवं 243 ग में उपबंधित है, झारखण्ड राज्य को 12वें वित्त आयोग के अनुदानों की निर्मुक्ति संभव नहीं हो पायी है।

कर वसूली में अनियमितता

4848. श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह :

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर वसूली से संबंधित खातों में हुई अनियमितताओं के कारण हुए भारी वित्तीय नुकसान का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम) :

(क) जी, नहीं। सरकार कर वसूली के संबंध में किसी प्रकार की वित्तीय हानि या अनियमितता की प्रत्याशा नहीं करती है। संगत कानूनों (बैंक खातों का अधिग्रहण, अचल संपत्ति आदि की कुर्की एवं बिक्री सहित) के अंतर्गत जैसा विहित है बकाया कर देयताओं की वसूली के लिए किये गये उपायों के अतिरिक्त, कर बकाया की वसूली में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय किये जाते हैं:-

(i) कार्यबल द्वारा बड़े मामलों में राशि की वसूली की निगरानी।

(ii) अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष पर्यटन राशि वाले मामलों की पहचान और ऐसी अपीलों के निपटान के लिए इन प्राधिकारियों से अनुरोध करना जिससे कि यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में भी संग्रहित की जा सके।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी फ्लैटों का अपग्रेडेशन

4849. श्री जगदम्बिका पाल :

श्री सुशील कुमार सिंह :

श्री पूर्णमासी राम :

श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिना प्रभार के बारी-बारी से सरकारी मकानों को अपग्रेड करने के लिए दिनांक 14.3.2008 के ओएम सं. 11014/1/2008-डब्ल्यू-III के द्वारा दिनांक 19.2.2004 के ओएम सं. 28012/1/200-डब्ल्यू-I को बदल दिया है जिसमें भुगतान करने पर विस्तार या परिवर्तन किया जाता था;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 19.2.2004 के ओएम को बदलने और दिनांक 14.3.2008 के ओएम में बारी-बारी से शर्त डालने के क्या कारण हैं;

(ग) दिनांक 14.3.2008 के ओएम के अंतर्गत कितने क्वार्टरों को अपग्रेडेशन किया गया है और सभी सरकारी मकानों के बारी-बारी से अपग्रेडेशन करने में कितने वर्ष लगने की संभावना है;

(घ) मकानों को अपग्रेड करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ङ) क्या अंश भुगतान पर विस्तार और परिवर्तन करने की पुरानी परंपरा पर वापस लौटने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या धनराशि की कमी के कारण अक्टूबर, नवम्बर, 2008 से अपग्रेडेशन का कार्य निलंबित है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी, हां।

(ख) पुराने दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी क्वार्टरों में अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आबंटियों से 10% और 20% अंशदान लेने का प्रावधान था, जबकि आबंटन के परिवर्तन के समय ये सुविधाएं खाली पड़े क्वार्टरों में मुफ्त मुहैया कराई गई थी। इस संदर्भ में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, नीति की समीक्षा की गई थी और आबंटियों से बिना कोई प्रभार लिए मकानों का उन्नयन करने के लिए दिनांक 14.3.2008 के ओएम सं. 11014/1/2008-डब्ल्यू-3 के तहत संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

उन्नयन के लिए मकानों के चयन के संदर्भ में तंत्र में यादृच्छिकता से बचने तथा पारदर्शिता लाने की दृष्टि से "बारी-बारी" की शर्त जोड़ी गई थी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा दिल्ली में अब तक 3943 मकानों का उन्नयन किया गया है। दिल्ली में शेष मकानों के उन्नयन का कार्य पूरा करने में पांच वर्ष लगेंगे। दिल्ली में, टाईप-I को छोड़कर सरकारी मकानों के उन्नयन के लिए कुल बजट की आवश्यकता लगभग 770 करोड़ रु. है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसा कि उपरोक्त (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है। पुरानी नीति की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि इस तरह का उन्नयन कार्य मुफ्त किया जाएगा।

(च) कुछ मामलों में धन की कमी के कारण उन्नयन कार्य नहीं किया जा सका।

(छ) वर्तमान और बाद के वर्षों में अधिक धन मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पन विद्युत परियोजनाओं की विद्युत की हिस्सेदारी

4850. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :

श्री देवजी एम. पटेल :

श्री दुष्यंत सिंह :

श्री रघुवीर सिंह मीणा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की सरकारों के बीच पंजाब की पन विद्युत परियोजनाओं से सृजित की गई विद्युत को बांटने के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों के लिए निर्धारित हिस्से को वास्तव में उन्हें दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं से उनके देय हिस्से को देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं या किये जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ङ) भारत सरकार तथा पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों के बीच 10.05.1984 को एक करार हुआ था, जिसमें यह सहमति हुई थी कि आनंदपुर साहिब हाइडिल परियोजना, मुकेरिया हाइडिल परियोजना, थीन बांध परियोजना, यूबीडीसी चरण-II तथा शाहपुर कंडी हाइडिल स्कीम में विद्युत के हिस्से के लिए हरियाणा तथा राजस्थान द्वारा किए दावों को देखते हुए, भारत सरकार इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए भेजेगी। इस आशय के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय की राय मांगी गई थी कि क्या हरियाणा और राजस्थान राज्यों को इन हाइडिल योजनाओं से उत्पादित विद्युत में हिस्से की हकदारी है? यदि इन्हें हकदारी है, तो प्रत्येक राज्य का हिस्सा क्या होगा।

तथापि आगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के बीच 29 से 30 जुलाई 1992 तथा 6 अगस्त 1992 को हुई चर्चा

में इस बात पर आम सहमति बनी कि मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय के पास न भेजा जाए। यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्यों के बीच आपसी परामर्श के माध्यम से एक उचित करार किया जाएगा। इस मुद्दे को आपस में सौहार्दपूर्ण समाधान करने हेतु अनेक औपचारिक तथा अनौपचारिक विचार-विमर्श किए गए। तथापि स्टेक होल्डर्स राज्यों में मतान्तर होने के कारण अब तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई। इस बीच रावी-व्यास के पानी के पुर्नआबंटन तथा इससे जुड़े सभी अन्य करारों पर दि. 31.12.1981 के हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के बीच हुए करार के तहत पंजाब राज्य ने पंजाब सरकार को अपनी प्रतिबद्धताओं को समाप्त तथा से मुक्त करते हुए "पंजाब करार समापन अधिनियम, 2004" लागू किया है। भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय को प्रेसीडेन्शियल रेफरेंस देने के साथ-साथ जानना चाहा है कि क्या पंजाब-करार समापन अधिनियम 2004 तथा इसके प्रावधान भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

25.10.2005 को शिमला में संपन्न नार्दन जोनल काउंसिल की 25वीं बैठक के दौरान, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने संबंधित राज्यों को आपस में मुद्दे को सुलझाने का सुझाव दिया।

प्रतिभूति कारोबार कर

4851. श्री संजय निरूपम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान संग्रहित प्रतिभूति कारोबार कर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी वर्ष में इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :
(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान संग्रहित प्रतिभूति कारोबार कर (एसटीटी) का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
2006-07	4647
2007-08	8577
2008-09	5409

(ख) जी, हां। केवल वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए।

(ग) वित्तीय वर्ष 2008-09 में 5500 करोड़ रुपये की वसूली होने का अनुमान था। इसमें सांकेतिक गिरावट आई क्योंकि पूंजी बाजारों द्वारा वर्ष 2008 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट, वैश्विक आर्थिक विकास की गति धीमी होने से होने वाली अत्यधिक अनिश्चितताओं और गिरावट का अनुभव किया गया।

(घ) सरकारी ने पहले ही पूंजी बाजारों के त्वरित उत्थान के लिए कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप सूचकांक के स्तर में सुधार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 6000 करोड़ रुपये की वसूली होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

4852. श्री अशोक कुमार रावत :

श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के विशेष परियोजना घटक के तहत ग्रामीण युवकों के लिए मांग आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) कुल कितने लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा इस प्रयोजनार्थ परियोजना-वार कितनी निधियां जारी की गईं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) :

(क) से (ग) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के विद्यमान दिशा-निर्देशों के तहत प्रत्येक वर्ष आबंटन का 15: गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) अत्यधिक विनिर्दिष्ट लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु महत्वपूर्ण विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रखा जाता है। एसजीएसवाई के विशेष परियोजना घटक के अंतर्गत, मंत्रालय मांग आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है जिससे ग्रामीण निर्धनों के नियोजन तथा वर्तमान में विपणन लिंकेज को सुदृढ़ करने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता मिलती है। मंत्रालय ने अब तक 29 ऐसी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। प्रशिक्षित कुल लाभार्थियों तथा इस प्रयोजन हेतु रेलीज की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एसजीएसवाई के अंतर्गत नियोजना हेतु कौशल विकास के लिए स्वीकृत विशेष परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कवर किए जाने वाले राज्य	परियोजना की कुल लागत	कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की सं.	केन्द्र सरकार द्वारा रिलीज की गई निधि	लाभार्थियों की सं.		
						प्रशिक्षित	प्रशिक्षणाधीन	नियोजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ग्रामीण प्रयोगशालाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना (प्रायोगिक चरण)	उ.प्र. राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, झारखंड तथा बिहार	14.0 करोड़ रु.	35000	6.60 करोड़ रु.	23320	—	17572
2.	ग्रामीण प्रयोगशालाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना - जोन-1 (उत्तर)	जम्मू तथा कश्मीर, हि. प्र., पंजाब, हरियाणा, उ. प्र. तथा उत्तरांचल	15.00 करोड़ रु.	13,106	4.62 करोड़ रु.	7525	897	5343
3.	ग्रामीण प्रयोगशालाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना - जोन-2 (पूर्व)	बिहार, झारखंड, प. बंगाल, अ.प्र., असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड, मिजोरम, सिक्किम तथा त्रिपुरा	15.0 करोड़ रु.	4,469	2.8 करोड़ रु.	2537	276	1408
4.	ग्रामीण प्रयोगशालाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना - जोन-3 (पश्चिम)	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली	10.0 करोड़ रु.	7,989	2.7 करोड़ रु.	3244	157	2331
5.	ग्रामीण प्रयोगशालाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना - जोन-4 (दक्षिण)	अ. प्र., कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल	15.00 करोड़ रु.	12,681	5.25 करोड़ रु.	7847	219	6664

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	ग्रामीण प्रयोगशालाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना - जोन-5 (केन्द्रीय)	छत्तीसगढ़, म.प्र. तथा उड़ीसा	7.5 करोड़ रु.	8,882	3.0 करोड़ रु.	4835	558	3875
7.	पिछड़े जिलों में विकेन्द्रीकृत मांग आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में रोजगार हेतु विशेष परियोजना	उड़ीसा, पं. बंगाल, म. प्र., छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड	14.86 करोड़ रु.	33,000	2.18 करोड़ रु.	1631	1507	1223
8.	देश में वस्त्र उद्योग में ग्रामीण बीपीएल युवाओं हेतु लाभप्रद रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत प्रायोगिक आधार पर विशेष परियोजना	तमिलनाडु, आं. प्र., बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उ. प्र., महाराष्ट्र तथा राजस्थान	27.00 करोड़ रु.	30,000	19.32 करोड़ रु.	21530	1449	19789
9.	छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं सहित ग्रामीण व्यक्तियों के लिए आर्थिक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	छत्तीसगढ़ (दुर्ग, राजनंदगांव, धमतरी, बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़, तथा कोरबा जिले)	14.93 करोड़ रु.	8,200	3.73 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
10.	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा प. बंगाल आतिथ्य में ग्रामीण युवाओं के पर्यटन एवं आधारित कौशल विकास हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	आं. प्र. उड़ीसा तथा पं. बंगाल	14.60 करोड़ रु.	17,180	3.65 करोड़ रु.	2180	460	1647

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	मध्य प्रदेश के रायसेन, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिलों में बीपीएल युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु जीवनयापन संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	म.प्र. (रायसेन, होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर जिले)	8.49 करोड़ रु.	13,000	2.13 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
12.	महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में युवाओं के लिए रोजगार केन्द्र कौशल विकास तथा देश एवं विदेशों में रोजगार की गारंटी हेतु विशेष परियोजना	महाराष्ट्र (यवतमाल जिला)	12.85 करोड़ रु.	15,000	3.21 करोड़ रु.	2766		2316
13.	हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर जिलों में 2000 शिक्षित युवाओं के प्रशिक्षण हेतु विशेष परियोजना	हरियाणा	1.70 करोड़ रु.	2,000	00.32 करोड़ रु.	271		271
14.	उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तथा पुदुचेरी में रोजगारोन्मुख कम्प्यूटर/जीवनयापन कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	उड़ीसा, उ. प्र., तमिलनाडु तथा पांडिचेरी	7.49 करोड़ रु.	5,000	1.40 करोड़ रु.	54	102	0
15.	12 राज्यों में सुरक्षा क्षेत्र में रोजगार हेतु बीपीएल युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रम के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	उत्तराखंड, उ.प्र., बिहार, झारखंड, उड़ीसा, प. बंगाल, असम, म.प्र., छत्तीसगढ़, आं. प्र., कर्नाटक तथा तमिलनाडु	14.95 करोड़ रु.	21,500	3.74 करोड़ रु.	3032		2387
16.	बीपीएल श्रेणी से संबंधित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कौशल संबंधी प्रशिक्षण, उन्नयन, परीक्षण एवं सत्यापन हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	उ. प्र. बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा म. प्र.	14.24 करोड़ रु.	14,990	3.56 करोड़ रु.	20		20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	चमड़ा उद्योग ने ग्रामीण बीपीएल युवाओं के लिए समावेशी विकास-रोजगारन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना-दक्षिण भारत के लिए प्रायोगिक परियोजना	तमिलनाडु तथा आं. प्र.	10.93 करोड़ रु.	11,500	2.73 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
18.	चमड़ा उद्योग ने ग्रामीण बीपीएल युवाओं के लिए समावेशी विकास-रोजगारोन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना-उत्तरी भारत के लिए प्रायोगिक परियोजना	प. बंगाल तथा उ. प्र.	10.93 करोड़ रु.	11,500	2.73 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
19.	कर्नाटक के बागलकोट एवं बीजापुर जिलों में ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण हेतु विशेष परियोजना	कर्नाटक	4.88 करोड़ रु.	5940	1.22 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
20.	10 राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु) में कौशल विकास हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उ.प्र., उड़ीसा, आं. प्र. महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु	14.93 करोड़ रु.	17600	3.73 करोड़ रु.		751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	म. प्र. महाराष्ट्र तथा उड़ीसा राज्य में कौशल उन्नयन का कार्यक्रम हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	म. प्र., महाराष्ट्र तथा उड़ीसा	05.00 करोड़ रु.	5,000	0.94 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
22.	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	उ.प्र. तथा म. प्र.	0.99 करोड़ रु.	1,625	0.24 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
23.	राजस्थान के छः जिलों (भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा तथा अलवर) में कौशल संस्थान स्थापित करने हेतु विशेष परियोजना	राजस्थान	10.12 करोड़ रु.	12,000	2.53 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
24.	मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उड़ीसा में बीपीएल परिवारों से रोजगारोन्मुख क्षेत्रों में मांग के आधार पर महिलाओं सहित ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	म.प्र., राजस्थान तथा उड़ीसा	8.29 करोड़ रु.	10,000	1.55 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
25.	महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में रोजगार आधारित कौशल विकास हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आं. प्र.	7.50 करोड़ रु.	10,000	1.41 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक आधार पर ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु विशेष परियोजना	राजस्थान तथा उ. प्र.	5.44 करोड़ रु.	6400	1.02 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
27.	मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	मध्य प्रदेश	6.82 करोड़ रु.	12,280	1.28 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
28.	ग्रामीण बीपीएल युवाओं के रोजगार आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	उ.प्र., पंजाब तथा उड़ीसा	7.21 करोड़ रु.	10,000	1.80 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
29.	ग्रामीण बीपीएल युवाओं के रोजगार हेतु एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	उत्तराखंड	4.08 करोड़ रु.	4,000	0.75 करोड़ रु.	हाल ही में स्वीकृत परियोजना		
कुल			रु. 304.73 करोड़ रु.	3,59,842 लाभार्थी	रु. 93.70 करोड़ रु.	80792 प्रशिक्षित लाभार्थी	रु. 93.70 करोड़ रु.	62846 रोजगार प्राप्त लाभार्थी

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

4853. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) और कोल इंडिया के बीच मेजिया ताप विद्युत संयंत्र सहित उसके ताप विद्युत संयंत्र की मांग को पूरा करने के लिए कोयले की आपूर्ति करने संबंधी किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दामोदर घाटी निगम के विभिन्न ताप संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए आपूर्ति किए गए या खरीदे गए कोयले का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे अंतर्ग्रस्त धनराशि का ब्यौरा क्या है और विद्युत संयंत्रों को कोयले की दुलाई/आपूर्ति पर कितना व्यय हुआ है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क)

और (ख) दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। हालांकि, ईसीएल के कुछ विशेष क्षेत्रों की भूमिगत खानों से ग्रेड "क" और "ख" कोयला प्रतिमाह का 65000 (लगभग) प्राप्त करने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) तथा डीवीसी के बीच 3.7.2009 को एक करार किया गया है।

डीवीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उपरोक्त निर्दिष्ट करार के अंतर्गत कोयले को आयात का विकल्प तथा देश में उपलब्ध बेहतर गुणवत्ता वाला थर्मल कोयला माना जाता है। करार को डीवीसी विद्युत स्टेशनों पर कोयला संकट को दूर करने के लिए यथा संभव, सुदृढ़ बनाया गया था।

(ग) डीवीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान डीवीसी के विभिन्न थर्मल विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए आपूर्ति/क्रय किए गए कोयले का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

मात्रा मीट्रीक टन में

वर्ष	बोकारो टीपीएस	चंद्रपुरा टीपीएस	दुर्गापुर टीपीएस	मेजिया टीपीएस
2006-07	2579973.94	1418598	1227361.31	4315347
2007-08	3187029.01	1691248	1019751.5	4521871
2008-09	2663979.395	1880117	1291545.52	5207512
अप्रैल 09-जून 09	694955.086	588025	350398	1127523

(घ) डीवीसी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार विभिन्न संयंत्रों की कोयले की दुलाई/आपूर्ति पर अंतर्ग्रस्त लागत तथा हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्टेशन	वर्ष	कोयले की लागत (करोड़ रुपए में)	रोड के द्वारा कोयले की दुलाई में खर्च (करोड़ रुपए में)	रेलवे के द्वारा कोयले की दुलाई में खर्च (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5
बाकारो टीपीएस	2006-07	365.19	9.06	16.96

1	2	3	4	5
	2007-08	439.84	11.36	23.78
	2008-09	436.88	8.16	20.38
	2009-10	134.32	2.67	4.45
	(अप्रैल 09-जून 09)			
चंद्रपुरा टीपीएस	2006-07	142.19	11.39	3.66
	2007-08	168.82	10.45	4.11
	2008-09	218.32	15.73	2.68
	2009-10	77.86	5.26	0.36
	(अप्रैल 09-जून 09)			
दुर्गापुर टीपीएस	2006-07	223.41	3.36	17.17
	2007-08	177.82	1.99	13.39
	2008-09	219.28	2.30	26.69
	2009-10	75.34	0	6.25
	(अप्रैल 09-जून 09)			
मेजिया टीपीएस	2006-07	532.99	38.25	50.66
	2007-08	535.91	26.75	53.12
	2008-09	743.03	44.82	67.93
	2009-10	199.62	6.57	8.53
	(अप्रैल 09-जून 09)			

[अनुवाद]

भारती-एमटीएन और किंगफिशर एयरलाइन्स हेतु
एसबीआई के ऋण

4854. श्री प्रदीप माझी :

श्री रुद्रमाधव राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारती-एमटीएन और किंगफिशर एयरलाइन्स ने हाल ही में भारी ऋण के लिए भारतीय स्टेट बैंक से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड से राय मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सेबी/सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) किंगफिशर एयरलाइन ने 1,000 करोड़ रु. के ऋण के

लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से संपर्क किया था। भारती एयरटेल लिमिटेड (बीएएल) ने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 5,000 करोड़ रु. के ऋण के लिए एसबीआई से संपर्क किया है। यद्यपि, बैंक ने किंगफिशर एयरलाइन को निर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों पर 500 करोड़ रु. का ऋण संस्वीकृत किया है, बीएएल को ऋण के ब्यौरे को बैंक द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसी कंपनियों को ऋण स्वीकृत करने के लिए एसबीआई को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आवश्यक विनियामक या अन्य अनुमति उधारकर्ताओं को स्वयं ही प्राप्त करनी होती है।

[हिन्दी]

राज्यों की पर्यटन नीति

4855. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन स्थलों को विकसित करने विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में नई पर्यटन नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित, पर्यटक स्थानों के विकास के लिए नई पर्यटन नीति की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नई पर्यटन नीति की स्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	नई पर्यटन नीति 2006-07 में तैयार की गई
2.	अरुणाचल प्रदेश	पर्यटन नीति 2003 में तैयार की गई
3.	असम	पर्यटन नीति 2008 में तैयार की गई

1	2	3
4.	बिहार	पर्यटन नीति जुलाई, 2009 में तैयार की गई
5.	छत्तीसगढ़	पर्यटन नीति 2002 में तैयार की गई
6.	गोवा	पर्यटन नीति 2001 में तैयार की गई
7.	गुजरात	पर्यटन नीति 2003 में तैयार की गई
8.	हरियाणा	पर्यटन नीति 2008 में तैयार की गई
9.	हिमाचल प्रदेश	नई पर्यटन नीति 2005 में तैयार की गई
10.	जम्मू एवं कश्मीर	कोई नई पर्यटन नीति तैयार नहीं की गई
11.	झारखण्ड	पर्यटन नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है
12.	कर्नाटक	पर्यटन नीति 2009-14 के लिए तैयार की गई
13.	केरल	पर्यटन की झलक 2002 में तैयार की गई
14.	मध्य प्रदेश	नई पर्यटन नीति 1995 में तैयार की गई
15.	महाराष्ट्र	नई पर्यटन नीति 2006 में तैयार की गई
16.	मणिपुर	पर्यटन नीति तैयारी के चरण में है
17.	मेघालय	पर्यटन नीति 2001 में तैयार की गई
18.	मिजोरम	कोई पर्यटन नीति नहीं तैयार की गई
19.	नागालैंड	पर्यटन नीति 2000 में तैयार की गई
20.	उड़ीसा	नई पर्यटन नीति तैयारी के चरण में है
21.	पंजाब	पर्यटन नीति 2003 में तैयार की गई
22.	राजस्थान	पर्यटन नीति 2001 में तैयार की गई
23.	सिक्किम	पर्यटन नीति तैयारी के चरण में है

1	2	3
24. तमिलनाडु	कोई व्यापक नीति नहीं लाई गई, लेकिन कम प्रसिद्ध पर्यटक स्थान, विरासत पर्यटन, मार्गस्थ सुविधाओं आदि को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए	
25. त्रिपुरा	पर्यटन नीति नहीं तैयार की गई	
26. उत्तर प्रदेश	नई पर्यटन नीति तैयारी के चरण में है	
27. उत्तराखण्ड	नई पर्यटन नीति 2001 में तैयार की गई	
28. पश्चिम बंगाल	नई पर्यटन नीति 2008 में तैयार की गई	
29. अंडमान और निकोबार	नई पर्यटन नीति नहीं तैयार की गई	
30. चंडीगढ़	पर्यटन कार्य-योजना तैयार की गई	
31. दिल्ली	पुरानी/मौजूदा पर्यटन नीति नहीं है	
32. दादरा एवं नागर हवेली	अलग से पर्यटन नीति तैयार नहीं की गई	
33. दमन एवं दीव	पर्यटन नीति तैयार नहीं की गई	
34. लक्षद्वीप	नई पर्यटन नीति तैयारी के चरण में है	
35. पुडुचेरी	कोई नई पर्यटन नीति तैयार नहीं की गई	

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन संबंधी एन.ए.पी.

4856. डॉ. के.एस. राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी परिवहन के लिए निजी यात्री वाहन के स्वामित्व व उपयोग तथा जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना (एन.ए.पी.) की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निजी स्वामित्व वाले यात्री वाहनों तथा सार्वजनिक परिवहन के युक्तियुक्त अनुपात को प्राप्त करने के लिए एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना हेतु नई नीति बनाने का है ताकि तेजी से खराब होती जलवायु के संरक्षण तथा मानव जीवन एवं

स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ईंधन के उपभोग तथा उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में जिन क्षेत्रों को महत्व दिया गया है उनमें जन परिवहन प्रणाली अपना एक है। योजना में कहा गया है कि जन परिवहन साधन जिनमें बस, रेलवे तथा जल द्रुतगामी परिवहन प्रणालियां, आदि शामिल हैं, शहरी परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा के उपयोग को घटाने तथा उससे होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन व वायु प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण विकल्प हैं। मूल्य, कर तथा प्रभारों से परिवहन की मांग पर तथा परिवहन साधनों के चयन पर प्रभाव पड़ेगा जिससे ईंधन की मांग तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। परिवहन क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कार्रवाई में समुचित मूल्यनिर्धारण उपाय करना जिससे ईंधन क्षमता के संबंध में वाहनों की खरीद व उपयोग तथा ईंधन विकल्प प्रभावित होगा, आटोमोबाइल उत्पादकों के लिए ईंधन की बचत रहने वाले मानक लागू करने जैसे विनियामक मानदंडों को कड़ा बनाना तथा अधिक क्षमता वाली जन परिवहन प्रणालियों के विकास में निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। तथापि राष्ट्रीय कार्य योजना में निजी स्वामित्व वाले यात्री वाहनों तथा सार्वजनिक परिवहन का साथ-साथ परिचालन के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव नहीं है।

डीडीए पाकों पर अतिक्रमण

4857. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलाश हिल्स सहित दक्षिण दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा रखरखाव किए जा रहे पाकों पर अतिक्रमण है तथा यहां कूड़ा-करकट फैला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है; और

(ग) क्या ग्रेटर कैलाश स्थित आरनामेंटल पार्क सहित ऐसे पाकों में नियमित रूप से भुगतान प्राप्त कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करते हुए गिलों, झरनों, वाकिंग ट्रैकों की मरम्मत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) डीडीए ने बताया है कि उनके द्वारा रखरखाव किए जा रहे पाकों

में कोई अतिक्रमण नहीं है तथा न ही कूड़ा-करकट बिखरा हुआ है साथ ही रोजमर्रा के रखरखाव कार्यों के दौरान समय-समय पर कूड़ा-करकट एकत्र करके हटाया जाता है। डीडीए ने यह भी बताया है कि माउंट कैलाश में उनके द्वारा केवल एक पार्क का रखरखाव किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) डीडीए ने बताया है कि पार्क में जहां गिरल नहीं थी लगवा दी गई हैं सैर करने के ट्रैक की मरम्मत करवा दी गई है। फव्वारे की मरम्मत का कार्य डीडीए के विद्युत तथा उद्यानकृषि विंग द्वारा संयुक्त रूप से शीघ्र किया जाएगा।

पर्यटन को बढ़ावा

4858. श्री वैजयंत पांडा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एअरलाइंस एवं होटलों द्वारा विकसित 'कम्प्लीमेंटरी पैकेजों' तथा उनको प्रस्तावित 'वेलनेस' टूरिज्म का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए विश्वस्तर पर विभिन्न देशों में चुनिंदा बाजारों में शुरू की गई ऑनलाइन पहलों संबंधी फीडबैक क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) सभी स्टेकहोल्डरों के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा "विजिट इंडिया 2009" योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत भाग लेने वाली एयरलाइनें और होटल, यात्रा करने वाले एक साथी के लिए एक कम्प्लीमेंट्री एयर पैसेज तथा पर्यटक द्वारा बुक किये गये होटल में एक रात के कम्प्लीमेंट्री स्टे के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत, कुछेक स्वास्थ्य/आयुर्वेद रिजार्टों द्वारा वेलनेस पैकेज भी प्रदान किये जा रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय ने एक वेबसाइट <http://visitindia2009incredibleindia.org> बनाई है, जिस पर विदेशी मार्केटों में इसका व्यापक प्रचार करने की दृष्टि से सभी भाग लेने वाले स्टेकहोल्डरों के ऑफर्स को अपलोड किया गया है।

(ख) मंत्रालय द्वारा की जा रही ऑनलाइन पहलों के साथ-साथ अन्य संवर्धनात्मक पहलों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इन पहलों के कारण, पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में, देश में विदेशी पर्यटक आगमन में 0.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले 8 महीनों में पहली बार जून 2009 माह में देश में विदेशी पर्यटक आगमन के गिरते हुए रुझान में सुधार हुआ है।

अर्बन कोआपरेटिव बैंक

4859. श्री रायापति सांबासिवा राव :

श्री सुरेश कलमाडी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्बन कोआपरेटिव बैंकों को निर्यातकों से दो प्रतिशत कम ब्याज दर लेने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत उक्त ब्याज दर के पात्र क्षेत्रों के नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा कुछ निर्दिष्ट निर्यात क्षेत्रों को 270 दिन का लदान पूर्व ऋण और 180 दिनों का लदान पश्चात् ऋण पर ब्याज सहायता सुविधा दिए जाने के आलोक में, प्राधिकृत डीलर वर्ग-1 लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), जो इस तरह रुपया निर्यात ऋण देते हैं, को उसी अवधि के निर्यात क्षेत्र के अन्य वर्गों के निर्यातक से प्रभारित ब्याज दरों से 2% बिन्दु कम ब्याज प्रभारित करने की सलाह दी गई है। यह सहायता 1 जून, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 के बीच की अवधि के ऋणों की बकाया राशि पर उपलब्ध है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि 2% की ब्याज सहायता पूर्ण रूप से पात्र निर्यातकों को पहुंचाए।

पात्र क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

कपड़ा (हैंडलूम सहित), हस्तशिल्प, कारपेट, चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और छोटे एवं मध्यम उद्यम।

सरकारी क्वार्टरों में एयरकंडीशनर लगाया जाना

4860. श्री पूर्णमासी राम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सरकारी क्वार्टरों में एयर कंडीशनरों की वर्तमान स्वीकृत लोड/स्थापना से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जी हां। मुख्य इंजीनियर (विद्युत), के.लो.नि.वि. की अध्यक्षता

में एक समिति गठित की गई थी। जिसका कार्य सरकारी क्वार्टरों में वातानुकूलन हेतु अतिरिक्त विद्युत केन्द्र मुहैया कराने की व्यवहार्यता की जांच करना है।

(ग) समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के लिए आवास

4861. श्री के. डी. देशमुख : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक परिसर में संसद सदस्यों को आवास उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूतपूर्व संसद सदस्यों को रियायती दर पर फ्लैट उपलब्ध कराने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में लागू नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में लागू नहीं।

ग्रामीण बैंकों का विलय

4862. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

श्री राजैया सिरिसिल्ला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना से संबंधित व्यास समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक और मराठवाड़ा ग्रामीण बैंकों का विलय किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नैबकान्स की रिपोर्ट क्या है; और

(घ) ऐसे विलय से केन्द्र सरकार को कितना नुकसान होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) व्यास समिति ने राज्य में प्रायोजक बैंक-वार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के सम्मेलन की सिफारिश की थी। सरकार ने सितम्बर, 2005 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संरचनात्मक समेकन के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। सम्मेलन के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से कम होकर 83 हो गई तथा 26.3.2008 को स्थापित एक नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नामतः पुदुच्ची भरतियार ग्रामीण बैंक को लेकर आज की तिथि में 84 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए हैं।

(ख) और (ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार, प्रायोजक बैंक, नाबार्ड तथा महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया और तत्पश्चात दिनांक 20 जुलाई, 2007 को महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक तथा मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक का सम्मेलन एक नई इकाई नामतः महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का निर्माण करने के लिए हुआ।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक को पुनरुद्धारित करने तथा मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक और ठाणे ग्रामीण बैंक (पूर्व में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के सम्मेलन पर अध्ययन करने तथा कार्यनीति सुझाने के लिए वर्ष 2007 में नाबार्ड परामर्शदात्री सेवा (नैबकान्स) को नियुक्त किया था।

(घ) विलयन के कारण कोई हानि नहीं हुई है। तथापि, मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक का सम्मेलन से पूर्व 94.27 करोड़ रु. की राशि से पुनर्पूँजीकरण हुआ था, इस खर्च का वहन इसके शेयर धारकों अर्थात् केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक द्वारा क्रमशः 50:15:35 के अनुपात में किया गया।

[अनुवाद]

डीडीए द्वारा पुनर्वास

4863. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नई दिल्ली स्थित अशोक नगर, करोल बाग के फैंज रोड क्षेत्र और मोतिया खान में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के मामलों की जांच के लिए समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गाडगिल आशवासन योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र व्यक्तियों का ब्यौरा क्या था;

(घ) ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में पट्टा/विलेख/नामांकन कब और कितने क्षेत्र के लिए निष्पादित किया गया था; और

(ङ) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने उन्हें आबंटित भूमि को फ्रीहोल्ड करने के लिए आवेदन किया है और जिनके मामले में ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

बैंक खाता खोलने के लिए प्रपत्र

4864. श्री एस. सेम्मलई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में नया बैंक खाता खुलवाने के लिए आवेदन प्रपत्र तमिल सहित क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आम आदमी द्वारा आसानी से भरे जाने हेतु आवेदन प्रपत्रों के प्रारूप को सरल बनाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 के अपने परिपत्र द्वारा बैंकों को परामर्श दिया है कि वे खाता खोलने के फार्म, पे-इन-स्लिप, पास बुक, इत्यादि सहित खुदरा ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी मुद्रित सामग्री त्रिभाषी रूप में अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी तथा संबंधित क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराएं।

इसके अतिरिक्त, बैंकों में फ्रन्ट ऑफिस स्टाफ होते हैं, जो फॉर्म भरने में ग्राहकों की मदद करते हैं।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाएं

4865. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों से बिहार सहित देश में केन्द्रीय क्षेत्र की कितनी जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) गत 10 वर्षों की अवधि के दौरान देश में, केन्द्रीय क्षेत्र में, कुल 29 हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं में से 12 हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाएं अभी तक चालू की गई हैं और 17 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उक्त 12 परियोजनाओं को चालू करने में विलंब के कई कारण रहे हैं जैसे कि निधि अवरोध, अचानक आयी बाढ़, भूवैज्ञानिक समस्याएं, भूमि अधिग्रहण, कानून व्यवस्था की समस्याएं, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समस्याएं आदि। गत 10 वर्षों से बिहार में कोई केन्द्रीय क्षेत्र जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं है।

(ग) जल विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं-

- वास्तविक क्रियान्वयन के समय अचानक भूवैज्ञानिक घटनाओं को कम करने के लिए क्रियान्वयन हेतु परियोजना पर कार्य किए जाने से पूर्व विस्तृत जांच की जा रही है। परियोजना क्रियान्वयन शुरू किए जाने से पूर्व आवश्यक निधियों की उपलब्धता हेतु बातचीत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि निधि अवरोधों के कारण परियोजना के क्रियान्वयन में कोई विलंब न हो।
- आरंभिक स्तर के साथ-साथ क्रियान्वयन के दौरान, प्रत्येक परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करके लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है। नोडल अधिकारी उन समस्याओं को सही दिशा में रखने तथा उनका समाधान सुगम बनाने के लिए जिससे मामलों को बढ़ाने में परियोजनाओं में विलंब हो सकता है उनका उपयुक्त स्तर पर शीघ्र समाधान करते हैं। इसके अतिरिक्त, विलम्ब पर रोक लगाने के लिए विद्युत मंत्रालय में परियोजनाओं की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

- विभिन्न अवरोधों को चिह्नित करने तथा परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से उसके समाधान के सुझाव के लिए विभिन्न चालू परियोजनाओं के अधिकारियों द्वारा दौरे किए जाते हैं। परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब करने वाले मुख्य अवरोधों के समाधान हेतु बांध, हैड रेस टनल, विद्युत घर आदि के मुख्य कार्यों का क्रियान्वयन करते हुए मुख्य उपकरण आपूर्तिकर्ताओं तथा अन्य बड़े ठेकेदारों के साथ मुख्य बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में, संविदा की समस्याओं को न्यूनतम करने के लिए एक मॉडल संविदा दस्तावेज का प्रतिपादन भी किया गया है ताकि परियोजना क्रियान्वयन के दौरान होने वाले विलम्ब से बचा जा सके।

[अनुवाद]

शहरी गरीब का आकलन

4866. श्री प्रबोध पांडा : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मेगा शहरों में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या कितनी है?

विवरण

शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और प्रतिशतता (वर्ष 2004-05)

(यूआरपी तथा एमआरपी-उपभोक्ता पर आधारित)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	यूआरपी द्वारा		एमआरपी द्वारा	
		व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	28.00	61.40	20.70	45.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.30	0.09	2.40	0.07
3.	असम	3.30	1.28	2.40	0.93

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) योजना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर समय-समय पर शहरी निर्धनों के अनुमान प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा जुलाई, 2004 से जून, 2005 तक की अवधि के लिए कराए गए अद्यतन घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वां राउंड से वर्ष 2004-05 के लिए दो भिन्न उपभोक्ता वितरण प्राप्त हुए हैं। पहला वितरण सभी मर्दों के लिए 30 दिन की रीकॉल अवधि का प्रयोग करते हुए एकत्र उपभोक्ता आंकड़ों से संबंधित है। दूसरा वितरण कभी-कभार खरीदी जाने वाली 5 गैर-खाद्य मर्दों यथा कपड़ा, जूते, टिकाऊ सामान, शिक्षा तथा सांस्थनिक चिकित्सा व्यय के लिए 365 दिन की रीकॉल अवधि तथा शेष मर्दों के लिए 30 दिन की रीकॉल अवधि का प्रयोग करते हुए एकत्र उपभोक्ता वितरण तथा मिक्सड रीकॉल अवधि (एमआरपी) उपभोक्ता वितरण कहा गया है। योजना आयोग ने इन दोनों वितरणों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2004-05 में निर्धनता का अनुमान लगाया है। इन अनुमानों के अनुसार, यू आर पी तथा एम आर पी दोनों विधियों द्वारा शहरी निर्धनों की संख्या एवं प्रतिशतता का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

देश के मेगा शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या के संबंध में आंकड़े इन अनुमानों में उपलब्ध नहीं हैं।

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	34.60	32.42	28.90	27.09
5.	छत्तीसगढ़	41.20	19.47	34.70	16.39
6.	दिल्ली	15.20	22.30	10.80	15.83
7.	गोवा	21.30	1.64	20.90	1.62
8.	गुजरात	13.00	27.19	10.10	21.18
9.	हरियाणा	15.10	10.60	11.30	7.99
10.	हिमाचल प्रदेश	3.40	0.22	2.60	0.17
11.	जम्मू और कश्मीर	7.90	2.19	8.50	2.34
12.	झारखंड	20.20	13.20	16.30	10.63
13.	कर्नाटक	32.60	63.83	27.20	53.28
14.	केरल	20.20	17.17	16.40	13.92
15.	मध्य प्रदेश	42.10	74.03	39.30	68.97
16.	महाराष्ट्र	32.20	146.25	29.00	131.40
17.	मणिपुर	3.30	0.20	2.40	0.14
18.	मेघालय	3.30	0.16	2.40	0.12
19.	मिजोरम	3.30	0.16	2.40	0.11
20.	नागालैंड	3.30	0.12	2.40	0.09
21.	उड़ीसा	44.30	26.74	40.30	24.30
22.	पंजाब	7.10	6.50	3.80	3.52
23.	राजस्थान	32.90	47.51	28.10	40.50
24.	सिक्किम	3.30	0.02	2.40	0.02
25.	तमिलनाडु	22.20	69.13	18.80	58.59
26.	त्रिपुरा	3.30	0.20	2.40	0.14
27.	उत्तर प्रदेश	30.60	117.03	26.30	100.47

1	2	3	4	5	6
28.	उत्तरांचल	36.50	8.85	32.00	7.75
29.	पश्चिम बंगाल	14.80	35.14	11.20	26.64
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.20	0.32	18.80	0.27
31.	चंडीगढ़	7.10	0.67	3.80	0.36
32.	दादरा एवं नगर हवेली	19.10	0.15	19.20	0.16
33.	दमन एवं दीव	21.20	0.14	20.80	0.14
34.	लक्षद्वीप	20.20	0.06	16.40	0.05
35.	पांडिचेरी	22.20	1.59	18.80	1.34
	कुल	25.70	807.96	21.70	682.02

नोट:

1. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए असम का निर्धनता अनुपात लिया गया है।
2. गोवा में निर्धनता आकलन के लिए महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा का व्यय वितरण लिया गया है।
3. पांडिचेरी तथा अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के लिए तमिलनाडु का निर्धनता अनुपात लिया गया है।
4. चंडीगढ़ की ग्रामीण व शहरी दोनों निर्धनता के लिए पंजाब का शहरी निर्धनता अनुपात लिया गया है।
5. दादरा व नगर हवेली के निर्धनता आकलन के लिए महाराष्ट्र की गरीबी रेखा व दादरा तथा नगर हवेली के व्यय वितरण का प्रयोग किया गया है।
6. दमन व दीव के लिए गोवा का निर्धनता अनुपात लिया गया है।
7. लक्षद्वीप के लिए केरल का निर्धनता अनुपात लिया गया है।

[हिन्दी]

बड़ौदा के ऐतिहासिक भवन

4867. श्री रामसिंह राठवा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा सहित देश में विद्यमान ऐतिहासिक भवनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन्हें राष्ट्रीय विरासत तथा राष्ट्रीय संपदा स्मारकों के रूप में घोषित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठा गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) भारत, बड़ौदा क्षेत्र सहित, देश भर में फैले हुए प्राचीन काल से स्थित ऐतिहासिक भवनों/स्मारकों को शामिल करते हुए, पर्यटकों के लिए आकर्षणों की एक व्यापक विविधता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय में ऐतिहासिक भवनों को राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय संपदा स्मारकों के रूप से घोषित करने या स्मारकों के संरक्षण की कोई योजना नहीं है।

तथापि, पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों/परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत, स्मारकों के पुनरुद्धार के लिए निधियां प्रदान करता है।

[अनुवाद]

मुंबई में साल्ट पैन भूमि का उद्धार

4868. श्री वरुण गांधी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई की भूमि उद्धार योजनाओं में साल्ट पैन भूमि का उद्धार शामिल है जो कि समुद्री जल धारण करने वाले कप की तरह है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेवरी तथा मझगांव के हिस्सों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि साल्ट पैन भूमि के उद्धार और किसी अन्य कार्य में इसके उपयोग के लिए को बदलने की कोई योजना नहीं है और साल्ट पैन भूमि का अधिकांश हिस्सा सीआरजेड-1 में आता है। 1991 की सीआरजेड अधिसूचना के तहत इसका उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। लगभग 2200 हैक्टेयर साल्ट पैन भूमि नमक के निर्माण के लिए अनपयुक्त हो चुकी है और यह प्रस्ताव रखा गया था कि इस भूमि को अन्य उपयोग के लिए शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाए। सरकार ने मई 2001 में औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग से 2177 हैक्टेयर बेशी भूमि को शहरी विकास मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच साझेदारी के लिए शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। बेशी साल्ट भूमि के उपयोग से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है।

देश में साल्ट पैन भूमि के उद्धार के लिए कोई विशिष्ट स्कीम/कार्यक्रम नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। अतः केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को छोड़कर चालू कार्यक्रमों के अंतर्गत समस्याग्रस्त भूमि/साल्ट पैन भूमि के उद्धार और विकास के लिए समुचित योजना करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

स्वसहायता समूहों को ऋण

4869. श्रीमती जयाप्रदा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अभी तक जिन स्वसहायता समूहों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया था उनकी संख्या तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन ऋणों पर किस दर से ब्याज वसूल किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे ऋणों पर ब्याज दरों में कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान ऋण संस्वीकृत प्राप्त स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) उन्हें संवितरित बैंक ऋणों की राशि सहित का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सूचित किए गए अनुसार अपनी निधियों की लागतों, लेन-देन लागतों, एनपीए के लिए प्रावधानीकरण तथा अल्प मार्जिन के आधार पर एसएचजी को ऋण पर 9.5% से 14% की रेंज में ब्याज दरें प्रभारित कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

तीन वर्ष (2006-07, 2007-08 तथा 2008-09) के लिए स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.)

ऋण संयोजन का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	2006-07**		2007-08		2008-09***	
		एस.एच.जी. जिन्हें बैंक ऋण दिया गया है	संवितरित बैंक ऋण	एस.एच.जी. जिन्हें बैंक ऋण दिया गया है	संवितरित बैंक ऋण	एस.एच.जी. जिन्हें बैंक ऋण दिया गया है	वर्ष के दौरान संवितरित बैंक ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
क. उत्तरी क्षेत्र							
1.	हिमाचल प्रदेश			4297	4116.59	6366	5415.17
2.	राजस्थान			21891	10168.35	4670	2234.2
3.	हरियाणा			2582	2613.89	5787	10537
4.	पंजाब			2113	1715.01	10906	1511.82
5.	जम्मू व कश्मीर			470	180.26	770	584.43
6.	नई दिल्ली			2327	352.47	420	280.99
	उप-योग			33680	19146.56	28919	20563.61
ख. उ.पू. क्षेत्र							
7.	असम			20318	8869.1	25264	6110.99
8.	मेघालय			2143	1362.96	एन.ए.	एन.ए.
9.	त्रिपुरा			2635	1666.05	3892	6451.52
10.	सिक्किम			668	439.83	84	80.92
11.	मणिपुर			2635	1666.05	904	509.14
12.	नागालैंड			543	387.76	एन.ए.	एन.ए.
13.	अरुणाचल प्रदेश			1459	1004	213	94.42

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मिजोरम			775	893.93	585	594.57
	उप-योग			29119	14871.14	30942	13841.56
ग. पूर्वी क्षेत्र							
15.	उड़ीसा			103544	56704.09	28452	14654.92
16.	बिहार			18116	13833.64	33977	22539
17.	झारखंड			11284	5140.04	एन.ए.	एन.ए.
18.	पश्चिम बंगाल			52558	22535.64	19507	6043.6
19.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह			39435	6370.94	521	242.46
	उप-योग			224937	104584.34	82457	43479.98
घ. मध्य क्षेत्र							
20.	मध्य प्रदेश			12884	7479.25	6007	7301.33
21.	छत्तीसगढ़			18384	7176	21210	13986.64
22.	उत्तर प्रदेश			23094	16641.63	40476	56800.01
23.	उत्तरांचल			18386	17499.72	एन.ए.	एन.ए.
	उप-योग			72747	48796.6	67693	78087.98
ङ. पश्चिमी क्षेत्र							
24.	गुजरात			41557	19046.13	4124	5667
25.	महाराष्ट्र			38432	16448.28	एन.ए.	एन.ए.
26.	गोवा			10452	6834.74	एन.ए.	एन.ए.
	उप-योग			90441	42329.15	4124	5667
च. दक्षिणी क्षेत्र							
27.	आंध्र प्रदेश			406386	387976.09	500536	676740
28.	कर्नाटक			112240	93124.66	101202	83977.68

1	2	3	4	5	6	7	8
29. केरल				76584	46612.44	104709	55449.66
30. तमिलनाडु				181637	127485.25	158307	132564
31. पुडुचेरी						2585	2803
उप-योग				776847	655198.44	867339	951534.34
कुल योग	1,105,749	6570.39	1227770	884926.24	1,081,474	1113174.47	

**राज्य-वार भिन्न-भिन्न आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

***आंकड़े अन्तिम : एसएलबीसी स्रोतों के जरिए नाबार्ड द्वारा एकत्रित आंकड़े

आवासन के लिए अवसंरचना दर्जा

4870. श्री नवजोत सिंह सिद्धू :

श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में आवासन तथा निर्माण क्षेत्र को अवसंरचना दर्जा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) आवास निर्माण को अवस्थापना दर्जा प्रदान करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय शहरी निधन कोष

4871. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :

श्री रामसिंह राठवा :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय शहरी निधन कोष की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री

(कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं मुहैया करने के प्रावधान हेतु राज्य और शहरी निकाय स्तरों पर स्थापित किए जाने वाले कोष की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्तर पर शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवा कोष बनाने पर विचार किया गया है जिसमें बहुपक्षीय व द्विपक्षीय एजेंसियों की सहायता ली जाएगी। इस कोष का उद्देश्य समयबद्ध तरीके से शहरी गरीबों/स्लम-वासियों हेतु जलापूर्ति और सफाई जैसी न्यूनतम बुनियादी सेवाओं हेतु वित्तीय सहायता मुहैया करना है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण हेतु विश्व बैंक के ऋण

4872. श्री जोस के. मणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को वर्तमान में उदार आदर्श ऋणों तथा अर्द्ध व्यावसायिक विश्व बैंक ऋणों का मिला जुला स्वरूप प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पैकेज में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण हेतु 3.2 बिलियन अमेरिकी डालर की राशि शामिल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऋण बाजार से धनराशि जुटाने के बजाय अपनी दोषमुक्त बैंकिंग प्रणाली के संवर्धन हेतु विश्व बैंक से धनराशि उधार लेने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारत अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) से उधार (उदार ऋण) ले रहा है। विश्व बैंक (आईबीआरडी और आईडीए) से भारत को जून, 2007 तक ऋणों की संचयी वचनबद्धता 73.93 बिलियन अमरीकी डालर (आईबीआरडी-37.68 बिलियन अमरीकी डालर और आईडीए-36.25 बिलियन अमरीकी डालर) है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में समर्थ बनाने हेतु जोखिम-भारित आस्तियों के अनुपात के प्रति विनियामक पूंजी का एक स्वस्थ और सुविधाजनक स्तर बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव विश्व बैंक के पास भेजा गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2007-08 के दौरान भारतीय वित्तीय प्रणाली पर किए गए मूल्यांकन से प्रकट होता है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र स्वस्थ, सुदृढ़ और समुत्थानशील बना हुआ है।

मेगा विद्युत परियोजनाओं में निवेश

4873. श्री संजय तकाम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न भारतीय कंपनियों विशेष रूप से पन बिजली क्षेत्रों द्वारा वर्तमान में लगाई गई संस्थागत (सेक्टोरियल) सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान नीति के तहत बिजली अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्राप्त है।

विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) से संबंधित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत क्षेत्र सहित अवसंरचना क्षेत्र की कंपनियों को अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत एक वित्तीय वर्ष में 500 मिलियन अमरीकी डालर तक के ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति है।

जहां तक बैंकों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा का संबंध है, एकल उधारकर्ता के मामले में साधारण सीमा पूंजी निधियों का 15 प्रतिशत और उधारकर्ता समूह के लिए पूंजी निधियों का 40 प्रतिशत है। ऋण की अधिकतम सीमा को और 10 प्रतिशत बढ़ा कर 50 प्रतिशत तक किया जा सकता है यदि यह सीमा अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के कारण बढ़ाई गई हो।

[हिन्दी]

सरकारी सेवा में आदिवासियों हेतु आरक्षण

4874. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

श्री अर्जुन मुंडा :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली सहित देश में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से सरकारी सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में परिवर्तन करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, सेवा-वार तथा शैक्षणिक पाठ्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार आदिम जनजातियों के सभी युवकों को सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) :

(क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4875. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी गरीबी उपशमन उपायों के रूप में बचत तथा ऋण समितियाँ बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समितियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केरल सहित वर्षवार तथा राज्यवार कितने गरीब लोग लाभान्वित हुए;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन समितियों को कोई सहायता दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितना आबंटन किया गया; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के शहरी रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) घटक के तहत एक एप घटक के रूप में शहरी निर्धन महिलाओं को थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी (टीएंडसीएस) के गठन हेतु सहायता दी जाती है। तथापि 1 अप्रैल 2009 से लागू संशोधित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत यह उप-घटक शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) का एक भाग बना लिया गया है। इस उप घटक के तहत यदि शहरी निर्धन महिलाओं का कोई समूह, जिसमें कम से कम 10 सदस्य हों (संशोधित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में न्यूनतम अपेक्षित संख्या घटाकर 5 कर दी गई है), स्वयं को एक स्वसहायता समूह (एसएचजी)/अपने अन्य उद्यम कार्यकलापों के अतिरिक्त बचत व ऋण जुटाने के लिए थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी (टीएंडसीएस) के रूप में स्थापित करता है तो उस समूह को प्रति सदस्य अधिकतम 1000/- रु. (संशोधित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में यह अधिकतम सीमा अब प्रति सदस्य 2000/- रु. है) की दर से आवर्ती कोष के रूप में एकमुश्त 25,000/- रु. के अनुदान के साथ सहायता दी जाती है।

(ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत गठित थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटियों की संख्या का विवरण केन्द्रीय स्तर पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से रखा जाता है। इस प्रकार पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल सहित राज्यों में गठित थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटियों (जिनमें प्रत्येक में कम से कम 10 शहरी निर्धन महिलाएं शामिल हैं) की संख्या का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा विवरण-1 के रूप में संलग्न है।

(घ) जैसा कि पहले बताया गया है थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी को प्रति सदस्य 1000/- रु. (संशोधित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में यह राशि अब प्रति सदस्य अधिकतम 2,000/- रु. है) की दर से अधिकतम 25,000/- रु. के आवर्ती कोष के रूप में सहायता दी जाती है।

(ङ) और (च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय धनराशि घटक-वार नहीं बल्कि समग्र रूप में नियत तथा रिलीज की जाती है ताकि राज्य/संघ शासित प्रदेश एसजेएसआरवाई के विभिन्न घटकों के तहत उस घटक की मांग के आधार पर धनराशि का उपयोग कर सकें। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय धनराशि का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा विवरण-1 पर हैं।

विवरण-1

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के तहत वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान गठित थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटियों (टीएंडसीएस) की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	20937	32360	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1702	1205	1402
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	22	16	0
8.	हरियाणा	142	208	151
9.	हिमाचल प्रदेश	9	1	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
12. कर्नाटक		4915	6185	6321	25. त्रिपुरा		65	25	45
13. करेल		0	2628	201	26. उत्तरांचल		0	10	0
14. मध्य प्रदेश		1081	915	401	27. उत्तर प्रदेश		29	299	250
15. महाराष्ट्र		7947	9609	7018	28. पश्चिम बंगाल		2138	5305	3943
16. मणिपुर		0	0	0	29. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		0	1	0
17. मेघालय		0	6	0	30. चंडीगढ़		0	34	0
18. मिजोरम		0	0	0	31. दादरा और नगर हवेली		0	0	0
19. नागालैंड		0	82	79	32. दमन और दीव		0	0	0
20. उड़ीसा		209	399	422	33. दिल्ली		7	19	6
21. पंजाब		0	0	0	34. पुडुचेरी		35	29	22
22. राजस्थान		53	67	72					
23. सिक्किम		0	3	0					
24. तमिलनाडु		5112	2430	1581	कुल		44403	61836	21915

विवरण-II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के तहत वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान दी गई केन्द्रीय धनराशि का राज्यवार विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2006-07 के दौरान दी गई केन्द्रीय राशि	2007-08 के दौरान दी गई केन्द्रीय राशि	2008-09 के दौरान दी गई केन्द्रीय राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2295.94	2058.41	4327.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	46.68	148.64	0.00
3.	असम	368.27	1974.81	2947.90
4.	बिहार	586.83	1225.54	1980.98
5.	छत्तीसगढ़	698.46	741.48	637.36

1	2	3	4	5
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	894.65	958.18	1548.80
8.	हरियाणा	571.67	553.03	1334.27
9.	हिमाचल प्रदेश	9.24	7.69	12.43
10.	जम्मू और कश्मीर	849.38	105.86	0.00
11.	झारखंड	0.00	480.90	0.00
12.	कर्नाटक	1416.98	2410.37	4896.14
13.	केरल	639.22	629.74	1017.91
14.	मध्य प्रदेश	2388.35	3120.18	5043.48
15.	महाराष्ट्र	3776.34	5944.50	9608.72
16.	मणिपुर	0.00	297.28	445.71
17.	मेघालय	97.65	254.81	190.74
18.	मिजोरम	533.40	233.58	350.20
19.	नागालैंड	145.23	191.11	286.53
20.	उड़ीसा	808.97	1099.33	1776.95
21.	पंजाब	135.71	159.24	120.52
22.	राजस्थान	852.93	1832.21	1574.91
23.	सिक्किम	10.38	115.77	63.67
24.	तमिलनाडु	1891.51	2650.59	4284.44
25.	त्रिपुरा	127.08	297.28	248.84
26.	उत्तरांचल	93.96	350.61	566.72
27.	उत्तर प्रदेश	4566.49	4545.23	8846.94
28.	पश्चिम बंगाल	1063.13	1205.19	1948.07
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
34.	पुडुचेरी	0.00	100.00	7.80
कुल		24868.45	33691.56	54067.25

वैश्विक निगरानी रिपोर्ट

4876. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वैश्विक निगरानी रिपोर्ट के अनुसार सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के संबंध में निर्धारित अधिकांश लक्ष्य 2015 तक पूरा होने की संभावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के अनुसार उन क्षेत्रों का ज्योरा क्या है जिनके लक्ष्य पूरे होने की संभावना नहीं है इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (घ) "वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2009" नामक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की संयुक्त रिपोर्ट 24 अप्रैल, 2009 को जारी हुई थी जिसमें उल्लेख है कि वैश्विक वित्तीय संकट 2015 के निर्धारित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) की प्राप्ति को जोखिम में डाल रहा है और विकास के लिए आपात स्थिति उत्पन्न कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक सहमति प्राप्त आठ लक्ष्यों में से अधिकांश के पूरा होने की संभावना नहीं है जिसमें भूख, बाल और मातृ मृत्यु दर, शिक्षा और एचआईवी/एड्स का मुकाबला करने में प्रगति, मलेरिया और अन्य प्रमुख बीमारियां शामिल हैं। तथापि, रिपोर्ट में एमडीजी को प्राप्त करने में भारत के कार्य-निष्पादन पर विशेष रूप से टिप्पणी नहीं

की गई है। एमडीजी, पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों के बिल्कुल समान ही हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य (i) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (ii) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (iii) इंदिरा आवास योजना, (iv) एकीकृत बाल विकास सेवाएं, (v) मध्य दिवस भोजन स्कीम, (vi) स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, (vii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ((viii) अन्तोदय अन्न योजना, (ix) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, (x) सर्वशिक्षा अभियान, (ix) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और (xii) सम्पूर्ण सफाई अभियान जैसे अनेकों कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके त्वरित और समावेशी विकास करना है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का कार्य निष्पादन

4877. श्री अशोक अर्गल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजाति कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे गैर-सरकारी संगठनों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को किसी गैर-सरकारी संगठन के कार्य निष्पादन में कोई खामी मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ज्योरा क्या है और इस प्रकार के गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) :

(क) से (ग) जहां तक जनजातीय कार्य मंत्रालय का संबंध है, निधियां केवल उन्हीं गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को निर्मुक्त की जाती हैं, जिनकी परियोजनाएं प्रत्येक राज्य में गठित की गई बहु-आयामी राज्य स्तरीय समितियों द्वारा सिफारिश प्राप्त हैं तथा जिला प्राधिकरणों द्वारा संतोषजनक पाई गई हैं, जोकि उनकी वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट से प्रतिबिंबित होता है।

[अनुवाद]

स्थानीय निकायों को बाजारों के स्वामित्व अधिकार

4878. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संपदा निदेशालय द्वारा आवंटित दुकानों के स्वामियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के निर्णय की प्रगति की निगरानी हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय इस प्रकार की समिति का गठन करने पर विचार कर रहा है और क्या संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा केन्द्र सरकार के निर्णय का परिकल्पित योजना के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त निर्णय कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

के.लो.नि.वि. द्वारा खरीद

4879. श्री पूर्णमासी राम :

श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) दरों, गुणवत्ता तथा विनिर्दिष्टता की उपयुक्तता की जांच किए बिना इलेक्ट्रिकल तथा अन्य मदें आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) की दरों पर तथा अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दरों पर खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डीजीएस एण्ड डी की दर संविदा तथा स्वयं प्रतिस्पर्धात्मक टेंडर मंगाकर इलेक्ट्रिकल और अन्य मदें खरीद रहा है। डीजीएस एण्ड डी की संविदा पर की गई खरीद के लिए, डीजीएस एण्ड डी द्वारा दरों, गुणवत्ता और विनिर्देशनों की उपयुक्तता सुनिश्चित किया जाता है। सीपीडब्ल्यूडी की संविदा प्रणाली पर की गई खरीद के लिए मदों की दरों, गुणवत्ता और विनिर्देशनों की उपयुक्तता सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दरों पर खरीददारी नहीं की जाती है।

आईडीबीआई

4880. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) सरकारी क्षेत्र के बैंक के रूप में अपना विकास वित्त दर्जा (डीएफआई) रख रहा है;

(ख) यदि हां, तो विकास बैंकिंग में इसके कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईडीबीआई अपने पूर्व कर्मचारियों की सेवा-शर्तों की रक्षा कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार ने आईडीबीआई के पूर्व कर्मचारियों का डीएफआई क्षेत्र से खुदरा बैंकिंग कार्यों में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आईडीबीआई के पूर्व कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) जी, हां। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (पूर्व में इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लि.) अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों के अतिरिक्त, निरन्तर अपने विकास बैंकिंग कार्यों को भी पूरा कर रहा है। बैंक की 80% से अधिक आस्तियां औद्योगिक वित्त के रूप में रखी जाती हैं।

(ग) से (च) आईडीबीआई बैंक लि. के कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा स्थानांतरण और तैनाती सहित इसके अन्य मानव संसाधन मामले, सांविधिक प्रावधानों, बैंक के सेवा नियमों तथा आंतरिक दिशा-निर्देशों द्वारा अभिशासित होते हैं।

आवधिक ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान

4881. श्री सी. शिवासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान रुपए के मूल्य में उतार-चढ़ाव आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार आवधिक ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु दो वर्ष का विलंबन देने पर विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड) क्या डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने के कारण निर्यातकों को भारी घाटा हुआ है तथा परिधान उद्योग को बैंकों से महत्वपूर्ण सहायता की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क)

और (ख) पिछले दो वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान प्रति अमरीकी डालर रुपए की वार्षिक औसत विनिमय दर नीचे बताई गई है:

क्रम सं.	वर्ष	प्रति अमरीका डालर रुपए की वार्षिक औसत विनिमय दर	पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य वृद्धि(+)/ मूल्यहास(-)
1.	2007-08	40.26	(+) 12.4
2.	2008-09	45.99	(-) 12.5

टिप्पणी: खरीद और बिक्री का औसत भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफडीडीआई) की बाजार दरों को दर्शाता है। स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक

विनिमय दर नीति एक निश्चित अवधि में विनिमय दर में होने वाली घट-बढ़ को सुव्यवस्थित तरीके से निर्धारित करने के लिए संबंधित मांग और आपूर्ति की स्थितियों का ध्यान रखते हुए लोचशीलता के साथ विनिमय दरों की सावधानीपूर्वक मानीटरिंग और प्रबंधन के मूल सिद्धांतों से निर्देशित होती है। इस प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई दखल कार्रवाई अतिरिक्त अस्थिरता को कम करने, अस्थिरता पैदा करने वाली सट्टेबाजी की गतिविधियों को रोकने, विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर बनाए रखने और एक सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार विकसित करने के उद्देश्यों से दिशा-निर्देशित होती है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों की पुनर्संरचना करने और अस्थायी रूप से नकदी के प्रवाह की समस्याओं का सामना कर रही यूनियों को ऋण अदायगी का अधिस्थगन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वस्त्रोद्योग और परिधान क्षेत्र को प्रभावित करने वाली निरन्तर जारी समस्याओं को देखते हुए, बैंक प्रत्येक मामले के आधार पर एक या दो वर्ष की अधिस्थगन अवधि की पेशकश कर रहे हैं ताकि ऐसे खातों को डूबने से बचाया जा सके।

(ड) और (च) हाल के महिनो में प्रति अमरीकी डालर रुपए के मूल्य में, कुछ अस्थिरता को छोड़कर, कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। कैलण्डर वर्ष 2009 के दौरान प्रति अमरीकी डालर रुपए की मासिक औसत विनिमय दर और इसकी मूल्यवृद्धि/मूल्यहास का माह-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष/माह	प्रति अमरीकी डालर रुपए की वार्षिक औसत विनिमय दर	पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य वृद्धि(+)/ मूल्यहास(-)
2009			
1.	जनवरी	48.79	-0.3
2.	फरवरी	49.26	-1.0
3.	मार्च	51.23	-3.8
4.	अप्रैल	50.03	+2.4
5.	मई	48.53	+3.1
6.	जून	47.77	+1.6
7.	जुलाई	48.48	-1.5

टिप्पणी: खरीद और बिक्री का औसत भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफईडीएआई) की बाजार दरों को दर्शाता है। स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक

तथापि, निर्यात क्षेत्र (वस्त्रोद्योग क्षेत्र सहित) पर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए 2008-09 में प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की गई, जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे:-

- (i) वस्त्रोद्योग (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, कालीन, चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पादों और लघु व मध्यम उद्यमों जैसे निर्यात के श्रम-प्रधान क्षेत्रों को 1.12.2008 से 30.9.2009 तक 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता।
- (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) के पिछले दावे निपटाने के लिए कपड़ा क्षेत्र को 1,400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधियों का प्रावधान।
- (iii) निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन।
- (iv) हस्तशिल्प की मदों को विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) में शामिल करना।
- (v) केन्द्रीय बिक्री पर (सीएसटी)/सीमान्त उत्पाद शुल्क/भावी निर्यातों पर शुल्क के दावों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त, 1,100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- (vi) सभी मदों के लिए डीईपीबी की दरों की बहाली जहां

उन्हें नवंबर 2008 में कम कर दिया गया था और कुछ मदों पर 1 सितम्बर 2008 से शुल्क की वापसी की दरों में बढ़ोतरी।

- (vii) पेट्रोलियम उत्पादों और उन उत्पादों जहां चालू दर 4 प्रतिशत से कम थी, को छोड़कर सभी उत्पादों पर एक समान रूप से उत्पाद शुल्क में 4 प्रतिशत की कमी की गई।
- (viii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत दिया गया गारंटी कवर 50 प्रतिशत के गारंटी कवर के साथ दोगुना करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। ऋण गारंटी निधि न्यास द्वारा दिए गए गारंटी कवर को 5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा के लिए बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया गया। ऐसे संपार्श्विक मुक्त ऋणों के लिए लाक-इन अवधि कम की गई।

इसके अतिरिक्त, 2009-10 के केन्द्रीय बजट में भी निर्यात क्षेत्र की सहायता के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई जिनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

- (i) वस्त्रोद्योग (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, कालीन, चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पादों और लघु व मध्यम उद्यमों जैसे निर्यात के श्रम-प्रधान क्षेत्रों को दी गई 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता 31.3.2010 तक बढ़ा दी गई।
- (ii) बाजार विकास सहायता योजना को किए गए आबंटन में 148% की वृद्धि करना।
- (iii) समायोजन सहायता योजना का विस्तार करना ताकि बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों के लिए मार्च, 2010 तक वर्धित निर्यात ऋण गारंटी निगम की 95% सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके।
- (iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उचित दरों पर ऋण प्रदान करना।
- (v) पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बृहत हथकरघा क्लस्टर और राजस्थान में बिजली चालित करघा क्लस्टर तथा श्रीनगर और मिर्जापुर में कालीन हेतु नए बृहत क्लस्टर हेतु अनुमोदन दिया गया है।
- (vi) सावधि विधि खंड से संबंधित धारा 10क और 10ख वित्त वर्ष 2010-11 हेतु क्रमशः एसटीपीआई और ईओयू के लिए लागू करना। एकक बनाम निर्धारित की कराधान लाभ से संबंधित धारा 10कक की विसंगति हटाई गई।

(vii) निम्नलिखित रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रकों के लिए मौजूदा शुल्क मुक्त आयात हकदारी पें अतिरिक्त मदों की अनुमति देना:

- (क) खेलकूद की वस्तुओं के क्षेत्र हेतु 5 अतिरिक्त मदें;
- (ख) चमड़े के वस्त्र तथा फुटवियर एवं वस्त्रों के लिए अतिरिक्त मदें।

(viii) सेवा कर से संबंधित उपाय जिनमें अन्य के अलावा, निर्यातों से संबंधित निम्नलिखित सेवाओं पर सेवा कर में छूट देना;

- (क) किसी सीएफएस अथवा आईसीडी से निर्यात वस्तुओं के सड़क मार्ग से पत्तन अथवा हवाई पत्तन अथवा हवाई पत्तन तक किए जाने वाले परिवहन से संबंधित सेवा तथा निर्यात वस्तुओं को उनके स्थान से हटाकर सीधे सड़क मार्ग से किसी आईसीडी, सीएफएस, पत्तन अथवा हवाई पत्तन तक किए गए परिवहन से संबंधित सेवा;
- (ख) विदेशी एजेंट कमीशन सेवा द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।

[हिन्दी]

द्वारका उप-नगर

4882. श्री महाबल मिश्रा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आवासीय उप-नगर द्वारका के निर्माण की परियोजना तथा योजना का क्या उद्देश्य है तथा कितने लोगों के लिए मकान निर्मित किए गए हैं

(ख) वहां के निवासियों के लिए बिजली, पानी तथा जल-मल व्ययन प्रणाली की प्रस्तावित तथा उपलब्ध व्यवस्था किस प्रकार की है;

(ग) सरकार द्वारा निर्मित इस आवासीय उप-नगर के निवासियों को पानी-बिजली की कमी के कारण हो रही असुविधाओं के क्या कारण हैं; और

(घ) इन असुविधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इन मूलभूत सुविधाओं को कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) द्वारका उपनगर दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में प्रस्तावित शहरी विस्तार का एक भाग है। अनुमोदित जोनल विकास योजना में जोन-के (पार्ट) द्वारका के लिए 11 लाख आबादी की परिकल्पना की गई है। द्वारका के नियोजित सेक्टर 1 से 26 तक के लिए अनुमोदित आबादी 7.5 लाख है। द्वारका में निर्मित फ्लैटों की संख्या 34,353 है।

(ख) डीडीए ने बताया है कि द्वारका जोन में जल आपूर्ति दिल्ली जल बोर्ड की जल आपूर्ति पर निर्भर है। फिलहाल 8.0 एमजीडी की आवश्यकता की तुलना में दिल्ली जल बोर्ड से केवल 3.0 एमजीडी पानी मिल रहा है। डीडीए द्वारका में 53 ट्यूबवैलों का निर्माण करके जल आपूर्ति में वृद्धि की है। जहां तक सीवरेज प्रणाली का संबंध है, द्वारका उप नगर में यह समुचित रूप से कार्य कर रही है। बिजली आपूर्ति के संबंध में डीडीए ने बताया है कि 220 केवी के 3 में से 2 ग्रिड सबस्टेशन तथा 66 केवी के 15 में से 4 ग्रिड सबस्टेशन चालू कर दिए गए हैं। बाहरी क्षेत्र में बिजली का कार्य बीएसईएस-राजधानी पावर लि. (बीआरपीएल) द्वारा शुरू किया गया है। द्वारका, उप नगर में एक 11 केवल ओरवहैड फीडर उपलब्ध कराया गया है तथा आवास समितियों व अन्य आवास प्लाटों को मांग के आधार पर इस 11 केवी फीडर से बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है।

(ग) द्वारका निवासियों द्वारा झेली जा रही पानी की कमी की समस्या दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की अपर्याप्त सप्लाई के कारण है। बिजली की आपूर्ति करना बीआरपीएल का दायित्व है तथा निवासियों को होने वाली असुविधा, यदि हो, लोडशेडिंग के कारण है।

(घ) जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए डीडीए ने 40 एमजीडी जल शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु 32.5 हेक्टेयर भूमि दिल्ली जल बोर्ड को सौंप दी है। द्वारका उपनगर के बाहरी क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराने के लिए डीडीए ने पूरा भुगतान कर दिया है। जिसके लिए बीआरपीएल ने 11केवी बाह्य फीडर तथा स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करा दी है।

[अनुवाद]

आनुवांशिक रूप से संबंधित खाद्य पदार्थ

4883. श्रीमती मेनका गांधी :

श्री मोहन जेना :

श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं तथा बच्चों में आनुवांशिक रूप से संबंधित खाद्य पदार्थों के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् चावल, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन, आलू, बैंगन इत्यादि की आनुवंशिक रूप से आशोधित फसलें विकसित करने के लिए अनुसंधान कर रही है। पर्यावरण संबंधी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इन आनुवंशिक रूप से आशोधित फसलों का उपयुक्त जोखिम विश्लेषण किया जा रहा है। ऐसे जोखिम विश्लेषण की प्रक्रिया में सभी श्रेणी के मानवों की संवेदनशीलता और जोखिम की संभावनाओं का आंकलन किया जाता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने आनुवंशिक रूप से आशोधित फसलों/खाद्य पदार्थों की जैव-सुरक्षा के आंकलन का तंत्र स्थापित किया है, जिनके अंतर्गत आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति प्रत्येक मामले के अनुसार अनुमोदन प्रदान करती है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी समिति आनुवंशिक रूप से आशोधित पदार्थों के व्यापक पैमाने पर उपयोग और व्यावसायिक आपूर्ति हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए शीघ्रस्थ निकाय है।

किसी भी नए आनुवंशिक रूप से आशोधित खाद्य पदार्थ/खाद्य फसल को शुरू करने से पहले संबंधित पदार्थ/फसल का जोखिम विश्लेषण और दीर्घाधिक लाभ का मूल्यांकन किया जाता है। सरकार ने आनुवंशिक रूप से आशोधित पदार्थों के पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत नियम एवं दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत जोखिमपूर्ण सूक्ष्म पदार्थों/आनुवंशिक अभियांत्रिकी से तैयार पदार्थों या कोशिकाओं का विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियामावली 1989 अधिसूचित की गई है।

आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति ने भारत में अब तक केवल बी.टी. काटन के व्यावसायिक उत्पादन को अनुमोदित किया है।

विमान उड़ानों के माध्यम से तस्करी

4884. श्री निशिकांत दुबे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरलाइन्स की उड़ानों का देश में विदेशी उपभोक्ता उत्पादों की तस्करी के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तस्करी के कितने मामलों की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई तथा सरकार द्वारा तस्करी के कितने माल की बरामदगी की गई है;

(ग) कितने मामलों में एयरलाइनों के कर्मचारी शामिल पाए गए तथा उनके विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार द्वारा एयरलाइन की उड़ानों में तस्करी की समस्या को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक/निरोधात्मक कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानिम्निकम) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में जुलाई, 2009 तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तस्करी के मामलों और जब्त किए गए माल के मूल्यों का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें एयरलाइन्स के कर्मचारी शामिल पाए गए और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) देश में विदेशी उपभोक्ता उत्पादों की तस्करी के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नियुक्त कर्मचारी हवाई अड्डों पर उतरने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं।

विवरण-I

वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (करोड़ रुपये में)
2006-07	1099	17.38
2007-08	966	34.62
2008-09	1248	58.80
2009-2010 (जुलाई, 09 तक)	505	16.54

विवरण-II

वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रुपये में)	शामिल एयरलाइन्स कर्मचारियों की संख्या	की गई कार्रवाई
2006-2007	1	2.32	शून्य	शून्य
2007-2008	2	1.97	2	आरएफ 25000/- रुपये पीपी 10000/- रुपये शुल्क 68.141/- रुपये ई.डी. उपकर 2344/- रुपये
2008-2009	02	0.02	02	आरएफ 2800/- रुपये पीपी 10000/- रुपये
2009-2010 (जुलाई, 09 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*आरएफ-मोचन जुमाना।

*पीपी-वैयक्तिक अर्थदंड।

एन.आई.पी.सी.सी.डी.

4885. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन.आई.पी.सी.सी.डी.) ने 'आई.सी.डी.एस. के तीन दशकों' नामक शीर्षक पर कोई मूल्यांकन अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के कार्यान्वयन में क्या कमियां पाई गई; और

(ग) सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन में 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 150 आई.सी.डी.एस. ग्रामीण, शहरी तथा जनजातीय परियोजनाओं को शामिल किया गया। अध्ययन का कार्यकारी सारांश तथा निष्कर्ष मंत्रालय के बाल विकास खंड में वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) आई.सी.डी.एस. स्कीम के तहत सेवाओं की प्रदायगी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) आई.सी.डी.एस. स्कीम के विस्तार के तीसरे चरण के माध्यम से इसे व्यापक बनाना, जिसके तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्प-संख्यकों को विशेष रूप से ध्यान में रख कर 792 अतिरिक्त परियोजनाएं, 2.13 लाख अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र और 77102 लघु आंगनवाड़ी केन्द्र संस्वीकृत किए गए;

(ii) विद्यमान कार्यक्रमों के लागत मानदण्डों में संशोधन किया गया;

- (iii) पूरक पोषण के पोषाहारीय तथा आहार संबंधी मानदंडों में संशोधन किया गया;
- (iv) आंगनवाड़ी केन्द्र के स्तर पर फ्लेक्सी फंड का प्रावधान;
- (v) विश्व स्वास्थ्य संगठन के नये विकास मानदंडों की शुरुआत आदि।

वित्तीय समावेशन अभियान की समीक्षा

4886. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय समावेशन पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा राज्य स्तर की बैंकर समिति ने कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सहित देश में वित्तीय समावेशन अभियान के भाग के रूप में खोले गए खाते बंद पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2007-08 की वार्षिक नीति विवरण के अनुसरण में, प्रख्यात बाह्य एजेंसियों द्वारा आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 26 जिलों जिन्होंने 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त कर लेने की सूचना दी थी, में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया गया था। इन अध्ययनों से जो मुख्य निष्कर्ष निकला, वे हैं (i) यद्यपि, एसएलबीसी ने कई जिलों को 100% समावेशन प्राप्त कर लेने की घोषणा की थी, वास्तविक वित्तीय समावेशन उतना नहीं हुआ है और (ii) वित्तीय समावेशन अभियान के भाग के रूप के रूप में खोले गए ज्यादातर खातों का विभिन्न कारणों से अपरिचालित हैं।

(ङ) 100% वित्तीय समावेशन को सुकर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

- राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एलएलबीसी) को एक या दो जिलों के 100% वित्तीय समावेशन के लिए चयन करने की सलाह दी गयी है।

- नवम्बर, 2005 में बैंकों को कम या शून्य शेष के साथ "अतिरिक्त सुविधा रहित" प्राथमिक खाता उपलब्ध कराने की सलाह दी गयी है।
- खाता खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया को अधिकतम 50,000 रु. शेष राशि वाले और अधिकतम 1 लाख रु. प्रतिवर्ष क्रेडिट वाले खातों के लिए सरल कर दिया गया है।
- जनवरी, 2006 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को, कारोबार सहायक और कारोबार संपर्की (बीसी) आदर्शों के उपयोग द्वारा वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), सूक्ष्म-वित्त संस्थानों और अन्य नागरिक समिति संगठनों की सेवाओं को मध्यवर्ती के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे दी है।
- बैंकों से वित्तीय समावेशन के लिए सूचना प्रोद्योगिकी पहलों को बढ़ाने का आग्रह किया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बायोमेट्रिक एक्सेस के साथ खाता खोलने की लागत का 50 रु. प्रति खाता का आंशिक प्रतिपूर्ति करने की एक योजना प्रस्तावित किया है, जिनके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभों, एनआरईजीए भुगतान, इत्यादि किया जाएगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

4887. श्री कौशलेन्द्र कुमार :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री यशवंत लागुरी :

श्री रामकिशुन :

श्री सी. शिवासामी :

श्री उमाशंकर सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत नई परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए निर्वाचित जन प्रतिनिधियों सहित संसद सदस्यों से परामर्श ने करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में ऐसी कितनी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण विकास परियोजनाओं के निष्पादन में चयनित जनप्रतिनिधियों को बड़ी जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा संबंधित संसद सदस्यों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत जिला स्तर पर स्वतंत्र निगरानी तथा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) :
(क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय अनेक ग्रामीण विकास एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। इनके अंतर्गत परियोजनाएं कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार बनाई जाती हैं। इस मंत्रालय को विशेषकर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सहित ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत नई परियोजनाएं आरंभ करने में उनमें परामर्श न करने के संबंध में संसद सदस्यों सहित निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए सुझाव, जो संसद सदस्यों सहित निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्राप्त होते हैं, कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जांच एवं उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिए जाते हैं।

(ग) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अपने कार्यक्रमों की निगरानी की व्यापक प्रणाली बनाई गई है। ये निगरानी साधन हैं-जिला-वार आंकड़ा प्रबंधन, आवधिक प्रगति रिपोर्ट/विवरण, क्षेत्र अधिकारी योजनाएं, उपयोग प्रमाण-पत्र/लेखा परीक्षा रिपोर्टें, केंद्रीय मंत्रियों द्वारा समीक्षा, निष्पादन समीक्षा समिति, (पीआरसी) राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम) और राज्य एवं जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां। मंत्रालय राज्य एवं जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित करता है जो ग्रामीण विकास परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी करने के लिए निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों एवं पंचायती राज संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। 15वीं लोक सभा के गठित होने से पहले गठित की गई सतर्कता एवं निगरानी समितियां विघटित हो गई हैं और नई सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित होने की प्रक्रिया आरंभ हो गई हैं।

कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय ने पांच सूत्री कार्यनीति अपनाई है जिनमें (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजन (ii) जन-भागीदारी (iii) पारदर्शिता (iv) जवाबदेही और (v) कड़ी-सतर्कता एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी शामिल हैं।

[अनुवाद]

कर से छूट

4888. श्री प्रबोध पांडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुकेश अंबानी तथा उनके कारपोरेट जगत को विभिन्न करों के भुगतान से छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसी क्षेत्र से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) :
(क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

एन.जी.ओ.

4889. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निराश्रित महिलाओं की स्थिति में सुधार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को पुरस्कार प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में एन.जी.ओ. को आबंटित धनराशि की मात्रा कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी संगठनों को स्वाधार और अल्पावास गृह स्कीमों के अंतर्गत धनराशि, इन स्कीमों के मानदण्डों के अनुरूप संस्वीकृत की जा रही है। इन स्कीमों का ब्यौरा वेबसाइट www.wcd-nic.in पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

पर्यावरणीय उन्नयन

4890. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित देश में शहरों के पर्यावरणीय उन्नयन हेतु कोई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) :

(क) और (ख) जी, नहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित देश में शहरों के पर्यावरणीय उन्नयन के विशेष प्रयोजन हेतु शहरी विकास मंत्रालय ने कोई स्कीम शुरू नहीं की है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीप में विदेशी पर्यटक

4891. श्री मिलिंद देवरा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी शैलजा) : वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या क्रमशः 9045, 10975 और 12512 थी। पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (एफईई) का राज्य-वार अनुमान संकलित नहीं करता है। तथापि, वर्ष

2006, 2007 और 2008 के दौरान भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय क्रमशः 8.63 बिलियन अमरीकी डालर, 10.73 बिलियन अमरीकी डालर और 11.75 बिलियन अमरीकी डालर होनी अनुमानित थी।

दक्षिण एशिया हाउसिंग फोरम

4892. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) दक्षिण एशिया हाउसिंग फोरम हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक साइट का आयोजन करेगा;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उड़ीसा सहित भारतीय राज्यों की भूमिका क्या है; और

(घ) इस आयोजन में किन संभावित देशों के भाग लेने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने दक्षिणी एशिया क्षेत्र के अन्य देशों और विश्व बैंक के परामर्श से, दक्षिणी एशिया आवास वित्त मंत्री (एसएचएफ) के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक साइट विकसित किया है। इस पोर्टल को सेंट्रल बैंक आफ अफगानिस्तान के गवर्नर द्वारा दिनांक 9.7.2009 को सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल को प्रारम्भ में एनएचबी की वेबसाइट www.nhb-org.in पर निर्मित किया गया है और कुछ समय में यह एक पृथक स्वतंत्र डोमेन पर चला जाएगा।

इस इलेक्ट्रॉनिक मंच का उद्देश्य दक्षिणी एशिया के विभिन्न देशों के विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध करना है ताकि इस क्षेत्र में आवास रणनीति पर एक समन्वित दृष्टिकोण बनाया जा सके।

(ग) इस मंच में राज्य सरकारों को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गयी है।

(घ) इस मंच में भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्री लंका, बंगलादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया एवं थाईलैंड सहित दक्षिणी एशिया के विभिन्न देश शामिल हैं।

टीएमएचपी का क्रियान्वयन

4893. श्री पूर्णमासी राम : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998-99 में शुरू किया गया टू मिलियन हाउसिंग प्रोग्राम (टीएमएचपी) ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक टीएमएचपी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में कमजोर आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग श्रेणियों की कुल कितनी आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी आवास इकाइयां आरक्षित हैं; और

(ग) टीएमएचपी के वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग श्रेणियों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष 1998-99 में दो मिलियन आवास कार्यक्रम शुरू किया था। यह ऋण आधारित स्कीम है जिसमें प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयों (डीयू), ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 7 लाख, के निर्माण का उल्लेख है।

शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष के लिए लक्षित 7 लाख आवासीय इकाइयों में से प्रति वर्ष 4 लाख आवासीय इकाइयों का लक्ष्य आवास और नगर विकास निगम को दिया गया था, राष्ट्रीय आवास बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा मान्यता प्राप्त आवासीय वित्तीय संस्थानों को प्रति वर्ष 2 लाख आवासीय इकाइयों का लक्ष्य दिया गया था, और प्रति वर्ष शेष एक लाख आवासीय इकाइयों का लक्ष्य सहकारी क्षेत्र को दिया गया था।

प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1998-99 से वर्ष 2008-09 तक सभी आय वर्गों के लिए शहरी क्षेत्रों में संस्वीकृत आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 87.43 लाख थी।

प्राइम लेंडिंग रेट

4894. श्री सी. शिवासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर) से सम्बद्ध किए बिना सबके लिए 7 प्रतिशत ब्याज दर पर प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट की घोषणा करने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम क्रियान्वयन

4895. श्री आनंदराव अडसुल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 2008 में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम एवं नियमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से ग्राम सभाओं की बैठक एक समयबद्ध तरीके से आयोजित कर क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की राज्य-वार, क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) पूरे देश में उक्त अधिनियम एवं नियमों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) :

(क) से (घ) पंचायती राज मंत्रालय ने दिनांक 15.02.2008 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुसूचित जनजाति व अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता को दुहराते हुए दिनांक 28.02.2008 को ग्राम सभाओं का आयोजन कर उसके दौरान अधिनियम व नियमों के प्रावधानों एवं पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.), ग्राम सभाओं व वन अधिकार समितियों की भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों की व्याख्या करने का सुझाव दिया था। तदनुसार, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। प्राप्त प्रतिक्रिया को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) अधिनियम को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य/संघ राज्य सरकारों की है। तथापि जनजातीय कार्य मंत्रालय (एम.ओ.टी.ए.), जो कि इस संदर्भ में नोडल मंत्रालय है, द्वारा की गई कार्रवाई निम्नवत है:

- (i) अधिनियम व नियम क्रमशः दिनांक 13.12.2007 एवं 1.1.2008 को अधिसूचित की गई। 31.1.2008 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए समय सीमा के साथ कार्रवाई योग्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में जानकारी दी।
- (ii) इस अधिनियम के तहत विभिन्न समितियों के गठन के लिए दिनांक 11.1.2008 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से आग्रह किया गया। (iv) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तत्काल उपाय करने के लिए दिनांक 15.06.2009 को पत्र जारी किया गया।
- (iii) इस अधिनियम के शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक जनजातीय कार्य मंत्रालय इस अधिनियम के क्रियान्वयन को मानीटरिंग कर रहा है।

विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय के दिनांक 15.2.2008 के पत्र पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई प्रतिक्रियाएं:

क्र.सं.	राज्य	प्रतिक्रिया
1	2	3
1.	छत्तीसगढ़	निर्धारित तिथि 28.2.2008 को ग्राम सभाएं आयोजित की गईं।
2.	मध्य प्रदेश	26 से 31 जनवरी, 2008 की अवधि के दौरान बैठकें आयोजित की गईं।
3.	केरल	ग्राम सभा बैठकों को आयोजित करने के लिए अनौपचारिक बातचीत हुई है परन्तु ब्यौरे तय किए जाने शेष हैं।
4.	त्रिपुरा	राज्य के चुनाव निर्धारित हैं एवं 7 मार्च, 2008 तक वोटों की गिनती सम्पन्न हो जाएगी। ग्राम सभा की बैठकें एवं इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अन्य कार्य उसके बाद आरंभ हो जाएंगे।
5.	आंध्र प्रदेश	कार्य प्रगति पर है और, 1 मार्च, 2008 तक ग्राम सभा की बैठकें सम्पन्न कर ली जाएंगी।
6.	राजस्थान	प्रारंभिक कार्य चल रहा है। प्रचार एवं प्रशिक्षण सामग्री का मुद्रण चल रहा है। चूंकि पंचायतों की संख्या काफी ज्यादा है एवं विधान सभा का सत्र चलेगा इसलिए ग्राम सभा की बैठकों को प्रचारित किया जाएगा परन्तु यह मार्च 2008 के अंत तक पूरी की जाएगी।
7.	गुजरात	पंचायती राज विभाग का एक अधिकारी 10 ग्राम पंचायतों के साथ जुड़ा है। चूंकि इस अधिनियम का समुचित प्रसार अपेक्षित है, इसलिए राज्य सरकार का पंचायती राज विभाग इस अधिनियम पर विचार-विमर्श के लिए विशेष ग्राम सभा की बैठक का प्रबन्ध करेगी। इन ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। गुजरात सरकार ग्राम सभा की बैठकों को आयोजित करने के लिए कार्यक्रम तय करेगी।

1	2	3
8.	कर्नाटक	प्रत्येक ग्राम पंचायत के साथ 3-4 गांवों को जोड़ा गया है एवं इन वार्ड सभाओं की स्वतंत्र बैठकें किया जाना संभावित है। इसलिए ग्राम सभा की बैठकें 3-4 दिनों तक चलेगी एवं यह कार्य 15 मार्च, 2008 तक सम्पन्न करा लिए जाने की प्रत्याशा है।
9.	उड़ीसा	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। जनजातीय जिलों से दस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक पंचायत सचिव से 10-12 गांव जुड़े हैं। ग्राम सभा की बैठकों को आयोजित करने की प्रक्रिया 28 फरवरी को आरंभ होगा एवं अगले माह तक पूरा हो जाएगा।
10.	मिजोरम	ग्राम परिषद इस मामले को देखेगा। कार्य 15 मार्च, 2008 तक पूरा हो जाएगा।
11.	महाराष्ट्र	प्रत्येक पंचायत सचिव के पास 2-3 पंचायतों का प्रभार है। ग्राम सभा की बैठकें 28 फरवरी, 2008 से आरंभ होंगी एवं 10 मार्च, 2008 तक पूरी हो जाएंगी।
12.	हिमाचल प्रदेश	जनजातीय क्षेत्रों में भारी बर्फवारी एवं अत्यधिक ठंड जारी रहने की वजह से इसकी शुरुआत मार्च/अप्रैल, 2008 में संभावित है। तथापि, कतिपय जगहों में सभाएं 28 फरवरी, 2008 को आयोजित होगी।
13.	पश्चिम बंगाल	इस अधिनियम के नियमों का क्रियान्वयन चल रहा है। ग्राम सभा की बैठकें 28 फरवरी को आरंभ होगी एवं यह प्रक्रिया मार्च, 2008 तक पूरी हो जाएगी।
14.	असम	प्रक्रिया 28 फरवरी से 15 मार्च, 2008 के बीच पूरी हो जाएंगी। छोटी अनुसूची क्षेत्रों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। यहां पी.ई.एस.ए. के अनुसार, ग्राम सभाओं को इस कार्य में संलग्न किया जाएगा।
15.	बिहार	विधानसभा सत्र चल रहा है। साथ ही यहां बड़ी संख्या में पंचायतें हैं एवं ग्राम सभा की बैठकों को आयोजित करने के लिए सीमित स्टाफ हैं। तथापि यह कार्य मार्च, 2008 में पूरा हो जाएगा।
16.	तमिलनाडु	राज्यस्तरीय समिति गठित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ग्राम सभाएं 28 फरवरी से आरंभ हो जाएंगी एवं 10 मार्च, 2008 तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
17.	हरियाणा	हरियाणा के वनों में कोई भी अनुसूचित जन जाति और पारंपरिक वन निवासी निवास नहीं करता। इसलिए वन भूमि के ऐसे समुदायों के वन अधिकारों का प्रश्न नहीं उठता। हरियाणा में राज्यस्तरीय मानीटरिंग समिति से जिला स्तर एवं उसके नीचे की विभिन्न समितियों का गठन अपेक्षित नहीं है।
18.	लक्षद्वीप	संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप कोरल द्वीपसमूह है। द्वीपों के विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में कोई भी वन क्षेत्र नहीं है एवं कोई वन निवासी नहीं है। अतः अनुसूचित जन जाति एवं अन्य वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम व नियमों का इस संघ राज्य क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक,
आर्थिक स्थिति

4896. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

श्री अर्जुन मुंडा :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों से संबंधित सूचना एकत्र करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न जनजातियों की घटती जनसंख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार, जनजाति-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) :

(क) और (ख) जहां तक जनजातीय कार्य मंत्रालय का संबंध है, देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं के संबंध में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) अनुसूचित जनजातियों (अजजा) सहित सभी सामाजिक समूहों के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, जनांकिकीय, औद्योगिक तथा कृषीय सांख्यिकी संबंधी अनुक्रमिक चरणों में देशव्यापी आधार पर बहु-विषयक एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण का संचालन करता है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। देश में विभिन्न जनजातियों की घटती हुई जनसंख्या के संबंध में अभी तक किसी राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।
डॉ. सी.पी. जोशी।

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) :
मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2999(अ), जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची दो में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 513(अ), जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची दो में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 1387(अ), जो 1 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1(अ), दिनांक 1 जनवरी, 2009 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 1824(अ), जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची एक में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 673/15/09]

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद्) संशोधन नियम, 2009, जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 134(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद्) संशोधन नियम, 2009, जो 5 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 674/15/09]

- (3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 162(अ) जो 12 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों का उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत परिषद् में नामनिर्देशन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 675/15/09]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश जयराम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ।

- (1) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 676/15/09]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ।

- (1) (एक) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 677/15/09]

- (3) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 678/15/09]

- (5) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 679/15/09]

(7) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 680/15/09]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदया, मैं अपनी सहयोगी, श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 681/15/09]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : मैं लक्ष्मी केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 682/15/09]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 683/15/09]

(2) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 551(अ) जो 27 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सड़कों के प्रबंधन, रख-रखाव अथवा मरम्मत के संबंध में प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली सेवा को सेवा-कर से छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 684/15/09]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2007-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 685/15/09]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) महोदया, मैं अपनी सहयोगी, श्रीमती परनीत कौर की ओर से संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 की धारा 2 के अंतर्गत जारी आतंकवाद का निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् के संकल्पों

का कार्यान्वयन) संशोधन आदेश, 2009, जो 8 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1661(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 686/15/09]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदया, मैं अपने सहयोगी प्रो. के.वी. थॉमस की ओर से कृषि उत्पाद श्रेणीकरण चिह्नांकन अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी जैविक कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2009 जो 18 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 534(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 687/15/09]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) ब्यूरो आफ इनर्जी इफीसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो आफ इनर्जी इफीसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 688/15/09]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति दिए जाने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009, जो 2 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/165(180)/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 689/15/09]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदया, मैं अपने सहयोगी, श्री दिनेश त्रिवेदी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 690/15/09]

(3) इंडियन रेडक्रास सोसायटी के वर्ष 2004-2005 से 2007-2008 तक के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं और वर्ष 2007-2008 के लिए उसमें उल्लिखित, पांच अन्य संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 691/15/09]

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 692/15/09]

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) रेल मंत्रालय से संबंधित "योजना कार्य-निष्पादन की समीक्षा और 11वीं पंचवर्षीय योजना अनुमान" तथा "विशेष रेल संरक्षा कोष की समीक्षा" के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 40वें और 41वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : महोदया, मैं अपनी सहयोगी, कुमारी ममता बनर्जी की ओर से दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-II द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी दिशा-निर्देश 73ए के अनुसरण में रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 40वें और 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

"योजना निष्पादन तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रक्षेपणों की समीक्षा" के संबंध में समिति का 40वां प्रतिवेदन लोक सभा में 21.10.2008 को प्रस्तुत कर दिया गया था जिसमें 17 सिफारिशें थीं और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट का अंग्रेजी संस्करण 23.02.2009 और हिन्दी संस्करण 27.03.2009 को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। "विशेष रेल संरक्षा निधि की समीक्षा" के संबंध में 41वां प्रतिवेदन लोक सभा में 23.12.2008 को प्रस्तुत कर दिया गया था जिसमें 5 सिफारिशें थीं और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट का अंग्रेजी संस्करण 13.03.2009 और हिन्दी पाठ 01.04.2009 को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था।

रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों का सार दर्शाने वाला विवरण और उनकी कार्यान्वयन स्थिति संलग्न है। चूंकि विवरण काफी विस्तृत है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 693/15/09]

अपराह्न 12.03½ बजे

- (दो) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग से संबंधित सीपीएसई के बाडों के व्यावसायीकरण पर की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : महोदया, मैं दिनांक 1.9.2004 के संसदीय समाचार भाग-II द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी निदेश के अनुसरण में भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित सी.पी.एल.ई. के बाडों के व्यावसायीकरण के बारे में विभागीय उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभापटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 694/15/09]

अपराह्न 12.04 बजे

- (तीन) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) (मांग संख्या 58) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति, के 207वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदया, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-II द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 389 के अनुपालन में, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की दो सौ सातवें प्रतिवेदन में उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदान मांगों 2008-09 (मांग संख्या 58) पर की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह विवरण सभापटल पर रखता हूँ।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदान मांग 2008-09

[श्री कपिल सिब्बल]

(गांग सं. 58) की जांच की और लोक सभा में 15 अप्रैल 2008 को अपना दो सौ सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

मैं इसके साथ 207वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन/पर की गई कार्रवाई की स्थिति सदन के पटल पर रख रहा हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 695/15/09]

अपराह्न 12.05 बजे

सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

(एक) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

“कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 12.05½ बजे

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रस्ताव

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 07.08.09 में प्रकाशित।

करता हूँ कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

“कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

अपराह्न 12.06 बजे

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

“राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कपिल सिब्बल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा आरंभ करेगी।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, इससे पहले क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूँ?

अध्यक्ष महोदया : सिर्फ एक मिनट। मंत्री जी को कुछ कहना है।

(व्यवधान)

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 07.08.09 में प्रकाशित।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : निवेदन सभा के संबंध में है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, आज सभा की कार्यवाही का अंतिम दिन है और आज हम सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर रहे हैं। मेरा आपसे और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध होगा कि अबसे अपराह्न 1.00 बजे तक आप 'शून्य काल' के विषय को उठा सकते हैं और अपराह्न 2.00 बजे हम मूल्य वृद्धि संबंधी वाद-विवाद का उत्तर कृषि मंत्री से ले सकते हैं। उसके बाद हम सभा की कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को समाप्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया : यदि सभा सहमत हो तो हम ऐसा कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदया : आज के लिए सूचीबद्ध आधे-घंटे की चर्चा सभा के अगले सत्र के लिए स्थगित की जाती है। यदि सभा सहमत हो तो इसे अगले सत्र के पहले सप्ताह में शुरू किया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : हमने अभी किसी का भी नाम नहीं लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऐसे शून्य प्रहर कैसे चलेगा?

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदया, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सभी का महत्वपूर्ण विषय है, आप बारी-बारी से बोल लीजिए।

श्री राकेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैंने नोटिस दिया है।
...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप जरा शांति रखिए, हम सब को बुलाएंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : मैडम, आपने बुलाने के लिए मना कर दिया, इसलिए ये खड़े हुए हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हमने किसे बुलाने के लिए मना कर दिया?

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने उनका नोटिस ही इनएडमिसिबल कर दिया। वे दो दिन से नोटिस दे रहे हैं और दोनों दिन इनका नोटिस बैलेट में आ रहा है, लेकिन आपने नोटिस को ही इनएडमिसिबल कर दिया, इसलिए वे खड़े हुए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, मैं देख लेती हूँ कि हमने इसे क्यों रिजेक्ट कर दिया।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, दो दिन से इनका नोटिस बैलेट में आ रहा है, ये भ्रष्टाचार का मामला उठाना चाहते हैं। इतने शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसके लिए ये दो दिन से नोटिस दे रहे हैं और दोनों दिन इनका नोटिस बैलेट में आ रहा है, लेकिन आपने इन्हें इनएडमिसिबल कर दिया, इसलिए ये खड़े हुए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं इस पर आऊंगी।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया ...(व्यवधान)
मुझे बोलने दीजिए ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : केवल मुलायम सिंह जी का भाषण रिकॉर्ड पर जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी का भाषण ही रिकॉर्ड पर जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप जो मामला उठा रहे हैं, उसका एक नियम है। आप नियमानुसार चलेंगे, तो मामला उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : इसके लिए निश्चित नियम है। आप नियम के अनुसार चलते हैं। अब माननीय सदस्य को अपने अविलंबनीय लोक महत्व के विषय को उठाने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हमें बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अगर नियम के अनुसार नोटिस देंगे, तो आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे देश में 16 जातियाँ ऐसी हैं, जो पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक दृष्टि से शून्य के समान हैं। वे जातियाँ उपेक्षित हैं। यही सोचकर हमने 10 अक्टूबर, 2005 को उत्तर प्रदेश में एक कानून बनाकर उन 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया। ये 16 जातियाँ—कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, कश्यप, धीवर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोंड, मांझी, बिन्द, भर, राजभर, कुम्हार और प्रजापति हैं। ये आदिवासी भी हैं। ये सारी जातियाँ उपेक्षित हैं। आपको याद होगा कि राज्य सभा में जब अमर सिंह जी द्वारा सवाल उठाया गया था, तो आप उस समय खुद मंत्री थीं। हमने इन जातियों को अनुसूचित जाति की जो भी सुविधाएँ होती हैं, वे सारी दीं। एक प्रस्ताव विधान सभा के माध्यम से भारत सरकार को भिजवाया गया। भारत सरकार ने वह प्रस्ताव निरस्त कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदया, तब आप मंत्री थीं, जब राज्य सभा में श्री अमर सिंह के प्रश्न का जवाब दिया, तो आपने कहा था कि उ.प्र. विधान सभा से आया प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। इसलिए आज हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जातियाँ कब तक उपेक्षित रहेंगी?

महोदया, कांग्रेस सरकार का नारा है कि 'हमारा हाथ जनता के साथ' और अध्यक्ष महोदया, और 'हमारा हाथ गरीबों के साथ।' लेकिन

कांग्रेस ने जो कहा वैसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस बात करती है गरीबों की और काम करती है अमीरों का। कांग्रेस पार्टी भाषणों में कहती है कि हम गरीब के साथ हैं और काम किया अमीरों का। अमीर और अमीर बनते चले जा रहे हैं। अब सरकार एक व्यक्ति को जाने कितना बड़ा उद्योगपति बना रही है। मैं उसके बारे में महोदया, यहां नहीं बोलूंगा। सोलह जातियों के संबंध में विधान सभा का प्रस्ताव है।

मुझे इस बात की खुशी है कि चाहें समाजवादी पार्टी हो, चाहें बी.जे.पी. हो या कोई भी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाये। उसके बाद अनुसूचित जाति की सभी जो सुविधाएं दी गई थीं, वे उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने निरस्त करके जो सारी सुविधाएं, नौकरियाँ मिली थीं और रोजगार मिले थे, अनुसूचित जाति की सुविधाएं थीं, वे सारी की सारी सुविधाएं वापस ले लो गईं।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : नहीं, ऐसा नहीं है। ...(व्यवधान)
अनुसूचित जातियों को शामिल करने का अधिकार केवल संसद को है।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : ऐसा नहीं है। यह काम बहुत कायदे से किया गया था। कानून के बड़े-बड़े बैरिस्टर, वकील और बड़े-बड़े जानकार लोगों को सलाह-मशविरे से रास्ता निकाला गया था। एडवोकेट जनरल, लॉ सैक्रेटरी और अन्य जो कानूनवेत्ता थे, उनकी राय से ही हमने इनको आरक्षण देकर सुविधाएं दी थीं, इसलिए यह प्रस्ताव आज भी निरस्त भले ही है, लेकिन सरकार को निरस्त किए हुए प्रस्ताव को बहाल करके, मेरी अपील है कि उनको सारी की सारी अनुसूचित जाति में शामिल करके सुविधाएं दी जायें। हमने इसका सर्वेक्षण करवाया था, ऐसे ही नहीं कर दिया था। हमने सर्वेक्षण करवाया और सर्वेक्षण करवाकर सब की रिपोर्ट आई है कि ये 16 जातियाँ अनुसूचित जाति में शामिल की जायें। उनकी रिपोर्ट पर और बड़े-बड़े कानूनवेत्ताओं की रिपोर्ट पर हमने यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। अन्त में मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो समाज में सबसे ज्यादा पिछड़ गये हैं और आज भी ज्यों के त्यों गरीब हैं, उनके पास मकान नहीं, झोंपड़ी नहीं, रोजगार नहीं और नौकरियाँ नहीं। ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात हो गई, अब आप समाप्त करिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : इस प्रस्ताव को निरस्त क्यों किया गया, इसको बहाल करने का हम सरकार से मांग करते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री दारा सिंह चौहान।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : सरकार इनको निरस्त करने का जवाब दे, यह हम सरकार से अपील करना चाहते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : दारा सिंह जी, आप बोलिए।

श्री दारा सिंह चौहान : अनुसूचित जातियों को शामिल करने का अधिकार केवल संसद को है। अनुसूचित जाति में जातियों को शामिल करने का अधिकार केवल संसद को है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के साथ इन्साफ हो रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बोलिये।

श्री दारा सिंह चौहान : इनको बैठा दीजिए, नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा। ...(व्यवधान) अगर लोग नहीं बैठेंगे तो मैं कैसे बात करूंगा।

अपराह्न 12.18 बजे

(इस समय श्री विष्णु पद राय आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये।

अपराह्न 12.18½ बजे

(इस समय श्री विष्णु पद राय अपने स्थान पर वापस चले गए)

अध्यक्ष महोदया : आपके मैम्बर बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये। श्री विष्णु पद राय, आप बोलिये। आप अपने मैम्बर्स को बैठाइये।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : आप इनको बैठाइये, तो मैं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आप अपने मैम्बर्स को बैठाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइये। आपने अपनी बात कह दी है। विष्णु पद राय जी, अब आप बोलिये।

श्री विष्णु पद राय : मैंने एक कालिंग अटैशन नोटिस दिया था, उसका जवाब मुझे शिक्षा मंत्रालय से मिला, लेकिन यह जवाब जो मुझे दिया गया है, वह जवाब अंडमान निकोबार के लोगों के विरोध में है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जो विष्णु पद राय जी कह रहे हैं, वही रिकार्ड में जायेगा, बाकी कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

...(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय : मैडम, मैं एक लाइन कोट करना चाहता हूँ। देश के शिक्षा मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने 19 जुलाई, 2008 को एक पत्र लैफ्टीनैट गवर्नर महोदय को दिया था, मैं उसकी एक लाइन कोट करना चाहता हूँ:

[अनुवाद]

"मेरा आपसे अनुरोध है कि नया एनआईटी शुरू करने हेतु भारत सरकार के स्तर पर विचारार्थ प्रस्ताव हमें भेजा जाए जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा पुडुचेरी के छात्रों की प्रवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे। नया एनआईटी शुरू करने हेतु आपको कम से कम 300 एकड़ का उपयुक्त निःशुल्क भूखंड उपलब्ध कराना होगा जहां पर रेल, सड़क मार्ग और विमान द्वारा संपर्क तथा उत्तम नागरिक अवसंरचना की व्यवस्था हो।"

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सरकार हमारी बात का उत्तर नहीं दे रही है, इसलिए हम सदन से बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 12.20 बजे

(इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

श्री विष्णु पद राय : पुडुचेरी में एन.आई.टी. खुले, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरी एक ही मांग है कि अंडमान और निकोबार की एन.आई.टी. आज क्यों अंडमान से निकाली जा रही है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ।

पापुलेशन के मुताबिक पांडिचेरी की आबादी 9.71 लाख है, जबकि अंडमान निकोबार की आबादी करीब 6 लाख है। पांडिचेरी में रोड लिंकेज है, रोड कनेक्टिविटी से मेनलैंड जुड़ा हुआ है, जबकि अंडमान निकोबार में एयर या शिप से ही जाना हो पाता है, जो बहुत

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री विष्णु पद राय]

खर्चीला है। वहां काफी लोगों ने मेनलैंड देखा भी नहीं है। इकोनामिक एक्टिविटीज के संबंध में कहना चाहता हूं कि आज पांडिचेरी में मीडियम एंड लार्ज स्केल की बहुत से इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं, जबकि अंडमान में कुछ भी नहीं है। आज नेशनल लेवल के दो इंस्टीट्यूशन पांडिचेरी में हैं और आठ प्राइवेट कालेजेज हैं, जबकि अंडमान में नेशनल लेवल का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। लैंड का एक्सक्लूज देकर शिक्षा मंत्रालय एनआईटी अंडमान में नहीं खोलना चाहते, अंडमान निकोबार की जमीन की ओनर केंद्र सरकार है जबकि द्वीपवासी टैनेन्ट्स हैं यानी वे भारत सरकार के किरायेदार हैं। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार एनआईटी के लिए जमीन एक्वायर करे।

नार्थ-ईस्ट में केंद्र सरकार ने नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन, जैसे-आईआईएम, आईआईटी, एनआरआईएसटी खोला। आज 11वीं प्लान में वहां एनआईटी खोलने जा रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम आदि में खोलेंगे। भारत सरकार अंडमान में एनआईटी क्यों नहीं खोल रही है? मेरी मांग है कि भारत सरकार अंडमान में नेशनल लेवल का एनआईटी खोले।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : डा. एम. तम्बिदुरई द्वारा कही गई बात के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : अध्यक्ष महोदया, मुझे दक्षिणी राज्यों विशेषकर तमिलनाडु को "प्राकृतिक गैस के आबंटन" के संबंध में अविलंबनीय लोक महत्व के इस अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति देने पर आप का धन्यवाद... (व्यवधान) महोदया, तमिलनाडु के पास ताप विद्युत का उत्पादन करने हेतु पर्याप्त कोयला नहीं है। पेयजल और सिंचाई हेतु तमिलनाडु के पास पर्याप्त पानी नहीं है। इसलिए पन बिजली उत्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः हम पूर्णतः गैस पर निर्भर हैं; और गैस ऊर्जा का एक मात्र वैकल्पिक स्रोत है।... (व्यवधान)

कुछ दिनों पूर्व (अगस्त माह के तीसरे दिन) माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री मुरली देवरा ने लोक सभा में "गैस के आबंटन" के बारे में एक वक्तव्य दिया और कहा कि सरकार जनता के हितों की रक्षा करने हेतु संभव कार्रवाई करेगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कृष्णा गोदावरी बेसिन से प्रतिदिन लगभग 80 मीट्रिक क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन और आपूर्ति हेतु भारत सरकार से अनुमति ली थी। तदनुसार, आशा थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज काकीनाड़ा से चेन्नई और (एक) चेन्नई से तूतीकोरिन (दो) चेन्नई से बेंगलुरु और (तीन) चेन्नई से कोचीन तक अन्य गैस पाइपलाइन डालेगी।

परंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि उन्होंने इन स्थानों पर पाइपलाइन डालने हेतु एक किलोमीटर तक भी खुदाई नहीं की है; और वे जानबूझकर गैस को काकीनाड़ा से गुजरात ले जा रहे हैं। वे केवल मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और अन्य उत्तरी राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बॉम्बे हाई से गैस को पहले ही उत्तर प्रदेश और बिहार ले जाया जा चुका है... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप समाप्त करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई : हमारे देश की संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों को समान अधिकार प्रदान किए जाना आवश्यक है, परंतु यहां ऐसी स्थिति है जिसमें अन्य राज्यों के कारण दक्षिणी राज्यों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दक्षिणी राज्यों विशेषकर तमिलनाडु की भारत सरकार द्वारा निरंतर उपेक्षा की जा रही है ... (व्यवधान)

जब यह सारा अन्याय हो रहा है तो गठबंधन सरकार का हिस्सा होते हुए भी द्रमुक पार्टी चुप बैठी है। इससे यह संदेश जाता है कि यह केवल सत्ता में बने रहने की इच्छुक है और इसे तमिलनाडु को गैस दिलाने की कोई चिंता नहीं है... (व्यवधान)

अतः, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे और सुनिश्चित करे कि दक्षिण राज्यों में पाइपलाइनें बिछाकर गैस लाई जाए ताकि तमिलनाडु को भी इसका लाभ मिले... (व्यवधान)

मैं केंद्र सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कावेरी बेसिन से प्राकृतिक गैस की खोज के कार्य में तेजी लाए और सरकार से यह आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु को शीघ्र प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु तत्काल कदम उठाए... (व्यवधान)

डॉ. रत्ना डे (हुगली) : महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुगली, पश्चिम बंगाल में वन खंडों का गंगा नदी द्वारा क्षरण हो गया है। प्रभावित गांवों के नाम सुकुना, चंबरा, खोइरमारी चार बोवरीपुर, खत्रीअनागर गोसाईपुर, हतोकांडा, रामनगर, गोपालपुर, मोगरा खंड के चंद्रबती-1 और चंद्रबती-11 हैं। बालागढ़ (अ.जा. निर्वाचन क्षेत्र) के गुप्तीपारा से चंद्रबती-11 मोगरा तक गंगा नदी के किनारे लगभग 30 किलोमीटर तक भूमि प्रभावित हुई है। दो हजार एकड़ कृषि भूमि नदी में समा गई है। हजारों मकान, स्कूल के भवन और शमशान घाट नदी में समा गए हैं...(व्यवधान)

प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति अधिकांशतः तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता के पश्चात सीमा पार से आए थे। वे पेशे से किसान, बढ़ई और कारीगर हैं...(व्यवधान) यदि तत्काल कुछ उपाय नहीं किए गए तो ये विस्थापित व्यक्ति पुनः विस्थापित हो जाएंगे और उनका रोजगार छिन जाएगा...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए। कृपया उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे : मैं संबंधित विभाग से अनुरोध करती हूँ कि इन व्यक्तियों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा करने हेतु कंक्रीट की दीवार और तटबंध बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.24 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(चार) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजय माकन विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ अभिहित स्थानों पर यात्रियों और माल के सीमा पर संचलन के लिए सुविधाओं के विकास और प्रबंध के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना और उनसे संबद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

“कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ अभिहित स्थानों पर यात्रियों और माल के सीमा पार संचलन के लिए सुविधाओं के विकास और प्रबंध के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना और उनसे संबद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय माकन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।
...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं।

...(व्यवधान)...

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)...

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 07.08.09 में प्रकाशित।

**सभा पटल पर रखे माने गए।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले ले डाउन हो गए हैं। जो परम्परा है, हम उसी को कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई परम्परा खड़ी नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

(एक) पुणे और देश के अन्य भागों में एच1 एन1 वायरस का संक्रमण रोकने हेतु पर्याप्त निवारक उपाए किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (एलूरू) : मैं एच 1 एन1 वायरस के कारण पुणे में 14 वर्षीय बालिका रीडा की असामयिक मृत्यु और उसके बाद लोगों में व्याप्त डर के बाद पुणे और अन्य स्थानों पर उत्पन्न संकट की ओर तत्काल सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। केंद्र सरकार को पुणे तथा देश के अन्य भागों में इस स्थिति से निपटने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा देना चाहिए क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि वायरस को रोका नहीं जा सकता है।

(दो) देश में औद्योगिक इकाइयों की ओर बकाया सरकारी धन की वसूली किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हुसमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : औद्योगिक क्षेत्र की तरफ सरकार की कुल बकाया राशि 10,54,390 करोड़ रुपये है। इस बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार के द्वारा और बैंकों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। किसानों और साधारण नागरिकों पर जिस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है उसी तरह इन औद्योगिक घरानों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। देश के हजारों किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है। देश के सभी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद के तहत, समान अधिकार प्राप्त हैं। सरकार इस पर सदन में वक्तव्य दे और उन औद्योगिक घरानों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करें तथा उन पर मुकदमा चलावें।

(तीन) झारखंड के गिरिडीह जिले में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाए जाने तथा कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : झारखंड राज्य का गिरिडीह जिला माइका इंडस्ट्रीज और विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों सहित जैन

तीर्थ स्थल एवं पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु कृषि के क्षेत्र में यह एक पिछड़ा जिला है। जिले में सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं हैं। कृषि वैज्ञानिकों की तैनाती नगण्य है और आज तक यहां कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना नहीं की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड से धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह के हजारों किसान वंचित हैं। इन जिलों में कई सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं और नए सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने की आवश्यकता है। आज केन्द्र सरकार के लिए कार्यों को गति देने के लिए उपयुक्त समय है क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन है।

अतः केन्द्र सरकार गिरिडीह जिले में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने, प्रत्येक किसान को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने, नई सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने एवं लंबित सिंचाई परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर कराने हेतु शीघ्र आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।

(चार) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक नई इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : देश में हरित क्रांति की सफलता में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसानों को समय पर उर्वरक प्राप्त हो इसके लिए आजादी के बाद देश के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित किये गए थे। इसी क्रम में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की एक इकाई सन् 1969 ई. में गोरखपुर में स्थापित की गई थी। इस उर्वरक संयंत्र ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अंदर हरित क्रांति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। एक साधारण दुर्घटना के चलते गोरखपुर का उर्वरक संयंत्र जून, 1990 ई. में बंद कर दिया गया और तब से लगातार यह इकाई बंद चल रही है। इसे प्रारंभ करने के लिए लगातार आन्दोलन हुए। देश के तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों ने गोरखपुर जाकर बंद इकाई का पुनः प्रारंभ करने अथवा नया उर्वरक संयंत्र लगाने का आश्वासन पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को दिया था लेकिन आज तक वह आश्वासन घोषणा तक ही सीमित रहा। गोरखपुर स्थित उर्वरक संयंत्र के पास पर्याप्त मात्रा में (1400 एकड़) भूमि उपलब्ध है जो वर्तमान में भी है। नया उर्वरक संयंत्र लगाना ही वर्तमान में एकमात्र समाधान है।

कृपया व्यापक जनहित में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की गोरखपुर स्थित बंद इकाई के स्थान पर नया संयंत्र लगाया जाए।

(पांच) गुजरात के भरुच में अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर गडखोल और भुलाव क्रासिंग पर ऊपर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरुच) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच जिले में गडखोल क्रासिंग अंकलेश्वर को जोड़ता है एवं भुलाव क्रासिंग भरुच को जोड़ता है। यह दोनों क्रासिंग अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय रेलवे मार्ग पर स्थित हैं। इन स्थानों पर यातायात बहुत ज्यादा है। दोनों जगहों के औद्योगिक कारखानों का यातायात इन्हीं क्रासिंग से होकर जाता है। अत्यधिक यातायात होने के कारण यह दोनों मार्ग घंटों तक बाधित रहते हैं और लोगों की बहुत असुविधा होती है। लोगों को असुविधा को ध्यान में रखते हुए इन क्रासिंगों पर एक-एक उपरी पुल बनाना अति आवश्यक है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अहमदाबाद-मुंबई रेलवे मार्ग पर स्थित भरुच-अंकलेश्वर-जिले के अंतर्गत गडखोल एवं भुलाव क्रासिंग पर एक-एक ऊपरी पुल शीघ्र बनाने के निर्देश दिये जायें।

(छह) गुजरात के बनासकांठ जिले में दिसा विमानपत्तन से उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर गुजरात क्षेत्र में 1945 में बने डीसा एयरपोर्ट, जिला बनासकांठ के कार्यान्वयन हेतु आकर्षित करना चाहती हूं। इससे उत्तर गुजरात के पाटण, बनासकांठ मेहसाणा की 75 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी।

उत्तर गुजरात में अम्बाजी, संखेश्वर, पाटण, बडनगर के पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। इसके पास माउंटआबू, रानकपुर और उदयपुर जैसे नजदीकी स्थानों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तीनों जिलों की दूध डेरियां और डायमंड उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। आयल मिलें और कृषि मंडी बड़े पैमाने पर तीनों जिलों में फैली हुई हैं। इसलिए यहां देश-विदेश से उद्योगपतियों का आवागमन, इजरायल, अमेरिका, सूरत, चैन्नई, मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली में भी रहता है।

अहमदाबाद का एयरपोर्ट उत्तर गुजरात से 150-200 किमी. दूर पड़ता है। उत्तर गुजरात के डीसा एयरपोर्ट के कार्यान्वयन से उत्तर गुजरात के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ मंत्री जी की बात रिकार्ड में जाएगी, बाकी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.03 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

[हिन्दी]

#श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, सदन में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ते मूल्य-महंगाई पर उठाई गई चर्चा पर अनेक-सदस्यों ने चर्चा की। सभी ने बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त की तथा सरकार को नाकाम असफल होने की बातें कहीं। सरकार महंगाई पर नियंत्रण कर पाने में असफल रही।

इन प्रचंड जनसंख्या वाले देश में जहां 30 प्रतिशत से ज्यादा अति गरीब बीपीएल परिवार हैं। इतनी ज्यादा संख्या के इन अति गरीब परिवारों की नौद हराम हुई है। मध्यम वर्ग के लोग भी भयभीत हैं, चिंतित हैं। इस बढ़ती महंगाई हेतु सरकार तुरंत सक्रिय रूप से कड़क कदम उठाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विशेष ध्यान देकर गरीब जनता को अनाज की आपूर्ति हो, इसी पर विशेष ध्यान दे! जमाखोरी, कालाबाजारी न हो, इसलिए सरकार स्वयं सभी राज्य सरकारों को आदेश दें। जगह-जगह विशेष स्कॉड बनाए। कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी पर रोक लगाने हेतु ई. सी. एक्ट का बड़े पैमाने पर अमल करने हेतु पहल करे।

देश में गरीबी के कारण बीपीएल परिवार ग्रामीण परिवारों में महिलाओं में रक्तअल्पता, बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या पर चिंतित थे लेकिन विद्यमान बढ़ती महंगाई की वजह इस कुपोषण व रक्तअल्पता पर भी चिंता होनी चाहिए।

अनाज के साथ अन्य वस्तुओं पर भी नियंत्रण हेतु सरकार चिन्ता करे। इन सभी उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन पर लगने वाली लागत पर भी विचार होना चाहिए।

मैं सुझाव दूंगा कि बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण हेतु उत्पादक उत्पादन लागत से कई गुना अधिक मूल्यों में अनेक वस्तुएं बाजार में बिक्री करते हैं। चाहे साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट, चॉकलेट, दवाइयां अन्य खाद्य पदार्थ, इन सभी के उत्पादन पर लगने वाली लागत पर आधारित बिक्री मूल्य होनी चाहिए लेकिन इस हेतु सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है। उत्पादक कारखानों में बनी वस्तुओं पर अपनी मनमानी ढंग से

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

#भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हंसराज गं. अहीर]

मूल्य तय करते हैं। इस वजह से मंहगाई अनियंत्रित होती जा रही है।

मैं सुझाव दूंगा कि सभी उत्पादित वस्तुओं पर जिसमें फूड प्रोसेसिंग की गई वस्तुओं के साथ दवाई, सौंदर्य प्रसाधनों, साईकिल, स्कूटर, मोटर इत्यादि उत्पादनों पर भी लागत मूल्य प्रिंटिंग हेतु सख्ती की गई तो मंहगाई पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। यह मैं मांग करता हूं।

*श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : देश में भीषण बाढ़ एवं भीषण सुखाड़ फैल रहा है, और भीषण मंहगाई फैल रही है, क्या सरकार इस बाढ़ सूखा के विपदा में मंहगाई नहीं रोक सकती, डीजल-पेट्रोल का दाम बढ़ना निश्चित दूरदर्शी निर्णय नहीं था। लेकिन इसके आड़ में जमाखोरों द्वारा कृत्रिम मंहगाई लाना कतई देश हित में नहीं है, दो माह पहले तेलों का दाम बढ़ता है जिस अनुपात में दाम बढ़ता है उसी अनुपात में मंहगाई नहीं बढ़ती मंहगाई उसके पांच गुना बढ़ी लगती है दाल, चना, मूंग, आटा, चावल, सिमेंट, छड़, मौरंग, सब्जी तेल सब आसमान छू रहे हैं कपड़ा, बच्चों के बैग सबका दाम बढ़ा है आप के माध्यम से सरकार ही बताए कि जब तेल का दाम बढ़ाया गया तो कौन सी फसल तैयार हो गई जिसे व्यापारियों ने मंहगे दामों पर खरीदा और अब मंहगे दामों पर बेच रहे हैं तेल का दाम बढ़ते ही स्टॉक कहाँ चला गया सरकार ने यह देखा कि सामानों की जमाखोरी कर तेल का बहाना बनाकर मंहगे दामों पर कैसे सामान उपलब्ध होता जा रहा है किसान से क्या दुश्मनी है जब दाल, मूंग, चना, सब्जी, गेहूँ, चावल उसके घर से था तो मंहगाई नहीं थी ज्योंही उसके घर से गोदामों में गया क्रय मूल्य से चौगुने तीगुने दामों में व्यापारी बेच रहा है, क्या सरकार बढ़े दाम पर लाभ किसानों को दिलाएगी, छड़, सिमेंट माल ढुलाई का बहाना बनाकर उद्योगपतियों द्वारा मंहगा किया गया।

महोदय, जमाखोरों, उद्योगपतियों ने कहीं इस सरकार को चन्दा तो चुनाव का नहीं दिया था जो उनको मनमानी की छूट देकर देश की जनता का कमर तोड़ा जा रहा। सरकार ने उद्योगपतियों जमाखोरों से कहा कि बाढ़, सुखाड़ के भीषण विपदा में दाम न बढ़ाए या सरकार ने पूरे देश में दाम बढ़ाने वालों, खाद्य सामानों की जमाखोरी करने वालों के यहां छापा डालकर वास्तविक स्थिति जानी गई है यह सरकार मंहगाई नहीं रोक पा रही है तो भारत निर्माण की बात क्या करती है इस समय मंहगाई नहीं रुकी तो देश की जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, यह केवल मंहगाई नहीं है यह कमर तोड़ मंहगाई है, इसे नहीं रोका गया तो जनता पहले संसदों की कमर तोड़ेगी फिर सरकार की ऐसी कमर तोड़ेगी कि दवा नहीं मिलेगी सर्व-विदित है केवल एक प्याज का दाम बढ़ने से चार प्रान्तों की राजग सरकार समाप्त हुई थी, यहां तो हर सामान के दाम बढ़े हैं, कल्पना करिए सुखाड़ से अब किसान और दैनिक मजदूरी कर खाने वालों की क्या दशा होगी, क्योंकि जिसके पाकेट में हजार हो वह 100 की दाल 200 में खरीदे कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन जिनके पाकेट में सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में 37 रुपये प्रति व्यक्ति आय वाला दाल, सब्जी, फीस, चावल, आटा, चीनी, तेल कैसे उपयोग करेगा, सुखाड़ ने मंहगाई ने जनता को भूखों मरने पर मजबूर कर दिया है देश की सरकार प्रांतीय सरकारों से वार्ता कर जमाखोरी को अविलम्ब रोके आवश्यक वस्तुओं पर आवश्यकतानुसार सब्सिडी जारी करें और ग्राम पंचायत व टोला स्तर पर भोजन देने का इंतजाम करें आवश्यक हो तो जनता को मंहगाई से बचाए।

*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदय, आज पूरा देश मंहगाई की ज्वाला से जल रहा है सरकारी घोषणाओं में देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। विश्वव्यापी मंदी के कारण मंहगाई बढ़ रही है, यही सरकारी तर्क है। फीगर और डाटा से देश का हर क्षेत्र हरा-भरा है।

लेकिन सच्चाई यह है कि कृषि का जीडीपी में हिस्सा आजादी के समय आधे से अधिक था जो अब घटकर 5वें हिस्से से भी कम रह गया है। कृषि से जुड़े आधे लोग अभी भी निरक्षर हैं तथा केवल 5 प्रतिशत लोगों ने ही हायर सेकेण्ड्री तक की शिक्षा पूरी की है। कृषि श्रमिकों में निश्चय ही आय और शिक्षा की बहुत कमी है। जहां 1951-52 में अनाज तिलहन की विकास दर 4.19 प्रतिशत थी, वहीं 9वीं एवं 10वीं योजना में यह क्रमशः 1.49 एवं 1.28 हो गया। इसके बाद यूपीए सरकार में 2005 से 2007 तक यह फीगर 3.52 प्रतिशत हो गयी। दालें और सब्जियां 1.61 प्रतिशत हो गयी।

दाल 80 रु. किलो, सब्जी 30 से 40 रु. किलो। मजदूर की मजदूरी का औसत 40 रु. प्रतिदिन। गेहूँ, चावल, सब्जी, दाल एवं चीनी सभी गरीबों के मुंह से बाहर हो रहा है। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है। केसीसी कुछ सम्पन्न और चालाक किसानों को ही मिल रहा है। शेष करोड़ों गरीब एवं निरक्षर किसान इस सुविधा से वंचित हैं। आज देश में करोड़ों लोग आवास सुविधा से वंचित हैं। राज सहायता का लाभ सरकारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मिलावट, जमाखोरी एवं मूल्यवृद्धि सरकार के नियंत्रण से बाहर है। मिलावट के नमूनों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की जांच करने के लिए न देश के राज्यों में पर्याप्त प्रयोगशालाएं हैं और न मिलावट जांच करने वाले कर्मचारी फिर भी देश तरक्की पर हैं। क्योंकि गरीब बड़े जमाखोर/मिलावटखोर बढ़ रहे हैं।

वर्तमान महंगाई कृत्रिम (आर्टिफिशियल) महंगाई है। 2002 से 2005 तक पैदावार की विकास दर में दालें एवं सब्जियों की विकास दर 5.95 प्रतिशत थी जो 2006-2007 में घटकर 1.61 प्रतिशत हो गई। यह डाटा एन.एस.ओ. का है इसके बाद डाटा अपडेट नहीं है। सरकार को इसी समय सतर्क हो जाना चाहिए था कि दालें और सब्जियों की विकास दर कम हो रही है। इसके लिए पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन सरकार सो गई थी। वर्तमान प्यास में कुंआ खोदने का कोरा दावा किया जा रहा है जो इस देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास मात्र है।

सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश के किसानों को फसल का एम.एस.पी. नहीं मिलता। आज बड़ी बड़ी कम्पनियां एयरकंडिशन में अनाज एवं सब्जी, दाल एवं खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रही हैं और उनको मुनाफा भी हो रहा है लेकिन आज हमारे देश का किसान एवं गरीब अनाज एवं सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरपेट भोजन नहीं करा सकता। यह फासला सरकार के द्वारा समर्थित है। एस. ई.जेड. के लिए हजारों किसानों और मजदूरों की जान गई। बड़े उद्योगपतियों को गरीब किसानों की जमीन पर सरकार द्वारा कब्जा दिला दिया गया। लेकिन आज देश के मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों और आम जनता की स्थिति एवं बदहाली बढ़ती जा रही है। देश की स्थिति को तो छोड़ें राजधानी दिल्ली में पीने के पानी में अमोनिया और क्लोराइड की मात्रा 600 मिलीग्राम प्रति लीटर है जबकि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड 250 मिलीग्राम क्लोराइड की मात्रा मान्य मानता है। लेकिन सरकार देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए चिन्तित नहीं है। तमाम असमानताओं के बीच जनता महंगाई से कराह रही है। एनडीए की सरकार की तुलना में यूपीए सरकार में चार-पांच गुणा महंगाई बढ़ गई है। तमाम बड़ी कम्पनियों ने वस्तुओं के जज़न, मात्रा एवं क्वालिटी में कमी कर दी और दाम में वृद्धि। यह मैजिक खेल सरकार के सामने है।

आज देश में वही अनाज है, दाल है, पैदावार है, जनसंख्या है, भारत की जनता की भूख एवं कंजम्पशन शक्ति वही है। यकायक सामान कहा गया? सारी खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ गये। क्या देश में बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर लोग भारत में अनाज का उपयोग कर रहे हैं?

2008-2009 में दालों का घरेलू उत्पादन 14.2 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित था जितना 2006-07 में था जो 2007-08 की तुलना

में मात्र 0.6 मिलियन मीट्रिक टन कम है। जुलाई, 2008 में कच्चे तेल की कीमत 147 अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंचने पर भी कीमतें आज के अनुपात में नहीं बढ़ी क्योंकि चुनाव कराने थे। विकट स्थिति में भी पे-कमीशन लागू करके देश के नौकरी पेशा वालों को लुभाया गया। अब परिणाम कौन भुगत रहा है, सरकार इसका निर्णय स्वयं करे।

आज भारत के श्रम मंत्री एवं भारत के उद्योग मंत्री ने स्वयं प्रश्नों के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि देश में श्रमिकों के लिए बना कानून वैसा प्रभावी नहीं है जैसा कि आईपीसी एवं सीआरपीसी के अंतर्गत बने कानून और देश में पीएसवीएस के माध्यम से हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं। देश में कृषि वैज्ञानिकों की तैनाती पर प्रश्न किया गया, तो मंत्री जी का जवाब है अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप देश के किसानों एवं मजदूरों की दशा एवं दिशा कैसे तय करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2004-05 में बाढ़ से नुकसान 3337 करोड़ रु. हुआ आपदा सहायता निधि से 1286 करोड़ रु. मिला। वृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजना की स्थिति दयनीय है।

आज हमारे राज्य झारखण्ड की स्थिति बदतर है। सामाजिक समूहों के अंतर्गत बीपीएल की जनसंख्या का प्रतिशत 2004-05 के दौरान अखिल भारत एससी 36.8, एसटी 47.3, ओबीसी 26.7 की तुलना में यह आंकड़ा क्रमशः 57.9, 54.2 एवं 40.2 प्रतिशत रहा है।

यह देश की तस्वीर है। जब तक सरकार दलगत एवं राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर देश की बदहाली से रू-ब-रू न होगी तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है। सरकार को कृषि विकास दर को बढ़ाने, सिंचाई परियोजनाओं को जमीन पर लागू करने, नदियों को जोड़ने, कालाबाजारियों, जमाखोरों पर रोक लगाने और देश के निर्माणी कम्पनियों द्वारा मूल्यवृद्धि करने की मनमर्जी पर नियंत्रण लगाना होगा, तभी हम देश के करोड़ों गरीबों, मेहनतकशों के साथ न्याय कर सकते हैं। इसके लिए एसईजेड छोड़कर बड़े औद्योगिक घरानों पर सरकार का साथ देना होगा और जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मिलावट नहीं रुकती है, तो सरकार को जनता से अपील करना चाहिए हम लाचार हैं, हम लाचार हैं। हम एक हैं हम एक हैं।

*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदय, सदन में महंगाई पर चर्चा हो रही है आम आदमी को राहत देने की बात 100 दिन में महंगाई कम करने की बात यूपी.ए. सरकार द्वारा की गई थी किंतु 15वीं लोक सभा के गठन के बाद से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें दिन रात बढ़ती जा रही हैं चुनाव के पूर्व पेट्रोल, डीजल

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

की कीमतों में कमी की गई किंतु चुनाव के बाद कीमतों को फिर बढ़ा दिया गया दाल खाना तो बहुत दूर की बात हो गई आम आदमी दाल खरीदने का साहस नहीं जुटा पा रहा है वहीं दूसरी ओर 2 लाख टन दाल बंदरगाह पर पड़ी है क्यों नहीं सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग कर रही। कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाकर जामखारों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही अब तो जनता चर्चा करने लगी है जब-जब कांग्रेस की सरकार आती है महंगाई बढ़ जाती है यह हमारे लिए बड़ी गंभीर चुनौती है कि देश की 77 प्रतिशत आबादी सिर्फ 20 रु. प्रतिदिन खर्च करने की स्थिति में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त कर अनाज गेहूं, चावल, चीनी शक्कर सहित दालों एवं सभी आवश्यक वस्तुओं का विक्रय उचित मूल्य की दुकानों से होना चाहिए।

एन.डी.ए. की सरकार और यू.पी.ए. की सरकार की तुलना करें तो आज सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं महंगाई का सबसे ज्यादा असर गांव गरीब एवं मजदूर पर पड़ा है लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। गरीब की थाली से निवाला छीनने का काम सरकार ने किया है। सिर्फ चर्चा करने से कोई हल नहीं निकलेगा हम वास्तव में महंगाई कम करना चाहते हैं तो सरकार को सभी राजनैतिक दलों से बातचीत कर ठोस कदम उठाना चाहिये तभी बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है तथा देश में निर्मित होने वाली अराजकता से बचा जा सकता है अन्यथा कुछ समय में स्थिति इस बढ़ती हुई महंगाई से बहुत विस्फोटक हो सकती है क्योंकि इससे हर परिवार एवं पूरा समाज प्रभावित हो रहा है अतः दृढ़ इच्छा शक्ति से एन.डी.ए. को मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

*श्री नारनभाई कछड़िया (अमरेली) : महोदय, मैं महंगाई के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो चर्चा का विषय है वह उन 80 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है जो एक दिन में दो वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं, और वह महंगाई है, अभी भारत सरकार महंगाई को शून्य से नीचे दिखा रही है मगर क्या उसका असर रोजमर्रा के राशन पर है? जब मुद्रास्फीति 12 प्रतिशत से ज्यादा थी तब तेल का दाम 42 रु. में मिलता था तथा जब दाल 48 रु. में थी। जबकि आज 90 से ज्यादा है। इसी प्रकार से चीनी, किरोसीन, चावल, गैस, इत्यादि रोजमर्रा की आवश्यक चीजों की कीमतें दिन प्रतिदिन आसमान छू रही हैं। इसी वृद्धि को सरकार आंकड़े की बाजीगरी से

मासूम जनता को भ्रमित कर रही है और मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा जब एन.डी.ए. की सरकार थी तब अरहर दाल 28 रु. में जब कि आज वही दाल 91 रु. में मिल रहा है और उस समय चीनी 12 रु. में था जो आज 28 रु. है और त्र्योहार के चलते 40 रु. होने जा रही है और अभी डीजल जो कि किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है। इसके दाम भी दिन प्रतिदिन आसमान छूते जा रहे हैं और गैस के दाम में बढ़ोतरी से गृहणियों के बजट चरमरा गए हैं, स्कूलों की फीस में वृद्धि से निम्न और मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जिसका असर भारत के भावी विकास से जुड़ा हुआ है।

अभी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से महंगाई को बढ़ा रही है जिससे गरीब लोगों का जीने का हक जो संविधान के 21वें अनुच्छेद के तहत उल्लेखित है। उसे भी छीना जा रहा है।

आज किसानों के लिए उर्वरक, बीज की कीटनाशक, आदि के दाम आसमान छू रहे हैं, और उसे सस्ते दरों पर ऋण नहीं मिल पा रहा है। जिससे साहूकारों के चक्कर में पड़े और उपर से सूखे की प्राकृतिक मार ने उसे आत्महत्या के लिए विवश कर दिया है। जो दिन प्रति दिन हमलोग न्यूज में देखते हैं। जिसमें प्रत्यक्ष रूप से सरकार दोषी है और जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो उस समय देश से अनाज का निर्यात किया जाता था। लेकिन जब आज यू.पी.ए. की सरकार में हर बीज को आयात करना पड़ रहा है और 5 साल में यू.पी.ए. सरकार ने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया है और जबसे देश आजाद हुआ है। तबसे कांग्रेस की सरकार बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे लेकिन गरीबी हटाने की जगह गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगाई देश को लपेटे जा रही है और यहां कांग्रेस सरकार तमाशा देख रही है। तो मैं यहां संसद में बैठे हुए सभी पार्टी के सांसदों से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए और महंगाई की गति को कम किया जाए।

[अनुवाद]

कृषि मंत्रों तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल्य वृद्धि के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं जो हमारे समाज के बड़े भाग को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं।
...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने ले करवा दिए हैं तो डिस्कशन क्यों होगी? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूँ कि जो परम्परा है, हमने उसी के आधार पर किया है, अपनी तरफ से नहीं किया है। उसमें बोलने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : महोदय, मूल्य, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के जिसने हमारे समाज के बड़े भाग को प्रभावित किया है अति महत्वपूर्ण मुद्दा है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

देश के सभी वर्गों को बढ़ती हुई कीमतों की समस्या एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या लग रही है।

दो दिन से सदन में इस बारे में बहस हो रही है। जिन सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लेकर जो बातें इस सदन के सामने रखीं, मैं उन सभी इश्यूज को राजनीतिक दल के तौर पर नहीं देखना चाहता। यह एक गंभीर समस्या है। आज देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। सच बताऊँ, तो यह परिस्थिति अपने देश तक ही सीमित नहीं है, देश के बाहर भी कुछ हिस्सों में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है, जिसका असर कुछ पैमाने पर हमारे ऊपर भी हो सकता है। दस दिन पहले इस सदन में मझे बोलने का मौका मिला था। देश में अनिश्चित मानसून ने एक गंभीर परिस्थिति पैदा की है, जिसका असर कई राज्यों में और खास तौर पर किसानों की खेती, कुछ फसलों पर हुआ। मैंने सदन के सामने उस दिन इस स्थिति को रखने का प्रयास किया था। उस दिन मैंने यह भी बताया था कि कई फसलों का क्षेत्र कम होने की

स्थिति दिख रही है, जिसका असर कई फसलों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पर भी हो सकता है। इस परिस्थिति का सामना हम सब लोगों को मिलकर करना होगा, क्योंकि जो कमियाँ आयेंगी, उसकी कीमत इस देश की आम जनता और खासतौर से समाज का जो गरीब वर्ग है, उनको ज्यादा देनी पड़ेगी। उसी पार्चड भूमि के बारे में इस सदन में माननीय सदस्यों ने राइजिंग प्राइसेस का सवाल उठाया था। कल इस पर डिटेल्ड डिस्कशन हुई, मगर उसी समय राज्य सभा में भी इस पर डिस्कशन हो रही थी और मुझे वहाँ पर जवाब देना था। इसलिए इस सदन में सभी माननीय सदस्यों का विचार मुझे सुनने का मौका नहीं मिला। मगर सदन के रिकार्ड से जिन सदस्यों ने यहां जो कुछ बातें कहीं, उसे पढ़ने का मुझे मौका मिला। इस मामले में भारत सरकार की इस बारे में क्या नीति रहेगी, क्या कदम उठावेंगे, यह मैं सदन और सदन के माध्यम से देशवासियों के सामने रखने का प्रयास करूंगा।

एक बात मैं शुरू में ही सदन और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस देश में आज यूपीए सरकार द्वारा जिस नीति को स्वीकार किया गया है, उसमें देश की कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, किसानों को ठीक तरह से कीमत कैसे मिलेगी और देश की अनाज की समस्या को हल करने में कामयाबी कैसे मिलेगी, उस पर हमारा एक तरफ से ध्यान रहेगा। वैसे कृषि और किसानों की भलाई की बात हम सोचेंगे। साथ-साथ समाज में जो गरीब वर्ग हैं, उसकी अनाज की समस्या को हल करने के लिए आवश्यकता पड़ी, तो सब्सिडी का रास्ता स्वीकार करके बिलो पावर्टी लाइन पापुलेशन, अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल होने वाले वर्ग आदि के हितों की रक्षा करना, ये दोहरा दृष्टिकोण आज इस सरकार का है। हम इस रास्ते से जाना चाहते थे।

हमने पिछले कुछ सालों में देखा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दुनिया में जो कुछ बदलाव आ रहा है, उसका असर यहां भी कुछ न कुछ हो रहा है। कोई नयी फोर्सेज सामने आ गयी—इनकम ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, हाई एनर्जी प्राइसेज, ग्लोबलाइजेशन, बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है।

इनका असर फूड कंजम्पशन, प्रोडक्शन और मार्केट पर होता है, यह हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। दूसरी एक बड़ी समस्या देश और दुनिया के सामने आई, इन्फ्लेशन की। आज हमें कई क्षेत्रों में कामयाबी मिली है, मगर कुछ महीनों पहले हमने यह देखा कि दुनिया में कूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ने एक बड़ी समस्या दुनिया के सामने पैदा की जिसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा हुआ और खास कर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा कीमत देने की नौबत आई। उस परिस्थिति का सामना करके, इसमें कामयाब होकर

*कार्यवाही-वृत्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शरद पवार]

भारत आगे जा सका। आज सभी जगहों पर, अखबारों में, टेलीविजन पर कीमतों के बारे में डिस्कशन हो रहे हैं, इसे मैं गलत नहीं समझता हूँ। इनमें से खास तौर पर परिवारों को घर चलाने के लिए जो चीजें लगती हैं, उन पर सभी का ध्यान ज्यादा रहता है। इससे पहले हमने देश में मंहगाई नहीं देखी हो, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी हमने मंहगाई देखी है, सूखा देखा है, बाढ़ देखी है, मगर इस समय कुछ ऐसे आइटम्स हैं, जिनसे आम जनता और समाज के गरीब वर्गों की नौद खराब होने की परिस्थिति पैदा हो गयी है। इसमें पहली बात हमें पल्सेज के बारे में करनी होगी। इस देश में पल्सेज का उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले कई सालों में प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कुछ कामयाबी भी मिली। मगर जहां एक तरफ उत्पादन बढ़ने का काम शुरू था, वहीं दूसरी तरफ इसकी डिमाण्ड भी बढ़ रही थी। हमारे देश में इसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, पिछले दो-तीन सालों से वह लगभग 14 या 15 मिलियन टन होता है और देश की जो डिमाण्ड है, वह 17 या 18 मिलियन टन के आस-पास है। इस तरह से हम जो उत्पादन करते हैं और जो हमारी आवश्यकता है, उसमें साढ़े तीन या चार मिलियन टन का गैप है, कमी है। इस गैप को भरने के लिए पिछले कई सालों में भारत सरकार, चाहे एनडीए सरकार रही हो या यूपीए सरकार, ने इम्पोर्ट का रास्ता अपनाया है। एक तरफ अपने देश में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास और दूसरी तरफ जो कमी है, उसे पूरा करने के लिए इम्पोर्ट का रास्ता स्वीकार किया गया और इम्पोर्ट भी ज्यादा टैक्सेज या एक्साइज ड्यूटी के बिना ठीक तरह से कैसे होगा, इस पर ध्यान दिया गया। वर्ष 2008-09 का जो हमारा फसल का सीजन था, इसमें एक बात हो गयी, इस दौरान दालों का उत्पादन बहुत कुछ घटा। इनमें से तीन आइटम्स का उत्पादन घटा-तूर, उड़द और मूंग। जैसा लालू जी ने यहां कहा, आम जनता कुछ ज्यादा नहीं चाहती है, रोटी के साथ उनको दाल चाहिए और उन दालों में भी उनका सबसे ज्यादा ध्यान तूर, उड़द और मूंग की दाल पर होता है। इनमें कमी आई और उसका असर गरीब आदमी पर तथा समाज के अन्य वर्गों पर भी पड़ा। इन तीन आइटम्स का पिछले साल हमारे देश में उत्पादन कम हो गया, जबकि बाकी का इतना कम नहीं हुआ।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : आप जो कह रहे हैं, उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन जैसा बहुत से साथियों ने कहा कि बंदरगाहों पर दालें पड़ी सड़ रही हैं, उस बारे में क्या कहेंगे?

श्री शरद पवार : मैं उस पर भी आऊंगा। हमारे पास आयात करने का ही रास्ता था। वर्ष 2008-2009 में पूरी दुनिया में जो दालों

की स्थिति है, सरप्लस दालों का उत्पादन या स्टॉक चंद देशों में ही होता है। जैसे म्यांमार है, अर्जेंटीना है, अमेरिका का कुछ हिस्सा है, आस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा है। इन चार-पांच मुल्कों से दालों का आयात होता है और समस्या को हल करने में मदद मिलती है। इस साल दुनिया में दालों का सरप्लस स्टॉक पांच मिलियन टन था। उसमें से हमने ढाई मिलियन टन खरीदने का काम अंडरटेकिंग्स फर्म्स या भारत सरकार की जो तीन-चार पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीईसी, एमएमटीसी, नैफेड, एसटीसी ने दालों का आयात किया। इन्होंने करीब दस लाख टन के आसपास दालों की खरीद की। भारत सरकार की सलाह से पब्लिक सेक्टर की इन यूनिट्स ने दाल खरीद, वे सरकार के अकाउंट पर नहीं लाए। वे सरकार की सलाह से लाए थे और मार्केट में दालें अवैलेबल कराने की कोशिश उनकी तरफ से हुई। हमारे देश की जो टोटल रिक्वायरमेंट है दालों की और जितना उत्पादन होता है, उसमें गैप हो गया। इसलिए तूर, उड़द और मूंग, इन तीन दालों पर बुरा असर पड़ा और ये दालें आम जनता को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग कीमत पर मिलने की परिस्थिति पैदा हो गई। यहां पर तूर की दाल 90 रुपए या 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक खरीदने की बात भी उठाई गई। मैं दिल्ली में, कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से हम जो प्राइस कलेक्ट करते हैं, कल मैं देख रहा था, यहां पर रिटेल के बारे में जो जानकारी आती है, वह देखी थी तो मालूम हुआ कि दालें 75 रुपए प्रति किलोग्राम तक अलग-अलग राज्यों में और अलग-अलग शहरों में बिक रही हैं। यह जबर्दस्त कीमत है। आम जनता के लिए सहन करने वाली नहीं है। इस पर कुछ न कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके हमने दो रास्ते स्वीकार किए। पहला रास्ता यह स्वीकार किया कि इसका हल निकालने के लिए एक दीर्घकालीन नीति बनाई जाए। इस साल देश में कई जगह सूखे की स्थिति है, लेकिन दालों का क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान दिया गया है। मुझे सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि दालों के उत्पादन के संबंध में जितना क्षेत्र हमने पिछले चार सालों में सोईंग में बढ़ाया है, उतना पहले कभी नहीं बढ़ा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगले 10-15 दिनों में, जहां दालों का उत्पादन होता है, वहां बारिश हो जाए तो परिस्थिति में बदलाव आ सकता है, जल्दी आ सकता है।

दालें पूरे देश में कई हिस्सों में पैदा होती हैं। दालों की ज्यादातर पैदावार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी कुछ हिस्सों में भी कुछ न कुछ हिस्सों में भी कुछ न कुछ उत्पादन दालों का होता है।

मगर सरप्लस प्रोडक्शन देश के अन्य राज्यों में भेज सकते हैं, वह चार राज्यों में ज्यादा होता है, मगर वह बारिश पर निर्भर होता है। कम से कम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पानी की स्थिति बिहार और यूपी के मुकाबले ठीक है, अगर यह परिस्थिति अगले तीन-चार हफ्ते ठीक रही तो इसमें सुधार हो जाएगा तो परिस्थिति में बदलाव आ सकता है।

दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि इम्पोर्ट का रास्ता हमारे सामने है और उस रास्ते पर हम जा रहे हैं। जो सवाल यहां उठाया गया और मेरा ध्यान टेलीविजन की रिपोर्ट और कुछ न्यूजपेपर्स की रिपोर्ट्स पर गया था कि आयात किया हुआ हजारों-लाखों टन माल बंदरगाहों पर सड़ रहा है और वह सरकार का माल है। सदन के माध्यम से एक बात मैं देशवासियों के सामने रखना चाहता हूँ कि सरकार ने पलसेज कहीं से भी नहीं खरीदी हैं। भारत सरकार ने चार संगठनों को सलाह दी है कि आप ये इम्पोर्ट कर सकते हैं और जब आप यहां मार्किट में बेचेंगे, उसमें जो घाटा होगा, उस घाटे का कुछ हिस्सा भारत सरकार उठाने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने अवेलेबिलिटी की जिम्मेदारी उन्हें दी थी। इन चार संगठनों ने कुछ माल इम्पोर्ट करने का काम किया। पीईसी, एमएमटीसी, नैफेड और एसटीसी, इन चारों संगठनों ने [अनुवाद] कुल 10,29,140 टन हेतु संविदा की गई है। [हिन्दी] एराइवल की डेट है 22 जुलाई 2009 की। [अनुवाद] वास्तव में 9,13,820 टन पहुंचा है। मैंने पहले ही कहा है कि हमने 10,29,140 टन मात्रा का ठेका दिया है। इसमें से 9,13,820 टन भारत पहुंचा है। [हिन्दी] यह नौ लाख माल जो पहुंचा है, इसमें से [अनुवाद] 703,445 टन का निपटारा हो चुका है। इसका निपटारा खुले बाजार में हो चुका है। [हिन्दी] कुछ राज्यों ने जो डिमांड दी थी, उन राज्यों की वह डिमांड पूरी की गयी। जो स्टॉक हमारे हाथ में था वह दो लाख दस हजार टन था और इसमें से जिसका जिक्र माननीय शरद यादव जी ने किया, वह जब हमने जांच की तो सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट ने हमें लिखित में बताया है कि जो माल उन्होंने खरीदा, उसमें से कोई भी माल सड़ा नहीं, खराब परिस्थिति में नहीं है। एक बात साफ है कि नैफेड 6 हजार टन माल बाहर से लाया था, वह कोलकाता पोर्ट पर हेल्थ ग्राउंड के क्लीयरेंस देने की आवश्यकता में समय लगा और उसे कस्टम ने क्लीयर नहीं किया था। आज सभी कागजात जो देने की आवश्यकता थी, वे नैफेड ने पूरे किये और सभी माल कस्टम ने क्लीयर किया और जहां भेजना था उसे भेजने में नैफेड कामयाब रहा। इससे एक बात साफ होती है कि आयातित माल सड़ रहा है, सरकार का आयातित माल किसी बंदरगाह पर पड़ा है, यह रिपोर्ट गलत है। जहां तक इन चार पब्लिक सेक्टर ने लिखित रूप से हमें बतलाया और स्थिति हमने देखी, उससे यह बात जाहिर होती है, साफ होती है कि यह रिपोर्ट सच नहीं है। दूसरी एक बात हो सकती है

कि जिस तरह से 10 लाख टन माल ये चार संगठन लाए, उसी तरह से 15-20 लाख टन माल प्राइवेट व्यापारी भी इस देश में लाए। उनका स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा। उनकी एसोसिएशन के माध्यम से एक स्टेटमेंट निकला है। [अनुवाद] "भारतीय दलहन आयातक संघ।" उन्होंने क्या कहा है?

"समाचार पत्रों में अनेक आरोप प्रकाशित हो रहे हैं कि पत्तनों में दालों के स्टॉक पड़े हैं जिसके लिए सरकार अथवा निजी व्यापारी जिम्मेदार हैं। और कई महीनों से स्टॉक की गुणवत्ता गिरती जा रही है। भारतीय दलहन आयातक संघ यह स्पष्ट करता है कि यह असत्य है और आप को सूचित करना चाहता है कि पत्तनों में तथा पत्तन नगरों में पीली मटर और अन्य वस्तुओं के स्टॉक की स्थिति निम्नानुसार हैं और वे अच्छी स्थिति में हैं।"

[हिन्दी]

प्राइवेट सेक्टर ने भी यह बात साफ तौर से कही है कि जो भी माल आया है, उसमें कोई खराबी नहीं हुई है। इतने बड़े देश में कहीं न कहीं चार बोरी या छह बोरी अगर खराब हो गई और उसका फोटो अखबार या टेलीविजन में आ गया। देश के सामने इतना बड़ा संकट है, तो देशवासियों के मन में भी यह शंका पैदा हो सकती है।(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण) : मुद्रा पोर्ट में माल पड़ा है।

श्री शरद पवार : मुद्रा पोर्ट में माल नहीं आया है। कोलकाता, मुम्बई, तूतिकोरिन, चैन्नई, विजाग, काकीनाडा पोर्ट्स आदि से माल आया है। इसकी रिपोर्ट फूड विभाग ने दी है। दूसरी जगह से माल नहीं आया है, इस तरह की उनकी रिपोर्ट है।

श्री लालू प्रसाद : गुजरात में अदानी पोर्ट सबसे बड़ा है। वहां सारा माल पड़ा है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। आप इसकी जांच करवा लीजिए कि सामान वहां था या नहीं।

श्री शरद पवार : शिपिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमारे सभी पोर्ट्स आते हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से हर पोर्ट में पलिसस और चीनी कितनी आई, कब आई, स्थिति क्या है, इसकी लिखित रिपोर्ट हमने मांगी। उन्होंने कहा कि कोलकाता, मुम्बई, तूतिकोरिन, विजाग और काकीनाडा पोर्ट्स पर पलिसस आया है और इनका पूरा हिसाब-किताब उन्होंने भी दे दिया है, चारों प्राइवेट सेक्टर ने भी दे दिया है तथा प्राइवेट एसोसिएशन, पलिसस इम्पोर्ट एसोसिएशन आफ इंडिया ने भी दिया है। इनके माध्यम से यह बात सामने आई है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है। जैसा मैंने पहले कहा है कि

[श्री शरद पवार]

इतने बड़े देश में अगर कहीं चार बोरी या पांच बोरी खराब हुई होगी और इसका फोटो अखबार या टीवी के माध्यम से देशवासियों के सामने आया है, तो आप या मैं, कोई भी हो, चिंता होना स्वाभाविक है कि यह ठीक नहीं हो रहा है। यह समझते हुए ही यह मुद्दा यहां उठाया गया होगा। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इस बारे में जो ध्यान देने की आवश्यकता है, वह ध्यान हमारी तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि पलिसस हमारे देश में ला कर डिमांड और सप्लाई का गैप पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की आवश्यकता है। इस बारे में हम सहमत हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई पर बहुत बहस हुई है और बहुत तैयारी के साथ कृषि मंत्री जी जवाब भी दे रहे हैं, इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन क्या मंत्री जी दो बातें मानने के लिए तैयार हैं? लागत खर्च से डेढ़ गुना से ज्यादा कारखाने की चीज नहीं बेची जाए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो साधारण सुई है टीबी की, वह लगभग दस रुपए का एक इंजेक्शन आता है। आप उसकी लागत का पता लगाएं तो वह तीन रुपए से ज्यादा नहीं है। वह सुई साढ़े चार रुपए से मिलनी चाहिए। दूसरी बात, एक फसल से दूसरी फसल तक बीस फीसदी से अधिक महंगी पैदावार नहीं होनी चाहिए, जिसे दाम बांधों नीति कहते हैं। दाम बांधों नीति वहीं सरकार चला सकती है, जिसमें साहस हो और हम उसमें सहयोग करेंगे। क्या मंत्री जी दाम बांधों नीति लागू करेंगे।

श्री शरद पवार : आपने दाम के बारे में क्या कहा है?

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरा सवाल दाम बांधों नीति के बारे में है। हमारा कहना है कि कारखाने में बनी चीज बनाने में जो लागत आती है, उसका ड्योदे से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहिए।

जैसे एक टी.वी. की सुई है जिसकी लागत कारखाने में लगभग 3 रुपये आती है और बाजार में 10 रुपये में बेची जा रही है और स्टोर में वही सुई 225 रु. में बेची जा रही है जबकि कारखाने की बनी हुई चीजें जो होती हैं, उसका खर्चा, उसकी लागत में ड्योद से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहिए और किसान का जो उत्पादन है, वह एक फसल से दूसरी फसल तक 20 फीसदी से लेकर 25 फीसदी से ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। क्या सरकार दाम बांधों नीति लागू करेगी?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आता हूँ। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं भी महसूस करता हूँ।

[हिन्दी]

जो कुछ असर हुआ है, इसका असर डाइरेक्टली और इंडाइरेक्टली हो सकता है, हम जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर मैं पहले जिस खास आइटम के बारे में लोगों में नाराजगी है, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत आम परिवारों को देनी पड़ती है, इनमें पल्सेज आती हैं, इसीलिए मैंने पल्सेज के ऊपर शुरू में ध्यान दे दिया।

दूसरा महत्वपूर्ण आइटम चीनी है। जहां तक चीनी की बात है, चूंकि चीनी का देश में कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि उसका एक साइकल होता है। 5 सालों का वह साइकल होता है। 5 साल में से 4 साल हमेशा चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और 2 साल चीनी का उत्पादन बहुत कम होता है। जब चीनी का उत्पादन बहुत कम होता है, उस समय गन्ने की कीमत बहुत ऊपर जाती है। किसान फिर गन्ना ज्यादा लगाता है और 2 साल के बाद जरूरत से ज्यादा इस देश में पैदावारी होती है। चीनी की कीमत नीचे जाती है, किसान को ठीक तरह से कीमत नहीं मिलती और फिर किसान दूसरी फसल पर शिफ्ट होता है। ऐसी परिस्थिति कई सालों से इस देश में बन रही है। यह चीनी के क्षेत्र में साइकल है। सदन के सदस्यों को याद होगा, 3 साल पहले इस देश में चीनी का उत्पादन कभी भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था कि 260 से 300 लाख टन तक चीनी का उत्पादन हो गया, जगह-जगह चीनी के स्टॉक पड़े रहे। चीनी मिल जिनकी जिम्मेदारी किसानों की गन्ने की कीमत देने की थी, वह देने की परिस्थिति में नहीं रहीं और इसका सबसे ज्यादा बुरा असर उत्तर प्रदेश पर हो गया। मुझे याद है, मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे, उस समय वहां के किसानों को ठीक तरह से गन्ने की कीमत मिलनी चाहिए, इस बात पर ध्यान दिया गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चीनी मिल वालों को बुलवाकर जगह-जगह पर जहां कीमत नहीं दी गई थी, वहां कीमत देने की एक परिस्थिति पैदा हो गई। तब किसानों को गन्ने की कीमत मिली। मगर इसके बाद के 2 साल ऐसे हुए कि उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने की कीमत ठीक तरह से नहीं मिल रही थी और यह बात केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं थी, देश के अन्य राज्यों की परिस्थिति भी ऐसी थी क्योंकि चीनी की कीमत 1000 रुपये टन से नीचे आई थी जिसका उत्पादन, खर्चा इससे ज्यादा है। कारखाने संकट में आ गये, मिल संकट में आ गई। माल बहुत पड़ा था लेकिन इसकी डिमांड नहीं थी, इंटरनेशनल मार्केट

में भी डिमांड नहीं थी। इसलिए क्या करना है, यह जरूरत सरकार के सामने आ गई थी। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने बफर स्टॉक को फाइनेंशियल सपोर्ट करने का एक कदम उठाया और 800 करोड़ रुपये की राशि इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए उन्होंने दी। साथ-साथ एक्सपोर्ट करने के लिए भी मदद की और इससे देश में जो सरप्लस चीनी का स्टॉक था, वह कम करने के लिए कोशिश की गई। मगर जब इतनी कीमत कम हो गई और मुझे याद है कि जब सदन में 3 साल पहले यह बात मैंने कही थी, तब चीनी की कीमत 12, 13 रुपये के आसपास आने के बाद इस सदन में मांग की गई कि चीनी की कीमत और कम होनी चाहिए, तब मैंने सदन में कहा था कि चीनी की कीमत 20 या 22 रुपये तक जब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक किसानों को ठीक कीमत नहीं मिलेगी और जब तक किसानों को ठीक कीमत नहीं मिलेगी तो मुझे लग रहा है कि 2 साल के बाद इस देशवासियों को चीनी 27, 28 या 30 रुपये में खरीदनी पड़ेगी क्योंकि किसान दूसरी फसलों पर जाएगा।

मैंने यह बात सदन में कही थी जो सदन के रिकॉर्ड में है और आज वहीं परिस्थिति आ गई।

[अनुवाद]

गत वर्ष जब इस सरकार ने गेहूं के लिए 1080 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की थी किसान समुदाय के एक बड़े हिस्से विशेषकर उत्तर प्रदेश में किसानों ने गन्ने की खेती छोड़कर गेहूं की खेती शुरू कर दी थी।

[हिन्दी]

अन्न का उत्पादन घटा। आज देश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है लेकिन उत्तर प्रदेश में ही गन्ने की लागत सबसे कम हो गई। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन कम हो गया। इसके साथ नंबर दो पर महाराष्ट्र है और यहां उस समय उत्पादन घटा। जब दो राज्यों में उत्पादन घटा तब देश में चीनी की उपलब्धता कम हो गई और इसकी कीमत आज हम लोगों को देनी पड़ रही है। यह समस्या यहां तक सीमित नहीं हुई बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाले तीन देश आस्ट्रेलिया, ब्राजील और थाईलैण्ड और चौथा देश साउथ अफ्रीका है, इनमें ब्राजील को छोड़कर बाकी देशों में चीनी का उत्पादन घट गया। ब्राजील में इस साल गन्ने की लागत ज्यादा हुई है क्योंकि पिछले कई दिनों से कन्टीनुअसली बारिश आ रही है जिससे हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन बंद हो गया है और वहां चीनी मिलें नहीं चल सकी और

उत्पादन रुक गया है। इसके कारण दुनिया में चीनी की कीमत ऊपर गई, भारत में चीनी की कीमत ऊपर गई और आज भारत में देशवासियों को एक जबर्दस्त संकट का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, मैं एक बात सदन को कहना चाहता हूं कि जब दुनिया की मार्किट में हिन्दुस्तान उतरता है तो दुनिया की मार्किट की कीमत नीचे जाती है और जब दुनिया की मार्किट में हिन्दुस्तान कुछ खरीदने के लिए जाता है तब दुनिया की कीमत ऊपर जाती है क्योंकि हम खरीदते ही इतने बड़े पैमाने पर हैं और इसका असर दुनिया पर होता है। आज चीनी हो या पत्तिसस हो, इन दोनों क्षेत्रों में भारत के कारण यह परिस्थिति बनी है। इसका कुछ न कुछ रास्ता निकालने की आवश्यकता है। हमने इसके लिए पहला कदम उठाया कि 81 रुपए प्रति क्विंटल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सुधार किया और 109 रुपए किया। इस तरह से इतनी वृद्धि इसमें की गई। इसके साथ दूसरा कदम उठाया।

[अनुवाद]

यह सांविधिक न्यूनतम मूल्य हैं, यह अंतिम मूल्य नहीं है।

[हिन्दी]

चीनी मिलों को इससे ज्यादा कीमत देनी है और दे सकते हैं, अगर देने की परिस्थिति हो तो उन्हें देनी चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि गन्ने की लागत बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि बारिश ने अलग तरह की परिस्थिति पैदा की है वरना इस देश में गन्ने का ज्यादा हिस्सा हो सकता था। हमारे सामने बाहर के देशों से चीनी लाने की समस्या थी। मैं आपको सच बताऊं तो हम बाहर से चीनी लाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब यहां का उपभोक्ता संकट में आ गया और इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई तब भारत सरकार ने कांसियश डिंसीजन ले लिया कि हम बाहर से रॉ चीनी लेंगे। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि आप फाइन शुगर क्यों नहीं लाते, रॉ शुगर क्यों लाते हैं? इसका उत्तर यह है कि रॉ शुगर सस्ती होती है। हम यहां रॉ शुगर लाएंगे, अपनी चीनी मिलों में प्रॉसेस करेंगे जिससे चीनी मिलों की कैपिसिटी का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, मजदूरों को रोजीरोटी मिलेगी और फिर उस चीनी को हम मार्किट में दे सकते हैं। हम तैयार चीनी लाएंगे तो डायरेक्ट उपभोक्ता को दे सकते हैं लेकिन हम बाकी लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। हमने कांसियश डिंसीजन लिया और इसके सब टैक्सिस खत्म किए और चाहें जिनी रॉ शुगर लाएं, इसकी ऑलरेडी इजाजत दे दी है।

[श्री शरद पवार]

[अनुवाद]

लगभग 29 लाख टन अपरिष्कृत चीनी इस देश में पहुंची है और अगले महीने से मिल पिराई आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

जब तक मिल शुरू नहीं होती तब तक यह प्रॉसेस होगा। जिन लोगों को चीनी मिली है उनके ऊपर एक बंधन लगाया है कि इम्पोर्ट करने के बाद तीन महीने के अंदर माल मार्किट में बेचना ही पड़ेगा, अवेलेबल करना ही पड़ेगा, अगर नहीं बेचा, स्टॉक किया तो यह जवाब हो जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दुकान को दे दिया जाएगा। हमने इसके साथ इस तरह का कदम उठाया है। हमें उम्मीद है कि इसका कुछ न कुछ फायदा होगा और चीनी आने के लिए तैयार होगी।

पिछले कई सालों से हमारे देश में ऑयलसीड्स का उत्पादन कुछ क्षेत्रों में बढ़ा है। खास तौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ का कुछ हिस्सा, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में सोयाबीन की फसल दिन-ब-दिन बढ़ रही है। सोयाबीन बढ़ रहा है, कुछ एरियाज में मस्टर्ड बढ़ता था, कुछ क्षेत्रों में कपास का तेल बढ़ता था और ग्राउंड नट तथा अदस फसलें भी ठीक तरह से होती थीं। लेकिन फिर भी डिमांड और सप्लाई में गैप थी और पिछले दस सालों से भारत ने, उसमें चाहें एनडीए सरकार हो या आज की हुकूमत हो, उन्होंने एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करने की नीति स्वीकार की और आज इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ अन्य देशों से हम सोया ऑयल और पाम ऑयल बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट करते हैं और डिमांड और सप्लाई के गैप को पूरा करने की कोशिश करते हैं।

महोदय, एक अच्छी बात है, पिछले एक महीने से दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयलसीड और रिफाइंड ऑयल की कीमतें नीचे जा रही हैं। ... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व) : इससे देश में हर चीज का भाव बढ़ा है।

श्री शरद पवार : नहीं, तेल के भाव में फर्क पड़ा है।

श्री हरिन पाठक : एक-एक चीज का भाव बढ़ा है।

श्री शरद पवार : इसका असर देश के तेलों के भाव पर भी होने लगा है। चार दिन पहले मुझे एक डेलिगेशन मिला, जो इस

देश में पैदावारी करने वाले लोग हैं, और दूसरा केरल के हमारे कुछ साथियों का डेलिगेशन मुझे मिला। उन्होंने कहा कि आप विदेश से जो ड्यूटी फ्री ऑयल आते हैं, उस पर आप कुछ न कुछ बंधन डालिये। यहां केरल के सदस्य होंगे।

[अनुवाद]

आशा है कि केरल के कुछ माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं। केरल के किसानों की मांग थी कि हमें इन तेलों के आयात की आसानी से अनुमति नहीं देनी चाहिए और विशेषकर केरल में इन तेलों के आयात को रोक दिया जाना चाहिए केरल के माननीय सदस्यों की यही मांग थी क्योंकि इससे केरल के घरेलू किसानों के हितों पर असर पड़ रहा है... (व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, इससे केरल में नारियल के किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं... (व्यवधान)

श्री शरद पवार : वास्तव में, मैं यही बात कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वही सही है।

[हिन्दी]

आज बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, इसका असर यहां के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर हो रहा है। जो शिकायत अभी हमने केरल के सदस्यों के माध्यम से सुनी, ऐसी स्थिति आज अपने देश के कई एरियाज में पैदा होने लगी है। क्योंकि ऑयल सीड और रिफाइंड ऑयल बाहर से लाने के बाद यहां की कीमतें कम होने लगीं, इसका असर यहां के उत्पादन पर हो रहा है और इसलिए हमें इसका बैलेंस रखने की आवश्यकता है। हम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। साइमल्टेनियसली डोमेस्टिक प्रोडक्शन खत्म नहीं होगा और यहां का किसान नाउम्मीद नहीं होगा, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। ... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप बताइये, कम कहां हो रहा है? यह बढ़ रहा है।... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : आप बताइये कौन से देश में भाव बढ़ा है। [अनुवाद] कृपया इन देशों के नाम लीजिए... (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी के जवाब के बाद सवाल पूछेंगे तो अच्छा होगा, यदि बीच-बीच में पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मंत्री जी को जवाब खत्म करने दीजिए।

श्री हरिन पाठक : आप बतायें कि इसका समाधान क्या है? महंगाई कम नहीं हुई है। साढ़े छः सालों से महंगाई बढ़ रही है, यह कम कब होगी।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री हरिन पाठक : आम आदमी को इन सब बातों से क्या मतलब है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : आप सुनते क्यों नहीं हो? कृपया थोड़ा धैर्य रखिए... (व्यवधान)

वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिनांक 30 जुलाई, 2009 की स्थिति के अनुसार खाद्य तेल का मूल्य गत वर्ष के इसी दिन के मूल्य की तुलना में कम है। पाम ऑयल के मूल्य में 37.76 प्रतिशत की कमी आई है। एफओबी, सोयाबीन के मूल्य में 43.6 प्रतिशत की कमी आई है... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : यह बाहर हो रहा है, लेकिन यहां नहीं हो रहा है।

श्री शरद पवार : मैं बताता हूं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बताने दीजिए। आप बैठ जाइये।

अपराह्न 2.44 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुईं]

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : आप यह तो मानते हैं। कि बाहर हो रहा है ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

घरेलू बाजार में भी इसी अवधि में खाद्य तेल के थोक मूल्य में कमी आई है, सोयाबीन के तेल में 31.58 सनप्लावर तेल में

33.33 प्रतिशत और पॉम ऑयल में 30.77 प्रतिशत की कमी आई है... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप थोक मूल्य की बात कर रहे हैं या उपभोक्ता मूल्य की बात कर रहे हैं? ... (व्यवधान)

श्री शरद पवार : यदि थोक मूल्य कम हुआ है तो उसका उपभोक्ता मूल्य पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : इसका कोई प्रभाव नहीं है... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : आप कंज्यूमर प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं या होल सेल प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं?

श्री शरद पवार : मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं। कुछ न कुछ इसके ऊपर भी हो रहा है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं कंज्यूमर प्राइस के बारे में जानना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : मैं जानकारी देना चाहूंगा... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप ध्यान से सुनिये।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : मैं सिर्फ वक्तव्य पढ़ रहा हूं यह 6 अगस्त का दिल्ली में चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं का फुटकर मूल्य है। आप तेल का उल्लेख कर रहे हैं। दिनांक 6 अगस्त, 2008 को मूंगफली के तेल का मूल्य दिल्ली शहर में 121 रुपये प्रति किलो था और आज यह 107 रुपये प्रति किलो है। सरसों के तेल के बारे में, यह दिनांक 6 अगस्त, 2008 को 85 रुपये प्रति किलो था और आज यह 65 रुपये प्रति किलो है। वनस्पति तेल 73 रुपये प्रति किलो था और आज यह 55 रुपये प्रति किलो है।... (व्यवधान) यह दिल्ली के सरकारी आंकड़े हैं... (व्यवधान) यदि आप समझना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं? ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे माननीय सदस्यों के मन में यह जिज्ञासा है कि मंत्री महोदय के जवाब के बाद सब को मौका मिलना चाहिये। जो जानना चाहें, माननीय मंत्री जी बाद में उसका जवाब दे दें। अगर आप इस बात का इन्तजाम कर दें तो हल्ला-गुल्ला रुका रहेगा।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मंत्री जी के जवाब से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जितना समय इस विषय पर चाहिये था, उससे ज्यादा समय दिया जा चुका है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री, कृपया आप बोलना जारी रखिए।

श्री शरद पवार : अतः ये महत्वपूर्ण मद्दे हैं।

[हिन्दी]

मैंने यह बात शुरू से साफ तौर पर कही है कि मैं ऐसा बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि देश में असैशियल कौमोडिटीज की कीमतें ठीक तरह से नीचे आ रही हैं जिससे आम जनता संतुष्ट हो जायेगी, मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन यह बात मैंने जरूर कही है कि चीनी की कीमतें आज ऐसी परिस्थिति में पहुंची हैं कि हर सेक्शन प्रभावित है। चीनी के रेट्स नीचे लाने के लिये कुछ न कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिये इम्पोर्ट का रास्ता स्वीकारना पड़ेगा, सब्सिडी का रास्ता स्वीकारना पड़ेगा। साथ ही साथ लॉग टर्म प्लानिंग में इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये कोशिश करनी पड़ेगी। इस साल एक अलग सा माहौल पैदा हो गया कि वर्षा कम हुई है। इसलिए बारिश कम होने का असर इस पर हो गया। मैं ने तो इस बात को शुरू में स्वीकार किया है। मैं इस परिस्थिति को नजर-अंदाज नहीं करना चाहता हूँ। आम जनता को जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ के बारे में इस सरकार को बिल्कुल ... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, मैंने जो सवाल किया, आपकी तरफ से उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। बंसल जी ने कहा ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी का उत्तर पूरा हो जाने दीजिये।

श्री लालू प्रसाद : हम क्या करें, क्या चले जायें?

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आप क्यों जायेंगे, आप पूरा उत्तर सुनिये।

श्री शरद पवार : आप कहाँ जायेंगे?

अध्यक्ष महोदया : आप उत्तर सुनिये, क्यों जायेंगे?

श्री शरद पवार : हमें छोड़कर कहाँ जायेंगे?

श्री लालू प्रसाद : हम यहीं हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : जब आप इस पर कह रहे हैं कि उत्तर नहीं दिया जायेगा... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप पूरा उत्तर सुन लीजिये। इस पर चर्चा हो चुकी है। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी, आप शान्त हो जाइये।

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदया, कुछ माननीय सदस्यों ने सब्जियों के रेट बढ़ने के बारे में कहा है। यह बात सच है कि पिछले कुछ समय से बारिश कम हो रही है। पानी की स्थिति देश में गंभीर हो रही है जिसका असर सब्जियों पर पड़ रहा है। मगर सब्जियों के रेट्स में पल्सेज के रेट्स में फर्क है क्योंकि सब्जियों की परिस्थिति देश में कभी परमानेंट नहीं रहती है।

यह मैंने कई बार देखा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ प्याज ज्यादा पैदा होता है। कभी प्याज की कीमत इतनी नीचे जाती है कि उसे माफ़ेट में ले जाने के लिए किसान का जो खर्चा लगता है, वह भी किसानों को नहीं मिलता है इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी-कभी प्याज की कीमत इतनी ऊपर जाती है कि उपभोक्ता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह बात हम लोगों ने कई बार देखी है। आज यह परिस्थिति पैदा हुई है। आज पूरे देश में सूखे की जो अवस्था है, उसका कुछ न कुछ असर उसके ऊपर हुआ है और हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चाहें आलू हो या प्याज हो, इसका कुछ न कुछ असर हुआ है।... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, दवाएं बहुत महंगी हो गयी हैं, उसके बारे में मैंने सवाल पूछा था। दवाएं इतनी महंगी हो गयी हैं कि गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता है। महंगाई की वजह से, दवाओं के अभाव में सैकड़ों लोग मर रहे हैं। दवाएं बहुत महंगी हैं। ... (व्यवधान) क्या कृषि मंत्री इस संबंध में बताएंगे।

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हो जाइए। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री शरद पवार : महोदया, मुलायम सिंह जी ने सदन के सामने एक बात कही।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : नहीं, कृपया अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, हम लोग सीनियर लीडर हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री लालू प्रसाद : महोदया, हमारी बात सुन ली जाए। एक मिनट में हमारी बात सुन ली जाए। यहां मूल सवाल भूख का है। इस भूख में चावल गायब हो गया है। दाल के बारे में हम मानने को तैयार हैं कि शॉर्ट-फॉल है। गेहूं भी पैदा नहीं होने वाला है। आपके बफर स्टॉक में दो साल के लिए भोजन कराने का क्या प्रबंध है?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। आप मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप पहले यह बताइए कि आपके बफर स्टॉक में केवल नमक और रोटी खाने के लिए कितना अनाज पड़ा हुआ है?... (व्यवधान) आप उसके बाद चीनी पर आइए। अपलेट मार्केटियर्स हैं, होडर्स हैं, डिहोर्डिंग के लिए आप क्या कार्यक्रम बना रहे हैं?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : यह बहुत अच्छा सवाल दोनों यादवों, चाले लालू यादव जी हों, चाहें मुलायम सिंह जी हों, ने सदन के सामने रखा है। मुलायम सिंह जी ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कहा है। ... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मुलायम सिंह जी और मेरे बीच कंट्रीशन है। ... (व्यवधान)

श्री शरद पवार : माफ कीजिए, आप दोनों और शरद जी भी एक हैं। उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए।... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप तीनों यादवों से परेशान क्यों हैं?... (व्यवधान)

श्री शरद पवार : तीनों यादवों को मिलकर सदन को परेशान नहीं करना चाहिए, इसी में हमारा फायदा है। मैं माफी चाहता हूँ, यह मजाक की बात है। इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण इश्यू रखे थे -

[अनुवाद]

न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, किसान समुदाय को बेहतर मूल्य देने हेतु इस सरकार ने सोच समझकर निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

मैं एक बात सदन के सामने कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने कहा था कि हमारे यहां गेहूं का उत्पादन कम हुआ था। इसी सदन में तीन साल पहले जब गेहूं इम्पोर्ट करने की नौबत आ गयी थी, तब इसके ऊपर बड़ी नाराजगी पैदा हुई थी। यह बात साफ थी और इस पर ठीक तरह से कदम उठाने के लिए, गेहूं की जो 600 रुपये कीमत थी, उसे 1000 रुपये करने का निश्चय डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने किया था।

महोदया, दूसरे साल इसे 1,080 रुपये किया गया। आज लालू जी ने यहां सवाल उठाया। इसका यह फायदा हुआ कि आजादी के बाद आज तक इतना उत्पादन कभी नहीं हुआ था। आजादी के बाद आज तक गेहूं का इतना प्रोक्योरमेंट कभी नहीं हुआ था आज हमारे पास 252 लाख टन गेहूं है। जैसा कि लालू जी ने कहा, अगले 13 महीने तक... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : आज हमें 252 लाख टन गेहूं प्रोक्योर करने में कामयाबी मिली। अगले 13 महीने के लिए देश की जो जरूरत है, उतना गेहूं सरकार के गोदाम में है।

जहां तक दूसरी बात लालू जी ने चावल के संबंध में कही, वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चावल का आज तक इतना प्रोक्योरमेंट कभी नहीं हुआ था - 356 लाख टन के आस-पास चावल का प्रोक्योरमेंट हुआ है। अगले 13 महीने की देश की जो चावल की आवश्यकता है, वह देश के पास है।

[श्री शरद पवार]

एक समस्या सिर्फ हमारे सामने बिहार के कुछ क्षेत्रों से, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आई है। इन राज्यों से आज जो चावल बाकी है जिसको उसना चावल भी बोलते हैं, पार-बॉइल राइस भी कहते हैं...(व्यवधान) इसकी एक स्थिति ऐसी है आज भी किसानों और मिलों के पास वह चावल है। उसको खरीदने की हमारी पूरी तैयारी है। मगर देश का कोई भी राज्य आज उसना चावल लेने के लिए तैयार नहीं है। जहां वह चावल पैदा होता है, कम से कम वहां तो हमने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए दिया, इसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। चाहे आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, इन राज्यों का आज जो माल पड़ा है, वह पूरा माल फूड कापोरेशन ऑफ इंडिया खरीद करेगा और उन राज्यों को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन को देना पड़ेगा। वह देने की हमारी तैयारी है, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो यह माल खरीदने के बाद इसको देश में कोई स्वीकार नहीं करेगा तो उससे देशवासियों का नुकसान होगा, इतना ही मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

एक बात यहां कीमत के बारे में कही गई। जैसे मैंने कहा कि गेहूं की कीमत, चावल और धान की कीमत अच्छी देने के लिए कोशिश की तो इसका असर हो गया। मगर इससे भी ज्यादा कीमत देने की मांग यहां की गई और खास तौर पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से इस तरह की मांग आई है। मुझे कल छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री जी का पत्र आया है। उन्होंने लिखा है और रिकमंड किया है कॉमन ग्रेड के लिए।

[अनुवाद]

छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि एक क्विंटल धान मूल्य 1186 रुपये रखा जाए। वास्तव में, इस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। चावल के मूल्य पर अंतिम प्रभाव क्या पड़ेगा?

[हिन्दी]

जब हम एक क्विंटल पैडी खरीदते हैं तो 65 किलो राइस मिलता है।

[अनुवाद]

यदि हम 1,186 रुपये का भुगतान करते हैं और 12.5 प्रतिशत की दर से 148 रुपये स्थानीय कर जोड़ते हैं तो यह 1,334 रुपये हो जाएगा। तत्पश्चात्, 15 रुपये मंडी के खर्चें होंगे। चावल वसूली

67 प्रतिशत होगी। इसलिए, एक क्विंटल चावल की लागत 2024 रुपये होगी। इसके अतिरिक्त बोरे की 50 रुपये लागत होगी। अतः चावल का प्रति क्विंटल मूल्य 2074 रुपये होगा।

[हिन्दी]

आप समझो कि 2100 रुपये क्विंटल चावल की कीमत हो गई तो उपभोक्ता को किस कीमत पर हमें माल देना चाहिए?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये।

श्री शरद पवार : 2100 रुपये आज हमने किसानों को दिये, वहां प्रोसेस करने के लिए लागत लगाई और 2100 रुपये का वह चावल सरकार के गोदाम में आकर पड़ा तो आम जनता को इसकी जबर्दस्त कीमत देनी पड़ेगी। मैं इस पक्ष में हूँ कि किसानों को अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाए, यह इसलिए उठाए कि किसान को वह कीमत मिले जो कभी नहीं मिली थी। मगर कीमत देते समय हम उपभोक्ता को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें इसमें बैलेन्स रखना होगा।

अपराह्न 3.00 बजे

बैलेन्स रखने के अप्रोच को इस सरकार ने आज तक स्वीकार किया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

एक मुद्दा था...(व्यवधान) जिसे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है, अर्थात्, बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. हेतु राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खाद्यान्नों के आबंटन को घटा दिया गया है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इस सरकार द्वारा बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. हेतु न तो किसी भी राज्य के लिए कम किया गया है और न ही एक दाना घटाया गया है...(व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन : जहां तक केरल का संबंध है वर्ष 2007 की अपेक्षा ए.पी.एल. कोटा घटा दिया गया था...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : मैंने कहा कि बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. हेतु एक दाना भी कम नहीं किया गया है। यही नहीं हम बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. श्रेणी को आज भी वर्ष 2002 के निर्धारित मूल्य पर बेच रहे हैं...(व्यवधान) हमने मूल्य में वृद्धि नहीं की है। हमने काफी भार अपने ऊपर लिया है और यही वजह है कि राजसहायता 19000 करोड़ रुपये से बढ़कर 55000 करोड़ रुपये हो गई है। इसलिए, सरकार

का यह भार सिर्फ समाज के गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए है...(व्यवधान)

दूसरा, एक मांग की...(व्यवधान)

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : ए.पी.एल. श्रेणी के बारे में क्या कहेंगे?...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : गरीबी रेखा से ऊपर वालों (एपीएल) के संबंध में हमने न्यूनतम 10 कि.ग्रा. की एक समान आपूर्ति का निर्णय लिया है। केरल ऐसा एक राज्य है जो हमेशा कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और मैं सदैव उनके पक्ष में निर्णय लेने का प्रयास करता हूँ।

वास्तव में, मैंने कल केरल के एक मंत्री का वक्तव्य पढ़ा जिसमें लिखा था कि: "हमने त्योहार हेतु भारत सरकार, माननीय प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री से कुछ सहायता और अतिरिक्त कोटे का अनुरोध किया, परंतु इसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।" मुझे यह कहते हुए खेद है। केरल के माननीय मुख्यमंत्री तथा केरल के माननीय नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दिबाकरन और उनके अधिकारी स्वयं मुझसे मिले और उन्होंने त्योहार के लिए 50000 टन चावल और 25000 टन गेहूँ के अतिरिक्त कोटे का अनुरोध किया और कहा कि इस कोटे को यथाशीघ्र जारी किया जाए। तब मैंने उन्हें बताया कि हमने स्टॉक की स्थिति का आकलन किया है और हमने कहा कि: "हां, हम इसकी आपूर्ति करने को तैयार हैं। हम ओणम त्योहार के लिए केरल के सभी लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं।"

एकमात्र प्रश्न मूल्य का था। मैं किसानों को जिस मूल्य का भुगतान कर रहा हूँ, आपको उसका भुगतान करना होगा। इसलिए, हम उनसे उस मूल्य की आशा कर रहे हैं।...(व्यवधान) हमने राज्य को 50,000 टन चावल और 25000 टन गेहूँ आबंटित किए हैं।...(व्यवधान) इसके बावजूद मैंने केरल नेतृत्व का वक्तव्य देखा है कि भारत सरकार ने उनके लिए एक दाना भी स्वीकृत नहीं किया है।...(व्यवधान) मुझे यह कहते हुए खेद है।...(व्यवधान) यह सरकार किसी भी राज्य सरकार के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपनाएगी भले ही वह सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो।...(व्यवधान) इस बारे में हमारा यही पूर्ण दृष्टिकोण है।...(व्यवधान)

माननीय श्री बसुदेव आचार्य...(व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन : यह केरल में ओणम त्योहार के लिए है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए। माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन : हम माननीय मंत्री से इसके लिए अनुरोध करेंगे क्योंकि यह केरल में ओणम त्योहार के लिए है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : कृपया बातों के इसके मिलाकर भ्रम उत्पन्न मत कीजिए।...(व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन : बी.पी.एल. मूल्य नहीं बल्कि ए.पी.एल. मूल्य के बारे में क्या विचार किया है?...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : मैं किसानों को जो मूल्य का भुगतान कर रहा हूँ।...(व्यवधान) किसी भी राज्य को अतिरिक्त कोटा, हेतु उन्हें वही मूल्य स्वीकार करना होगा जिसका भुगतान किसानों को किया गया है। हम स्थापना प्रभार नहीं लेना चाहते। हम ब्याज, भंडार व्यय, परिवहन व्यय आदि भी नहीं लेना चाहते जो हमने व्यय किया है सारा भार भारत सरकार द्वारा अदाया जाएगा। परन्तु, किसानों को किया गया व्यय अतिरिक्त कोटे हेतु संबंधित राज्यों से वसूला जाएगा। इस प्रकार का निर्णय लिया गया है।...(व्यवधान)

आवश्यक वस्तुओं संबंधी कार्यवाही के बारे में, [हिन्दी] लालू जी ने होर्डिंग के बारे में कहा है। सभी राज्यों को भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह एसैशियल कमोडिटी एक्ट का आधार लेकर स्टॉक लिमिट, लाइसेंसिंग और स्टॉक डिक्लरेशन और होर्डिंग के खिलाफ कदम उठाने चाहिए।

देश के 18 राज्यों ने इसे स्वीकार किया और 13 राज्यों ने इस बारे में जो आर्डर इश्यु करने की आवश्यकता थी, वे इश्यु किए। इस साल राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए हैं, वे बहुत कम हैं। आज तक इसमें जो होर्डर्स को डिटेन करने की आवश्यकता थी, ऐसे टोटल डिटेक्शन इस देश में चार राज्यों ने किए, उन्होंने 162 परसेंट आज तक बड़े व्यापारियों या कुछ लोगों को डिटेन किया, ऐसा रिकार्ड उन्होंने हमें दिया है। कल प्रधान मंत्री जी ने इस काम के लिए देश के सभी मुख्य सचिवों और बाकी लोगों की मीटिंग बुलाई है, सूखे की स्थिति का अंदाज लेंगे।।।।।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चार राज्य कौन से हैं?....
(व्यवधान)

श्री शरद पवार : सूखे जैसी परिस्थिति के बारे में उत्तर प्रदेश नहीं है।(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : पहले भी प्रधान मंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, उस समय भी राज्यों से कोई सहयोग नहीं मिला था। आप सही बात नहीं बता रहे हैं, हम अगर एक लाख की दाल लेना चाहते हैं तो दाल मौजूद है और महंगाई आसमान पर है। ..
...(व्यवधान) ब्लैकमार्केटिंग के खिलाफ होर्डिंग अभियान नहीं चलाएंगे.
...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : पहले कदम के तौर पर, जमाखोरों, काला बाजारियों पर रोक लगाने के लिए राज्य वास्तव में क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसकी समीक्षा करने हेतु कल सुबह 10.30 बजे सारे मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई गई है। हम यह पता लगाएंगे कि उनके द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं। यह भी प्रस्ताव है, परंतु मैं इसको लेकर निश्चित नहीं हूँ कि संभवतः इस महीने की 17 तारीख को इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुलाई जा सकती है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि प्रत्येक राज्य जमाखोरों और काला बाजारियों के विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई करे। यह कार्रवाई की जाएगी। स्थिति बहुत गंभीर है। भारत सरकार ने इस पूरी स्थिति को काफी गंभीरता से लिया है। हमने निर्णय लिया है कि यहां जो कुछ उपलब्ध है हम उसका समुचित वितरण करने का प्रयास करेंगे और जितनी कमी है, हम उसको विश्व में कहीं से भी आयात करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में खाद्य पदार्थों की कमी का कोई प्रश्न ही न हो और आम आदमी को ऐसे उच्च मूल्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए जो उसके नियंत्रण से बाहर है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए, आप बार-बार व्यवधान नहीं डाल सकते।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। हम इस पर वाद-विवाद कर चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हम विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 3.07 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष महोदया, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप बोलना चाहते हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदया, देश में महंगाई के बारे में सदन में कई दिनों से कोशिश होती रही कि हम इस पर चर्चा करें। कल और आज जो चर्चा हुई है, जिसे कि हमारे सीपीएम के नेता ने आरंभ किया, उसका इस समय जो जवाब दिया गया, मुझे नहीं लगता कि सदन को इस बात का संतोष हुआ, क्योंकि कुल मिला कर उत्पादन, प्रक्योरमेंट बढ़ा है, फिर महंगाई क्यों बढ़ी है? इस सरकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, अभी-अभी आप जो चुनाव जीते, आपको अच्छा जनादेश मिला, उसमें प्रमुख रूप से आपने आम आदमी के प्रति न्याय करने का संकल्प किया था। अगर आम आदमी किसी बात से सबसे अधिक दुखी है, उसे तकलीफ है, गरीब की कैसी स्थिति होगी, जब दाल की कीमत बढ़ जाए। मंत्री जी ने सब्जियों की बात कही, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफदेह बात यह है....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदया, सदन का इस समय सत्रावसान होगा, हम राष्ट्रगान में जरूर सम्मिलित होंगे, लेकिन प्रोटेस्ट के तौर पर सदन का त्याग करना चाहते हैं।

अपराह्न 3.09 बजे

(तत्पश्चात, श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत रहिए। उन्हें बहिर्गमन करना है, शांतिपूर्वक करने दीजिए। आप शांत रहिए।

....(व्यवधान)

अपराह्न 3.10 बजे

विदाई संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, पंद्रहवीं लोक सभा का दूसरा सत्र जो 2 जुलाई, 2009 को आरंभ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है।

पंद्रहवीं लोक सभा के इस पहले बजट सत्र के दौरान हमने 26 बैठकें कीं जो 162 घंटे चलीं।

वर्ष 2009-2010 के लिए बजट (रेल) और बजट (सामान्य) क्रमशः 3 और 6 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत किए गए।

सभा ने वर्ष 2009-2010 के लिए बजट (रेल) पर सिलसिलेवार चर्चा की जो 17 घंटे और 57 मिनट चली जिसमें 197 सदस्यों ने भाग लिया। चूंकि विभागों से संबंधित स्थायी समितियां अभी तक गठित नहीं की गई हैं, अतः वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल) नियम 331छ के निलम्बन संबंधी प्रस्ताव को पारित किए जाने के पश्चात् स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

वर्ष 2009-2010 के लिए बजट (सामान्य) तथा वर्ष 2006-2007 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) को स्वीकृत किए जाने से पहले सभा ने उन पर संयुक्त चर्चा भी की, जो 17 घंटे और 12 मिनट चली तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

मानव संसाधन विकास, कृषि और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, विद्युत, गृह तथा महिला और बाल विकास मंत्रालयों के संबंध में वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों की मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत किए जाने से पहले उन पर, नियम 331छ के अंतर्गत निलंबन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पश्चात् 31 घंटे और 18 मिनट तक चर्चा की गई। शेष मंत्रालयों की वर्ष 2009-2010 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की सभी अन्य बकाया मांगों 23 जुलाई, 2009

को सभा में मतदान के लिए रखी गईं और पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

झारखंड राज्य के संबंध में वर्ष 2009-2010 के लिए बजट 8 जुलाई, 2009 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। झारखंड में राष्ट्रपति शासन को हटाए जाने के प्रस्ताव तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने संबंधी सांविधिक संकल्प तथा झारखंड राज्य के वर्ष 2009-2010 के लिए बजट तथा वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों (झारखंड) पर संयुक्त चर्चा की गई। चर्चा के पश्चात् झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ और सांविधिक संकल्प स्वीकृत हुआ। अनुदानों की मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित हुआ।

सभा ने वित्त वर्ष 2009-2010 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए वित्त विधेयक, 2009 को स्वीकृत किए जाने से पहले उस पर लगभग 9 घंटे और 49 मिनट तक चर्चा की।

सत्र के दौरान, 16 विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा 8 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 हैं।

सत्र के दौरान, 500 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए जिनमें से 87 प्रश्नों के ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। इस प्रकार प्रतिदिन औसतन लगभग 3.34 प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके। शेष तारांकित प्रश्नों तथा 4894 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

सदस्यों द्वारा प्रश्न काल के पश्चात् तथा सायं देर तक बैठकर अविलंबनीय लोक महत्व के लगभग 280 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी 322 मामले उठाए।

सभा ने नियम 193 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों के बारे में चार अल्पकालिक चर्चाएं भी कीं अर्थात्, (एक) देश में स्वाइन फ्लू के तेजी से फैलने से उत्पन्न स्थिति; (दो) देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति; (तीन) प्रधान मंत्री के हाल के विदेश दौरों से उत्पन्न मुद्दे और (चार) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। जहां स्वाइन फ्लू पर चर्चा अनिवार्य रही, वहीं अन्य तीनों चर्चाएं संबंधित मंत्रियों के उत्तर के साथ समाप्त हुईं।

सत्र के दौरान, ध्यानाकर्षण के द्वारा तीन महत्वपूर्ण मामले उठाए गए अर्थात् (एक) देश में नदियों तथा झीलों में प्रदूषण को रोकने

की आवश्यकता; (दो) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सहित उद्योगों में छुट्टी और उनके बन्द हो जाने से बड़े पैमाने पर नौकरियां समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति; और (तीन) सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कतिपय देशों को गैर-बासमती चावल का निर्यात किए जाने से उत्पन्न स्थिति। इन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जवाब में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए तथा सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 39 वक्तव्य दिए गए, जिनमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इटली, फ्रांस और मिस्र के विदेश दौरो पर वक्तव्य तथा सरकारी कार्य के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पांच वक्तव्य भी शामिल हैं।

जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक की बात है, इस सत्र के दौरान 30 गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित किए गए। श्री बैजयंत पांडा द्वारा पेश किए गए अल्प विकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (त्वरित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 पर आंशिक बहस हुई।

श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा हिमालयी राज्यों के विकास हेतु राष्ट्रीय बोर्ड के गठन के बारे में पेश किए गए गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर 4 घंटे 38 मिनट तक चर्चा हुई और तत्पश्चात् इसे सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया। श्री सतपाल महाराज द्वारा 10, जुलाई, 2009 को देश में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के बारे में पेश किए गए अन्य संकल्प पर आंशिक चर्चा हुई।

इस सत्र में, जहां हमने व्यवधान और बाधतावश स्थगन के कारण 23 घंटे 34 मिनट का समय बर्बाद किया, वहीं मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि महत्वपूर्ण वित्तीय एवं अन्य कार्य के निष्पादन के लिए सभा की कार्यवाही 30 घंटे और 52 मिनट अतिरिक्त देर तक चली जिसके लिए मैं सदस्यों को धन्यवाद देती हूं। यह हमारी जनता के कल्याण के प्रति माननीय सदस्यों की पूर्ण प्रतिबद्धता का परिचायक है। यह सभा जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधिक निकाय है जिसे उनकी आकांक्षाओं को समुचित ढंग से प्रतिबिम्बित करना चाहिए। वाद-विवाद और चर्चाएं ही जनता की समस्याओं की ओर सरकार और राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के समुचित तरीके हैं। सभा के

कार्य में व्यवधान पैदा होने से नुकसान जनता को ही होता है जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि वे हर संभव प्रयास करें कि सभा के कार्य में कोई व्यवधान न पड़े। लोगों से जुड़े मुद्दों पर व्यवस्थित चर्चा करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

मैं, सभा के कार्य को पूरा करने में सहयोग देने के लिए माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका के अपने साथियों का धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं, माननीय सदस्यों के अलावा माननीय प्रधानमंत्री, सदन के नेता, विपक्ष के नेता, संग्रह की अध्यक्षा, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों के प्रति उनके सहयोग के लिए अत्यधिक कृतज्ञ हूं।

मैं आप सभी की ओर से मीडिया के अपने मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं इस अवसर पर मुझे दी गई सक्षम और विशिष्ट सहायता के लिए महासचिव को भी बधाई देना चाहती हूं। मैं सभा को समर्पित भाव और मरुतैदी के साथ दी गई सेवाओं के लिए लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद करती हूं। मैं सभा की कार्यवाही को चलाने में कुशलतापूर्वक सहायता प्रदान करने के लिए संबद्ध एजेंसियों का भी धन्यवाद करती हूं।

अपराह्न 3.20 बजे

राष्ट्र गीत

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण अब खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी।

(राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई)

अपराह्न 3.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-1

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	481
2.	श्री उदय सिंह श्री एस. श्रीनिवासुलु रेड्डी	482
3.	श्री अनंत कुमार हेगड़े डॉ. मुरली मनोहर जोशी	483
4.	श्री नित्यानंद प्रधान	484
5.	श्री राजू शेड्डी	485
6.	श्री एन.एस.वी. चित्तन श्री नवीन जिन्दल	486
7.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	487
8.	श्री मनीष तिवारी	488
9.	डॉ. संजीव गणेश नाईक श्रीमती सुप्रिया सुले	489
10.	श्रीमती मीना सिंह श्री तथागत सत्पथी	490
11.	श्री चंद्रकांत खैरे	491
12.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री राधा मोहन सिंह	492
13.	श्री राजनाथ सिंह श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	493
14.	श्री दुष्यंत सिंह	494
15.	श्री प्रहलाद जोशी श्री जय प्रकाश अग्रवाल	495

1	2	3
16.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह श्री जगदानंद सिंह	496
17.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	497
18.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह श्री जगदीश शर्मा	498
19.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	499
20.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार श्री हरिभाऊ जावले	500

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	4733, 4880
2.	अडसुल, श्री आनंदराव	4715, 4809, 4819, 4895
3.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	4772, 4814, 4835
4.	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	4690, 4739
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4672, 4700, 4764, 4767, 4829
6.	अजमल, श्री बदरूद्दीन	4735
7.	अजनाला, डा. रतन सिंह	4706
8.	अर्गल, श्री अशोक	4737, 4877
9.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	4828, 4800
10.	बालू, श्री टी.आर.	4694
11.	बाबर, श्री गजानन ध.	4719, 4789, 4809, 4840

1	2	3
12.	बैरवा, श्री खिलाडी लाल	4726, 4797, 4804, 4850
13.	बलराप, श्री पी.	4675, 4760, 4817, 4828
14.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	4784, 4839
15.	भडाना, श्री अवतार सिंह	4742, 4852
16.	भोंसले, श्री उदयनराजे	4691
17.	चौहान, श्री महेन्द्रसिंह पी.	4765, 4825
18.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	4871
19.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	4686
20.	'कमांडो', श्री कमल किशोर	4752
21.	दास, श्री भक्त चरण	4709
22.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	4797
23.	डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन	4753, 4889
24.	देवरा, श्री मिलिंद	4677, 4771, 4827, 4891
25.	देशमुख, श्री के.डी.	4861
26.	धुवनारायाण, श्री आर.	4709
27.	धोत्रे, श्री संजय	4801
28.	दुबे, श्री निशिकांत	4741, 4884
29.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	4701, 4792
30.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4703, 4725, 4818
31.	गांधी, श्रीमती मेनका	4712, 4883
32.	गांधी, श्री वरुण	4868
33.	हक, शेख सैदुल	4700
34.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	4794

1	2	3
35.	जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव	4801
36.	जाधव, श्री बलीराम	4696
37.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	4843
38.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	4890
39.	जयाप्रदा, श्रीमती	4869
40.	जेना, श्री महोन	4718, 4883
41.	झासी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	4702, 4790, 4797
42.	जिन्दल, श्री नवीन	4755, 4823
43.	जोशी, श्री महेश	4738
44.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	4794, 4848
45.	जोशी, श्री प्रहलाद	4723, 4764
46.	कलमाडी, श्री सुरेश	4859
47.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	4699, 4718, 4775, 4831, 4883
48.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4726, 4781, 4794, 4845
49.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	4725, 4818
50.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	4739, 4788, 4887
51.	कुमार, श्री मिथिलेश	4736
52.	कुमार, श्री शैलेन्द्र	4711
53.	लागुरी, श्री यशवंत	4680, 4773, 4887
54.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4667, 4757, 4796, 4814, 4820
55.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4669, 4759, 4827
56.	महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद	4777

1	2	3
57.	माझी, श्री प्रदीप	4743, 4807, 4854
58.	मणि, श्री जोस के.	4872
59.	मीणा, श्री रघुवीर सिंह	4670, 4850
60.	मीणा, ड. किरोडी लाल	4874
61.	मिश्रा, श्री महाबल	4722, 4882
62.	मुंडा, श्री अर्जुन	4710, 4874, 4896
63.	मुत्तेमवार, श्री विलास	4698
64.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	4723
65.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	4801
66.	निरूपम, श्री संजय	4732, 4805, 4851
67.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4684, 4876
68.	पाल, श्री जगदम्बिका	4731, 4803, 4849
69.	पांडा, श्री वैजयंत	4714, 4813, 4858
70.	पांडा, श्री प्रबोध	4866, 4888
71.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	4697, 4853, 4896
72.	पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	4676, 4774, 4818, 4857
73.	पटेल, श्री देवजी एम.	4724, 4726, 4811, 4850
74.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	4768
75.	पटले, श्री किसनभाई वी.	4743, 4807
76.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	4862
77.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	4678, 4761, 4773, 4830, 4836
78.	प्रधान, श्री नित्यानंद	4726, 4794, 4795, 4842

1	2	3
79.	राजगोपाल, श्री एल.	4668, 4780, 4836
80.	राजेश, श्री एम.बी.	4688
81.	राम, श्री पूर्णमासी	4849, 4860, 4879, 4893
82.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	4681
83.	रामकिशुन, श्री	4887
84.	राणे, श्री नितेश नारायण	4689
85.	राव, डॉ. के.एस.	4674, 4746, 4779, 4856
86.	राव, श्री नामा नागेश्वर	4721, 4886
87.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4705, 4785, 4859
88.	राठवा, श्री रामसिंह	4867, 4871
89.	रावत, श्री अशोक कुमार	4693, 4778, 4852
90.	राय, श्री रूद्रमाधव	4687, 4769, 4832, 4854
91.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4729, 4745
92.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4782, 4794, 4838
93.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	4707, 4784
94.	साहू, श्री चंदूलाल	4683
95.	सेगमलई, श्री एस.	4864
96.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	4708
97.	सरोज, श्रीमती, सुशीला	4685, 4809, 4817
98.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	4744, 4810
99.	सत्यथी, श्री तथागत	4766, 4826
100.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	4679, 4723, 4892
101.	शानवास, श्री एम.आई.	4749, 4815

1	2	3
102.	शंकर, श्री भीष्म उर्फ कुशल तिवारी	4743, 4748, 4812
103.	शर्मा, श्री जगदीश	4787
104.	शेट्टी, श्री राजू	4796, 4843
105.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	4715, 4754, 4819, 4895
106.	सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.	4727, 4807, 4875
107.	सिद्ध, श्री नवजोत सिंह	4870
108.	सिंह, श्री दुष्यंत	4776, 4834, 4850
109.	सिंह, श्रीमती मीना	4791, 4844
110.	सिंह, श्री मुरारी लाल	4751
111.	सिंह, श्री राधा मोहन	4814
112.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	4799, 4847
113.	सिंह, श्री राजनाथ	4798, 4846
114.	सिंह, श्री राकेश	4730, 4802, 4817
115.	सिंह, श्री सुशील कुमार	4734, 4849, 4879, 4885
116.	सिंह, श्री उदय	4793, 4841
117.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	4787, 4848
118.	सिंह, श्री उमाशंकर	4750, 4887
119.	सिन्हा, श्री यशवंत	4702
120.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	4862
121.	शिवासामी, श्री सी.	4747, 4801, 4881, 4887, 4894
122.	सुधाकरण, श्री के.	4740, 4806

1	2	3
123.	सुगुमार, श्री के.	4720
124.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	4712
125.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	4732, 4756, 4837
126.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	4671, 4763, 4822
127.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	4673, 4758, 4807, 4824
128.	तकाम, श्री संजय	4873
129.	टन्डन, श्री लालजी	4764
130.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	4692, 4770, 4775, 4833
131.	थॉमस, श्री पी.टी.	4695, 4816
132.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4682, 4773, 4887, 4890
133.	वर्मा, श्रीमती सज्जन	4716, 4783
134.	वर्मा, श्री ऊषा	4849, 4863, 4870, 4878
135.	विवेकानन्द, डॉ. जी.	4746
136.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	4704, 4735, 4808, 4855
137.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	4680, 4762, 4821
138.	यादव, श्री ओम प्रकाश	4865
139.	यादव, श्री शरद	4713
140.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	4717, 4786
141.	यास्वी, श्री मधु गौड	4703, 4725, 4818

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	481, 483, 486, 488, 494, 495, 498
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	484, 485
पंचायती राज	:	497
विद्युत	:	487, 492, 496
ग्रामीण विकास	:	482, 489, 499, 500
पर्यटन	:	
जनजातीय कार्य	:	
शहरी विकास	:	490, 491, 493
महिला और बाल विकास	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	4647, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4675, 4676, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4688, 4689, 4691, 4694, 4696, 4702, 4703, 4704, 4707, 4713, 4717, 4723, 4726, 4729, 4730, 4731, 4733, 4734, 4736, 4737, 4740, 4743, 4744, 4747, 4749, 4750, 4752, 4753, 4756, 4758, 4759, 4761, 4762, 4764, 4765, 4766, 4768, 4780, 4781, 4785, 4786, 4787, 4789, 4791, 4792, 4794, 4796, 4797, 4798, 4799, 4801, 4803, 4806, 4810, 4813, 4815, 4816, 4818, 4819, 4820, 4823, 4826, 4829, 4830, 4832, 4836, 4842, 4843, 4848, 4851, 4854, 4859, 4862, 4864, 4869, 4872, 4873, 4876, 4880, 4881, 4884, 4886, 4888, 4892, 4894,
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	4721, 4727, 4763, 4863, 4866, 4871, 4875, 4893
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	4685, 4692, 4705, 4708, 4719, 4720, 4767, 4770, 4805, 4837
पंचायती राज	:	4728, 4847, 4895

विद्युत	:	4674, 4677, 4678, 4690, 4695, 4697, 4699, 4700, 4710, 4712, 4738, 4742, 4746, 4748, 4751, 4772, 4774, 4776, 4779, 4784, 4795, 4804, 4828, 4831, 4834, 4841, 4846, 4850, 4853, 4865
ग्रामीण विकास	:	4686, 4718, 4735, 4739, 4773, 4775, 4777, 4809, 4817, 4839, 4852, 4887
पर्यटन	:	4684, 4693, 4701, 4706, 4711, 4724, 4741, 4769, 4811, 4812, 4825, 4844, 4855, 4858, 4867, 4891
जनजातीय कार्य	:	4687, 4709, 4716, 4760, 4773, 4783, 4874, 4877, 4896
शहरी विकास	:	4698, 4722, 4732, 4745, 4754, 4771, 4783, 4802, 4807, 4808, 4814, 4821, 4824, 4833, 4838, 4845, 4849, 4856, 4857, 4860, 4861, 4868, 4870, 4878, 4879, 4882, 4890
महिला और बाल विकास	:	4673, 4714, 4715, 4725, 4755, 4757, 4778, 4782, 4790, 4793, 4822, 4827, 4835, 4840, 4883, 4885, 4889

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मर्दें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित,
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली — 110006 द्वारा मुद्रित।
